

NAAC-SSR (Assessment Year: 2017-22)

Criterion- 7 Institutional Values and Best Practices

Key Indicator 7.1.10:

Code of Conduct

Supporting Documents

Teacher Training Programme on Vocational Pedagogy for Vocational Teachers from January 21 to 25, 2019

Vocational Skill University, Bhopal and Faculty of Education, MLSU jointly organized NCERT Teacher Training Programme on Vocational Pedagogy for 30 Vocational Teachers from the Government Schools between January 21 to 25, 2019 at RSCERT, Udaipur.







Mr Kuldeep Singh, Associate Professor, PSSCIVE (NCERT) was the Coordinator and Dr Alpana Singh, Head/incharge, Department of Education was the convener

of the NCERT Training Program. Dr Alpana Singh briefed the participants about the overview of Learning Outcome based Curriculum.

Three other faculty members of the department -Dr Sapna Mawatwal, Dr Munmun Sharma and Dr Kumud Purohit oriented teachers about effective teaching and learning strategies for Vocational Teachers. Dr Munmun Sharma discussed formation of General and Specific Objectives and using appropriate teaching learning methods. Dr Sapna Sain and Dr Kumud Purohit oriented participants about skill development.

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY UDAIPUR



INSTRUCTIONS TO CENTRE SUPERINTENDENT FOR THE

EXAMINATIONS

- 8. Candidates will be allowed to use their own fountain pens and ink. If the ink brought by a candidates is finished he may use another kind of ink. In such case the Superintendent should please note the fact on his answer-book and put facsimile stamp of the Controller of Examination at the place where the ink is changed for the information of the examiner. Logarithmic Tables may be supplied to the candidates, who ask for them for the Degree or Postgraduate examinations.
- 9. The Superintendents should please announce to the candidate the exact time of commencement of each examination according to the programmes of examinations (supplied separately) adding that ignorance of the correct time will not serve as an excuse for coming late or remaining absent.
- 10. (a) Candidates may be admitted to the examination hall half an hour before the time fixed for the examination on the first day and the first session; and a quarter of an hour before time and subsequent days/sessions.
- (b) Candidates are not to be admitted to the examination hall unless their names appear in the printed roll list sent separately. They have been asked to bring their admission cards with them which should be inspected every day as far possible and returned after inspection. If any candidates, whose name appears in the printed roll list, forgets to bring his/her admission card or loses it, he/she may be admitted to the exami-nation. Provided the Head of the institution or some of the responsible teacher of the candidates college identifies the candidate in writing and in the case of loss of admission card, he also certifies that the fee of Rs. 10.00 for a duplicate copy of the admission card has been paid by the candidate to the office. The fee so collected will be sent by the Centre Superintendent to the Controller of Examinations. In the case of a private candidate the Superintendent may use his discretion and admit the candidate provi-sionally pending production of a satisfactory certificated as to the identity of the candidate. A duplicate copy of the admission card be issued on the payment of the prescribed fee of Rs.10.00 to be sent to the Controller of the Examination. The Centre Superintendent should report the roll numbers and names of such candidates to the Controller of Examinations at the end of the examination.
- (c) Candidates who arrive for any papers are not entitled to be admitted in the examination hall after the time fixed for the commencement of the examination. In exceptional cases, the Superintendents may at their discretion admit candidates coming late by not more than half an hour after ascertaining that no candidate had left the examination hall till then. All such cases should however, be reported to the Controller of Examination. No extra time should be given to such candidates.

(d) ONE HOUR EXTRA TIME BE GIVEN TO BLIND CANDIDATES FOR ANSWERING THEIR QUESTION PAPERS AT THE EXAMINATION.

(e) Candidates are to be admitted in the examination room without books, papers of reference material of any kind. The Centre Superintendent should make suitable arrangement for placing books etc. outside the examination rooms. The place for keeping books / papers etc. by the candidates should be announced by them with a note of warning that they should keep their belongings outside before entering the examination hall and that if any body is found in possession of paper, chits or any unfair-means and dealt with accordingly.

Admission of Candidates into the Examination Hall

Bline

- (b) The concerned candidate shall be served with a notice per registered post at the address given in his examination form, giving an opportunity to show cause in writing within 15 days from the date of the notice as to why he be not held guilty of the use unfair means and the proposed punishment in his case be not awarded. The notice shall be accompanied with a copy of invigilator's report, Centre Superintendent's report, Examiner's report, copy of student's own statement of any and a list of the material recovered, if any
- (c) If the reply of the candidate is received within given time, the same shall be considered by the appropriate committee which shall propose to the Board of Management of the University the punishment to be awarded to the candidate.
- (d) The Board of Management shall examine the whole case including the recommendation of the committee and pass order in the case regarding the final punishment to be imposed on the candidate.
- (e) Where no reply is received from the candidate to the show cause notice, the appropriate committee shall propose punishment to be awarded to the candidate. The Board of Management shall examine the case along with the recommendation of the committee and pass an order regarding the final punishment to be imposed on the candidate.
- vii) In no case the candidate shall be allowed to represent himself or by an advocate.
- 3. Cases not covered under any of the above categories will be decided by the appropriate committee on their merits.

In addition to above rules, Govt. of Rajasthan has also issued notification on Nov. 11, 1992 vide letter No. F-3/33/Edu./3/85, dated 5th March 1993, which was sent to all Principals/Dean/Directors vide endorsement No. Sey/So/93/1474, dated 18.03.93 for necessary action at their end.

15. On each day of Examination and as soon as possible after the commencement of the Examination the Superintendent should please see with the help of the invigilators that all candidates have correctly written their roll numbers (both in figures and words) and other particulars required to be entered on the title cover of Answer-books alongwith stickers and hologram as per instruction given by University.

Instruction to be followed during examinations hours

16. An amanuensis may be provided to a blind candidate. The amanuensis should be a student of the standard specified below and selected by the Superintendent himself:

Instruction to be followed for blind candidates

For Post-graduate Exams

Amanuensis of degree standard

For Final Year of Undergraduate
examination such as III Year TDC

standard

For 1st Year and Second Year Degree Course Amanuensis of 10+2 Examination Standard

N.B.: The Words 'Answers written by Amanuensis' should be written by the Centre Superintendent on the title cover of the answer-books written by an Amanuensis.

16. A. Procedure to be followed by providing an amanuensis to a candidate who meets with an accident during Examination days:

An amanuensis may be provided to a candidate who meets with an accident during the days of examination and requested for an amanuensis. Following procedure should be adopted in this connection:

(a) The candidate who meets with an accident during the days of examination and requests for an amanuensis, should normally meet the Centre Superintendent, at least 24 hours before the commencement of the examination, together with the following declarations:

FOR CANDIDATES:

- (1) That I have suffered an injury as a result of an accident on
- (2) That I was treated by Dr...... and that the Medical Certificate furnished by me from the Principal Medical and Health Officer of the District is a genuine one.

I understand that the permission granted by the Centre Superintendent for amanuensis is purely provisional. If any of the statements as given above is not correct, my examination may be cancelled without prejudice to any legal action that may be taken in the matter by the University.

Signature of the candidate with local address

FOR AMANUENSIS:

- 1. That I am student of of college.
- - 3. Shri..... is not related to me.

I understand that if any of the statement made above are found to be incorrect, I am liable to legal action which may be taken by the University in this matter.

Signature of the amanuensis with local address

- (b) The amanuensis should be a student of the standard as specified in para 16 above.
- (c) The examinee who meet with an accident should submit medical certificate from the Principal Medical and Health Officer of District or by a Medical Board.
- (d) The same amanuensis should continue for all the examination days.
- (e) The Centre Superintendent should report each such case to the University with full details about both the candidates (original candidates and the amanuensis).
 - N.B.: The words Answers written by the Amanuensis' should be written in red ink by the Centre Superintendent on the title cover of the answer-books.
- 17. (a) The Superintendent will kindly inform the candidate that no other medium is allowed except Hindi or English (where permissible be) for answering question papers.
- (b) The Superintendents are requested kindly to inform the candidate that they should answer the question paper through only that medium which is permitted for examination.
- 18. The Superintendent should please inform the candidates that answering the same question more than once or answering more questions than required shall be deemed an offence amounting to cheating. They should also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the last answer. The invigilators may be asked to check and write Roll No., where missing before handing over the answer-books to the person deputed for the purpose.

Department of Geology, Mohanlal Sukhadia University celebrated the 2 day event "Geogala" on 24th and 25th of February, 2022. The event was conducted by the Society of Earth Sciences, "Gneissica", which was established in the mid 2021 by the students of M.Sc. 4th Sem with an aim of spreading more knowledge about the subject Geology. The event had Dean of University College of Science, Dr. G.S.Rathore, along with retired professors of Department, Dr. Vinod Agrawal and Dr. M.L. Nagori as its chief guest, Dr. Ritesh Purohit the head of Department as the Guest of Honour. The event was supported by Mr. Akhil Kumar Dwivedi (Mentor Gneissica), Dr. Ankush Srivastava, Dr, Anjali Singh and Dr. Maya Chaudhary, and all the faculty members throughout. It was an educational-cum-cultural event.

The event started with Saraswati Vandana, followed by dance performance, poster presentation and round 1 of Quiz competition and ended with fun activities like the musical chairs. The next day was followed up by visit to the Rode Museum, Round 2 of Quiz competition, Geomeme presentation, Dance performances, Treasure Hunt and the Prize Distribution ceremony.

The event was a huge success and the hardwork of the Society's President Mr. Deependra Singh, Vice President, Ms Sarushi Bari, General Secretary Ms Meghna Chotrani, Treasurer and Editor-in-Chief Mr. Mehul Rawal, Event in-charge Ms Shaheen Ahmed, Society members Ms Preeti Rathore, Mr. Praful Vaishnav, Mr. Ashiwini Rathore, Mr. Praveen Bishnoi, Ms Hardika Dashora, Mr. Kuldeep Suthar, Mr. Priyanshu Jain, Ms Neeti Panwar, Ms Aparna Vaishnav, Ms Aastha Pandya, Ms Yashika Ranawat paved off.

Department of Geology, Mohanlal Sukhadia University celebrated the 2 day event "Geogala" on 24th and 25th of February, 2022. The event was conducted by the Society of Earth Sciences, "Gneissica", which was established in the mid 2021 by the students of M.Sc. 4th Sem with an aim of spreading more knowledge about the subject Geology. The event had Dean of University College of Science, Dr. G.S.Rathore Sir, along with retired professors of Department, Dr. Vinod Agrawal Sir and Dr. M.L. Nagori its chief guest. Dr. Ritesh Purohit the head of Department as the Guest of Honour. The event was supported by Mr Akhil k Dwivedi (Mentor, Gneissica), Dr. Ankush Srivastava, Dr, Anjali Singh and Dr. Maya Choudhary and all the faculty members of Department all throughout. This was an educational-cum-cultural.

The event started with Saraswati Vandana, followed by dance performance, poster presentation and round 1 of Quiz competition and ended with fun activities like the musical chairs. The next day was followed up by visit to the Rode Museum, Round 2 of Quiz competition, Geomeme presentation, Dance performances, Treasure Hunt and the Prize Distribution ceremony.

The event was a huge success and the hardwork of the Society President Mr. Deependra Singh, Vice President Ms Sarushi Bari, General Secretary Ms Meghna Chotrani, Treasurer and Editor-in-Chief Mr. Mehul Rawal, Event in-charge Shaheen Ahmed, Society members Ms Preeti Rathore, Mr. Praful Vaishnav, Mr. Ashwini Singh Rathore, Mr. Praveen Bishnoi, Ms Hardika Dashora, Mr. Kuldeep Suthar, Mr. Priyanshu Jain, Ms Neeti Panwar, Ms Aparna Vaishnav, Ms Aastha Pandya, Ms Yashika Ranawat paved off.

7.7. S. 8. 8. b

You are cordially invited for

GEO GALA
2022

THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022 10:00 A.M. ONWARDS


Department of Geology, Mohanlal Sukhadia
University

GNEISSICA (Student Society Of Earth Sciences)





Presents



GED GALA

2

An Event For Geology Enthusiasts



Department Of Geology, MLSU

7-8 January, 2022

EVENTS:

- 1) Quiz Competition
- 2) Poster Presentation
- 3) Museum Visit
- 4) Meme Competition
- 5) Field visit

GAINS:

- Certificate of Participation.
- Latest Edition of Our Magazine
 'THE AUGE'.
- And and, many more Exciting Prizes.

Registrations are open till 5th January 2022



To Register:



Contact:

- •8824035879:Priyanshu Jain
- •9982696700:Deependra Singh
- •9460444661:Praful Vaishnav



Metamorphically_speaking

Scan this In Your Google App

Department of Geography Mohanlal Sukhadia University, Udaipur


Hand Held GNSS/GPS receiver (Phablet) Training, 21st February, 2022

Resource Person: Mr. Mustafa Organizer: Prof. Seema Jalan, PI & Coordinator Under RUSA 2.0 project

No. of Participants = 42

A one-day training on Hand Held GNSS/GPS receiver (Phablet) was conducted by Department of Geography, MLSU, Udaipur under the RUSA 2.0 R & I and Career Hub Projects awarded to Prof. Seema Jalan on 21st February, 2022. The resource person of the training was Mr. Mustafa, technical expert from M/s. K.K. Sales, Ahmedabad. The objective of this workshop was to train participants with the cutting-edge technology of GPS instruments and their functioning for various applications. The training was organized for faculty members, scholars and post graduate students of Geography and Geology departments. The workshop was divided into two sessions of demonstration followed by hands-on. During the hands-on session participants learned to establish connection in GPS instrument and collected locational information of point, line and polygon features. All the participants were provided certificate of participation by the organizers.

Photos of the training



HEAT OF GEOGRAPHY

OFFICE OFFICE OF GEOGRAPHY

OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFI



MB COLLEGE NÇC ACTIVITYS (2020-21)



ACTIVITIES PERFORMED BY NCC CADETS OF MB. COLLEGE 10 RAJ BN NCC UDAIPUR

<u>Care taker officer</u> – Dr.maya choudhary

COVID19 VACCINATION DUTY ATMLSU AUDITORIUM (11june,2021)



INDEPENDENCE DAY 2021



CADETS OF MB COLLEGE WITH SHRI PRATAP SINGH KHACHARIYAWAS CABINETMINISTER (TRANSPORT AND SOLDIERS WELFARE DEPARTMENT).&

DISTRICT COLLECTOR OF UDAIPUR SHRI CHETAN RAMDEVRA









CLEANLINESS DRIVE

-(15 august 2021)













DRILL PRACTICE AT MB GROUND









TUG OF WARCOMPETETION INCATC

-(1 September 2021)






TENT PITCHING IN CATC-(4 sept 2021)



INAUGURATION OF NCC ROOMBY VICE CHANCELLOR SHRIAMRIKA SINGH JI







Date: 14/07/2022

To The Commanding Officer 1 Raj Naval Unit NCC Udaipur

Through Proper Channel

Subject: In reference of your letter no. 416/ANO/General/2021-2022 Activities of NCC Naval wing of University College of Science, M L Sukhadia University, Udaipur.

Dear Sir,

In reference of your letter no. 416/ ANO/General/2021-2022. I have been attended/ organized so many Activities for NCC Naval Wing from 2012.

Details of Activities and Achievements from 2013 to 2018 with News and Photographs From Page No. 3-10.

NCC NAVAL WING ACTIVITIES REPORT 2021-22

- (1) Attended Independence Day Programme at University College of Science.
- (2) Organized Speech competition at UCo Science. (Photographs attached at Page No. 11)
- (3) Organized Guard of Honor to Governor at MLS University Campus on the Occasion of Inauguration of Samvidhan Park on 24 Nov. 2021. (Page No. 12)
- (4) Attended NAVY DAY celebration programme on 4th December 2021 at 1 Raj Naval Unit NCC. (Page No. 12-14)
- (5) Organized VIJAY DIVAS Samman Samaroh for Ex. Armed Forces Servicemen at Mohanlal Sukhadia University Guest House on 16th December 2021 with collaboration of Department of History of MLS University. (Page No. 14-16)
- (6) Organized Guard of Honor to Governor at MLS University Campus on the Occasion of CONVOCATION on 22 Dec. 2021. (Page No. 17-18)
- (7) Attended Republic Day at UCo Science. Cadet Manmanvendra Singh have been selected for RDC Parade New Delhi.
- (8) Attended duty of preparation of B-Certificate Exam 2022. (Page No. 19)
- (9) Attended B-Certificate Examination on 19 Feb 2022 and 20 Feb 2022.
- (10) Organized Fire Fighting Training in M B Science College Campus on 2nd March 2022 for all Cadets of Science college. (Photographs attached Page No. 20)
- (11) Attended C-certificate exams at B N University Campus on 27 March 2022 and Practical Examination was held at 1 Raj Naval Unit NCC on 28 March 2022. I have been done both duties.
- (12) I have been checked C-Certificate examination copies on 11 April and 12 April 2022. (Attachedduty certificate copy on page no 21).
- (13) Organized PRITHVI DIVAS on 22 April 2022. On this function 10 cadets of Science college have been participated in NUKKAD NATAK. (Photos page No 22)
- (14) Summer Vacation: 1 May to 15 June 2022 declared by the University.

(15) INTERNATIONAL YOGA DAY organized at B N University Campus on 21 JUNE 2022. I have taken the YOGA CLASS regularly 2 Hours of 50 cadets of NCC NAVAL WING (All photographs attached Page No. 22-26)

Taken all theory and practical classes by me.

From these documents it is proved that I am involved in all NCC Activities. Commanding Officer want a separate Room for NCC Naval wing Activities. I am trying for separate room for NCC for last 10 Years, but College administration have not allotted me a single room for NCC Naval Wing, It is common for all three wings of NCC. I have to not given any facility for NCC Naval Wing Activities.

Dear Sir, I have completed all the remaining documents of NCC Naval wing of Science College. I want to invite you for Inspection of MB Science College.

Thanking You,

SLT (Dr) Ajit Kumar Bhabor

Assistant Professor and Associate NCC Officer University College of Science and 1 Raj Naval Unit NCC, MohanlalSukhadia University, Udaipur.

Copy to:

(1) Registrar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur

(2) Group Commander, Group Headquarter NCC, Udaipur.

Mos/67/122/1047 Dale 14/7/2022

DEAN
College of Science
C.A. Sukhadia University
UDAIPUR

Handicraft policies and Self Employability Workshop Date – 12-9-19

Objective:

- To aware about Government policies and schemes of Textile Ministry.
- To teach participants about skills of Jewellary making.

Resource Person: Mr. Rajat Verma, Ms. Jaya

Highlights:

In the modern era of technology, some people and companies are using the traditional methods and tools

After that practical session was taken by Ms. Jaya, Self Entrepreneur and Jewellery maker from artificial flowers. Jewellery make girls look more attractive and beautiful. Every girl and each woman likes to wear jewellery, whether it is a function or a daily life.

When one make Jewellery with their own hands, it looks more attractive and gives satisfaction. So in second part of workshop participants learnt about 'how to make Jewellery from the fabric pieces, beads, threads, cords etc. Flower jewellery by using various techniques were taught by Ms. Jaya.

Prof. Digvijay Bhatnagar motivated participants to learn each and every skill with proficiency so that it would be adopted as enterprise in future. Dr. Dolly Coordinated and Mr. Manish Shrimali gave vote of Thanks.



Entrepreneurship skills for small scale business Lecture

Date: 14/09/2019

Objective: To share views about small scale business and required skills for running

small businesses.

Key Speaker: Mr. Zhakir Khan

Key points:

People believe, a good career is built around big companies. Most of us, at least, while starting a career, dream to be a part of glamorous sounding, fortune 500 company. If You Truly Want The Best Career Path, You Should Be Working At Startups and Small Businesses, There are better quality, better paying, more exciting jobs available outside of big companies, where skills matter more than the credentials.

Is Entrepreneurship Right for You?

Before you proceed with your plan to become an entrepreneur, assess your skills against all of the questions and considerations above. Use a **Personal SWOT Analysis** to examine your Strengths and Weakness, your Opportunities, and the Threats that you may face.

Successful entrepreneurs tend to have certain traits and skills in common:

- Personal characteristics.
- Interpersonal skills.
- Critical and creative thinking skills.
- Practical skills and knowledge.













MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY ROVER CREW, UDAIPUR

(RAJ.)



Email: mlsurovercrew@gmail.com

Mob.: 7742477702

Dr. Khushpal Garg

Rover Scout Leader

कार्यक्रम का नाम-: दीक्षांत समारोह सेवा कार्य

दिनांक-: 22/12/2021


प्रतिभागियों की संख्या-: 100

उद्देश्य-:समाजकीआवश्यकताओंकोपहचानकरसमस्या-

समाधानपद्धतिसेरोवर्समेंनिःस्वार्थसमाजसेवाकरनेकाभावविकसितकरना।रोवर्समेंसामाजिकसंवे दनशीलताएवंसामाजिकदायित्वकाभावविकसितकरना।

परिणाम-:मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में 29वे दीक्षांत समारोह के अवसर पर रोवर्स द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ

Or. Khushpal Garg Rover Scout Leader Mohan Lai Sukhadia University Rover Crew, Udaiour (Raj.)


















No.F. ()MLNUEsin/Ort2022/53

Daniel 108/202

ORDER

The Vice-Chancellor is pleased to assign the work to the following Assistant Professors as mentioned against their names with immediate effect for academic session 2021-22 or till further orders, whichever is earlier.

Name of Persons	Posts	
Dr. Bhavik Paneri	A.D.S.W.	
Dr. Pankaj S. Meena	NSS, Program Officer	
Dr Kalpesh Nikawat	Proctor Control	

They will get pocket allowance of Rs. 400/- PM for carrying out the above additional work.

REGISTRAN

Copy to:-

- 1- The Dean, UCSSH/UCCMS/UCLaw, MLSU, Udaipur.
- 2- The Head, Department of ______, Udaipur.
- 3- The Comptroller/Sr. Accounts Officer (Treasury), MLSU, Udaipur.
- 4- PS to VC/Addtl. P.S.to Registrar, MLSU, Udaipur.
- 5 Person concerned
- 6- Personal Files
- 7- Guard File

REGISTRAR

82

pepartment Of Visual Arts Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) Cordially Invites Research Papers For The

National Webinar

New Trends Contemporary Arts

Monday, 12th July, 2021

Time: 11:30 AM

Google Meet Link: https://meet.google.com/qsj-kucr-eyu

About University

Mohanlal Sukhadia University (erstwhile Udaipur University) at Udaipur is a State University established by an Act in the year 1962 to cater the needs of higher education in Southern Rajasthan with more then 2.25 Lakh Students, Ever since its inception university has been striving to maintain excellence in teaching, research and community service. Great emphasis has been laid in creating scientific temper, maintaining high ethical values and in keeping pace with emerging areas of higher learning. University has ensured overall socio-economic growth of all the sections of society by encouraging greater access and inclusive approach making it most preferred institution for higher education,

Conscious about its social responsibilities, the university has played significant role in socio-economic development of backward, underprivileged and socially challenged people through its various extension activities. University can take the pride in having ICT enabled working in most of its functional units involved in teaching, learning, research, administration and governance. A very strong infrastructure for elibraries has enhanced academic growth of the faculty and students.

Regular review of existing courses and introduction of new courses of current national and international relevance have been a major activity of the university to produce human resource which is more skilled and employable. Emphasis has been laid on inter-disciplinary and emerging technologies. To maintain high quality, the teaching and learning processes have been made more rigorous and effective. Evaluation process has been made more transparent and credible.

Creation of new knowledge through research is one of the major objectives of higher education, Realizing its role in creation of new knowledge, the university has not only made visible impact on national and international levels but has also attracted interest of other institutions for collaborative research. The university has always felt concerned about increasing access of students from various sections of the society to higher education. By providing reservations, financial aids, scholarships and relaxation in qualifications for socially backward classes, the university has registered significant increase in access during last few years. The university aims to achieve its goal of providing higher education to create just, plural and equitable society in consonance with constitutional values.

DEPARTMENT PROFILE

Our Department of Visual Arts (Former -Drawing & Painting) has been a major contributor in the field of Art & present art scene at regio as well National level, enough winning many prestigious awards and achievements bring the name of on this small town in forefront National & International Art scene. With B.A. (3 Years) & M.A. (2 Years). We have started B.V.A. (bachelor of Visual Arts) in pain (professional 4 years degree course) from last five years.

Participation of our teachers on state, National & International level's art exhibitions, art workshops, camps etc. shows an enthusi approach towards academic activities other than teaching and research.

The Department of Visual Arts organizes National and International art Academe Seminar & Art workshop, exhibitions and art award programmes with collaboration of Zonal cultural centers, National Lalit Kala Academy, Rajasthan Lalit Kala Academy, Jawahar kala Ke jaipur. Department students have been participating in various National Level workshops, Festivals. Students' art works have been se in National Lalit Kala Academies, state Lalit kala academies' annual shows and won awards in student exhibitions, various art contests Equidistantly, faculty members also participate in various art exhibitions & Shows. Our present faculty members also having National

Level awards of art exhibitions time to time. Infeact! Art awareness is our moto! 2 Triennial (world level contemporary art exhibition cum competition) awardees, 50 National av (awarded by National Lalit Kala Academy, New Delhi & other National level agencies) more than 100 state awardees are descendant Department.

Various forms of Arts have been developed distinctly in today's internet era. Now we have many types of Arts in front of us wh existed in such a way before today. Due to the development of Technology, environmental concerns, ecology, new approaches to





dimension and purpose of art have come before us differently. At the same time it has given artists more creative ways to bring their

the medium, idea, technique, purpose, and relative interaction between creator and audience have produced a special art world the median the median surface that is paper board, Canvas, photograph or print has become a least necessity for creative exposition. nece a two-difference that is paper board, Canvas, photograph or print has become a least necessity for creative exposition.

The combination and configuration of multiple arts at the same time is a new idea which makes art more interesting, creative and much more conceptual in front of today's connoisseur.

and therefore, in this way today's art has escaped from artists' studio, art galleries, museums and become a powerful medium for and therefore, museums and become transmitting many new ideas for environmental consciousness, ecology, nature and human society as well

Call for Papers

Research Papers are invited from academician, research scholars on the theme "New Trends in Contemporary Arts" and related filed. Send your abstracts (maximum 300 words) on visualarts@gmail.com latest by 10th July, 2021. The selected paper-presenters will be

Registration Fee

Registration fee for paper presentation- INR 150/-

BANK DETAILS -

Bank Name A/C Name

ICICI Bank

Account Number

Head, Department of Visual Arts 694201701015

IBAN Number

021000021

IFSC Number

ICIC0006942

Branch

University Branch Udaipur.



Prof. Amarika Singh Hon'ble Vice-Chancellor M.L.S.University, Udaipur

Member

Dr. Dharmveer Vashistha

Department of Visual Arts

M.L.S.University, Udaipur

Associate Professor



Organizing Director Prof. Madan Singh Rathore Dean, P.G. Studies and Head Department of Visual Arts M.L.S.University, Udaipur



Chairmen, Faculty of Humanities Prof. Hemant Dwivedi Department of Visual Arts UCSSH, M.L.S. University



Keynote Speaker Dr. Rajesh Kumar Vyas Art Critic and Cultural Activist Jaipur



Organizing Secretary Dr. Shahid Parvez Assistant Professor Department of Visual Arts M.L.S. University, Udaipur



Coordinator Dr. Deepika Mali **Assistant Professor** Department of Visual Arts M.L.S.University, Udaipur

Contact - 9829184223, 9785381651



UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)

Disciplinary and Anti Ragging समिति

बैठक दिनांक 03.08.2022

दोपहर 01:00 बजे

1. Prof. Neeraj Sharma Convener 2. Prof. Digvijay Bhatnagar Member (3. Dr. Suresh Salvi Member 4. Dr. G.L. Patidar Member 5. Dr. P. S. Rajput Member (Proctor 6. Dr. Balu Dan Barahth Member 7. Mrs. Snehlata Tailor Member 8. Dr. Satish Chand Member 9. Dr. Raj Kumari Ahir Member



Department of Biotechnology

Vigyan Bhawan Block – B: New Campus Mohanlal Sukhadia University

Udaipur-313001

Email – <u>biotech@mlsu.ac.in</u> Telephone No.:- 0294-2470071

Ref. No.: BT/22-23/91

Date: 23.08.2022

OFFICE-ORDER (Revised)

A committee of the following members is hereby constituted for ensuring discipline among the UG and PG students of the Department of Biotechnology and Microbiology for the session 2022-23.

Biotechnology

- 1. Dr. Harshada Joshi
- 2. Dr. Nitish Rai
- 3. Dr. Avinash Marwal

Microbiology

- 1. Dr. Harshada Joshi
- 2. Dr. Namita Ashish Singh

Course Director

Member Member

Course Director Member

Copy to the following for information:

- Member concerned
- 2. All faculty

Colvese Director
Course Director
Department of Biotechnology
Mohanlal Sulthadia University
Udalpur (Rect)

Course Director
Course Director
Department of Biotechnology
Mohanlal Sukhadia University
Udaipur (Rai

BREAST FEEDING AWARENESS

नुक्कड़ नाटक













7 दिवसीय NSS शिविर विवरण

कुमांक	विषय	विवरण
11.11.2021	गैर-संचारी रोग के लिए जागरूकता	"गैर संचारी रोग और फिट भारत" पर एक दिवसीय संगोष्ठी वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता- तंबाकू, ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल, ऑनलाइन व्याख्यान के खिलाफ
12.11.2021	स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता	रैली, पोस्टर, प्रदर्शन, डिजिटल पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता
13.11.2021	कोविड -19 टीकाकरण जागरूकता	रैली, सर्वेक्षण, मास्क वितरण, वीडियो शो, नुक्कड़ नाटक
14.11.2021	स्वच्छता और स्वच्छता	निबंध लेखन प्रतियोगिता - स्वच्छ स्वस्य समृद्ध भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका मास्क बनाने का प्रशिक्षण
15.11.2021	संचारी रोग और जागरूकता	रैली, डोर टू डोर गतिविधि, पोस्टर वितरण, स्लोगन मेकिंग प्रतियोगिता, स्वच्छता अभियान
16.11.2021	सामाजिक सांस्कृतिक अखंडता	कविता लेखन प्रतियोगिता - स्वच्छता अभियान नुक्कड़ नाटक
17.11.2021	आजादी का अमृत महोत्सवः राष्ट्रीय अखंडता - और समापन	सांस्कृतिक कार्यक्रम (नृत्य, नुक्कइ नाटक)



UNIVERSITY COLLEGE OF COMMERCE & MANAGEMENT STUDIES MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

No.UCCMS/2021-22/

दिनांक .26.02.2022

सूचना

महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थीयों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय परिसर में एक बाली प्राप्त हुई है, जिस किसी की हो वो दिनांक 05.03.2022 तक अधिष्ठाता को दुसरी बाली दिखाकर ले जाए।

अधिष्टाता




INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY **UDAIPUR (Raj.) 313001**

Report on SAMPRAVESH- Induction Program 2021

A seven day induction program for the fresh undergraduate students was held from 1st December, 2021 to 6th December, 202. Due to the introduction of two new courses namely B.Tech and B.Arch, nearly 50 students participated in the induction. It began with the conduction of the orientation program in small batches so that the program would be effective. The program included various meaningful sessions for the students ranging from Yoga to interaction with various functional heads of the Institute committees. The program was presided over by the Vice Chancellor of the University, Honorable Professor Amarika Singh. He assured the students to provide professional facilities for their higher education, including their good behavior and discipline. Nodal officer Dr. Avinash Panwar, Program coordinator Dr. Ghanasyam Purohit, and Dr. Meera Mathur motivated the students to think creatively and logically in their behaviour for successful engineers and architects. Program was coordinated by Dr. Preeti Narooka, Er. Jayshree Chauhan and Er. Prafull Kothari

During the session the students were explained in detail on the various infrastructure, laboratories, department library, curricular and extracurricular activities their importance in a student's life. The session concluded with explaining the code of conduct and guidelines for maintaining highest the discipline. Sessions like- Prashnavali- Quiz Competition, Student Ethics and Discipline Rules session, ICE Break session, Vartalaap- Communication Skills, Reiuvenate- Yoga session and Visit to Constitutional Park took place.







			MOHANLAL MOHANLAL		UNIVERSITY R (Raj.) 313001 f 2 - 2J
8	No. No.	0 00	ns is but onal Park		
	.No. Name of the Stud	lent			
	1 LAKSHYA RATHONE	-	Signature		
				HADIA UNI DAIPUR (RE	VERSITY aj.) 313001
	Student Eth	ius	and Discipline	01	0.71
S.No.	Name of the Student		Disoquere "	kules	Session
			Signature		THE RESERVE
			helya		
			ehilligh		
			Even Gorans		
	MOHIT VYAS		dup-		
		Muya	D.		
		-			
		-	K0000		
	NIDHI SHAKTAWAT				
	NIKHIL SINGH	-			
	NIMISHA DAVE	1 1/20	rill a		
		1 04			_
			myal		_
14	PRATHAM BHOI		HAM BHOIL		
	PRATHAM VISHNAVA		m Voushnava		1
16	PUSHPENDRA PUSHKARNA	Push	hindlea		
	RAVI KHARADI	,			
18 5	REEYA VARANJANI		Dery .		
19 F	REKHA KUMAWAT		0		
20 B	HTURAJ SINGH PARIHAR		and the		
21 B	RUDRA UPADHAYAY				
- 100	AHEB GULAM JILANI	Salele	leglem bleni		
	AKSHI SHROTRIYA		behit - 1		
1 1 1	ANJAYSEN	Sang	aysen		
	HIVAM CHOUHAN	9	utern		
	HUBH JAIN	AN	ann		
100	HUBHAM SEN	80	Johan Str		
73.00	UJAL GARG	(No. 10	(3)	MY	
	UNIL MEENA		Meena (*	1	
	URENDRA KUMAR	1	provide (co	(*)	
	count (4	17)	Visity.	IPUT	



ABOUT MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY

Mohanlal Sukhadia University, a State University in Udaipur, Rajasthan was established by an Act in year 1962. The University aims to nurture excellence in education and research. It is ranked under the band of 151-200 in India Ranking 2020 by NIRF, MHRD. The University is located in Aravali Hill area largely dominated by tribal populations. The University has ensured overall socioeconomic development of backward, under-privileged and socially challenged people by encouraging greater access to higher education, learning and research as well as practicing various extension activities.

ABOUT THE DEPARTMENT

The Department was established in 1964 with a mission to nurture post graduate and research students in chemical sciences. The Department offers post graduate degree to students with four specializations (Organic, Inorganic, Physical, Industrial) along with research in different thrust areas viz. Organic, Nanotechnology, Natural Inorganic, Products. Electrochemistry, **Photo** chemistry, Solar Cells, etc.

PATRON




Prof. Amarika Singh Hon'ble Vice Chancellor MLSU, Udaipur

CHAIRMAN

CONVENER







Dr. Jyoti Chaudhary Head Dept of Chemistry, MLSU

ORGANIZING SECRETARY





Dr. Poonam Khandelwal Dr. Tarun Kumar Asst. Prof. Asst. Prof. Department of Chemistry MLSU, Udaipur

ONE DAY WORKSHOP

on

"Intellectual Property
Rights-Patent, Design,
Trademark, Copyright &
Geographical Indication"
(IPR-2022)
February 22, 2022



Organized by

Department of Chemistry
University College of Science
Mohanlal Sukhadia University
Udaipur-313001, Rajasthan, India







in association with

CGPDTM, Ministry of Commerce & Industry, Government of India

ABOUT THE PROGRAMME

The one day workshop on "Intellectual property rights & Innovations" is well structured, focused and result oriented. The workshop focuses on different aspects of Intellectual Property Rights (IPRs) such as Patent, Design, Trademark, copyright & Geographical Indication". This workshop will help to shape an environment crucial to foster creativity and innovation in the nation. This workshop will bring a positive transformation in the Faculty member's attitude in their UG/PG Projects and research works and get them more focused as well as result oriented.

PROGRAMME OBJECTIVE

- To create awareness about the legal rights granted to the inventor or manufacturer to protect their invention.
- To accelerate commercialization of Intellectual Property Rights.
- To capitalize the potential and creative innovation of the youth to create a better and secure IP regime.

SCHEDULE OF WORKSHOP

10:30-11:00 AM: Inaugural Session

11:00-1:00 PM: Talk by



Dr. Jitender Sharma,
Assistant Controller of Patents &
Designs, NIPAM Officer

1:00-2:00 PM: High Tea

2:00-4:00 PM: Talk by



Dr. Rohit Jain
Patent & Trademark Attorney at
LEXIPR, Jaipur, Rajasthan, India

4:00 PM: Vote of thanks

WHO CAN ATTEND?

- Academicians
- ❖Research Scholars , UG & PG students and Industry persons

REGISTRATION

NO REGISTRATION FEE

Click here for registration: https://forms.gle/YK4nHABDF6Cah7Hi7

Last Date of Registration: 12th January,

2022

DEPARTMENTAL COMMITTEE

Dr. Shikha Agarwal, Dr. Chetna Ameta, Dr. Dinesh Panday, Dr. Neetu Kumari, Dr. Dinesh K. Yadav, Dr. Nitin Kumar, Dr. Siddharth Sharma, Dr. Rama K. Khangarot, Dr. Gangotri Pemawat, Dr. Lokesh Agarwal, Dr. Himanshu Sharma, Dr. P. S. Ranawat, Dr. Devendra Singh, Mr. Vipin Khoker, Ms. Kiran Meena.

Contact Details:

Dr. Poonam Khandelwal

Dr. Tarun Kumar

Email: iprmlsu2022@gmail.com

Contact: 9928551859/9757417674

Venue: Department of Chemistry, Mohanlal Sukhadia University Udaipur-313001, Rajasthan, India.

Note: The e-certificate of participation will be issued by CGPDTM, Ministry of Commerce & Industry, Government of India to those registered candidates who will attend the workshop.

शादो

र्गुर्व में

ला ने

सकी

ा दी।

स्थित

न पर

नवरी

कपडे

या।

छे

क्षेत्र में ारों ने

समय

बबाद

ताया

कराने

नूचना

दमाश

के दो

ड़यां,

गयल

Udaipur City - Page 5



करते हुए अवैध खनन के मामलों में सख्त होकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वे मंगलवार को अवैध खनन को

रोकने के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फॉर्स की बैठक ले रहे थे। उन्होंने टास्क फोर्स के सदस्यों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए अवैध खनन के मामलों पर स्वस्फूर्त ढंग से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। कलक्टर ने विभाग द्वारा जारी लगभग साढ़े चार सौ खनन पट्टों की सूची ली और एडीएम (सिटी) अशोक कुमार को कहा कि इसमें से 10 प्रतिशत खनन पट्टों की जांच के लिए उपखंड अधिकारियों को भेजा जाएं ताकि खान विभाग के अधिकारियों के साथ इसका भौतिक सत्यापन हो सके तथा यह पता लग सके कि वे उनको आवॉटत सीमा से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं।

सरकारी मशीनरी तत्काल कार्रवाई : व कि अवैध खनन रोकने वे मशीनरी से यदि कोई दु या हमला करता है ते पुलिस तत्काल व प्रभा उन्होंने इस तरह की घ पर की गई कार्रवाई के ब

कार्यशाला में समझाई पेटेंट फाइल करने की प्रक्रिया

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर।मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय में 22 फरवरी को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रसायन शास्त्र विभाग एवं एनआई पीएएम के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इसमें सहायक नियंत्रक पेटेंट एवं डिजाइन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली के डॉ. जितेंद्र शर्मा के साथ पेटेंट एवं ट्रेडमार्क एटर्नी एडवोकेट डॉ. रोहित जैन

ने व्याख्यान दिए।

व्याख्यान में पेटेंट की मूलभूत आवश्यकता और पेटेंट फाइल करने की प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो. जीएस राठौड़, रसायन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. ज्योति चौधरी एवं विभाग के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यशाला के आयोजक सचिव रसायन शास्त्र विभाग के डॉ. पूनम एवं डॉ. तरुण रहे। संचालन बरखा वाधवानी ने किया।

ऑन

ब्यूरो/नव केंद्रीय युवा म मंत्रालय और म एवं प्रौद्योगिकी साझा तत्वावध निदेशालय के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूश ऑनलाइन आं कार्यशाला मंग मुख्य अतिथि

मेज नोलॉजिस्ट प्तोसिएशन ा सम्मेलन आज से

ब्यूरो/नवज्योति, ापुर। भारतीय त्र अनुसंधान बद् नई दिल्ली,





12





Kalpana Jain Convener

MINORITY CELL

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

Date: 19-7-2023

To
The Director
Internal Quality Assurance Cell (IQAC)
Mohanlal Sukhadia University
Udaipur- Rajasthan

Dear Sir

It is to inform you that **no grievances has been received yet in minority cell**. Many of the university students from minority category are getting fellowships/scholarships from the government.

Yours Sincerely

(Kalpana Jain)

Unfiled Notes Page 1

अजा/जजा विद्यार्थियो हेतु अजा/जजा प्रकोट मोग्रस् वैउ O SHOT ON REDMI NOTE 7


75 (2)

76	Amanuensis of degree standard
For Post-graduate Exams For Post-graduate Exams For Final Year of Undergraduate For Final Year o	Amanuensis of First Year T.D.C. Standard
For Final Succession S	Amanuensis of 10+2 Examination Standard
The words' Answers where	by Amanuensis' should be written by the cover of the answerbooks written by an
Amanus. A procedure to be followed	l by providing an amanuensis to a can- dent during Examination days :
didate with a manuensis may be p	nination and requested for an amanuensis.
accident during the	dented in this connection:
Following procedure showneets with meets with the m	ith an accident during the days of examina- ensis, should normally meet the Centre Su- before the commencement of the examina-
FON. CANDIDATES:	of Shri
Resident of	
do hereby affirm as under:	
(1) That I have suffered an inju	ury as a result of an accident on
(2) That I was treated by Dr Medical Certificate furnished Officer of the District is a gen	by me from the Principal Medical and Health uine one.
Resident of	is a student of
I understand that the permis amanuensis is purely provisi not correct, my every	sion granted by the Centre Superintendent for onal. If any of the statements as given above is may be cancelled without prejudice to any legal he matter by the University.

,	FOR AMANULITORS.
	Resident ofSon of Shri
	areby affirm as under:
	That I am student of
	Son ofSon of
	who has met with an accident and is not in a position to write in the exami-
	3. Shriis not related to me.
	understand that if any of the statement made above are found to be incor- ect, I am liable to legal action which may be taken by the University in this

Signature of the amanuensis with local address

- (b) The amanuensis should be a student of the standard as specified in para 16 above.
- (c) The examinee who meet with an accident should submit medical certificate from the Principal Medical and Health Officer of District or by a Medical Board.
- (d) The same amanuensis should continue for all the examination days. .
- (e) The Centre Superintendent should report each such case to the University with full details about both the candidates (original candidates and the amanuensis).
- N.B.: The words Answers written by the Amanuensis should be written in red ink by the Centre Superintendent on the title cover of the answer-books.
- 17. (a) The Superintendent will kindly inform the candidate that no other medium is allowed except Hindi or English (where permissble be) for answering question papers.
- (b) The Superintendents are requested kindly to inform the candidate that they should answer the question paper through only that medium which is permitted for examination.
- 18. The Superintendent should please inform the candidates that answering the same question more than once or answering more questions than required shall be deemed an offence amounting to cheating. They should required shall be deemed an offence amounting to cheating. They should required shall be deemed an offence amounting to cheating. They should required shall be deemed an offence amounting to cheating. They should required shall be deemed an offence amounting to cheating. They should require the informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed they are the also be informed that they must not write their roll numbers at the end of the also be informed



Scanned with CamScanner



दृष्टि एवं लक्ष्य 🚜 ision & Mission)

Dr Toohee Pradham

दृष्टि (Vision)

नैतिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाहित करके तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को ज्ञान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य श्रेष्ठता का इस प्रकार अनुसरण करना है कि जिससे उच्च गुणवत्ता बौद्धिक, पेशेवर और सांस्कृतिक रूप से विकसित ऐसी मानव शक्ति का सृजन हो सके जो राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।

लक्ष्य (Mission)

- समग्र विकास तथा प्रबुद्ध नागिरकों के निर्माण हेतु मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना।
- 2. अधुनातन, प्रासंगिक एवं आवश्यकतानुरूप ज्ञान प्रदान करना।
- 3. समस्याओं के हल हेतु प्राप्त ज्ञान को उपयोगी बनाना एवं शोध व विकास के द्वारा नवाचार।
- 4. शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार और प्रशासन के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसी नवीनतम तकनीक को एकीकृत करना।
- 5. विद्यार्थियों में तर्कपूर्ण सोच का विकास करना तथा बहुआयामी समूहों में सफलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता विकसित करना।
- सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना।
- शिक्षा में महिलाओं की पहुँच में वृद्धि करना तथा लैंगिक न्याय और महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करना ।
- स्वावलंबी, साहसी और रोजगारपरक मानव संसाधन विकसित करना।
- 9. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग एवं प्रबंधन हेतु शोध एवं अभिनवन द्वारा सृजित ज्ञान का उपयोग।
- 10. सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण।
- 11. उदार लोकाचार की स्थापना के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वातावरण प्रदान करना।

विश्वविद्यालय का समग्र लक्ष्य उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होना है जिससे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप न्यायोचित, बहुल तथा समतामूलक समाज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

मोहनलाल सुखाड्यिः विश्वविद्यालय

दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1962 में एक अधिनियम द्वारा उदयपुर में मोहनलाल मुख्ये दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा की आवश्यकताआ का पूरा पर प्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में की गई। विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर आहित विश्वविद्यालय (तत्कालीन उदयपुर विश्वविद्यालय) की स्थापना एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में की गई। विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर आहित विश्वविद्यालय (तत्कालीन उदयपुर विश्वविद्यालय) की स्थापना एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में की गई। विश्वविद्यालय के रूप विश्वविद्यालय (तत्कालीन उदयपुर विश्वविद्यालय) का स्थानमा उत्तर पर्यटन स्थल होने के अतिरिक्त अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विका आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अरावली क्षेत्र में स्थित है। उदयपुर शहर, पर्यटन स्थल होने के अतिरिक्त अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विका प्राकृतिक संसाधनों और सुंदर परिदृश्य के कारण भी अपनी विशेष पहचान रखता है।


प्राकृतिक संसाधनों और सुंदर परिदृश्य के कारण मा जिया है। वैज्ञानिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक सेवा के अपनी स्थापना से ही शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक सेवा के अपनी स्थापना से ही शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक सेवा के अपनी स्थापना से ही शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक संवाक के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक संवाक के क्षेत्र में उत्कृष्टित संवाक के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थापना से ही शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट साम स्थापना से ही शिक्षण, अनुसंधान और उच्च शिक्षा के उभरते क्षेत्रों के साथ तालमेल रखने में विश्वविद्यालय विशेष स्थापने स्थापना से ही शिक्षण, अनुसंधान और उच्च शिक्षा के उभरते क्षेत्रों के साथ तालमेल रखने में विश्वविद्यालय विशेष स्थापने के क्षेत्र सेवा के स्थापना से के उपलित सेवा के स्थापना सेवा के सेवा के स्थापना सेवा के स्यापना सेवा के स्थापना सेवा के स्यापन सेवा के स्थापना सेवा के स्थापन सेवा के स्थापना सेवा के स्था विश्वविद्यालय अपनी स्थापना से ही शिक्षण, अनुस्वान जार राजु के उभरते क्षेत्रों के साथ तालमेल रखने में विश्वविद्यालय विशेष स्प से केटिवान के पैदा करने, उच्च नैतिक मूल्यों को बनाए रखने और उच्च शिक्षा के उभरते क्षेत्रों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने विद्यालय के सभी वर्गों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने विद्यालय के सभी वर्गों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने विद्यालय के सभी वर्गों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने विद्यालय के सभी वर्गों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने विद्यालय के सभी वर्गों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने विद्यालय के सभी वर्गों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने विद्यालय के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने विद्यालय के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने विद्यालय के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने विद्यालय के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने विद्यालय के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने विद्यालय के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने विद्यालय के समग्र सामाजिक सामा पैदा करने, उच्च नैतिक मूल्यों को बनाए रखन आर उच्च शिक्षा के सभी वर्गों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के का ए विश्वविद्यालय क्षेत्रका सर्वाधिक इच्छित उच्च शिक्षण संस्थान है।

विश्वविद्यालय कार पर पर पर पर पर पर पर के उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नेक) ने विश्वविद्यालय को एं ग्रेड क्र हाल ही में विश्वविद्यालय की एक उल्लेखनाय उनलाज्य नर राज्य का एकमात्र राज्यीय विश्वविद्यालय है जिसे यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय कि है। वर्तमान में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र राज्यीय विश्वविद्यालय है जिसे यह विश्वविद्यालय वर्तमान के है। वर्तमान में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र 25 है। इस दृष्टि से यह विश्वविद्यालय वर्तमान के विश्वविद्यालयों में सम्मिलित है।

अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के बारे में जागरुक रहते हुए अपनी विविध विस्तार गतिविधियों के माध्यम से विश्वविद्यालय ने पिछड़े, कमजोर है। अपने सामाजिक उत्तरदाायत्वा क बार न जागण्य रखाडु , गरीब लोगों के सामाजिक—आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय में स्थापित 'यूजीसी महिला अध्ययन केन्द्र' और खाडू गरीब लोगों क सामाजिक—आविक विकास के क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तीकरण, लैंगिक समानता एवं बाल विकास के क्षेत्र में महिती मूक्ति

विश्वविद्यालय इस बात पर गर्व कर सकता है कि वह अपने अधिकांश कार्यों, जैसे – शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और प्रशासन आदि के क्षेत्रमें सूक्ष्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रमुखता से कर रहा है।शिक्षकों और छात्रों के शैक्षिक विकास में अभिवृद्धि करने हेतु ई-पुस्तकालय का एक सुदृढ़ ढाँचा तैः।

अधिक कुशल और रोजगार योग्य मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्तमान पाठ्यक्रम की नियमित समीक्षा और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्र स्तर पर प्रासंगिकता रखने वाले नए पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य विश्वविद्यालय की एक प्रमुख गतिविधि है। अंतर अनुशासनात्मक और उम्ह प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कठोर और प्रा बनाया गया है तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बना दिया गया है।



अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान का सृजन उच्च शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नवीन ज्ञान का साकार संचार किया है। विश्वविद्यालय के वनस्पित विज्ञान, का साकार संचार किया है। विश्वविद्यालय के वनस्पित विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिक शास्त्र और प्राणि शास्त्र विभाग को विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत चिह्नित किया गया है। विज्ञान संकाय के विभिन्न सदस्यों को एफआईएसटी कार्यक्रम के अन्तर्गत डीएसटी से प्राप्त सहयोग उनके द्वारा की गई वैज्ञानिक उपलब्धियों का साक्षात प्रमाण है।

विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय की एक विशिष्ट उपलब्धि यह है कि संकाय से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की दोनों प्रमुख परिषदों यथा— 'इंडियन कॉमर्स एसोसियेशन' और 'इंडियन अकाउंटिंग एसोसियेशन' के राष्ट्रीय मुख्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में है। विषय की उच्च एवं व्यापक संस्थापना हेतु संकाय सदस्यों के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतिभा खोज परीक्षा 'नेशनल अकाउंटिंग टेलेंट सर्च' आयोजित की जाती है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली यह परीक्षा देशभर के चालीस से अधिक केंद्रों पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों के लिए होती है।

समाज के विभिन्न वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय हमेशा प्रयासरत रहा है। विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्तियाँ और योग्यता में छूट प्रदान करके इन वर्गों की उच्च शिक्षा तक पहुँच में अभिवृद्धि की है। विश्वविद्यालय का लक्ष्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बहुवचनात्मक और न्यायसंगत समाज की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

वर्तमान मे 249 महाविद्यालय/संस्थान इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं एवं लगभग 2 लाख 50 हजार विद्यार्थी निम्नलिखित संकायों मे अध्ययनरत हैं—

विज्ञान संकाय वाणिज्य संकाय सामाजिक विज्ञान संकाय मानविकी संकाय विधि संकाय प्रबन्ध अध्ययन संकाय पृथ्वी विज्ञान संकाय

शिक्षा संकाय



संदेश



प्रिय विद्यार्थी गण,

ज्ञान-विज्ञान और स्वाभिमान की इस पुण्यभूमि मेवाड़ की शैक्षणिक कीर्ति के ध्वजवाहक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, नवीन सत्रारम्भ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन।

यह विश्वविद्यालय यूजीसी नैक द्वारा प्रतिष्ठापूर्ण 'ए' ग्रेड से गौरवान्वित है। विश्वविद्यालय में सम-सामियक अद्यतन पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, श्रेष्ठ अनुसंधान, प्रभावी प्रबन्धन, व्यवस्थित परीक्षा -प्रणाली तथा अपेक्षित परामर्श आदि अनेक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। श्रेष्ठ शिक्षा एवं सह शैक्षणिक प्रवृत्तियों के द्वारा समग्र

यरामशे आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। प्राप्त होंगे। व्यक्तित्व विकास के अवसर आपको यहाँ प्राप्त होंगे।

विगत सत्र में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय-विभागों के द्वारा अनेक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अकादिमक आयोजन सम्पन्न किये गए। शिक्षणेतर प्रवृत्तियों एवं खेलकूद में प्रदर्शन उत्साहपूर्ण रहा। मैं आशा करता हूँ कि राज्य सरकार के सकारात्मक सहयोग, रूसा के अन्तर्गत प्राप्त प्रोत्साहन से इस सत्र में भी अकादिमक उपलब्धियों से विश्वविद्यालय की गरिमा में वृद्धि होगी साथ ही शिक्षा के साथ-साथ सहगामी प्रवृत्तियों तथा खेलकूद में भी हमारा प्रदर्शन निरन्तर श्लेष्ठ रहेगा। विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे उपलब्ध अवसरों का अधिकाधिक लाभ उठायेंगे।

आप विद्यार्थीगण ही भावी राष्ट्र निर्माता है। राष्ट्रीय समृद्धि एक लोककल्याण के सशक्त माध्यम के रूप में आपके व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए। हमारा प्रयत्न है कि विश्वविद्यालय सनातन भारतीय जीवन मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण कर चिन्तन, सर्जन तथा नये विचारों का केन्द्र बने। शिक्षा ही जीवन में व्याप्त बन्धनों और वर्जनाओं से मुक्ति का प्रभावी साधन है- ''सा विद्या या विमुक्तये''। यही हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने में सक्षम है। हमारे विश्वविद्यालय ध्येयवाक्य भी यही है- विद्यया विन्दतेमृतम्। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रवेश के उपरान्त आप निरन्तर कक्षाओं में उपस्थित रह कर विश्वविद्यालय के योग्य एवं निष्णात् शिक्षकों से निरन्तर विद्यार्जन करेंगे तथा अखण्ड संकल्प, अनुशासन, अदम्य उत्साह, आत्मविश्वास के साथ कठोर परिश्रम के द्वारा न केवल स्वयं-अपने परिवार अपितु प्रदेश-देश एवं मानवता के कल्याण के लिए योग्यता अर्जित करेंगे और इस ज्ञान भूमि का मान बढायेंगे।


पुनः आप सभी विद्यार्थीगण, विद्वान् सच्चरित्र, शिक्षकगण, कर्मठ शिक्षणोतर अधिकारी-कर्मचारीगणका अभिनन्दन।

> प्रो. जे. पी शर्मा कुलपति



अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विभिन्न संकाय एवं पाठ्यक्रम	
	- विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय	04-25
	- विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन महाविद्यालय	26-35
	- विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय	36-59
	- विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय	60-63
2.	पीएच. डी. कार्यक्रम	64-67
3.	प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया	68-85
4.	उपस्थिति नियम	86
5.	शुल्क	87-94
6.	सामान्य अनुशासन नियम	95-97
7.	रैगिंग विरोधी नियम एवं दण्ड के प्रावधान	98-99
8.	परीक्षा संबंधी नियम	100-105
9.	छात्रवृत्तियाँ एवं वित्तीय सहायता	106-108
10.	पुस्तकालय सुविधाएँ	109-110
11.	छात्रावास	111
12.	यात्रा रियायतें	112
13.	छात्रसंघ और इसकी चुनाव प्रक्रिया	113-114
14.	विश्वविद्यालय स्तरीय सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ	115-118
15,	विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र	119
16.	विश्वविद्यालय इन्टरनेट केन्द्र	120-122
17.	राष्ट्रीय सेवा योजना	123-124
18.	खेलकूद	125
19.	शैक्षणिक सत्र	126
20.	महत्त्वपूर्ण दूरभाष	127-131
21.	विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय	132-139
22.	परीक्षा केलेण्डर	140-149



Dean & Chairman	
Dean, Post-Graduate Studies	Prof. Seema Malik
Dean, Student Welfare	Prof. M.S. Rathore
Dean, University College of Science	Prof. B.L. Ahuja
Chairman, Faculty of Science	Prof. B.L. Ahuja
Dean, University College of Commerce & Management Studies & Chairman, Faculty of Commerce	Prof. G. Soral
Dean, University College of Social Sciences & Humanities	Prof. Sadhna Kothari
Dean, University College of Law & Chairman, Faculty of Law	Prof. Anand Paliwal
Chairman, Faculty of Management Studies	Prof. Anil Kothari
Chairperson, Faculty of Social Sciences	Prof. Monika Nagori
Chairperson, Faculty of Humanities	Prof. Seema Malik
Chairperson, Faculty of Education	Prof. Sadhna Kothari
Chairman, Faculty of Earth Sciences	Prof. Harsh Bhu
Officer Incharge of Co-Curricular Activities	
Chairman, University Central Placement Cell	Prof. Karunesh Saxena
Chairman, University Sports Board	Prof. C.R. Suthar
Chief Proctor	Prof. I. M. Kayamkhan
Director, Internal Quality Assurance Cell	Prof. G. Soral
Chairman University Industry Interface Cell/Smart Village	Prof. P.R. Vyas
Chief Warden, Hostels	Prof. Anil Kothar
Officer Incharge, Central Library	Prof. Hanuman Prasa
	Prof. C.R. Sutha
Co-ordinator, N.S.S. Director, College Development Council	Prof. Madan Nago

Director, Skill Development Centre	Prof. Harsh Bhu
Director, Population Research Centre	Prof. P.M. Yaday dm
Director, University Computer Center	Prof. B. M. Vyas
Convener, University Central Anti Ragging Committee	Prof. M.L. Nagori
Director, University Employment & Advisory Bureau	Prof. Hadeesh Ansari
Co-ordinator, SC/ST Cell	Prof. Hanuman Prasad
Co-ordinator, Internet Centre & Web Portal	Shree Sanjeev Agrawal
Co-ordinator, Centre for Human Rights Studies	Prof. Sanjay Lodha
Convener, Internal Complaints Committee	Prof. Sadhna Kothari
Director, Centre for Nehru Studies &	Prof. Sanjay Lodha
Director, Research & Development Cell	549 Lodha
Co-ordinator, Competitive Exam, Coaching Centre	Prof. Pradeep Trikha
Advisor, International Students	Prof. Pradeep Trikha
Convener, University Media Cell	Dr. Kunjan Acharya
Co-ordinator, Centre for Entrepreneurship & Small Business Management Cell	Prof. Hanuman Prasad
Co-ordinator, Centre for Soft Skills	Prof. Seema Malik
Convener, University Research & Development Cell	Prof. Sanjay Lodha
Convener, Equal Opportunity Cell	Prof. Sudha Choudhary
Director, Centre of Initiative for Innovation & Development Action	Prof. Sanjay Lodha
Convener, Minority Cell	Prof. Mohd. Farooq Bakshi
Incharge, University Guest House	Prof. Ashok Singh

Administrative & Academic Officers



Shri H.S. Bhati Registrar



Shri Girish Kachhara Comptroller



Dr. R.C. Kumawat Controller of Exams



Dr. Ramkesh Meena Deputy Librarian Central Library



Shri Harkesh Meena Dy. Registrar (Exam.)



Dr. G.L. Vasita Sr. Accounts Officer & Dy. Comptroller



Shri A.S. Khan University Engineer



Shri Mukesh Barber Asstt. Registrar

N.C.C. Officers

Army Wing

Lt. (Prof.) G.S. Rathore University College of Science, Company Commander, No. 10 BN. N.C.C., Udaipur

laval Wing


Sub/Lt (Dr.) Ajit Kumar Bhabor University College of Science, Troop

Commander, I Raj. Naval Unit, NCC, Udaipur

ir Wing

Flg. Offr. (Dr.) Devendra Singh Rathore, University College of Science

Flying Officer, ANO, 6 Raj. Air Sqn NCC, Udaipur



Scanned with CamScanner

अधिष्ठाता

सह अधिष्ठाता

सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रॉक्टर

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना

कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रो. बी. एल. आहूजा

प्रो. बी. आर. बामणिया

डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़

डॉ. हरीश

डॉ. पी. एस. राजपूत

डॉ. विजय कोली

डॉ. अनुया वर्मा

Faculty of Science विज्ञान संकाय

संकायाध्यक्ष

प्रो. बी. एल. आहूजा

वनस्पति विज्ञान विभाग (Department of Botany)



डॉ. कनिका शर्मा आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. रोहिणी त्रिवेदी सहायक आचार्य




डॉ. जया अरोडा सहायक आचार्य



डॉ. विनीत सोनी सहायक आचार्य



डॉ. हरीश सहायक आचार



Scanned with CamScanner

गणित एवं सांख्यिकी विभाग (Department of Mathematics and Statistics)



डॉ. घनश्याम सिंह राठौड



डॉ. अतुल त्यागी



डॉ. राकेश्वर पुरोहित सहायक आचार्य



डॉ. सुशील कुमार गांधी



डॉ. अपराजिता कृष्णा सहायक आचार्य



डॉ. अजित कुमार भाबोर सहायक आचार्य

फार्नेसी विभाग (Department of Pharmacy)



डॉ. पी.के. चौधुरी



डॉ. सी.पी.जैन आचार्य



डॉ. ललित सिंह चौहान आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. जूही प्रधान



डॉ. सुनीता पांचावत सहायक आचार्य



डॉ. मॉॅंगीलाल चौहान सहायक आचार्य



डॉ. गरीमा जोशी सहायक आचार्य




डॉ. सौरभ कुमार सिन्हा सहायक आचार्य



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



मुख्य पाढयक्रम (पूर्णकालीन) तालिका 1

-	वालिका १						
क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक*	अवधि	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क	
विज्ञान	त स्नातक (बी. एससी.)						
1.	भौतिकी-गणित वर्ग I. भौतिकी, रसायन, गणित ii. भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान iii. भौतिकी, गणित, भू-विज्ञान iv. भौतिकी, गणित, सांख्यिकी	10+2 (विज्ञान) गणित के साथ	48%	3 वर्ष	120	सामान्य शुल्क	
2.	गणित के साथ निम्न में से दो विषय रसायन, भू-विज्ञान, सांख्यिकी	10+2 (विज्ञान) गणित के साथ	48%	3 वर्ष	60	सामान्य शुल्क	
3.	भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान (अतिरिक्त सीट)	10+2 (विज्ञान) गणित के साथ	48%	3 वर्ष	20 स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	₹ 6,875 प्र. वर्ष ÷ सामान्य शुल्क	
4.	लाइफ साइंस ग्रुप रसायन विज्ञान के साथ निम्न में से दो विषय : वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भू-विज्ञान	10+2 (विज्ञान) बॉयोलोजी के साथ	48%	3 वर्ष	180	सामान्य शुल्क	
5.	लाइफ साइंस ग्रुप (अतिरिक्त सीट) रसायन विज्ञान सहित के साथ निम्न में से दो विषयः वनस्पति, विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पर्यावरण, विज्ञान, भू-विज्ञान	10+2 (विज्ञान) बॉयोलोजी के साथ	48%	3 वर्ष	30 स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	₹ 6,875 प्र. वर्ष ÷ सामान्य शुल्क	
6.	बी.एससी. (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम)	10+2 (विज्ञान) बायलॉजी/ गणित)	48%	3 वर्ष	120 स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	₹ 25,000 प्र. वर्ष ÷ सामान्य शुल्क	
बी.एस	ासी. (सी.बी.सी.एस) सेमेस्टर पाठ्यक्रम (स्ववित्त पोषित)#		11.7		TO E THE	
7.	विज्ञान स्नातक अतिरिक्त विषय भू-विज्ञान के साथ	विज्ञान स्नातक	48%	1 वर्ष	20	सामान्य शुल्क	
8.	भैषजिक विज्ञान स्नातक (बी. फार्मा)	10+2 (विज्ञान)	48%	4 वर्ष	40	₹ 35,000 प्र. वर्ष + रु. 5000 अवधान शुल्क	
9.	बी. एससी. बायोटेक्नोलोजी के साथ (इन विषय समूह के साथः जैव तकनीकी, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	10+2 (विज्ञान) बॉयोलोजी के साथ	48%	3 वर्ष	60 स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	₹ 38,500 प्र. वर्ष ÷ स्थानीय शुल्क	
10.	बी. सी. ए. (सीबीसीएस) सेमेस्टर स्कीम स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	10+2 (विज्ञान)	48%	3 वर्ष	120 स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	₹ 29,500 प्र. वर्ष ÷ स्थानीय शुल्क	

सामान्य शुल्क :- शैक्षणिक शुल्क महाविद्यालय, स्थानीय कोष शुल्क, इत्यादि। टिप्पणी :-

- 1. भौतिक विज्ञान, भू-विज्ञान, सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर विज्ञान के तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या क्रमशः भौतिक विज्ञानः 120, भू-विज्ञानः 40, सांख्यिकीः 40 एवं कम्प्यूटर विज्ञानः 20 से अधिक नहीं होंगी।
- 2. यदि किसी विषय समूह में 10 से कम विद्यार्थी के आवेदन मिलने की स्थिति में मेरिट सूची के अनुसार दूसरे विषय समूह में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

MAIN COURSES (FULL TIME)

			-	4
	* 4	131	LE	- 1
- 1	A	151	L/E	 . W

		***	TO SHOW THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN CO		Total Seats	Fee	
S. No.	Course	Eligibility	Minimum Required Marks	Duration	10		
	and and (P.Sc.)						
Back	nelor of Science (B.Sc.)			Thena	120	Normal fee	
1.	Physics-Mathematics Group (PCM, PM Comp., PMG, PM Stat.)	10+2 (Science) with Maths	48%	Three Years	/		
			1007	Three	60	Normal fee	
2.	Mathematics with any two following subjects Chemistry, Geology, Statistics	10+2 (Science) with Maths	48%	Years			
			48%	Three	SFS: 20	₹ 6875/- +Normal Fee	
3.	Physics, Mathematics & Comp. Sc. (Additional Seats)	10+2 (Science) with Maths	4070	Years			
	Chamister	10+2	48%	Three	180	Normal fee	
4.	Life Science Group Chemistry with any two of the following	(Science)	1070	Years			
	Subjects Botany, Zoology, Env. Sc., Geology	with Biology					
5.	Life Science Group (Additional seats) Chemistry with any two of the following Subjects'	10+2 (Science) with Biology	48%	Three Years	SFS: 30	₹ 6875/- +Normal Fee	
6.	Botany, Zoology, Env.Sc., B. Sc. (SFS) Course	10+2 (Science) Biology/ Mathematics)	48%	Three Years	SFS: 120	₹ 25000/- +Normal Fee	
B.Sc.	(CBCS) Semester Courses				est in art		
7.	B.Sc. with Additional Subject Geology	B.Sc.	48%	One Year	20	Normal Fee	
8.	B. Pharma.	10+2 (Science)	48%	Four Years	40	₹ 35,000/- per year + 5,000/-	
		(Belefice)				Caution fee	
).	B.Sc. with Biotechnology	10+2	48%	Three	SFS: 60	₹ 38,500/- pe	
	following subject combinations :Biotechnology + Botany + Chemistry SFS Course	(Science) with Biology		Years		year+ Colleg Local Fund Fee	
0.	B.C.A. (CBCS) Semester	10+2	48%	Three	SFS: 120	The state of the s	
	SFS Course	(Science)		Years		year + Colleg Local Fund Fee	

Normal Fee: Tuition Fee, College Local Fund Fee, etc.

NOTE:

- 1. Total number of seats for the three year degree courses in Physics, Ceology, statistics and computer Science shall not exceed Physics:120, Geology: 40, Statistics:40 and Computer Science:40.
- If number of students admitted in a subject combination is less than 10, admitted students will be transferred to other subject combinations as per merit due to minimum number of students required to offer a subject combination.

विज्ञान स्नातकोत्तर (सीबीसीएस) सेमेस्टर पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2015 से विज्ञान संकाय एवं भू-विज्ञान संकाय में प्रभावी तालिका 2

	क्रम पाठ्यक्रम सं.	प्रवेश पात्रत प्राप्तां	ा आवश्य	क	धे कुल प्रवेश क्षमत सामान्य÷ स्ववित्त पोषित शुल्क सीट	ा स्ववित्त पोषित सीट शुल्क
5	स्नातकोत्तर (सीबीसीएस) सेमेस्टर	पाठ्यक्रम		THE RESIDENCE OF THE PERSONS ASSESSMENT		
1	ा. जैव तकनीकी	विज्ञान स्नातक*	48%	2 वर	र्व सामान्य=08 स्ववित्त पोषित=22	₹ 27,780 2 प्रति सेमेस्टर+ सामान्य शुल्क
2.	. वनस्पति विज्ञान	विज्ञान # स्नातक	48%	2 वष	र्सिमान्य= 25 स्ववित्त पोषित=10	₹ 22,280 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
3.	रसायन विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य= 30 स्ववित्त पोषित=15	₹ 22,250 ; प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
4.	पर्यावरण विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य=10 स्ववित्त पोषित=15	₹ 27,780 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
5.	भू-विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य=15 स्ववित्त पोषित=15	₹ 25,000 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
5.	सूचना तकनीकी विज्ञान	विज्ञान स्नातक/ बीसीए	48%	2 वर्ष	25 स्ववित्त पोषित	₹ 27,786 प्रति सेमेस्टर+ स्थानीय शुल्क
	औद्योगिक रसायन विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	25 स्ववित्त पोषित	₹ 27,780 प्रति सेमेस्टर+ स्थानाय शुल्क
	गणित	विज्ञान/कला /स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य=50 स्ववित्त पोषित=10	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
,	सूक्ष्म जैव विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	20 स्ववित्त पोषित	₹ 35,480 प्रति सेमेस्टर+ स्थानीय शुल्क
भं	गैतिक विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य= 25 स्ववित्त पोषित=10	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
чΪ	लिमर विज्ञान	विज्ञान स्नातक**	48%	2 वर्ष	सामान्य=10 म्बवित्त पोषित=15	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क

12.	सांख्यिकी	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	25 स्ववित्त पोषित	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
13.	प्राणी विज्ञान	विज्ञान @ स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य= 25 स्ववित्त पोषित=15	₹ 22,280 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
14.	एम.सी.ए. (सीबीसीएस)	विज्ञान स्नातक /बी.सी.ए. गणित के साथ	48%	3 वर्ष	सामान्य=30 स्ववित्त पोषित=30	राज्य सरकार के नियमानुसार
15.	एम. एससी. टेक. एपलाइड जियोलोजी	एम. एससी. भू-विज्ञान	48%	1 वर्ष	सामान्य= 10 स्ववित्त पोषित=05	₹ 24,480 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क

सामान्य शुल्क :- शैक्षणिक शुल्क, महाविद्यालय स्थानीय कोष शुल्क आदि कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुल्क रूपये 500/- प्रति कौशल पाठ्यक्रम अतिरिक्त #स्नातक स्तर में गणित ऐच्छिक विषय के रूप में होना अनिवार्य है।

टिप्पणियाँ :-

- * स्नातकोत्तर जैव तकनीकी में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास निम्निलखित में से कोई दो विषय विज्ञान स्नातक में होने आवश्यक हैं-रसायन विज्ञान, वनस्पित विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण तकनीकी, सूक्ष्म जैव विज्ञान, आनुवांशिकी, जैव तकनीकी,सूक्ष्म जैव आनुवांशिकी। अभ्यर्थी के पास स्नातक में जैव तकनिकी, जैव रसायन, जैव चिकित्सा विज्ञान, जैव चिकित्सा तकनिकी, आनुवांशिकी अभियान्त्रिकी, कृषि विज्ञान, जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान, खाद्य विज्ञान, खाद्य तकनीकी विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान, बी. फार्मा और अन्य प्रासंगिक विषय भी प्रवेश के लिए पात्र है।
- ** स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास विज्ञान स्नातक में ऐच्छिक विषयों में रसायन विज्ञान का होना अनिवार्य है।
- # स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को स्नातक की डिग्री तथा वनस्पती शास्त्र एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ा होना आवश्यक है। स्पष्टीकरण हेतु उम्मीदवार कृपया नोट करे कि बी.एससी. बायोटेक, बी.एससी कृषि विज्ञान, बी. फार्मा तथा अन्य इस प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र स्नातकोत्तर वनस्पती शास्त्र में प्रवेश ले सकते है। यदि उन्होंने उपर्युक्त पाठ्यक्रम में वनस्पति शास्त्र एक मुख्य विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पढ़ा हो।
- स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को स्नातक की डिग्री तथा प्राणी शास्त्र एक मुख्य विषय के रुप में पड़ा होना आवश्यक है । स्पष्टीकरण हेतु उम्मीदवार कृपया नोट करे कि बी.एससी. बायोटेक, बी.एससी कृषि विज्ञान, बी फामा तथा अन्य इस प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र स्नातकोत्तर प्राणी शास्त्र में प्रवेश ले सकते है यदि उन्होंने उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्राणी शास्त्र एक मुख्य विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पढ़ा हो।
- स्विवत्त पोषित सीटों पर प्रवेश हेतु अतिरिक्त शुल्क (सामान्य सीटों के शुल्क के अतिरिक्त) तालिका 2 के अनुसार देना होगा।
- 2. सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को सामान्य कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुल्क ₹ 500/- प्रति पाठ्यक्रम महाविद्यालय शुल्क के साथ भुगतान करने होंगे, जो विद्यार्थी स्विवत्त पोषित विभागीय विशेष कौशल पाठ्यक्रम को चुनेगा उसे विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क अतिरिक्त जमा करवाना पड़ेगा।
- 3. सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान स्नातक तथा स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थित 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अलग-अलग विषयों में 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। यदि उसकी उपस्थित 75 प्रतिशत से कम पाई जाती है तो ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर पर सेमेस्टर के अन्त में होने वाली लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अलग-अलग विषयों में उपस्थिति होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का मेडिकल तथा अन्य किसी कारण से उपस्थिति में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। उपस्थित के मिलान करने का कोई प्रावधान नहीं है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि महाविद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व उपस्थिति के बारे में अच्छी तरह नियमों को पढ ले।

Master of Science (CBCS) Semester Course

Table: 2

S. No.	Discipline (Subject)	Eligibility	Minimum Required Marks	Duration	Total Seats Normal fee+ payment seats	Fees for SFS seats
1.	Biotechnology	B,Sc.*	48%	Two Years	08+22	₹ 27,780/- per semester + Normal fee
2.	Botany	B.Sc.#	48%	Two Years	25+10	₹ 22,280/- per year + Normal fee
3.	Chemistry	B.Sc.	48%	Two Years	30+15	₹ 22,250/- per year + Normal fee
4.	Environmental Sciences	B.Sc.	48%	Two Years	10+15	₹ 27,780/- per year + Normal fee
5.	Geology	B.Sc.	48%	Two Years	15+15	₹ 25,000/- per Year + Normal fee
6.	M.Sc (IT)	B.Sc./ B.C.A	48%	Two Years	25 (SFS)	₹ 27,786/- per Semester + Local Fund fee
7.	Industrial Chemistry	B.Sc./ B. Pharma**	48%	Two Years	25 (SFS)	₹ 27,780/- per Semester + Local Fund fee
8.	Mathematics	B.Sc./B.A.	48%	Two Years	50+10	₹ 22,250/- per Year + Normal fee
9.	Microbiology	B. Sc.*	48%	Two Years	20 (SFS)	₹ 35,480/- per Semester + Local Fund fee
10.	Physics	B.Sc.	48%	Two Years	25+10	₹ 22,250/- per Year + Normal fee
11.	Polymer Science	B.Sc.**	48%	Two Years	10+15	₹ 22,250/- per Year + Normal fee
12.	Statistics	B.Sc.	48%	Two Years	25 (SFS)	₹ 22,250/- per Year + Normal fee
13.	Zoology	B.Sc.@	48%	Two Years	25+15	₹ 22,280/- per Year + Normal fee
14.	M.C.A (CBCS)	B.Sc./B.C.A with Mathematics Paper	48%	Three Years	30+30	As per state government rule
15.	M. Sc. Tech (Applied Geology)	M.Sc. Geology	48%	One Year	10 + 5	₹ 24480/- per Year + Normal fee

Normal Fee: Tuition Fee + College Local Fund Fee etc. Additional Skill course Fee: Rs 500/- per skill course

Note:

- * For admission to M.Sc. Biotechnology, Candidates must have any of the following two subjects at B.Sc. Chemistry, Botany, Zoology, Environmental Sc., Environmental Technology, Microbiology, Genetics, Biotechnology/Microbial Genetics. Candidate with Bsc. in Biotechnology, genetics, microbiology, Biochemistry, Biomedical Science, Biomedical technology, genetic engineering, agriculture, life science, biosciences, food science, food technology, forensic science, B.Pharma and other relevant subjects are also eligible for admission.
- ** For Admission to M.Sc., the student must have compulsorily studied Chemistry as one of the optional subject.
- # For Admission to M.Sc. candidate must be UG and must have compulsorily studied botany as part of their core course during graduation. For clarification it may be noted that students with B.Sc. Biotech, B.Sc. Agriculture, BPharma or such other professional courses they can take admission in M.Sc. Botany if they have studied botany as part of graduation course.
- @ For Admission to M.Sc. candidate must be UG and must have compulsorily studied zoology as part of their core course during graduation. For clarification it may be noted that students with B.Sc. Biotech, B.Sc. Agriculture, BPharma or such other professional courses they can take admission in M.Sc. zoology if they have studied zoology as part of graduation course.
- 1. For SFS seats additional fee (other than College normal fee) will be charged as per table
- 2. In M.Sc (CBCS) course, an additional fee of Rs 500/- will be charged by the college for the Skill courses of General category offered by the College. If the students selects any of specialized skill course of General category or Departmental Skill courses under SFS an additional fee will be charged by the department.
- 3. According to CBCS scheme a minimum of 75% attendance in each paper of every course is compulsory for students taking admission in B.Sc., M.Sc. and B.C.A (CBCS) programme. If at the end of the semester their attendance is found less than 75%, they shall not be allowed to appear in the end semester theory and practical examinations both. No concession in the attendance shall be given on medical or any other grounds. There is no provision for condoning attendance. Students are advised to read the attendance rules of the college before taking admission.

विज्ञान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू किए गए नियम

- 1. स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी को विषय परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही विद्यार्थियों का सलाह दी जाती है कि काउसंलिग/प्रवेश के दौरान विकल्प पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
- 2. वह विद्यार्थी जो स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे उन्हें नियमित स्ववित्त पोषित शुल्क के अलावा सामान्य शुल्क, स्थानीय शुल्क का भुगतान तालिका के अनुसार करना होगा।
- 3. विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने के बाद उपस्थिति नियम निम्न प्रकार से होगा।
 - (1) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक व स्नातकोत्तर व अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के बाद सैद्धान्तिक व प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। सीबीसीएस पाठ्यक्रमों में प्रवशे लेने वाले विद्यार्थियों को प्रत्येक पेपर में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
 - (2) प्रत्येक विद्यार्थी की माहवार उपस्थिति सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा संकलन कर विश्वविद्यालय की वेब साईट एवं विभाग के सूचना पटट् पर विभागाध्यक्ष साधारणतय अगले माह की 7 तारीख तक दर्शायी जाएगी।
 - (3) स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होती है तो ऐसे विद्यार्थियों को विवविद्यालय स्तर पर होने वाली सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर भी किसी वास्तविक परिस्थिति में कमेटी द्वारा अधिकतम 10 प्रतिशत रेमेडियल कक्षाएँ लगवाने के लिए की गई व्यवस्था के परिणाम स्वरूप प्रत्येक पेपर पर होने वाले अध्यापन खर्च का वहन विद्यार्थियों को स्वयं उठाना होगा। अधिकतम रेमेडियल कक्षाओं में किसी भी प्रकार की रियायत अथवा छूट का प्रावधान नहीं है
 - (4) कमेटी द्वारा निर्घारित किसी भी गंभीर चिकित्सकीय कारण के लिए विद्यार्थी द्वारा मेडिकल छुट्टी देने के बाद विद्यार्थी से असाइनमेन्ट अथवा अन्य शैक्षणिक कार्य किये जाने के बाद अधिकतम 5 प्रतिशत कक्षाओं की भरपाई की ज सकती है। उपस्थिति का रिकोर्ड भी रखा जाएगा।
 - (5) यदि किसी कारणवश विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करते हुए कम उपस्थिति होने के वाबज् आन-लाईन परीक्षा फार्म भर दिया तथा प्रवेश पत्र जारी होने के बाद भी उसे मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं होगी। यदि वह मुख्य परीक्षा दे देता है तो विश्वविद्यालय के नियमानुसार विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
 - (6) विभागाध्यक्ष और अधिष्ठाता, महाविद्यालय को उपस्थिति नियमों में किसी भी प्रकार की रियायत देने का अधिकार नहीं होगा। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का शपथ पत्र/ सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा।
- स्विवत्त पोषित सीट/स्विवत्त पोषित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को स्नातक व स्नातकोत्तर में सामान्य सीटों में परिवर्तन की अनुमित नहीं होगी।
- 5. विद्यार्थी ने महाविद्यालय में शुल्क जमा कराया लेकिन महाविद्यालय में अनुपस्थित रहने की स्थिति में विद्यार्थी की महाविद्यालय का छात्र नही माना जाएगा तथा महाविद्यालय से मिलने वाली सुविधा से वंचित तथा न ही किसी भी प्रकार की परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।

6. यदि विद्यार्थी प्रवेश लेने के एक माह के भीतर अपना प्रवेश रद्द कराता है तो उसे ट्यूशन शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क नियमों के अन्तर्गत वापस भुगतान कर दिया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया का शुल्क काटकर तभी लौटाया जा सकेगा जब प्रवेश की अन्तिम तिथि तक उसको आवंटित की गई सीट भर ली गई हो।

(1) ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश लेने के एक सप्ताह के अन्दर मूल रसीद जो कि उसे अन्य संस्था द्वारा प्रदान की गई थी के साथ अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) शुल्क वापसी प्रार्थना पत्र के साथ महाविद्यालय द्वारा जारी स्थान्नतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) स्विवत्त पोषित पाठ्यक्रम/पेमेन्ट सीट की आर्थिक व्यवहार्यता के कारण विद्यार्थी को शुल्क सभी सीटे भरने के बाद तभी वापस किया जाएगा जब उस सीट पर किसी अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लिया जाता है।

(4) विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनः शुल्क प्राप्ति प्रार्थना पत्र प्रवेश प्रक्रिया के एक माह के बाद महाविद्यालय तथा विभाग की प्राप्त होता है तो ऐसे प्रार्थनापत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी को निर्देश दिए जाते हैं कि यदि वे अपना अवदान द्रव्य/बुक-बैंक सिक्यूरिटी स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने

के एक वर्ष के भीतर अथवा का एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात उक्त राशि पुनः प्रदान नहीं की जाएगी।

8. ऐसे विद्यार्थी जो एक माह तक (सरकारी अवकाश को छोड़कर) निरन्तर महाविद्यालय में अनुपस्थित है तो ऐसे विद्यार्थी का नाम उपस्थिति पंजिका से हटा दिया जायेगा वे पुनः प्रवेश के लिए तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं के योग्य नहीं होगे। जबिक यदि विद्यार्थी चिकित्सा कारणों की वजह से अनुपस्थित रहता/रहती है तो ऐसे विद्यार्थियों को चिकित्सा के कारण कमेटी द्वारा निर्घारित किसी भी गंभीर चिकित्सकीय कारण के लिए विद्यार्थी द्वारा मेडिकल छुट्टी देने के बाद विद्यार्थी से असाइनमेन्ट अथवा अन्य शैक्षणिक कार्य किये जाने के बाद अधिकतम 5 प्रतिशत कक्षाओं की भरपाई की जा सकती है।

9. विज्ञान स्नातकोत्तर (सीबीसीएस) पाठ्यक्रम में उपस्थिति हेतु बनाए गये सभी प्रकार के नियम विज्ञान

स्नातक (सीबीसीएस) बी. एससी, बी.सी.ए तथा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम पर भी लागू होगे।

10 स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी को पूर्व उत्तीर्ण किये गये संस्थान द्वारा जारी अपना मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। प्रवेश लेने के पश्चात् तथा पहचान पत्र प्राप्त होने के बाद विद्यार्थी किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तथा उक्त महाविद्यालय से प्रवेश वापस लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे महाविद्यालय द्वारा नया स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उसे मूल स्थानान्तरण प्रवेश पत्र

विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के तहत विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् के निर्देशानुसार शैक्षणिक क्षेत्र 2015 से विज्ञान संकाय एवं भू-विज्ञान संकाय के सभी स्नोतकोत्तर पाठ्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) को अपनाने का फैसला किया गया है।

कार्यक्रम की समय सीमा : दो (2) वर्ष

पात्रता : स्नातक अथवा प्रासंगिक विषय में अथवा उसके समकक्ष उपाधि अथवा निर्धारित विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अथवा प्रासंगिक सीबीसीएस आधारित स्नातक डिग्री में प्रासंगिक विषय में न्यूनतम 24 क्रेडिट एवं 'सी' ग्रेड।

प्रवेश: स्नातक स्तर पर प्रासंगिक विषय में बाह्य लिखित परीक्षा में सैद्धान्तिक (theory paper) परीक्षा पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। यदि विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित संख्या से तीन गुना अधिक होती है तो प्रवेश प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा तथा उसके पश्चात् प्रवेश परीक्षा के 50 प्रतिशत अंकों एवं स्नातक स्तर में सैद्धान्तिक प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत को जोड़ कर वरीयता बनाई जाएगी।

निर्देश एवं परीक्षा का माध्यम : अंग्रेजी

सीटों की संख्या: तालिका 1 तथा 2 में दी गई सूचना के आधार पर।

क्रेडिट आवश्यकता (Credit requirement) प्रत्येक विद्यार्थी को कुल 100 क्रेडिट अर्जित करने हैं। 96 क्रेडिट मूल पाठ्यक्रम में से तथा 4 क्रेडिट कौशल पाठयक्रम से।

सीबीसीएस कार्यक्रम के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु हर कोर्स में से न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी, अगर किसी विद्यार्थी की उपस्थित 75 प्रतिशत से कम पाई जाएगी तो उसे सत्रांत की बाह्य परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा वे एक भी क्रेडिट अर्जित नहीं कर पाएँगे।

प्रत्येक सत्र (सेमेस्टर) के आरंभ में विद्यार्थी को निर्धारित मूल विषय विशिष्ट एवं कौशल कार्यक्रमों में पंजीकरण करना

कौशल पाठ्यक्रमों का चुनाव विद्यार्थी किन माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय अपने स्तर पर निम्निलखित सामान्य कौशल पाठयक्रमों को मात्र ₹500/- के शुल्क के साथ संचालित करेगा। यह शुल्क वार्षिक शुल्क के साथ लिया जायेगा।

- 1. विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष कौशल पाठ्यक्रम में से किसी एक पाठ्यक्रम का चुनाव विद्यार्थी को करना होगा।
- उपर्युक्त कौशल पाठ्यक्रम महाविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

सामान्य कौशल पाठ्यक्रम

- 1. कम्यूनिकेशन एवं प्रजेन्टेशन कौशल
- 2. वैज्ञानिक लेखन कौशल

- 3. आई सी टी कौशल
- 4. गणितीय एवं विश्लेषणात्मक कौशल (जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए)

4. गणिताय एवं विराण पाठ्यकम चलाने हेतु कम से कम बीस विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेना आवश्यक है। विषय विशिष्ट कौशल पाठ्यकम चलाने हेतु कम से कम दस विद्यार्थियों का पाठ्यकम में प्रवेश लेना आवश्यक है।

प्रत्येक कौशल पाठ्यक्रम के लिए दो क्रेडिट (4 घंटे प्रति सप्ताह) निर्धारित हैं एवं प्रत्येक विद्यार्थी को सामान्य अथवा विभिन्न योग्यता पाठ्यक्रमों की सूची में से कोई भी दो पाठ्यक्रमों का चयन कर कुल चार (4) क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अगर चाहे तो दो से ज्यादा योग्यता पाठ्यक्रम का चयन कर निर्धारित 100 क्रेडिट से ज्यादा क्रेडिट प्राप्त कर अपनी डिग्री में गुण/मूल्य संवर्धन (Value addition) कर सकते हैं। यह अतिरिक्त श्रेय (extra credit) विद्यार्थी की अंक तालिका पर अतिरिक्त के रूप में अंकित किए जाएँगे।

सामान्य कौशल एवं विषय विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए आनलाईन पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ आधार पर केंडिट विकल्प आधारित प्रणाली (CBCS) के पंजीकरण के साथ प्रथम दिवस से प्रारंभ कर दिया जाएगा।

CBCS पाठ्यक्रम का प्रबंधन (संचालन) वेब आधारित एप्लीकेशन के द्वारा किया जाएगा। अतः विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे इन वेब आधारित एप्लीकेशन का नियमित रूप से उपयोग करें एवं विश्वविद्यालय की वेब साईट पर सभी विवरणों की जानकारी प्राप्त करें।

सीबीसीएस स्नातकोत्तर 2016-17

RULES APPLICABLE TO STUDENTS ADMITTED UNDER FACULTY OF SCIENCE

- 1. Students admitted to Under Graduate and Post-graduate Courses shall not be allowed to change their subjects. So students are advised to choose their option carefully during counseling/admission.
- 2. Students admitted against SFS seats(Payment seats) shall be required to pay an additional Payment seat Fee in addition to the college fee annually.
- 3. Following attendance rules will apply for all the students admitted.
- (a) All the students admitted as regular students of UG,PG and other courses in the faculty of science shall be required to attend 75% of the classes held in each subject in both practical and theory separately. In CBCS courses, 75% attendance will be required separately in each paper as per course rules.
- (b) Attendance will be prepared by the teacher concerned and will be notified every month on the notice board and on the University website normally up to 7th of every month by the Head of the Department.
- (c) Candidates whose attendance is less than 75% shall not be allowed to appear in the University external examinations based on the attendance computed at the end of session/semester. However, for genuine cases decided by a committee, maximum 10% of the total classes held, can be conducted as remedial classes in each paper provided that the expenditure for conducting such classes will be borne by the participating students on sharing basis. No exception and relaxation in the maximum remedial classes to be held is permissible as it dilutes the attendance requirement.
- (d) In case of serious medical reasons (to be decided by a committee) maximum 5% of classes lost may be allowed to be compensated by assigning written or any academic work by recording attendance as and when student returns back from medical leave.
- (e) In case a student submits his online application form for examination without fulfilling attendance requirements or even if he has been issued online admit card, if the candidate has not satisfied attendance requirement, he/she shall not be eligible to appear in the external examination. Even if the candidate takes the admission, his/her result shall not be declared.
- (f) Neither Head of the Department nor Dean of the College shall relax the above attendance rules to allow the candidates in appearing in the examination. No affidavit/certificates etc shall be valid for appearing in the University examination.
- 4. Once the candidate gets admission on the SFS seats/SFS courses he/she shall not be allowed to convert into Normal fee seats.
- 5. If any candidate deposited the fees but not attended the college, shall not be treated as student of the college and shall not be eligible for appearing in any examinations or availing facilities for the students.
- 6. If a student admitted against the Normal fee seats leaves the course within a period of one month from start of the course, tuition fee and Laboratory fee will be refunded as per University rules, provided that the seat allotted to the candidate is filled by last date of admission.
- (i) Such candidates shall be required to apply within a week from taking admission in the outside institution along with fee receipt issued by both the institutions
 - (ii) Required to submit Transfer certificate issued by the College along with fee refund applications.
- (iii) In case of a candidate is admitted against the SFS Course/Payment seat, the fee may be refunded if the seat vacated by the candidate is filled up by another candidate, due to economical viability of the course.
- (iv) Students shall not be eligible for fee refund if their application is received for fee refund after a period of one month from the date of admission in the College/Department of the University.
- 7. Students are advised to apply for the refund of their Caution Deposit/Book Bank Security etc. within a period of one year from taking their Transfer Certificate or completion of their course. After a lapse of one year, refund shall not be made.

- 8. Name of all students who fails to attend the college continuously for a period of one month (excluding vacation period) after taking admission shall be removed from the Students Register and shall not be eligible for re-admission or appearing in the classes held or in the University Examinations. However, if a candidate is absent due to medical reason, and informed in writing, he/she will be required to take re-admission by submitting a valid medical certificate as per Government rules with fitness to continue his/her studies provided the candidate satisfies the minimum 75% attendance requirement.
- 9. The Attendance rules and other rules and regulations for M.Sc. (CBCS) programme will also be applicable for

10. All the students admitted to B.Sc. and M.Sc. courses shall be required to deposit the original Transfer Certificate issued by the last institution attended. If the student leaves the institution after beginning of regular classes or after the issue of Identity card he/she shall be required to get his transfer certificate from the college to leave the college to take admission in another college. The original TC deposited shall not be returned.

Master of Science Programme under Choice Based Credit System M.Sc. (CBCS)

As per directions of University Grants Commission, New Delhi and as per decision of the Academic Council of the University, the Faculty of Science and Faculty of Earth Sciences have decided to adopt CBCS system in all Masters Programmes offered by the University Departments and affiliated Colleges from academic session 2015-16.

Duration of the Programme: Four Semesters

Eligibility: Bachelor or equivalent degree in the relevant subject on the basis of marks obtained in prescribed subjects with minimum 48% or B.Sc. under CBCS with minimum 24 credits in the discipline concerned and minimum C Grade.

Admission: Admission will be made on the basis of merit determined on the basis of marks obtained in written external examination in theory papers at the graduation level in relevant subject. If the number of applications received are more than three times the sanctioned strength, admission will be given through entrance examination. Merit list will be based on adding 50 percent marks attained in the entrance exam and 50 percent marks attained in theory papers of the qualifying exam.

Medium of Instruction and Examination: English

No. of seats: According to information given in the table no. 1 & 2

Attendance requirement: A candidate taking admission in the Masters programme under CBCS shall be required to have minimum 75% attendance. No candidate having attendance less than 75% in each semester in each course shall be eligible to appear in the external semester End examination in the respective course.

Credit requirement: Each student will have to earn total 100 credits per semester, 96 from core & discipline specific electives + 4 credits from skill courses.

At the beginning of each semester, students shall be required to register for prescribed number of core courses, discipline Specific Electives and Skill courses.

Students shall be required to contact respective departments for selecting Core courses, Subject specific Electives and Skill Courses.

Each University Department will also offer elective skill courses under SFS programme related to their subject apart from the core and elective courses. In addition to this, four skill courses of general nature will also be offered by the College and a nominal fee of ₹500/- per course will be deposited along with regualr fee. The following general skill courses will be run by the College:

General Skill Courses

- Communication and Presentation Skills
- (ii) Scientific Writing Skills
- (iii) ICT Skills
- (iv) Mathematical and Analytical Skills (For Students of Biological Sciences)

Minimum 20 students will be required to offer each course under General Skill courses where as a minimum 10 students will be required to offer Subject Specific Skill Courses. Each Skill course shall be of 2 credits (4 hrs/week) and students will have to earn at least 4 credits by offering any two skill courses from the General list or Subject Specific Skill courses. Students can also earn extra credits above 100 credits for value addition of their degree by taking more skill courses which will be listed under extra on the mark sheet. Registration for the Skill Courses and general courses will be offered on first cum first serve basis through registration from the beginning of registration for CBCS courses.

Since the course management of Choice Based Credit System will be done through a Web based Application, students are expected to use web applications on daily basis as well as visit university web site for more details regularly.

डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स (पूर्णकालीन कार्यक्रम)

क्रम.स	पाठ्यक्रम (विषय)	प्रवेश पात्रता	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
1	जन स्वास्थ्य कीट विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	लाईफ साईन्स में स्नातकोत्तर, प्राणी विज्ञान के साथ (प्राथमिकता कीट विज्ञान), कृषि कीट विज्ञान, स्क्ष्मविज्ञान, जैवप्रोघोगिकी, एमबीबीएस या जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर	20 (स्ववित्त पोषित)	रू. 25000/- प्रति सेमेस्टर + सामान्य शिक्षण संस्थान शुल्क
2	नैदानिक प्रयोगशाला में तकनीकी डिप्लोमा	10+2 (विज्ञान) बायोलॉजी के साथ	20 (स्ववित्त पोषित)	रू. 25000/- प्रति वर्ष (स्ववित्त पोषित) शुल्क

*अंशकालीन डिप्लोमा : व्यासायिक कौशल पाठ्यक्रम (अल्प समय)

क्रम.स	पाठ्यक्रम (विषय)	प्रवेश पात्रता	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
1	सॉफ्टवेयर डेवलपमेन्ट	स्नातक	8+22 (स्ववित्त पोषित)	रू. 8000/- प्रति वर्ष (स्ववित्त पोषित) शुल्क
2	कम्प्यूटर नेटवर्क की स्थापना और अनुरक्षण	10+2	25+10 (स्ववित्त पोषित)	रू. 10,0000/- प्रति वर्ष (स्ववित्त पोषित) शुल्क

सर्टिफिकिट प्रोग्राम : कौशल पाठ्यक्रम (अंश कालिक)

क्रम.स	पाठ्यक्रम (विषय)	प्रवेश पात्रता	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
1	बेसिक बिजली और इलैक्ट्रोनिक्स	10+2	40	रू. 2000/-
2	कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण और स्थापना	10+2	40	रू. 2000/-
3	कम्प्यूटर नेटवर्क के अनुरक्षण	10+2	40	स्त. 2500/-
4	आप्टिकल फाइबर अनुरक्षण	10+2	40	柄. 2500/-
5	व्यापार और लेखा अनुप्रयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी	10+2	40	रू. 2500/-
6	व्यापार और लेखा अनुप्रयोग के लिए उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी	10+2	40	रू. 3000/-
7	वीडियों सम्पादन और उत्पादन	10+2	40	柄. 2500/-

8	एस पी एस एस का प्रयोग कर डेटा के सांख्यिकीय विश्लेषण	10+2	40	柄. 2500/-
9	बडा डाटा विश्लेषण	10+2	40	柄. 2500/-
10	जावा जे2ईई	10+2	40	柄. 2000/-
11	विजुअल स्टूडिओ डॉट नेट	10+2	40	柄. 2000/-
12	आफिस ऑटोमेशन और ई-गवर्नेस	10+2	40	柄, 1500/-
13	क्लाउड कम्प्यूटिंग	10+2	40	柄. 2500/-
14	मशरूम की खेती	10+2	40	柄. 2500/-
15	वर्मिटेक्नालाजी	10+2	40	स्त. 2500/-

Diploma & Certificate Courses (Full Time Diploma Programme)

Sr no	Discipline (Subject)	Eligiblility	Totel Seats Normal fee+SFS	Fees for SFS seats
1	Post Graduate Diploma in Public Health Entomology	M. Sc. in Life Science (Preferably M.Sc. zoology specialization in Entomology) or Agriculture sciences Entomology, Microbiology, Biotechnology, MBBS & Master in Public Health	20	Rs. 25,000/- per semester + Normal Institutional Fees
2	Diploma in Clinical Lab Technology	10+2 or above in Science Biology stream	20	Rs. 25,000/- per annum

Sort Term Diploma: Vocational Skill Courses (Part Time)

Sr no	Discipline (Subject)	Eligiblility	Totel Seats SFS	Fees for Payment/SFS seats
1	Software Development	Graduate	40	Rs. 8,000/-
2	Computer Network Installation and Maintenance	10+12	40	Rs. 10,000/-

Certificate Programme: Skill Enhancement Courses (part-time)


			Totel Seats	Fees	
Sr no	Discipline (Subject)	Eligiblility	Totel Seats		
	Basic Electricity and	10+12	40	Rs. 2,000/-	
1	Electronics		40	Rs. 2,000/-	
2	Computer Hardware Maintenance and Installation	10+12	40	2 500/	
3	Computer Network Maintenance	10+12	40	Rs. 2,500/-	
4	Optical Fiber Maintenance	10+12	40		
5	Information Technology for Business and Accounting Applications	10+12	40	Rs. 2,500/-	
6	Advanced Information Technology for Business and Accounting Applications	10+12	40	Rs. 3,000/-	
7	Video Editing and Production	n 10+12	40	Rs. 2,500/-	
8	Statistical Analysis of Data using SPSS	Graduate	40	Rs. 2,500/-	
9	Big Data Analytics	Graduate	40	Rs. 2,500/-	
10	Java J2EE	10+12	40	Rs. 2,000/-	
11	Visual Studio dot Net	10+12	40	Rs. 2,000/-	
12	Office Automation and E- governance	10+12	40	Rs. 1,500/-	
13	Cloud Computing	10+12	40	Rs. 2,500/-	
14	Mushroom culture	10+12	20	Rs. 2,500/-	
15	5 Vermitechnology	10+12	20	Rs. 2,500/-	

ADD - ON COURSES


Students admitted to various UG and PG courses of the courses of the University can offer one add-on Diploma/Certificate courses in a session to acquire additional professional competency in specified areas of their interest. Courses content of Add-on Diploma will be approximately equivalent to that of one paper in UG/PG (80 hrs – 120 hrs). Depending upon the basic qualifications and courses to which they have been admitted, students can choose from following courses.


Course	*Eligibility	Duration	Seats	Normal Fee
OFFERED BY: INFORMATION DEIPLOMA COURSES (Part Tim		PUTER APP	LICATIO	NS
Visual Basic Net	10+2	1 Year	30	₹ 2500/-
Microsoft Net Framework	10+2	1 Year	30	₹ 2500/-
Web Data Base Development	10+2	1 Year	30	₹ 2500/-
Web Design	10+2	1 Year	30	₹ 2500/-
Business Data Analysis	Graduate	1 Year	30	₹ 3000/-
Computational Methods in Bioinformatics	Regular students of Life Sciences, Biotechnology	1 Year	30	₹ 2500/-
Modern Education Technologies	Graduate with B.Ed or Post Graduate with 50%	1 Year	30	₹ 2500/-
Network Design and Installation Courses in Computer/ Engineering	Graduate in Science with 50% or students of UG or PG	1 Year	30	₹ 3500/-
Course	*Eligibility	Duration	Seats	Normal Fee
Linux Operating Computer Network Administration and Management	Graduate in Science with 50% or students of UG or PG Courses in Computer/Engineering	1 Year	30	₹ 3500/-
CERTIFICATE COURSES (OPEN	TO ALL) (PART TIME)			1
Office Automation & E-Governance	10+2	1 Year	30	₹ 3000/-
ICT & Research Methodologies (for Ph.D. Students)	Post graduate with 55%	1 Year	30	₹ 3000/-
OFFERED BY: DEPARTMENT O	F PHYSICS			
Diploma in Nanotechnology	B. Sc. in any stream	1 Year	30	₹ 2500/-
Diploma in Biophysical Instrumentation & Measurement Techniques	B. Sc. in Physical Sciences	1 Year	30	₹ 2500/-

पृथ्वी विज्ञान संकाय Faculty of Earth Sciences प्रो. हर्ष भू संकायाध्यक्ष भू-विज्ञान विभाग (Department of Geology) डॉ. एम. एल. नागौरी डॉ. हर्ष भू आचार्य आचार्य एवं विभागाध्यक्ष पर्यावरण विज्ञान विभाग (Department of Environmental Science) डॉ. अनुयाः डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़ डॉ. निधि राय डॉ. बी. आर. बामनिया सहायक आचार्य आचार्य आचार्य एवं विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग (Department of Geography) डॉ. सीमा डॉ. साधना कोठारी डॉ. इशाक मोहम्मद कायमखानी डॉ. पी. आर. व्यास आचार्य आचार्य आचार्य एवं विभागाध्यक्ष









विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय **University College of Commerce Management Studies** Tel 0294-2411408, 2423020 Fax 0294-2411408, 2423020 E-mail Web

Scanned with CamScanner

अधिष्ठाता

प्रो. जी. सोरल

सह-अधिष्ठाता

प्रो. रेणू जटाना

सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रो. सी. एम. जैन

प्रॉक्टर

प्रो. मुकेश माथुर

कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना

डॉ. शिल्पा वर्डिया

Faculty of Commerce वाणिज्य संकाय


संकायाध्यक्ष

प्रो. जी. सोरल

खाशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग (Department of Accountancy and Statistics)



डॉ. जी. सोरल आचार्य



डॉ. सी.एम. जैन आचार्य



डॉ. शूरवीर सिंह भाणावत आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. शिल्पा वर्डिया सहायक आचार्य



वाणि	ज्य निष्णात (एम.कॉम.) से	मिस्टर प्रणाली			
1.	लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी	बी.कॉम./बी.बी.ए.	48%	4 सेमेस्टर	50
2.	व्यवसाय प्रशासन	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	4 सेमेस्टर	50
3.	बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	4 सेमेस्टर	50
मास्ट	र ऑफ फिलॉसफी (एम.पि	n ल .)			
1.	लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी	एम.कॉम.(लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी)	55%**	3 सेमेस्टर	5+2
2.	व्यवसाय प्रशासन	एम.कॉम. (व्यवसाय प्रशासन)	55%**	3 सेमेस्टर	5+2
3.	बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र	एम.कॉम. (बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	5+2

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश। अजा व जजा हेतु 50 प्रतिशत अंक पर।

Core Courses (Full Time)

S.No.	Courses	Eligibility	Minimum* Required Marks % (in qualifying examination)	Duration	Seats
Bach	elor of Commerce (B.Com.)				
1-	B.Com.	10+2 (Commerce / Arts / Science)	48%	3 Years	160
Mast	er of Commerce (M.Com.) S	emester Scheme			
1-	Accountancy & Statistics	B.Com/B.B.A.	48%	4 Semester	50
2.	Business Administration	Graduate in any Discipline	48%	4 Semester	50
3.	Banking & Business Economics	Graduate in any Discipline	48%	4 Semester	50
Mast	ter of Philosophy (M. Phil.)				
1.	Accountancy & Statistics	M.Com. (Accountancy & Statistics)	55%**	3 Semester	5+2
2.	Business Administration	M.Com. (Business Administration)	55%**	3 Semester	5+2
3.	Banking & Business Economics	M.Com. (Banking & Business Economics)	55%**	3 Semester	5+2

- Admission on merit basis on minimum pass marks for SC/ST and OBC (Except creamy layer). For SC and ST minimum 50% marks.

Self-Finance Courses (Full Time) ×

S.No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks % (in qualifying examination)	Duration	Seats	Fees
Unde	r Graduate Courses					
1.	B.Com.	10+2 in any Discipline	48%	3 Years	1040	₹ 15,000
2.	B.Com.(Hons.)	10+2 in any Discipline	48%	6 Semesters	Normal 30 Payment 10	₹ 20,000 ₹ 40,000
3.	B.B.A.	10+2 in any Discipline (Entrance Test)	48%	6 Semesters	Normal 60+ Pay. Seat 15 NRI Seat 05	₹ 20,000 ₹ 40,000 / ₹ 60,000
4.	B.T.T.M.	10+2 in any Discipline (Entrance Test)	48%	8 Semesters	Normal 40+ Pay. Seat 5 NRI Seat 5	₹ 20,000 ₹ 40,000 ₹ 60,000
5.	B.Voc. (Accounting Taxation and Auditing)	10+2 in any Discipline	48%	6 Semesters	Normal 30 Payment 10	₹ 20,000 /₹ 40,000
Land Co.	: NRI Candidates are exemp	sted from entrance Test.		X		
1.	M.Com. (Human Resource Development)	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 10	₹ 20,000 ₹ 40,000
2.	M.Com. (Finance & Control)	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 5	₹ 20,000 ₹ 40,000
3.	M.Com. (International Business)	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 10	₹ 20,000 ₹ 40,000
4.	M.Com. (Banking & Insurance)	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 5	₹ 20,000 ₹ 40,000
5.	M.Com. (Marketing Management)	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 5	₹ 20,000 ₹ 40,000

Note: Admission in above P.G. (self finance) courses will be given through entrance test / on merit basis.

Self Finance Courses (Part Time)

S.No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
Part	Time Post Graduate Diplo	oma				
1.	Cost & Management Accounting	Graduate in any discipline	48%	1 Year	Normal 30 Payment 5	₹ 12,000 ₹ 15,000
2.	Taxation	Graduate in any discipline	48%	1 Year	Normal 30 Payment 5	₹ 12,000 ₹ 15,000
3.	Entrepreneurship Development	Graduate in any discipline	48%	1 Year	Normal 30 Payment 5	₹ 12,000 ₹ 15000
4.	E-Banking	Graduate in any discipline	48%	1 Year	Normal 30 Payment 5	₹ 12,000 ₹ 16000
Add-	-on Course		WHITE SE	- 1-23		
1.	Practical Accounting	Optional (As addition	nal paper for Regul	ar Students)		₹ 1250

पाठ्यक्रम निदेशक : स्ववित्त पोषित

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	निदेशक
1.	बी. कॉम.	अधिष्ठाता
2.	बी. कॉम. (ऑनर्स)	अधिष्ठाता
3.	बी.बी.ए.	अधिष्ठाता
4.	बी.टी.टी.एम.	अधिष्ठाता
5.	बी. वोक. (अकाउन्टिंग, टेक्सेशन एण्ड ऑडिटिंग)	अधिष्ठाता
6.	एम. कॉम. (ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट) M.Com.(HRD)	प्रो. विजय श्रीमाली
7.	एम. कॉम. (फाइनेन्स एण्ड कंट्रोल) M.Com.(F.&C.)	प्रो. जी. सोरल
8.	एम. कॉम. (इन्टरनेशनल बिजनेस) M.Com.(IB)	प्रो. रेणू जटाना
9.	एम. कॉम. (बैंकिंग एण्ड इंश्योरेन्स) M.Com.(B&I)	प्रो. पी.के. सिंह
10.	एम. कॉम. (मार्केटिंग मेनेजमेंट) M.Com.(MM)	प्रो. विजय श्रीमाली
11.	पी.जी. डिप्लोमा इन टेक्सेशन (P.G.D.T.)	प्रो. सी.एम. जैन

नोट :- इन पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी हेतु विद्यार्थी सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक से सम्पर्क करें।

Faculty of Management Studies प्रवन्ध अध्ययन संकाय

निदेशक एवं संकायाध्यक्ष

प्रो. अनिल कुमार कोठारी

कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रो. हनुमान प्रसाद

संकाय सदस्य (Faculty Members)



डॉ. पी. के. जैन आचार्य



डॉ. करुणेश सक्सेना (प्रतिनियुक्ति पर) आचार्य (अवकाश पर)



डॉ. अनिल कुमार कोठारी



डॉ. अशोक सिंह राठौड़ आचार्य (होटल प्रबन्ध)

Fee decided by State Fee Committee



डॉ. हनुमान प्रसाद आचार्य



डॉ. मीरा माथुर

Core Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum Required Marks %	Duration	Seats	Fees
Post G	Graduate Courses					
1.	M.B.A.	Graduate in any	50%	4 Semester	30	₹ 38,915 (GAD)* per year
		disipline			30	₹ 66,415 (SFS) per year

मुख्य पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क
1.	कोत्तर पाठ्यक्रम एम.बी.ए.	किसी भी संकाय में स्नातक (10+2+3)	50%**	4 सेमेस्टर	30 (GAD) 30 (SFS)	₹ 39,115* ₹ 72,115*

Self-Finance Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum Required Marks %	Duration	Seats	Fees
1.	M.B.A. (Specialization : Financial Services Management)	Graduate in any discipline (10+2+3)	50%**	4 Semester (2 years)	51	₹ 75,000 per Year ₹ 1,75,000 (INR) U.S. \$ 4500 (NRI)
2.	M.B.A. (Specialization- Major Minor : Rural Management, E-Business, Mass Communication, Social Works)	Graduate in any discipline (10+2+3)	50%**	4 Semester (2 years)	51	₹ 75000 per Year ₹ 1,75,000 (INR) U.S. \$ 4500 (NRI)
3.	M.T.T.M. (Master in Travel & Tourism Management)	Graduate in any discipline (10+2+3)	48%**	4 Semester (2 years)	30	₹ 20000/- per Year U.S. \$ 1000 (NRI)
4.	Bachelor of Hotel Management	10+2	45%**	4 Years (8 Semesters)	30	₹ 50000 per Year

4100

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

	स्वावस्य बाबस बायुवप्रज्या										
क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क					
स्नात	कोत्तर पाठ्यकम एम.बी.ए.	किसी भी संकाय में	50%**	4 सेमेस्टर	51	₹75,000/-					
	(विशेषज्ञताः वित्तीय सेवा प्रबन्धन)	स्नातक (10+2+3)			०९ (व्यवसाय प्रायोजित)	₹ 1,75,000/- भारतीय विद्यार्थी \$4500 (एन. आर.आई.)					

कम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क
2.	एम.बी.ए. (विशेषज्ञता-मुख्य एवं सहायकः ई काँमर्स ग्रामीण प्रबंध, सोशियल वर्क, मास कम्यूनिकेशन)	किसी भी संकाय में स्नातक (10+2+3)	50%**	4 सेमेस्टर	51 09 (व्यवसाय प्रायोजित)	₹ 75,000/- ₹ 1,75,000/- भारतीय विद्यार्थ \$4500 (एन. आर.आई.)
3.	एम.टी.एम.	किसी भी संकाय में स्नातक (10+2+3)	48%**	4 सेमेस्टर	30 03 (व्यवसाय प्रायोजित)	₹ 20,000/- \$1000 (एन. आर.आई.)
4.	बी.एच.एम.	10+2	45%**	4 वर्ष		₹ 50,000/- प्रति वर्ष

पाठ्यक्रम निदेशक

एम.बी.ए. (फाइनेन्सियल सर्विसेज मैनेजमेन्ट)


बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेन्ट एवं एम.टी.एम.

एम. बी. ए. (रुरल मेनेजमेंट, मास कम्यूनिकेसन्स, ई. बिजनेस, सोसियल वर्क) प्रो. अनिल कुमार कोठारी


प्रो. अशोक सिंह राठौड़

प्रो. हनुमान प्रसाद

^{*} ए.आई.सी.टी.ई. भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण नीति के अनुसार।



Scanned with CamScanner





विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय

University College of Social Sciences and Humanities

Tel Fax E-mail Web 0294-2470958 0294-2470209 ucssh@mlsu.ac.in www.mlsu.ac.in



अधिष्ठाता

सह-अधिष्ठाता

सहायक अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण

प्रॉक्टर

कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रो. साधना कोठारी

प्रो. इशाक मोहम्मद कायमखानी

डॉ. आशीष सिसोदिया

डॉ. पीयूष भादविया

डॉ. सुरेश सालवी

डॉ. डोली मोगरा

Faculty of Humanities मानविकी संकाय


संकायाध्यक्ष

अंग्रेजी विभाग (Department of English)


प्रो. सीमा मलिक



डॉ. शरद श्रीवास्तव आचार्य



Scanned with CamScanner





दृश्यकला विभाग (Department of Visual Arts)



डॉ. हेमन्त द्विवेदी आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. मदन सिंह राठौड़ आचार्य



डॉ. डी. वी. वशिष्ठ सह आचार्य



श्री शाहिद परवेज सहायक आचार्य

Faculty of Social Sciences

सामाजिक विज्ञान संकाय

संकायाध्यक्ष

प्रो. मोनिका नागौरी

अर्थशास्त्र विभाग (Department of Economics)



डॉ. अरुण प्रभा चौधरी आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. नेहा पालीवाल सहायक आचार्य



डॉ. दीपा सोनी सहायक आचार्य



Scanned with CamScanner

लोक प्रशासन विभाग (Department of Public Administration)



डॉ. सी. आर. सु<mark>थार</mark> आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. सुरेन्द्र कुमार कटारिया आचार्य



डॉ. गिरिराज सिंह चौहान सहायक आचार्य

समाजशास्त्र विभाग (Department of Sociology)



डॉ. मोनिका नागौरी आचार्य



डॉ. पूरण मल यादव आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. राजू सिंह सहायक आचार्य



डॉ. सुमित्रा शर्मा सहायक आचार्य (शैक्षणिक अवकाश पर)



श्रीमती संगीता अठवाल सहायक आचार्य



मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

10000						
क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	प्रवेश क्षमता	
कल	स्नातक (B.A.)			X 10 X 16 5 5		
1.	कला स्नातक	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	48%	3 वर्ष	400	/
2.	कला स्नातक ऑनर्स	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20	
	संस्कृत	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20	1
	राजनीति विज्ञान	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20	
	अर्थशास्त्र	10+2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20	
	अंग्रेजी	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20	
	इतिहास	10÷2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20	
	समाजशास्त्र	10+2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20	V
3.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	स्नातक (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	45%	1 वर्ष	50 सामान्य सीट ₹ 6000 5 स्ववित्त पोषित सीट ₹ 12,000 प्र.व.÷ स्थानीय शुल्क	
	निष्णात (M.A.) (सी.र्ब गंक सत्र 2017 से प्र ^१	ो.सी.एस.) सेमेस्टर पाठ् गवी	यक्रम			
1.	चित्रकला	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	12	
2.	अर्थशास्त्र	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40	

मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

हम पाठ्यक्रम प्रवेश पात्रता अर्हक* परीक्षा में अवधि न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	प्रवेश क्षमता 400
कला स्नातक (B.A.)	400
	400
 कला स्नातक 10+2 (कला / विज्ञान 48% वाणिज्य) 	
2. कला स्नातक ऑनर्स 10÷2 (कला / विज्ञान 50% 3 वर्ष / वाणिज्य)	20
संस्कृत 10÷2 (कला / विज्ञान 50% 3 वर्ष / वाणिज्य)	20
राजनीति विज्ञान 10÷2 (कला / विज्ञान 50% 3 वर्ष / वाणिज्य)	20
अर्थशास्त्र 10÷2 (कला / विज्ञान 50% 3 वर्ष / वाणिज्य)	20
अंग्रेजी 10÷2 (कला / विज्ञान 50% 3 वर्ष / वाणिज्य)	20
इतिहास 10÷2 (कला / विज्ञान 50% 3 वर्ष / वाणिज्य)	20
समाजशास्त्र 10÷2 (कला / विज्ञान 50% 3 वर्ष / वाणिज्य)	20
सूचना विज्ञान / वाणिज्य)	50 सामान्य तीट ₹ 5000 5 स्ववित्त गोषित सीट ₹ 12,000 प्र.व.÷ स्थानीय शुल्क
कला निष्णात (M.A.) (सी.बी.सी.एस.) सेमेस्टर पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2017 से प्रभावी	
	12 🗸
2. अर्थशास्त्र स्नातक उपाधि 48% 4 सेमेस्टर	40 /

1000	कम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक * परीक्षा म् न्यूनतम आवश्यव प्राप्तांक		प्रवेश क्षमता
3	3.	अंग्रेजी साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	1. 40
4	١.	भूगोल	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	/ 40
5	;.	हिन्दी साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	/ 40
6	, .	इतिहास	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	J 40
7		दर्शनशास्त्र	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
8	3.	राजनीति विज्ञान	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	. 40
9).	प्राकृत साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
1	0.	मनोविज्ञान	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	. 20
1	1.	लोक प्रशासन	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
1	2.	राजस्थानी साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
1:	3.	संस्कृत साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
14	1.	समाजशास्त्र	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
15		उर्दू साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
ए	न. ^{रि}	र्फल. (M.Phil.)				
1.		अर्थशास्त्र	कला निष्णात (अर्थशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	***
2.	j	अंग्रेजी साहित्य	कला निष्णात (अंग्रेजी)	55%**	3 सेमेस्टर	***
3.	3	रूगोल	कला निष्णात (भूगोल)	55%**	3 सेमेस्टर	***
4.	हि	इन्दी साहित्य	कला निष्णात (हिन्दी)	55%**	3 सेमेस्टर	***
5.	र्झा	तेहास	कला निष्णात (इतिहास)	55%**	3 सेमेस्टर	***
6.	दश	निशास्त्र	कला निष्णात (दर्शनशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	***
7.	राज	तनीति विज्ञान -	कला निष्णात (राज. विज्ञान)	55%**	3 सेमेस्टर	***

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	प्रवेश क्षमता
8.	प्राकृत साहित्य	कला निष्णात (प्राकृत)	55%**	3 सेमेस्टर	***
9.	मनोविज्ञान	कला निष्णात (मनोविज्ञान)	55%**	3 सेमेस्टर	***
10.	राजस्थानी	कला निष्णात (राजस्थानी)	55%**	3 सेमेस्टर	***
11.	संस्कृत साहित्य	कला निष्णात (संस्कृत)	55%**	3 सेमेस्टर	***
12.	समाजशास्त्र	कला निष्णात (समाजशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	***
13.	उर्दू साहित्य	कला निष्णात (उर्दू)	55%**	3 सेमेस्टर	***

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

^{**} एम.फिल. व विद्यावाचस्पित में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं शारीरिक विकलांग हेतु निर्धारित अर्हता 50% अंक।

^{***} प्रति संकाय सदस्य तीन विद्यार्थी।

		Core Courses (Fi	Ill Time)	Duration	Seats
THE REAL PROPERTY.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duran	
100000		THE RESIDENCE			
hel	lor of Arts (B.A.)		48%	3 Years	40
7		Former Graduate/10+2	4870		
	B.A.	/Arts/Science/Commerce		3 Years	
		Former Graduate/10+2	50%		
	B.A. Honours	/Arts/Science/Commerce		3 Years	20
		Former Graduate/10+2	50%		
	Political Sc.	/Arts/Science/Commerce		3 Years	20
		Former Graduate/10+2	50%	3 Tears	
	Sanskrit	/Arts/Science/Commerce			20
۱		Former Graduate/10+2	50%	3 Years	20
	Economics	/Arts/Science/Commerce			
			50%	3 Years	20
	English	Former Graduate/10+2			
	Eligion	/Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	20
	IX -top/	Former Graduate/10+2	3070		
l	History	/Arts/Science/Commerce	700/	3 Years	20
	Sociology	Former Graduate/10+2	50%		
STATE BOX	Sociology	/Arts/Science/Commerce		1 Year	50 General
	B.Lib. & Inf. Sc.	Graduate	45%	1 Icai	Seat Rs.
	B.L10. & III. 50				05 Self
					Finance Seat Rs.
					12000 Per Year +
					Local Fund
er	of Arts (M.A.) Semeter			4 Semester	12
]	Drawing	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	
	Economics	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
	English Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
			48%	4 Semester	40
THE PARTY OF THE P	Geography	Graduate (10+2+3)			40
	Hindi Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	
1	History	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40

蘇 邦 莊.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	प्रवेश क्षमता
8.	प्राकृत साहित्य मनोविज्ञान	कला निष्णात (प्राकृत) कला निष्णात	55%**	3 सेमेस्टर	***
9.	मुनाविशाः	(मनोविज्ञान)	55%**	3 सेमेस्टर	***
10.	राजस्थानी	कला निष्णात (राजस्थानी)	55%**	3 सेमेस्टर	***
11.	संस्कृत साहित्य	कला निष्णात (संस्कृत)	55%**	3 सेमेस्टर	***
12.	समाजशास्त्र	कला निष्णात (समाजशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	***
13.	उर्दू साहित्य	कला निष्णात (उर्दू)	55%**	3 सेमेस्टर	***

अनुस्चित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

^{*} एम.फिल. व विद्यावाचस्पति में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं शारीरिक विकलांग हेतु निर्धारित अर्हता 50% अंक।

^{***} प्रति संकाय सदस्य तीन विद्यार्थी।

Core Courses (Full Time)

S. 0.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
ache	lor of Arts (B.A.)			0. Means	
	B.A.	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	48%	3 Years	40
	B.A. Honours	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	
	Political Sc.	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	20
	Sanskrit	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	20
	Economics	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	20
	English	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	20
	History	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	20
	Sociology	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	20
3.	B.Lib. & Inf. Sc.	Graduate	45%	1 Year	Seat Rs. 6000 05 Self Finance Seat Rs. 12000 Per Year + Local Fund
Mas	ster of Arts (M.A.) Semo	eter Scheme			
1.	Drawing	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	12
2.	Economics	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
3.	English Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
4.	Geography	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
5.	Hindi Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
6.	History	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40

S. No.	Course	Eligibility	Minimum*	Duration	Seats
7.	Philosophy		Required Marks %		
8.	Political Science	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
		Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
9.	Prakrit Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
10.	Psychology	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	
11.	Public Adm.	Graduate (10+2+3)	48%		20
12.	Rajasthani Lit.	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
13.	Sanskrit Literature	Graduate (10+2+3)		4 Semester	40
14.	Sociology	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
15.	Urdu Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
M. P	hil (Semester Scheme)	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
		X			
1.	Economics	M.A. (Economics)	55%**	3 Semester	***
2.	English Literature	M.A. (English)	55%**	3 Semester	***
3.	Geography	M.A. (Geography)	55%**	3 Semester	***
4.	Hindi Literature	M.A. (Hindi)	55%**	3 Semester	***
5.	History	M.A. (History)	55%**	3 Semester	***
6.	Philosophy	M.A. (Philosophy)	55%**	3 Semester	***
7.	Political Science	M.A. (Political Sci.)	55%**	3 Semester	***
8.	Prakrit Literature	M.A. (Prakrit)	55%**	3 Semester	***
9.	Psychology	M.A. (Psychology)	55%**	3 Semester	***
10.	Rajasthani	M.A. (Rajasthani)	55%**	3 Semester	***
11.	Sanskrit Literature	M.A. (Sanskrit)	55%**	3 Semester	***
12.	Sociology	M.A. (Sociology)	55%**		
				3 Semester	***
13.	Urdu Literature	M.A. (Urdu)	55%**	3 Semester	***

Admission on merit basis on minimum pass marks for SC,ST and OBC, (Except Creamy Layer). For SC and ST, minimum 50% marks.

Three students with each member of faculty.

डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

-						
क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश क्षमता	
1.	डिप्लोमा इन फैशन मरकेन्डाइजिंग एण्ड रेडिमेड गारमेन्ट्स	10+2	45%	1 वर्ष	20	
2.	डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग	10+2	45%	1 वर्ष	20	
3.	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	स्नातक	45%	1 वर्ष	30	
4.	पालि, बौद्ध एवं अहिंसा	स्नातक	45%	1 वर्ष	30	

Diploma Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
1.	Dip. in Fashion Merchandising & Readymade Garments	10+2	45%	1 Year	20
2.	Dip. in Textile Designing	10+2	45%	1 Year	20
3.	P.G. Dip. in Journalism	Graduate	45%	1 Year	30
4.	Pali, Buddhism and Non- violence	Graduate	45%	1 Year	30

सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश क्षमता
1.	श्रमण परम्परा और समसामयिक मृल्य	10+2	45%	1 वर्ष	60

Diploma Course (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
1.	Shramana Tradition & Contemporary Values	10+2	45%	1 Year	60

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

PERSON			त्र्यक्रम (पूर्णक	ग्लान)		
क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश क्षमता	शुल्क
कला	स्नातक उपाधि					4377
1.	स्नातक	10+2	48%	3 वर्ष	160	राडववव प्रति वर्ष प्राथिपिक कमाओं के लिए रडववव असिरियन
2.	दृश्य कला	10+2	48%	4 वर्ष	20	र 10000 प्रति वर्ष

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर (पूर्णकालिक)

जा/ए।	निष्णात उपाधि					
1.	कंठ संगीत	स्नातक	48%	2 वर्ष	20	₹ 5000 प्रति वर्ष
2.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	स्नातक एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि	45%	1 वर्ष	25	सामान्यसीट ₹ 20000+ स्थानीय शुल्क स्ववित्त पोषित सीट ₹ 30000 + स्थानीय शुल्क
3.	शारीरिक शिक्षा (एम. पी. एड़)	स्नातक या शा.शि में पी.जी. डिप्लोमा	45%	2 वर्ष	50	₹ 60,000 प्रति वर्ष दो किस्तो में
١.	एम. ए. (पत्रकारिता एवं जनसंचार)	किसी भी संकाय में स्नातक	50%	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	30	र 11000/- प्रति सेमेस्टर+स्थानीय शुल्क (वार्षिक
	एम. ए. (कठसंगीत)	किसी भी संकाय में स्नातक	50%	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	30	र 10000/- प्रति सेमेस्टर+स्थानीः शुल्क (वार्षिक
	एम. ए./ एम. एस. सी. (भूगोल)	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	2 বর্ষ	40	र 10000/- प्रति सेमेस्टर+स्थानी शुल्क (वार्षिक
नात	कोत्तर डिप्लोमा					
	जनसंख्या अध्ययन	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	1 वर्ष	30	र 500 प्रति व
	योग शिक्षा	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	1 वर्ष	40	₹ 1200 प्रति व

3.		स्नातक कला/ 50% विज्ञान/वाणिज्य	6	1 वर्ष	20	₹ 1500 प्रति वर्ष रु.1000 लेब फी
		Self-Finance Cours	ses (Full T	ime) 🔀		
S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
Bach	elor of Visual Arts (B.V.A.)				
١.	B.A. TDC	10+2	48%	3 Years	160	₹15000/- Per ₹5000/- Extra practical
2.	Visual Arts	10+2	48%	4 Years	20	subjects. ₹ 10000
Mast	ter of Arts (M.A.)					
1.	Vocal Music	Graduate	48%	2 Years	20	₹ 5,000 Y
2.	M. Lib. & Inf. Sc.	Graduate & B.Lib. I. Sc.	45%	1 Year	20 Gen. 5 Pay Seat	₹ 20,000 Payment 8 ₹ 30,00
3.	M.P.Ed.	Graduate or P.G. Diploma in Phy. Ed.	45%	2 Years	50	₹ 60,0
4.	MA (Journalism and Mass Communication)	Graduate in any Discipline	50%	2 years / 4 semester	30	₹ 11,000 per semeste annual local fees
5.	MA (Music)	Graduate in any Discipline	50%	2 years / 4 semester	30	₹ 10,000 per semeste annual local fees
6.	MA (Geography)	Graduate in any Discipline	48%	2 years	40	₹ 10,000 per semeste annual local
	Graduate Diploma				1750	fees
1.	Population Studies	Graduate Arts/Sci./Commerce	45%	1 Year	30	₹ 5,000 j
2.	Yoga Education	Graduate Arts/Sci./Commerce	45%	1 Year	40	₹ 20,00
3.	Remote Sensing & Geographical Information Sys.	Graduate Arts/Sci./Commerce	50%	1 Year	20	₹ 15,0 Per Yea ₹ 10,0 Lab F

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम (अंशकालीन)

-			र्गनम् (अश्व	गलान)		
क्रम सं.		प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क**
स्नात	नकोत्तर डिप्लोमा					
1.	सुशासन एवं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण	स्नातक कला / विज्ञान / वाणिज्य	45%	1 वर्ष	20	र 5000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
2.	विरासत, पर्यटन एवं संग्रहालय विज्ञान	स्नातक कला / विज्ञान / वाणिज्य	45%	1 वर्ष	20	₹8000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
3.	जवाहरलाल नेहरू के विचार तथा योगदान	स्नातक कला / विज्ञान / वाणिज्य	45%	1 वर्ष	20	केवल स्था. शुल्क
4.	परामर्श एवं मनोचिकित्सा	स्नाकोत्तर विषय के साथ मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, सोशल वर्क, एम.बी.बी. एस./बी.एच.एम. एस./बी.ए.एम.एस.	48%	6 माह	15 5 स्ववित्त पोषित सीट	₹ 15000/-
5.	मनोवैज्ञानिक परीक्षण	स्नाकोत्तर विषय के साथ मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, सोशल वर्क, एम.बी.बी. एस./बी.एच.एम. एस./बी.ए.एम.एस.	48%	6 माह	15 5 स्ववित्त पोषित सीट	₹ 15000/-
6.	मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य	स्नातक कला / विज्ञान / वाणिज्य	48%	1 वर्ष	20	केवल स्था. शुल्क
डिप्लो	मा		HE PARTY			
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य अर्थशास्त्र	स्नातक कला / विज्ञान / वाणिज्य	45%	1 वर्ष	30	र 5000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
2.	पर्यावरण अर्थशास्त्र	स्नातक कला / विज्ञान / वाणिज्य	45%	1 वर्ष	30	₹5000/- प्रति वर्ष ÷ स्था. शुल्क

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक		निर्घारित प्रवेश संख्या	शुल्क**
3.	वित्तीय बाजार	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	1 वर्ष	30	₹7000/- प्रति वर्ष ३ स्था. शुल्क
4.	पूँजी विपणन	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	1 वर्ष	30	₹7000/- प्रति वर्ष ∻ स्था. शुल्क

Self Finance Courses (Part Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
Post	Graduate Diploma					
1.	Good Governance and Democratic Decentralization	Graduate in Arts/ Commerce	45%	1 Year	20	₹ 5000/-+ Local Fund
2.	Heritage, Tourism and Museology	Graduate in Arts/ Commerce	45%	1 Year	20	₹ 8000/-+ Local Fund
3.	Thought & Contribution of Jawahar lal Nehru	Graduate in Arts/ Commerce	45%	1 Year	20	Only Local Fund
4.	Counseling & Psychotherapy	Post Graduate in Psychology, Home Sci./ S W / MBBS/BHMS/BAMS	45%	6 Months	15 5 (S.F. Seats)	₹ 15000/- ₹ 25000/-
5.	Psychological Testing	Post Graduate in Psychology, Home Sci./ S W / MBBS/BHMS/BAMS	48%	6 Months	15 5 (S.F. Seats)	₹ 15000/- ₹ 25000/-
6.	Human Rights & Duties	Graduate in Arts/ Commerce	48%	1 Year	20	Only Local Fund
Diplo	oma Courses					
1.	Community Health Economics	Graduate in Arts/ Commerce/ Science	45%	1 Year	30	₹ 5000/-+ Local Fund
2.	Environment Economics	Graduate in Arts/ Commerce/ Science	45%	1 Year	30	₹ 5000/-+ Local Fund
3.	Financial Market	Graduate in any Discipline	48%	1 Year	30	₹ 7000/-+ Local Fund
1.	Capital Marketing	Graduate in any Discipline	48%	1 Year	30	₹ 7000/-+ Local Fund

सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक * परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क**
1.	अंग्रेजी भाषा प्रमाण-पन्न पाठ्यक्रम	10+2	45%	1 वर्ष	60	प्रथम वर्ष कला के समान
2.	जनसंख्या एवं परिवार कल्याण प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	स्नातक	45%	छः माह	60	₹5000/-
3.	वेब पत्रकारिता में प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	स्नातक	45%	1 वर्ष		₹3000/-
4.	नेहरू विचार धारा योगदान व प्रासंगिकता में प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	स्नातक	45%	1 वर्ष	2	स्थानीय शुल्क

- * अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।
- ** In addition to local fund fee.
- *** विदेशी छात्रों के लिए।

सूचना : पूर्णकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

Certificate Courses

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
1.	English Language	10+2	45%	1 Year	60	At Par with First Year Arts
2.	Population & Family Welfare Studies	Graduate	45%	6 Months	60	₹ 5000/-
		10+2+3	45%	1 Year		₹ 3000/-
3.	Web Journalism	10+2+3	150/	1 Year	20	Local Fund
4.	Nehru's Thought Contribution & Relevance	10+2+3	45%			

- 1.(I) वे छात्र जो बी.ए./बी.एससी. स्नातक सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) पाठ्यक्रम
- (ii) सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय वाले योग्य छात्रों के प्रवेश उपरान्त कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) के बचे हुए रिक्त स्थानों पर उन छात्रों को भी प्रवेश हेतु योग्य माना जाएगा, जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. स्नातक उपाधि एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की
- 2. ऑनर्स पाठ्यक्रम में कम से कम पाँच विद्यार्थियों का प्रवेश होना आवश्यक है।
- 3. विशेष आरक्षण** :
- (I) पुस्तकालय विज्ञान स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए राजस्थान राज्य के पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु आठ स्थान सुरक्षित हैं। इनमें प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। इस श्रेणी में केवल उन्हीं कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्णकालिक एवं सवैतनिक पूरा किया है। विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आने पर ही मान्य होंगे। प्रवेश इस स्पष्ट शर्त पर दिए जाएँगे कि अपने नियोक्ता से अध्ययन अवकाश लेकर पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करेंगे। एक स्थान मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के लिए आरक्षित रहेगा, जिसके लिए प्रार्थना पत्र किसी साधिकार अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- (ii) पुस्तकालय विज्ञान स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए राजस्थान राज्य के पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु पाँच स्थान आरक्षित है। प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। इस श्रेणी में उन्हीं कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने कम से कम पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्णकालिक एवं सवैतनिक पूरा किया है। पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से आने पर ही मान्य होंगे। प्रवेश इस स्पष्ट शर्त पर दिये जाएँगे कि कार्यरत अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से अध्ययन अवकाश लेकर पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करना होगा।
- (iii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक परीक्षा में 42% प्राप्तांक रखी गई है।
- ओपन स्कूल की 10+2+3 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु योग्य माने जाएँगे, यदि वे उक्त परीक्षा में पाँच विषयों में उत्तीर्ण होंगे एवं न्यूनतम अर्हक योग्यता रखते हों।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में व्यावसायिक पाठ्यक्रम (10+2) के उत्तीर्ण विद्यार्थी केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश के योग्य होंगे। प्रवेश के समय उनके कुल प्राप्तांकों में से सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक सत्रांक का योग करते हुए उन्हें वरीयता में सम्मिलित किया जाएगा।
- (क) प्रथम वर्ष कला 2018 परीक्षा के लिए

अनिवार्य विषय : 1. सामान्य अंग्रेजी 2. पर्यावरण अध्ययन

ऐच्छिक विषय : निम्नलिखित विषयों में से केवल तीन विषयों का चयन करना होगा। एक वर्ग में से एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकता। कोष्ठक में विषयवार उपलब्ध स्थान अंकित है।

वर्ग :

- अर्थशास्त्र (120)/संस्कृत साहित्य (60)/संगीत (20)/सिंधी (20) गृह विज्ञान
- भूगोल (120)/राजस्थानी साहित्य (30)/दर्शनशास्त्र (30)/महिला अध्ययन (30)
- राजनीति विज्ञान (120)/उर्दू साहित्य (30)/चित्रकला (20)/सांख्यिकी/जनसंख्या अध्ययन (20)
- मनोविज्ञान (25)/प्राकृत साहित्य (30)/इतिहास (120)/वन संसाधन एवं उनके उपयोग
- लोक प्रशासन (60)/हिन्दी साहित्य (120) ग्रामीण विकास एवं विस्तार/प्रयोजनमूलक हिन्दी (फंक्शनल
- समाजशास्त्र (120)/अंग्रेजी साहित्य (60)/गणित/मानवाधिकार (20)

टिप्पणियाँ :

- (I) विद्यार्थी द्वारा कुल 3 विषयों का चयन किया जाना है। उपर्युक्त वर्गों में से एक वर्ग में एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकेगा।
- (ii) (क) नियमित विद्यार्थी दो से अधिक प्रयोगशाला के विषय नहीं ले सकेगा। (ख) प्रयोगशाला के संचालित विषय हैं - संगीत, भूगोल, चित्रकला एवं मनोविज्ञान।
- (iii) दो साहित्य से अधिक साहित्य विषय नहीं चुने जा सकते हैं।
- (iv) सांख्यिकी, वन संसाधन एवं उनके उपयोग, ग्रामीण विकास एवं विस्तार, गृह विज्ञान, गणित, सिंधी, प्रयोजनमूलक हिन्दी, शारीरिक शिक्षा, जनसंख्या अध्ययन और महिला अध्ययन विषय के शिक्षण की वर्तमान में व्यवस्था नहीं है। अतः विद्यार्थी इन विषयों को छोड़कर अपने विषय चुनें।
- (v) चुने गए तीन विषयों में भी प्रवेश योग्यता क्रम एवं विषय के निर्धारित स्थानों के अनुसार देय होगा। अन्तिम प्रवेश सूची में उल्लिखित विषय ही स्वीकृत माने जाएँगे। इन विषयों में बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- (vi) स्नातक प्रथम वर्ष कला सामान्य पाठ्यक्रम/आनर्स में प्रवेश हेतु एक ही आवेदन पत्र भरना होगा तथा काउसिलिंग के समय आर्नस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा। स्नातक प्रथम वर्ष कला सामान्य पाठ्यक्रम/आनर्स (B.A. Pass Course/B.A.Hons) में निर्धारित प्रवेश सीटें रिक्त रहने पर उपर्युक्त में किसी भी एक पाठ्यक्रम में रिक्तता के अनुसार सीटें स्थानान्तरित कर प्राप्त आवेदन पत्रों में से प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ख) द्वितीय वर्ष कला 2018 के लिए

अनिवार्य विषय : (i) सामान्य हिन्दी (ii) एलिमेन्ट्री कम्प्यूटर एप्लीकेशन ऐच्छिक विषय : प्रथम वर्ष कला 2017 में लिए गए विषय

- (I) द्वितीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण के समय नियमित विद्यार्थी चाहे तो एक वैकल्पिक विषय का परिवर्तन कर सकता है, यदि वह प्रथम वर्ष के सभी विषयों में उत्तीर्ण है तथा उसके द्वारा चुने गए वर्ग का विषय उस महाविद्यालय में नियमित अध्यापन किया जा रहा है। नया चुना हुआ विषय इस वर्ष के लिए निर्धारित ग्रुप/ समूह के अनुसार होगा, किन्तु वह प्रायोगिक न हो ।
- (ii) द्वितीय वर्ष में परिवर्तित विषय के अध्ययन, नियमानुसार परीक्षा आदि की जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।
- (ग) तृतीय वर्ष कला 2018 परीक्षा के लिए


ऐच्छिक विषय : द्वितीय वर्ष कला 2017 में लिए गए विषय


51-04/14/1	2019 परीक्षा के लिए	
(घ) बी.ए. ऑनर्स (B.A. Hons.) त्रि-वर्षी	य पाठ्यकेम - 2010 वर्गा	
बी.ए. ऑनर्स (विषय)	स्थान	
1. संस्कृत	20	
2. अर्थशास्त्र	20	
3. राजनीति विज्ञान	20	
4. अंग्रेजी साहित्य	20	
5. इतिहास	20	
6. समाजशास्त्र	60	

यह पाठ्यक्रम तीन वर्ष का है। इसमें मुख्य विषय (Main Subjects) के साथ किसी अन्य वर्ग में से एक विषय गौण विषय (Subsidiary Subject) के रूप में लिया जाना है।

- (ङ) स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (B.Lib & Information Sc.) एक वर्षीय पाठ्यक्रम
- (च) स्नातकोत्तर (M.A.) द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर (M.A.) शिक्षण निम्नांकित विषयों में होता है -
- (I) सामाजिक विज्ञान विषय : अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान।
- (ii) मानविकी विषय : संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, राजस्थानी, उर्दू, अंग्रेजी, चित्रकला, इतिहास एवं दर्शनशास्त्र।
- (iii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातकोत्तर (M.Lib.) (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)
- (छ) एम.फिल. (M.Phil.) तीन सेमेस्टर्स पाठ्यक्रम निम्नलिखित विषयों में संचालित हो रहे हैं -
- (i) सामाजिक विज्ञान : अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान।
- (ii) मानविकी विषय : संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, इतिहास, दर्शनशास्त्र एवं राजस्थानी।
- (ज) विद्यावाचस्पति (Ph.D.) विद्यावाचस्पति की उपाधि हेतु निम्नांकित विषयों में शोध कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है -अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, जैनविद्या एवं प्राकृत, राजस्थानी, इतिहास, चित्रकला, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, पत्रकारिता एवं

जनसंचार।





Scanned with CamScanner

अधिष्ठाता

सहायक अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण

प्रॉक्टर एवं कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रो. आनन्द पालीवाल

डॉ. राजश्री चौधरी

डॉ. शिल्पा सेठ

Faculty of Law विधि संकाय

संकायाध्यक्ष

प्रो. आनन्द पालीवाल



डॉ. आनन्द पालीवाल आचार्य



डॉ. राजश्री चौधरी सहायक आचार्य



डॉ. शिल्पा सेठ सहायक आचार्य

मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश क्षमता
स्नात	क पाठ्यक्रम				
1.	विधि स्नातक (LL.B.)	स्नातक	45%*	3 वर्ष	120+300 (SFS)
स्नात	कोत्तर पाठ्यक्रम				
1.	विधि निष्णात (LL.M.)	विधि स्नातक	55%**	2 বর্ष	40+80 (SFS)
स्नात	कोत्तर डिप्लोमा				
1.	श्रम विधि, श्रम कल्याण एवं कार्मिक प्रबन्ध में डिप्लोमा (D.L.L)	विधि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि/ निम्न विषयों के साथ स्नातक [#]	48%***	1 वर्ष	60

ैंसमाजशास्त्र/अर्थशास्त्र/सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/लोक प्रशासन/वैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के साथ

एम.कॉम./एम.बी.ए./एम.एच.आर.एम./कंपनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा

		Core Courses (Fu	ll Time)		Seats
S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
Unde	er Graduate Course		40/4	3 Years	120 + 300
1.	Bachelor of Laws (LL.B.)	Graduate	45%*		(SFS)
Post	Graduate Course			2 Years	40 + 80
1.	Master of Laws (LL.M.)	Law Graduate	55%**	2 10015	(SFS)
Post	Graduate Diploma			1 17	60
1.	Diploma in Labour Law Labour welfare and Personnel Management	Post Graduate or Post Graduate in following Subjects#	48%***	1 Year	
	1 Claumer Litating	1 and Soor	etarial Practice al	long with graduat	e in Sociology/

[#] M.Com./M.B.A./M.H.R.M./Diploma in Company law and Secretarial Practice along with graduate in Sociology/ Economics/Social Work/Philoshophy/Public Administration/Banking and Financial Economics.

स्ववित्त पोषित मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

	त्रवित्त पाषित मुख्य				
पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक*	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क
क पाठ्यक्रम					
कला एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.A. LL.B) Integrated	10+2 कला/विज्ञान/ वाणिज्य	45%*	5 वर्ष	120	₹ 15,000/- प्रति सेमेस्टर + स्था. शुल्क
वाणिज्य एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.Com. LL.B)	10+2 कला/विज्ञान/ वाणिज्य	45%*	5 वर्ष	120	₹ 15,000/- प्रति सेमेस्टर + स्था. शुल्क
कोत्तर डिप्लोमा					
कम्पनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा (D.C.S.)	एम.कॉम या विधि स्नातक	48%***	1 वर्ष	30	₹ 10,000/- + स्था. शुल्क
अपराध विज्ञान एवं सामाजिक-आर्थिक अपराध विषय में डिप्लोमा (D.C.L.)	विधि स्नातक/ सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर/ D.C.S./D.L.L	48%***	1 वर्ष	30	₹ 10,000/- + स्था. शुल्क
बौद्धिक सम्पदा विधि में डिप्लोमा	विधि स्नातक या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर	48%***	1 वर्ष	25+5 पेमेन्ट सीट	₹ 10000/- ₹ 15000/- + स्था. शुल्क
बैंकिंग विधि में डिप्लोमा	विधि स्नातक या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर	48%***	1 वर्ष	25+5 पेमेन्ट सीट	₹ 10000/- ₹ 15000/- + स्था. शुल्क
	क पाठ्यक्रम कला एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.A. LL.B) Integrated वाणिज्य एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.Com. LL.B) कोत्तर डिप्लोमा कम्पनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा (D.C.S.) अपराध विज्ञान एवं सामाजिक-आर्थिक अपराध विषय में डिप्लोमा (D.C.L.) बौद्धिक सम्पदा विधि में डिप्लोमा	क पाठ्यक्रम कला एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.A. LL.B) Integrated वाणिज्य एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.Com. LL.B) कोत्तर डिप्लोमा कम्पनी विधि एवं सचिवीय पछित में डिप्लोमा (D.C.S.) अपराध विज्ञान एवं सामाजिक -आर्थिक अपराध विषय में हिप्लोमा (D.C.L.) वौद्धिक सम्पदा विधि में विषय में स्नातक या किसी भी विषय में स्नातक त्या किसी भी विषय में हिप्लोमा	क पाठ्यक्रम कला एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.A. LL.B) Integrated विणिज्य एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.Com. LL.B) कोत्तर डिप्लोमा कम्पनी विधि एवं सचिवीय पद्धित में डिप्लोमा (D.C.S.) अपराध विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान समाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर/ D.C.S./D.L.L वौद्धिक सम्पदा विधि में हिप्लोमा विधि स्नातक या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर विधि स्नातक या किसी भी विषय में हिप्लोमा (D.C.S.)	क पाठ्यक्रम कला एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.A. LL.B) Integrated वाणिज्य एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.Com. LL.B) कोत्तर डिप्लोमा कम्पनी विधि एवं सचिवीय पद्धित में डिप्लोमा (D.C.S.) अपराध विज्ञान एवं सामाजिक-आर्थिक अपराध विषय में डिप्लोमा (D.C.L.) वौद्धिक सम्पदा विधि में डिप्लोमा विधि स्नातक या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर वैधि स्नातक या किसी भी विषय में डिप्लोमा किसी भी विषय में डिप्लोमा किसी भी विषय में डिप्लोमा किसी भी विषय में	पाठ्यक्रम कला एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.A. LL.B) Integrated वाणिज्य एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.Com. LL.B) कोत्तर हिप्लोमा कल्म प्वं विधि एवं सथिवीय पखित में हिप्लोमा (D.C.S.) अपराध विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर/ D.C.S./D.L.L वौद्धिक सम्पदा विधि में हिप्लोमा किसी भी विषय में स्नातक या किसी भी विषय में हिप्लोमा वैधि मंतिक या किसी भी विषय में हिप्लोमा किसी भी विषय में हिप्लोमा किसी भी विषय में हिप्लोमा विधि मंतिक या किसी भी विषय में सेन्तर सीट

*40% अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु व अन्य पिछड़ा वर्ग(क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु 42%।

***अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्णांक।

टिप्पणी 1. (1) LL.B. (2) LL.M. (3) B.A. LL.B. Five Years Integrated Course में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा/वरीयता

Self-Finance Core Courses (Full Tin

S.	Course	Courses (Full Time)				
No.		Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
Unde	er Graduate Course	A PROPERTY.				
1.	Bachelor of Arts and Law Integrated (B.A. LL.B.)	10+2	45%*	5 Years	120	₹15,000/- Per Semester +
2.	Bachelor of Commerce and Law Integrated (B.Com, LL.B.)	10+2	45%*	5 Years	120	Local Fund ₹15,000/- Per Semester + Local Fund
Post	Graduate Diploma	AND DESCRIPTION OF				
1.	P.G. Diploma in Company Law and Secretarial Practice (D.C.S.)	M. Com/LL.B.	48%***	1 Year	30	₹ 10,000/- + Local Fund
2.	P.G. Diploma in Criminology and Socioeconomic Crimes (D.C.L.)	LL.B/ P.G. in any subject	48%***	1 Year	30	₹ 10,000/- + Local Fund
3.	Diploma in Intellectual Property Law	LL.B/ P.G. in any subject	48%***	1 Year	25+5 SFS	₹ 10,000/- ₹ 15,000/- + Local fund
4.	Diploma in Banking Law	LL.B/ P.G. in any subject	48%***	1 Year	25+5 SFS	₹ 10,000/- ₹ 15,000/- + Local fund

केन्द्र (Centre)

1. नि:शुल्क विधि सहायता क्लिनिक (Free Legal Aid Clinic)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से महाविद्यालय में स्थापित विधि सहायता क्लीनिक द्वारा निर्धनों, अशिक्षितों, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग को उनकी दैनिक विधिक कठिनाइयों एवं मुकदमेबाजी के कार्य में प्रशिक्षित एवं अनुभवी वकीलों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाता है।

^{40%} for SC/ST and 42% for OBC (Non-creamy layer)

^{50%} for SC/ST

Minimum pass marks for for SC/ST and OBC (Non-creamy layer)



2. Ph. D. Programme

- 1. Introduction: The University conducts Research Entrance Test (RET) as per the UGC Regulations 2009 subject to vacancy in the concerned subjects for the admission of the students in the Ph.D. programme.
- 2. Eligibility: Eligibility for appearing in this test is 55% marks in post- graduation for the general category and 50% marks for SC/ST and non creamy OBC students. The RET examination has two papers, Paper-I (General Paper) and Paper-II (subject specific) carrying 100 marks each. Syllabus: The syllabus is the same as per the UGC NET syllabus.
- 3. Disciplines/Subjects: In the University, there are eight Faculties viz., Faculty of Commerce, Faculty of Science, Faculty of Earth Sciences, Faculty of Humanities, Faculty of Social Sciences, Faculty of Law, Faculty of Management Studies and Faculty of Education. Various subjects are offered in these faculties and a candidate can choose his/her research area in any of the above Faculties under the supervision of an approved Research Supervisor.

Physics, Chemistry, Botany, Biotechnology, Zoology, Maths & Stats., Pharmacy and Computer

Faculty of Commerce:

Accountancy & Statistics Business Administration and Banking & Business Economics.

III. Faculty of Management Studies:

Management Studies

IV. Faculty of Earth Sciences:

Geology, Environmental Science and Geography

Faculty of Law: V.

Law

VI. Faculty of Social Sciences:

Economics, Political Science, Psychology, Journalism, Sociology, Library & Inf. Sc., Home Science and Public Administration.

VII. Faculty of Humanities:

Hindi, English, Urdu, Sanskrit, Jainology & Prakrit, Visual Arts, History, Philosopohy, Rajasthani & Music

VIII. Faculty of Education:

Education and Physical Education.

- 4. Admission Procedure: Those candidates who qualify RET are required to appear for an interview conducted by the Departmental Committee. As per the merit list prepared by the Departmental Committee, the candidates are admitted to the Ph.D. programme (as per the availability of vacancy).
- 5. Registration: The letter of registration is issued by the Dean, Post-Graduate Studies to the candidate after he/she joins the programme in the department as per the procedure.
- 6. Course Work: After joining, the candidate has to complete the faculty-wise course work conducted by the office of the Dean, P.G. Studies. The course work consists of two parts:

- 1) Regular classes for Research Methodology and ICT in which minimum 75% attendance is compulsory.
- ii) Consists of the Review Of Literature in which the candidate has to submit the hard copy which is later evaluated in the Post Graduate Research Board (PGRB) and has also to make a power point After the completion of the Part-I of course work, the Ph.D. research scholars have to appear for a candidates to clear the theory as well as practical examination of the course work. It is essential for all the percentage is 55%. The research scholar who has acquired minimum 75% of attendance in the course work can submit his/her Synopsis and Review Of Literature through proper channel to the office of has to submit a six monthly progress report duly forwarded through proper channel. The annual approved by the Departmental Committee.

7. Submission of Thesis:

The research scholar can submit his/her Doctoral Thesis not before three years from the date of registration and upto four years. However, the period can be extended by two years (1+1) after years as per the UGC norm.

8. Fee Structure:

Research Entrance Examination	₹1000/- for General & ₹ 500/- for reserved category
Joining fee	
BEETER STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO STATE OF TH	₹ 5000/-
Course Work fee	₹ 3000/-
Course Work Exam fee	₹ 500/-
Submission of Thesis	₹ 15000/-
Extension for fifth year	₹ 3000/-
Extension for sixth year	₹ 5000/-
Extension for seventh year	₹ 6000/-
Extension for eighth year	₹ 8000/-

College fee to be deposited annually in the respective colleges.

9. Evaluation of Thesis:

After submission the thesis is sent to two external examiners duly approved by the Hon'ble Vice Chancellor. After the reports are received, Viva Voce is conducted in the department. On the basis of the recommendation of the Viva Voce Committee, initially a Provisional Certificate is issued after approval of the Hon'ble Vice Chancellor and then the degree is conferred on the candidate as and when the Convocation is held.

10. The Ph.D. regulations are subject to change as per the decision of the Academic Council from time to time. Candidates are advised to visit the website for latest notifications.



2. पीएच. डी. कार्यक्रम

पीएच. डी. कार्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय संबंधित विषय में रिक्तियाँ होने पर यूजीसी नियम 2009 के अनुसार शोध प्रवेश परीक्षा (RET) आयोजित करेगा।

2. योग्यता

इस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 55 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व जनजाति विद्यार्थियों के 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। RET परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा - प्रश्न पत्र प्रथम (सामान्य प्रश्न पत्र) और द्वितीय प्रश्न पत्र (विषय आधारित), पाठ्यक्रम : पाठ्यक्रम यूजीसी नेट परीक्षा के समान होगा।

3. अनुशासन/विषय:

विश्वविद्यालय में आठ संकाय हैं जैसे - वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, पृथ्वी विज्ञान संकाय, मानविकी संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, विधि संकाय, प्रबंध अध्ययन संकाय और शिक्षा संकाय। इन संकायों में विविध उपलब्ध हैं और उपर्युक्त संकायों में विद्यार्थी अनुमोदित शोध निर्देशक के शोध निर्देशन में अपना शोध क्षेत्र चुन सकता है।

- विज्ञान संकाय : भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पित विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, प्राणि विज्ञान, गणित और सांख्यिकी, भैशज विज्ञान और कम्प्यूटर विज्ञान।
- वाणिज्य संकाय : लेखा, शास्त्र, सांख्यिकी, व्यवसाय प्रशासन, बैंकिंग एवं व्यावसायिक अथशास्त्र।
- III. प्रबंध अध्ययन संकाय : प्रबंध अध्ययन।
- IV. पृथ्वी विज्ञान संकाय : भू विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और भूगोल।
- V. विधि संकाय : विधि
- VI. सामाजिक विज्ञान संकाय : अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, पत्रकारिता, समाजशास्त्र, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, गृह विज्ञान और लोक प्रशासन।
- VII.मानविकी संकाय : हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जैन विद्या एवं प्राकृत, दृश्य कला, इतिहास, दर्शनशास्त्र, राजस्थानी और संगीत।

VIII शिक्षा संकाय : शिक्षा और शारीरिक शिक्षा।

4. प्रवेश प्रक्रिया :

जो विद्यार्थी RET परीक्षा की अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें विभागीय समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। विभागीय समिति द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को पीएच. डी. कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। (उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर)

5. पंजीयन :

प्रक्रिया के अनुसार विभाग में अपनी उपस्थिति (Joining) देने पर अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन द्वारा अभ्यर्थी को पंजीयन पत्र (registration letter) जारी किया जाएगा।

6. कोर्स वर्क :

अपनी उपस्थिति देने के बाद अभ्यर्थी को कार्यालय, अधिष्ठाता स्नातकोत्तर अध्ययन द्वारा आयोजित अपने संकायानुसार कोर्स वर्क पूरा करना होगा। कोर्स वर्क के दो भाग होंगे -

- I) शोध क्रियाविधि (Research Methodology) और सूचना प्रौद्योगिकी (ICT) इनमें न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- ii) साहित्य समीक्षा (Review of Literature) का कार्य पूर्ण कर हार्ड कॉपी में जमा कराना जो कि बाद में स्नातकोत्तर शोध सिमित (PGRB) द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा और उसी स्नातकोत्तर शोध सिमित (PGRB) के समक्ष उसका पावर प्वाइंट प्रदर्शन करना होगा न्यूनतम उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत। कोर्स वर्क के प्रथम भाग को पूर्ण करने के बाद कोर्स वर्क में पढ़ाई गई कक्षाओं पर आधारित एक परीक्षा में उपस्थित होना होगा। सभी अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क की लिखित परीक्षा की भाँति ही प्रायोगिक परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी न्यूनतम उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत।
- 5. वे शोधार्थी जिन्होंने कोर्स वर्क में न्यूमनतम 75 प्रतिशत उपस्थित अर्जित की है, वे अपना शोधसार (Synopsis) और साहित्य समीक्षा (Review Of Literature) उचित माध्यम से कार्यालय, अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन में जमा करा सकेंगे और स्नातकोत्तर शोध समिति (PGRB) के समक्ष उपस्थित हो सकेंगे।
- 6. प्रत्येक शोधार्थी को उचित माध्यम से अपना छः माही प्रगति प्रतिवेदन जमा कराना होगा। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का विभागीय समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रदर्शन करना होगा और उस समिति द्वारा अनुमोदित होने पर जमा होगा।

7. शोध प्रबंध प्रस्तुति :

शोधार्थी अपना पीएच. डी. शोध प्रबंध पंजीयन तिथि से तीन वर्ष से पूर्व जमा नहीं करा पाएगा और इसे वह चार वर्षों तक जमा करा सकेगा। यद्यपि यह अविध अनुमोदन के आधार पर दो वर्ष (1+1) तक बढ़ाई जा सकती है। (4+2=6) वर्षयूजीसी के नियमानुसार महिला अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगों के लिये अधिकतम सीमा 8 वर्ष रहेगी।

8 शुल्क संरचना :

शोध प्रवेश परीक्षा ₹1,000 सामान्य वर्ग एवं ₹500 आरक्षित वर्ग हेतु।	
जोइनिंग शुल्क	₹ 5000/-
कोर्स वर्क शुल्क	₹ 3000/-
कोर्स वर्क परीक्षा शुल्क	₹ 500/-
शोध प्रबंध प्रस्तुति	₹ 15,000/-
पाँचवे वर्ष के लिए विस्तार	₹ 3,000/-
छठें वर्ष के लिए विस्तार	₹ 5,000/-
सातर्वे वर्ष के लिए विस्तार	₹ 6,000/-
आठवें वर्ष के लिए विस्तार	₹ 8,000/-

महाविद्यालय शुल्क अपने संबंधित महाविद्यालय में प्रतिवर्ष जमा करानी होगी।

9. शोध प्रबंध का मूल्यांकन :

शोध प्रबंध जमा कराने के बाद माननीय कुलपित द्वारा अनुमोदित किए गए दो बाह्य परीक्षकों के पास मूल्यांकनार्थ प्रेषित किया जाएगा। प्रतिवेदन प्राप्ति पर विभाग में मौखिकी आयोजित की जाएगी। मौखिकी समिति की अनुशंसा पर माननीय कुलपित द्वारा अनुमोदित होने पर एक अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और दीक्षांत समारोह में उसे उपिध प्रदान की जाएगी।

10. पीएच. डी नियमों में अकादिमक परिषद के निर्णयों के आधार पर समय-समय पर परिवर्तन संभव है। विद्यार्थियों को सलह दी जाती है कि वे नवीनतम सूचनाओं के लिए समय-समय पर वेबसाइट देखते रहें।



प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया (Admission Rules and Procedures)

सामान्य सूचनाएँ (General Information)

- ग्रीष्मकाल के पश्चात् विश्वविद्यालय का शिक्षण कार्य 1 जुलाई, 2017 से प्रारम्भ होगा।
- विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रमाण-पत्रों सहित प्रवेश की घोषित तिथि तक अथवा उसके पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची आवेदन-प्रपत्र में दी गई है। अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
- विभिन्न कक्षाओं के लिए प्रवेश-सूचियाँ, प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम, शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि सहित संकाय/महाविद्यालयों/विभागीय सूचना पट्ट पर यथासमय लगा दिया जाएगा। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने प्रवेश की जानकारी हेतु संकाय/ महाविद्यालय/विभागीय सूचना पट्ट देखते रहें। इस संबंध में डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
- निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले और शुल्क नहीं जमा कराने वाले अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश के अधिकार से स्वतः ही वंचित हो जाएँगे तथा उनका नाम प्रवेश-सूची से हटा दिया जाएगा। एक बार जमा कराया गया शुल्क इस विवरणिका में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दिया जाएगा।
- स्नातकोत्तर में प्रवेश की सभी प्रक्रियाएँ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष करेंगे। विद्यार्थी उनसे ही प्रवेश सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करें।

(ख) सामान्य नियम (General Rules)

- विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वाद्धी) कक्षाओं तथा अन्य पाठ्यक्रम जिनके बारे में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी, को छोड़कर विभिन्न कक्षाओं में सभी नए प्रवेश योग्यता के आधार पर एवं सूचित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार दिए जाएँगे। विधि स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वाद्ध) कक्षाओं तथा अधिघोषित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश वरीयता/प्रवेश परीक्षा द्वारा दिया जाता है। इन कक्षाओं में प्रवेश, प्रवेश क्षमता के अनुसार वरीयता क्रम में दिए जाएँगे। प्रवेश हेतु वरीयता क्रम 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक (प्रायोगिक को छोड़कर) अंकों के आधार पर निर्धारित होगा। विधि संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश वरीयता अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों में विभिन्न सह-शैक्षणिक गतिविधियों के अधिभार अंक जोड़कर निर्धारित की जाएगी।
- किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक नियमित पूर्णकालीन उपाधि, डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों का एक साथ अध्ययन करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। यदि अंशकालीन डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का पठन-पाठन विश्वविद्यालय में सामान्य पठन-पाठन समय से भिन्न समय पर हो तो विद्यार्थी उपाधि पाठ्यक्रम के साथ एक अंशकालीन डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का एक साथ अध्ययन कर सकेगा।
- एक से अधिक उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेत् आवेदक विद्यार्थी किसी भी एक उपाधि/पाठ्यक्रम जिसमें वह अध्ययन करना चाहता है, के बारे में प्रवेश शुल्क जमा कराने की तिथि व व्यक्तिगत साक्षात्कार (Counselling) में निश्चित करना अनिवार्य होगा और दूसरे प्रवेश आवेदन को रह करना होगा अन्यथा उसे कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।
- राजस्थान राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु तभी योग्य समझा जाएगा जब अर्हक परीक्षा में उनके प्राप्तांकों का प्रतिशत 60% (प्रथम श्रेणी) से कम न हो तथा उनकी उपाधि को इस विश्वविद्यालय की उपाधि के समकक्ष माना गया हो किन्तु जिन बाहर के विद्यार्थियों ने अर्हक परीक्षा इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है उन पर एवं राजस्थान के मूल निवासी का सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र देने पर यह नियम लागू नहीं होगा। वे उच्चतर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंकों पर प्रवेश योग्य माने जाएँगे यदि उनका नाम योग्यता क्रम में आता हो एवं प्रावधान के अनुसार उन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- प्रथम वर्ष बी.कॉम./बी.ए. के वे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने 55% अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें द्वितीय वर्ष में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोडकर) के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पर प्रवेश के योग्य माने जाएँगे।
- स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध (कला और वाणिज्य) के वे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने 50% अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें स्नातकोत्तर फाइनल (कला और वाणिज्य) में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर प्रवेश मानकर कक्षा में बैठने की सुविधा दी जा सकेगी परन्तु उन्हें परीक्षा स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में ही देनी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश के योग्य माने जाएँगे।

टिप्पणियाँ:

- (i) राज्य के समस्त योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो 60% से कम प्राप्तांकों वाले राजस्थान के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है, यदि वे न्यूनतम योग्यता मानदण्ड पूरा करते हों। बिश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के अन्तर्गत भू-विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 25% तक स्थानों पर राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देना अपेक्षित है अत: यहाँ यह नियम लागू नहीं होगा।
- (ii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् उदयपुर बस जाने पर उनके बच्चों/आश्रितों को प्रवेश के मामले में स्थानीय विद्यार्थियों के समकक्ष माना जाएगा। यह नियम केवल स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष तक ही लागू होगा।
- (iii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने के अलावा किसी भी विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में नियमित/स्वयंपाठी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी को प्रथम वर्ष के इस विश्वविद्यालय के अपूर्ण पाठ्यक्रम में भी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। द्वितीय वर्ष में प्रवेश उपलब्ध विषय ग्रुप/समूहों के अनुसार ही दिया जाएगा। इन विषय ग्रुप/समूहों में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की कोई भी अपूर्णता उसे प्रथम वर्ष की परीक्षा देकर पूर्ण करनी पड़ेगी।
- (iv) यदि किसी सैनिक अधिकारी की नियुक्ति 'कुटुम्ब-विहीन स्थान' (Non-Family Posting) पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो उसे राजस्थान में उपस्थित कर्मचारी के समकक्ष माना जाएगा।
- (v)(a) किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को उसी कक्षा में अथवा उसी विषय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी कारण से महाविद्यालय में एक बार प्रवेश लेकर छोड़ने पर अगले सत्र में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम में लगातार दो वार्षिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे विश्वविद्यालय के संघटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से परीक्षा का फार्म नहीं भरता है अथवा परीक्षा में नहीं बैठता है अथवा उपस्थित की न्यूनतम आवश्यकता पूरी न होने के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाता है तो उसे अनुत्तीर्ण की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसी श्रेणी के छात्र आगामी सत्र में एक्स-स्टूडेंट के रूप में परीक्षा दे सकेंगे। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में केवल वे छात्र ही एक्स-स्टूडेंट के रूप में परीक्षा दे सकेंगे जिन्होंने पिछले वर्ष में उपर्युक्त कक्षाओं में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो और उपर्युक्त विर्णित किसी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठपाए हों।
- (b) स्नातक/स्नातकोत्तर कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि संकाय की किसी भी कक्षा में लगातार तीन अवसर प्रदान किए जाएँगे, जिनमें अनुत्तीर्ण होने पर पुन: उसी कक्षा की परीक्षा में सिम्मिलित होने की अनुमित नहीं दी जाएगी एवं ऐसे विद्यार्थी की उस पाठ्यक्रम की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। उसे पुन: उस पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा में सिम्मिलित होने की ही अनुमित दी जा सकेगी। तीन अवसर में विद्यार्थी के परीक्षा में अनुपस्थित होने वाले वर्ष की भी गणना की जाएगी। जहाँ पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, वहाँ पुन: प्रवेश परीक्षा देकर ही प्रवेश प्राप्त किया जा सकेगा।
- (c) जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष एवं एम.ए./एम.एससी./एम.कॉम. में प्रवेश चाहते हैं किन्तु उन्होंने 2016 में आयोजित अर्हक परीक्षा पास करने के बजाय उससे पूर्व आयोजित परीक्षा पास की है तथा उनके अध्ययन की निरन्तरता में अंतराल (गेप) आ गया है, ऐसे प्रवेशार्थियों को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित शपथपत्र (Affidavit) देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वे अनुत्तीर्ण छात्र नहीं हैं।
- (vi) स्नातक स्तरीय कक्षा में प्रवेश हेतु किसी विद्यार्थी को, जिसे इस विश्वविद्यालय/बोर्ड की पूरक परीक्षा देनी है, उस विषय में जिसमें पूरक परीक्षा देनी है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर उसकी योग्यता निर्धारित कर स्थान रिक्त होने पर अन्त में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश की अन्य प्रक्रिया उसे पूरी करनी होगी।
- (vii) जहाँ प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश होते हैं, वहाँ विद्यार्थी को अपने प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता के प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी को जमा कराने होंगे अन्यथा उसका नाम प्रवेश सूची में सम्मिलित नहीं होगा।
- (viii) यदि किसी विद्यार्थी को तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा में बैठना हो तो उसे सामान्यतया स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश योग्य नहीं माना जाएगा तथापि यदि समस्त योग्य विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो उसे केवल एम.ए./एम. कॉम. कक्षा में प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिस विषय में विद्यार्थी को पूरक परीक्षा देनी है उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जोड़कर योग्यता निर्धारण किया जाएगा, यदि वह न्यूनतम प्रवेश योग्यता रखता हो। एम.एससी./एल.एल.बी. स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित विद्यार्थी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।

- (ix) वे छात्र जो बी.ए./बी.एससी. स्नातक सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माने जाएँगे।
- (x) सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय वाले योग्य छात्रों के प्रवेश उपरान्त कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) के बचे हुए रिक्त स्थानों पर उन छात्रों को भी प्रवेश हेतु योग्य माना जाएगा, जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. स्नातक उपाधि गणित एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
- (xi) जिन विभागों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, <mark>डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम सं</mark>चालित हैं, उनका विवरण संबंधित विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
- (xii) एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय में दो स्थान राजस्थान के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक आवेदकों (T.R.F.) के लिए आरक्षित हैं।
- (xiii) किसी भी विद्यार्थी को आवश्यक न्यूनतम योग्यता से एक भी अंक कम होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ग) आरक्षण (Reservation)

 विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए स्थानों का निम्नलिखित प्रकार से आरक्षण रहेगा जो किसी भी दशा में 50% से अधिक देय नहीं होगा -

(I) 3	नुसूचित जातियाँ	16%
(ii) 3	नुसूचित जनजातियाँ	12%
(iii) 3	ान्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	21%
(iv) 3	ग्पंग एवं शारीरिक रूप से असक्षम वर्ग	3% (आरक्षण नीति के अनुसार)
(v) H	हिला वर्ग (केवल स्नातकोत्तर कक्षा मे)	5% (आरक्षण नीति के अनुसार)
(vi) f	वंशोष पिछड़ा वर्ग	1%
(vii) U	म. फिल. कक्षाओं में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा	2 स्थान
П	नोनीत शिक्षक (TRF) (प्रत्येक विभाग में अतिरिक्त स्थान)	

(viii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सेवा में तीन वर्ष या उससे अधिक वर्ष स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण रहेगा -

(a)	एम.एससी. (पूर्वाद्ध)	विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर	1 स्थान
(b)	एम.एससीपोलिमर विज्ञान	शैक्षणिक/शैक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर	1 स्थान
(c)	तैयार वस्त्र अध्ययन प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम	शैक्षणिक/शैक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर	1 स्थान
(d)	पुस्तकालय विज्ञान स्नातक	संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत जेटीए के लिए (सक्षम अधिकारी की अनुशंसा पर)	जेटीए के लिए आरक्षित आठ स्थानों में से एक स्थान

- (ix) सुरक्षा सेवा के निम्नांकित वर्ग के कर्मचारियों के विधवा/आश्रित बच्चे 5%
 - (अ) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य
- (ब) पूर्व सैनिक
- (स) सामान्य आरक्षित इंजीनियर

- (द) प्रतिरक्षा सेवा के पूर्व कर्मचारी
- (य) शहीद
- (x) स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के अतिरिक्त बची हुई सीटों को 50 प्रतिशत सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों के लिए होगी। अनु जाति/जजा, आरक्षित वर्गों

की मेरिट अलग बनेगी। अनु,जाति/जजा के लिए आरक्षित सीटों के 50 प्रतिशत स्थानों पर इस विश्वविद्यालय के अनु, जाति/जजा छात्रों के लिए रखी जाएगी। उचित संख्या में इस विश्वविद्यालय के अनु, जाति/जनजाति वर्ग के छात्र उपलब्ध न होने पर ये सीटें इन्हीं वर्गों के लिए (अनु.जाति/जनजाति) छात्रों को दी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने पर एवं प्रवेश की स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक के बाद यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों से भरी जा सकेंगी। आरक्षित वर्ग की एक सीट होने पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

- (xi) (अ) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए ही रहेगा। अन्य किसी प्रकार का आरक्षण इन पाठ्यक्रमों में नहीं रहेगा। (ब) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों (स्विवत्त पोषित सिहत) में अनुसूचित जाति व जनजाति अभ्यर्थियों के लिए
 - प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) आवेदन पत्र की राशि 50 प्रतिशत ही ली जाएगी।
- (xii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कर्मचारी/उनके पुत्र या पुत्री -
 - (अ) शैक्षणिक कर्मचारी

(ब) गैर-शैक्षणिक कर्मचारी

(उपर्युक्त आरक्षण का लाभ पाठ्यक्रमों के सभी सामान्य पाठ्यक्रमों में उपलब्ध होगा)।

- नोटः इस आरक्षण के अन्तर्गत किसी शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह लाभ शैक्षणेतर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को देय होगा। इसी तरह शैक्षणेतर कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने पर यह आरक्षण का लाभ शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री को भी मिलेगा। निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा मनोनीत राज्य सरकार एवं उनसे अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षक (केवल विज्ञान स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्रत्येक विषय में)
- 1स्थान (xiii) कश्मीरी प्रवासी 1%

भूटान क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यू.जी.सी. अथवा भारत सरकार के प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दस स्थान निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त आरक्षित होंगे। ऐसे प्रवेश विश्वविद्यालय की स्वीकृति के बाद ही दिए

टिप्पणियाँ :

- (i) यदि सामान्य रूप से ही किसी स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश पाने वाली छात्राओं की संख्या कक्षा की कुल क्षमता के 5% अथवा उससे अधिक हैं तो महिला वर्ग का आरक्षण वहाँ लागू नहीं होगा।
- (ii) आरक्षण के लाभ हेतु कर्मचारियों के केवल पुत्र या पुत्री ही उनके आश्रित समझे जाएँगे।
- (iii) यदि जाँच के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवेदक आरक्षित स्थान में किसी विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश के लाभ का हकदार नहीं है तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

अनुसृचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड्ग वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु

- (i) किसी भी कक्षा व पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा के उत्तीर्णांकों (बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./ऑनर्स व अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु XII कक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांकों व स्नातकोत्तर व समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. इत्यादि परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक) पर इन्हीं वर्गों की मेरिट के क्रम में प्रवेश दिया जाएगा।
- (ii) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जाएगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- (iii) विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी संकायों और विभागों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व डिप्लोमा में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा।
- (iv) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा तथा समस्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित अन्. जाति/जनजाति के छात्रों के लिए प्रवेश हेतु स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक के बाद रिक्त आरक्षित स्थानों पर सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को प्रवेश की अन्य समस्त शर्तें पूरी करने पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (v) यदि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे के लिए पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो पुन: नवीन आवेदन पत्र मांगने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को सूचना दी जाएगी। जहाँ प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है वहाँ नवीन आवेदन पत्र

- प्रवेश परीक्षा के पूर्व मांगे जाएँगे। तथापि प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अपरिवर्तित रहेगी।
- (vi) अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में से किसी भी एक वर्ग के रिक्त स्थानों को (अनुसूचित जाति व जनजाति) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश देकर भरा जाकर कुल आरक्षित स्थान भरे जा सकेंगे।
- (vii) विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम व डिप्लोमा के लिए जहाँ प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) निर्धारित है वहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) के लिए पात्रता पिछली कक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (विधि प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) के लिए पात्रता पिछली कक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (विधि स्नातक के लिए 40%) (Pass Marks) के आधार पर होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जाएगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बचे हुए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम निर्धारित अंक (Cutoff Point Marks) नहीं रखते हुए इन्हीं की वरीयता क्रम में निम्नगामी क्रम (Descending Order) में आरक्षण कोटे के पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जाएगा।
- (viii) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक व स्नातकोत्तर (प्रीवियस एवं फाइनल) स्तर पर वैकल्पिक विषयों व ग्रुप को उनकी वरीयता के विषय आरक्षण प्रतिशत के अनुसार दिए जाएँगे। प्रत्येक वैकल्पिक विषय व ग्रुप में आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 16% जनजाति के लिए 12% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% नियमानुसार रखा जाएगा।
- (ix) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) को राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रवेश में 21% आरक्षण देय होगा।
- (x) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में (स्ववित्तपोषित सहित) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test) की राशि 50 प्रतिशत ही ली जाएगी।
- (घ) योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भारण (Relaxation and Weightage in Determination of Merit)
- (क) बी.बी.एम., एम.बी.ए., विधि संकाय, पुस्तकालय विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान प्रवेश परीक्षा एवं सभी अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोई रियायत एवं भारण देय नहीं है।
- (ख) अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विशेष गुण सम्पन्न विद्यार्थियों, जिनमें खिलाड़ी/एन.सी.सी. कैडेट बी एवं सी सिर्टिफिकेट आदि सिम्मिलित हैं उन्हें योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भारण प्रदान किए जा सकते हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त एवं अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रथम प्रवेश के समय निम्नानुसार लाभ दिया जा सकेगा, बशर्तें अभ्यर्थी ने यह उपलब्धि विगत तीन वर्षों में प्राप्त की हो। एन.सी.सी. 'ए' सिर्टिफिकेट धारकों के लिए यह अविधि विगत चार वर्ष मानी जाएगी। निम्नांकित तालिकानुसार रियायत/भारण अंक उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रदान किए जाएँगे।

1.1 खेलकूद (Games and Sports)

THE STANGE COMMENTED FOR THE STANGE COMMENTED				
	उपलब्धि	लाभ		
(क)	भारत सरकार के मानव संसाधन एवं समाज द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।		
(ख)	अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।		
(刊)	विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।		
(घ)	अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5% की वृद्धि		
(ক্ত)	सम्बन्धित खेल के सरकार द्वारा गठित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5% की वृद्धि।		

	उपलब्धि	लाभ
(亩)	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय क्रीड़ा परिषद् अथवा संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता, दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।
(छ)	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा खण्ड/जिलास्तर पर आयोजित खेलकूद में स्कूल प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद या संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।
(ज)	केन्द्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित जोन स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।
(झ)	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में जोन का प्रतिनिधित्व या राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।

(I) उपर्युक्त अंक : लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को नियमानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा जिसके अभाव में उक्त लाभ देय नहीं होगा।

वर्ग जिनका प्रमाण-पत्र मान्य होगा -

- (1) क, ख, एवं ग हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आवंटित संबंधित विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद् और राज्य क्रीड़ा परिषद् एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्य खेल प्रमाण पत्र।
- (2) घ विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्।
- (3) ङ राज्य क्रीड़ा परिषद्।
- (4) च एवं छ उपनिदेशक स्तर अधिकारी/ विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्/निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त।
- (5) ज एवं झ आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त एवं उपनिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
- (ii) उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे -(1) एथेलेटिक्स, (2) जलीय (स्वीमिंग, डाइविंग एवं वाटर पोलो), (3) बेडिमन्टन (4) बास्केट बॉल, (5) शतरंज, (6) क्रिकेट, (7) साईकिल चलाना, (8) फुटबॉल (9) हॉकी (10) कबड्डी (11) खो-खो (12) टेबिल टेनिस (13) टेनिस (14) बॉलीबाल (15) हैण्डबॉल (16) कुश्ती (17) भारोत्तोलन, (18) जिम्नास्टिक (19) जूड़ो (20) मुक्केबाजी (21) तीरंदाजी (22) योगासन (23) सॉफ्ट बॉल (24) शूटिंग (25) कयाकिंग व केनोइंग (26) ताईक्वाडों (27) स्केवश भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्य सभी खेल।

1,2 एन,सी,सी,

53	उपलब्धि	लाभ
(क)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या एन,सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ख)	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सर्वश्रेष्ठ कैंडेट का पुरस्कार।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।

उपलब्धि	लाभ
(ग) निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना। (i) गणतंत्र दिवस कैम्प (ii) अखिल भारतीय एडवान्स लीडरशिप कैम्प (iii) पैरा जिम्पंग कोर्स (iv) आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान(20,000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग (v) छात्र/छात्रा विंग में सी सिटिंफिकेट बी ग्रेड के साथ प्राप्ति (vi) छात्र/छात्रा विंग में सी सिटेंफिकेट ए ग्रेड के साथ प्राप्ति (vii) स्नोस्कीइंग कोर्स (viii) सीनियर अण्डर ऑफिसर रैक पर नियुक्त	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।

Smith.

गणतंत्र दिवस की किसी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले को, अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित गणतंत्र दिवस की किसी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान पाने पर, पैरा जिम्पंग कोर्स में स्काई डाइविंग कोर्स पूर्णकर्ता शिविर में किसी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान पाने पर, पैरा जिम्पंग कोर्स में स्काई डाइविंग कोर्स पूर्णकर्ता कैडेट को, एडवेंचर माउण्टेनेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेयरिंग कोर्स करने वाले को और सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड सिहत उत्तीर्ण कैडेट को प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित हेतु एक प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात् चार प्रतिशत का लाभ देय होगा।

(घ) निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर

- (i) ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग केम्प
- (ii) छात्र/छात्रा विंग का सर्टिफिकेट
- (iii) छात्र/छात्रा बी एवं सी ग्रेड के साथ
- (iv) ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स
- (v) कम से कम तीन सप्ताह के अटेचमेन्ट कोर्स
- (vi) वाटर स्कीइंग कोर्स
- (vii) जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए सर्टिफिकेट धारी
- (viii) अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति
- (ix) अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित वायुसेना कैम्प, नौ सेना कैम्प, थल सेना कैम्प।

प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।

1.3 पर्वतारोहण

	उपलब्धि	लाभ
(क)	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(週)	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुँच।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।

	उपलब्धि	लाभ
(ग)	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा एडवांस कोर्स।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि
(ঘ)	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि

1.4 राष्ट्रीय सेवा योजना

	उपलब्धि	लाभ
(क)	प्रवेश के पूर्ववर्ती 2 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय एन.एस.एस. पुरस्कार से पुरस्कृत स्वयंसेवक।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ख)	प्रवेश के पूर्ववर्ती 2 वर्षों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड/राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर में तथा 2 विशेष शिविरों में सम्मिलित एवं 240 घण्टों का सेवा कार्य हो।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 4% की वृद्धि।
(ग)	राज्य स्तर व महाविद्यालय पर आयोजित 2 विशेष शिविरों में 240 घण्टे का सेवा कार्य	2 प्रतिशत की वृद्धि।

1.5 रोवर स्काउट-गाइड

	उपलब्धि	लाभ
(क)	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधत्व अथवा अखिल भारत स्काउट गाईड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में गत 5 वर्ष की सेवा अविध में रोवर के नियमित सदस्य अथवा गत दो वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्राप्त।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ख)	राज्य स्काउट-गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्वकर्ता यदि गत 2 वर्ष की अवधि में रोवर/रेंजर समागम में नियमित सदस्य हो।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।
(ग)	गत दो वर्ष में राज्य कमिश्नर से प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र प्राप्त अथवा गत दो वर्ष में रोवर/रेंजर मीटर में तीन पताकाएँ प्राप्तकर्ता दल में सम्मिलित अथवा पर्वतारोपण का आधारभूत कोर्सकर्ता।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।

	ie topi in tonara.	
	उपलब्धि	लाभ
(क)	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीयता वीरता पुरस्कार से सम्मनित किया गया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्घारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ख)	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5% की वृद्धि।
(ग)	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप-विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।
	गी : उपर्युक्त (ख) व (ग) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किस् आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा। (उपर्युक्त कार्यक्रम प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।)	and the second s
(घ)	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता/जिला अथवा सम्भाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।

टिप्पणी:

- (1) नियम 1.1 से 1.6 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की न्यूनतम पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं है।
- (2) न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर सीधे प्रवेश के लिए योग्य विद्यार्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों के साथ एक शपथ-पत्र भी लगाना होगा जिसको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराना है। भारण समिति (Weightage Committee) के समक्ष उपस्थिति के समय उनकी पात्रता तय की जाएगी।
- (3) उपर्युक्त लाभ प्राप्त अभ्यार्थी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। प्रमाण-पत्र बाद में स्वीकार नहीं किए जाएँगे या ऐसे प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। मूल प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित संस्थान से प्रमाणीकरण के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित होगा।

- (4) उपर्युक्त नियम 1.1 से 1.6 में वर्णित लाभों में से किसी एक उपलब्धि (जो भी अधिकतम) का लाभ अभ्यर्थी को देय होगा, वाहे वह कितनी भी गतिविधियों में सम्मिलित क्यों न हो।
- (5) उक्त उपलब्धि एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक ही बार लाभ देय होगा।
- नोट : सीधे प्रवेश योग्य (Out-Right) विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय/ग्रुप में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त स्थान दिया जा सकता है।
- प्रवेशार्थियों के रियायत/भारण अंक सम्बन्धी मामलों की जाँच के लिए केन्द्रीय समिति (Central Committee for Verification of Cases for Concessions, Weightage etc.)
- (i) कुलपित द्वारा गठित समिति रियायत/बोनस अंक प्राप्त करने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों के मामलों की जाँच करेगी। रियायत/भारण चाहने वाले सभी विद्यार्थी अपने आवेदन-पत्र सभी प्रपत्रों सिहत इस समिति को प्रस्तुत करेंगे और इस समिति की संस्तुति के पश्चात ही प्रवेश समिति द्वारा उनके प्रवेश निश्चित किए जाएँगे।
- (2) सीधे प्रवेश योग्य (Outright) प्रत्याशियों की पात्रता, साक्षात्कार, मूल प्रमाण पत्र एवं शपथ के प्रमाणीकरण के आधार पर तय होगी। ऐसे प्रत्याशियों को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश/जिलाधीश से अपना शपथ-पत्र/मूल प्रमाण-पत्र प्रमाणित करा प्रवेश हेतु प्रस्तुत करना होगा। किसी भी स्तर पर आयोज्य आमंत्रण प्रतियोगिता के प्रमाण-पत्र भार अंक हेतु विचार योग्य नहीं माने जाएँगे।
- (च) प्रवेश प्रक्रिया

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएँ होंगी -

- 1.(अ)प्रवेश सम्बन्धी विज्ञप्ति (Admission Notification) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने के पूर्व कुल सचिव/अधिष्ठाता प्रवेश सम्बन्धी अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे। अधिसूचना में विभिन्न पाठ्यक्रम, प्रवेश स्थान, आवश्यक योग्यता, आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि एवं आवेदन पत्र किस अधिकारी को प्रस्तुत करना है, आदि के सम्बन्ध में सूचना रहेगी। अधिसूचना की प्रतियाँ महाविद्यालयों/विभागों के सूचना पट्ट पर भी लगाई जाएगी।
- (ब) प्रवेशार्थ आवेदन-पत्रों का वितरण (Distribution of Application Forms) आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mlsu.ac.in पर ऑनलाइन (online) भरा जाएगा। भरे हुए आवेदन पत्र की एक प्रति मय आवेदन फीस रु. 100/- की रसीद के साथ में अंतिम तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाएँ। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम प्रवेश सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा क्यों कि इसके अभाव में डेटा का सत्यापन संभव नहीं होगा।
- 2. आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि (Last Date for submitting Application Form) पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से सूचित की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में अथवा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रमों में कुछ स्थान रिक्त रहने की स्थिति में आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। तथापि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 3. प्रवेश अयोग्य विद्यार्थी (Candidates not eligible for Admission) निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विभागों/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु योग्य नहीं होंगे।
- (i) वे आवेदक जिनके विरुद्ध विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संघटक महाविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी अथवा शिक्षक अथवा उसके कारण कर्मचारी ने पुलिस में अधिकृत रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो और उन्हें उसके कारण सजा हुई हो या किसी अन्य प्रकार दण्डित किया गया हो।
- (ii) वे आवेदक, जो किसी फौजदारी मुकदमें में दोषी पाए गए हों अथवा जो न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किए गए हो या जिन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो।
- (iii) वे आवेदक, जिन्होंने सम्बन्धित प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा उससे पूर्व विश्वविद्यालय के अध्यापक/अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया हो तथा जिन्होंने परीक्षा में अनुचित साधन आदि का प्रयोग किया हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय के किसी विभाग/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश से वर्जित किया गया हो/या अन्य प्रकार से दिण्डत किया गया हो।
- (iv) वे आवेदक, जिन्होंने संतापन (Ragging) जैसी घृणित, जघन्य एवं अमानवीय गतिविधियों में भाग लिया हो तथा जिन्हें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3/21/शिक्षा ग्रुप.111/83, दिनांक 3 जुलाई, 1984 के अनुसार दण्डित किया गया हो।

- (v) यदि किसी आवेदक की शारीरिक अक्षमता किसी विशिष्ट विषय की पढ़ाई-लिखाई में बाधक हो सकती है तो उस विषय में उसे प्रवेश देने से मना किया जा सकता है।
- आवेदकों को निर्देश (Instructions for Applicants)
- सभी प्रविष्टियाँ आवेदक द्वारा स्वयं भरी जानी चाहिये तथा सभी दृष्टियों से पूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई प्रविष्टि लाग नहीं हो तो 'लागू नहीं' लिखिए। प्रविष्टि खाली छोड़ने पर आवेदन-पत्र अपूर्णता के आधार पर निरस्त किया जा सकता
- सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन-पत्र उसमें बताए गए प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित महाविद्यालय/संकाय/ 2. कार्यालय में व्यक्तिगत या डाक द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक तक पहुँच जाना चाहिए।
- नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि माध्यमिक शिक्षा प्रमाण-पत्र के अनुसार होनी चाहिए।
- रेल तथा बस के किराये की रियायत केवल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित लम्बे अवकाश के समय ही, आवेदक के स्थायी पते वाले स्थान, जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लिखित है, के लिए दी जाएगी।
- निवास का पूर्ण पता देना है। यदि पते में परिवर्तन हो तो कार्यालय को तुरन्त सूचित करना है।
- परिचय पत्र प्रवेश की कार्रवाई पूरी होने पर दिया जाएगा।
- प्रवेश सूची महाविद्यालय/संकाय/सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। प्रवेश पाए हुए छात्रों को निर्धारित दिनांक तक शुल्क अवश्य जमा कराना होगा, अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- गलत घोषणा एवं प्रमाण पत्र देने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा उसे महाविद्यालय से निकाल 8. दिया जाएगा।
- स्नातकोत्तर पूर्वोर्द्ध कक्षा में जो आवेदक एक से अधिक विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक अतिरिक्त विषय में प्रवेश के लिए स्नातक कक्षाओं के तीनों वर्षों की सत्यापित अंकतालिकाओं सहित अलग आवेदन पत्र भरना होगा। प्रवेश होने पर विद्यार्थी उसी विषय में प्रवेश शुल्क जमा कराए जिसमें वह अंतिम रूप से प्रवेश लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसका अन्य विषयों में प्रवेश निरस्त माना जाएगा।
- आवेदक की घोषणा (Declaration by the Applicant) प्रवेश के समय प्रत्येक प्रवेशार्थी यह घोषित करेगा कि -
- मुझे किसी फौजदारी मुकदमें में सजा नहीं हुई है अथवा किसी फौजदारी मुकदमें के सम्बन्ध में मुझे जमानत पर रिहा नहीं किया गया है।
- (ii) किसी भी न्यायालय में मेरे विरुद्ध फौजदारी का अथवा नैतिक अधमता का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।
- (iii) मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय ने अथवा संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय के अधिष्ठाता/आचार्य ने अथवा अन्य सक्षम अधिकारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं कराई है और न उसके लिए मुझे कोई दण्ड दिया गया है।
- (iv) गत सत्र में मैंने अनुशासनहीनता व परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग आदि का कोई कृत्य नहीं किया है।
- (v) उपर्युक्त सूचनाओं में से यदि कोई झूठी निकलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया
- (vi) प्रवेश के पश्चात् भी यदि मैं (i) से (v) तक किसी प्रवृत्ति में लिप्त पाया गया तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन प्रभाव से रद्द कर दिया जाए।
- आवेदन पत्र जमा कराना (Depositing of Application Forms) उन सभी प्रवेशार्थियों को जो नवीन पाठ्यक्रम में अथवा उसी पाठ्यक्रम में अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे की कक्षा में प्रवेश चाहते हैं अथवा पूरक परीक्षा में बैठ रहे हैं एवं अगली कक्षा में प्रवेश चाहते हैं तो अपना आवेदन-पत्र सभी दृष्टियों से पुरा कर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करा देना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र यदि तिथि न बढ़ाई गई तो रद्द कर दिए जाएँगे। प्रवेशार्थं दिए गए आवेदन-पत्र एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किए जाएँगे। साथ ही प्रवेश के बाद एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किए जाएँगे। अलग-अलग आवेदन-पत्र सम्बन्धित प्रपत्रों सहित सम्बन्धित विभागों/महाविद्यालय में देने होंगे।
- आवेदन-पत्र के साथ लाए जाने वाले प्रपत्र (Documents to be brought with Application Form) प्रत्येक नवीन प्रवेश के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना रंगीन फोटो एवं निम्नलिखित प्रपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ साथ लानी होगी।

अर्हक परीक्षा/परीक्षाओं की अंकतालिका/तालिकाएँ। एम.ए./एम.कॉम. पूर्वोर्द्ध में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपियाँ लगाएँ। (1) अतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।

(3) अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से चरित्र प्रमाण पत्र।

- (3) अति। उच्च माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र, जिसमें
- यदि आवेदक शुल्क में रियायत का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

यदि आवेदक आरक्षित स्थानों पर प्रवेश का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

रियायत अथवा योग्यता निर्धारण हेतु दिए गए बोनस अंक का यदि आवेदक पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र। अंतिम अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं आवेदन पत्र देने में एक अथवा उससे अधिक वर्षों का अंतर हो तो अंतर के सम्बन्ध में वांछित स्पष्टीकरण दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित शपथपत्र देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों

यदि आवेदक नौकरी में हो तो सम्बन्धित नियोजक का अनापत्ति एवं अच्छे व्यवहार व चरित्र का प्रमाण पत्र।

- (10) आवेदक एवं उसके माता-पिता/अभिभावक द्वारा इस आशय की घोषणा कि आवेदक नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहेगा तथा ऐसा कोई पूर्णकालिक व्यवसाय ग्रहण नहीं करेगा जिसमें उसके नियमित अध्ययन में बाधा पड़े। ्रिव्यणियाँ :
- यदि आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में से प्रवेश की आवश्यकतानुसार किसी प्रपत्र को उपलब्ध करने में असमर्थ रहता है तो उसका आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा। मूल प्रपत्र भी मांगे जा सकते हैं तथा उन्हें कुछ समय तक रोका जा सकता है।
- आवेदन-पत्र के साथ नहीं दिया गया योग्यता एवं आरक्षण आदि को प्रमाणित करने वाला प्रपत्र बाद में स्वीकार नहीं होगा एवं आरक्षण/बोनस अंक/शुल्क में रियायत के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र भरते समय प्रार्थी ने . यदि आरक्षण, रियायत अथवा अतिरिक्त अंक भार नहीं चाहा तो उसे कोई आरक्षण रियायत एवं अंक भार नहीं दिया जाएगा।
- (iii) प्रवेश समिति के संयोजक आवेदन पत्र के साथ दिए गए प्रपत्र के आधार पर ही योग्यता का निर्धारण करेंगे। शुल्क निर्धारण हेतु आवेदक माता-पिता/अभिभावक की आय स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।
- आवेदन-पत्रों का पंजीकरण (Registration of Application Forms) महाविद्यालय/विभाग के अधिष्ठाता/अध्यक्ष के कार्यालय में प्रवेशार्थ दिए गए आवेदन-पत्रों की सम्बन्धित सहायक लिपिक द्वारा प्रारम्भिक जाँच <mark>के पश्चात् पंजीकरण किया जाएगा। तत्पश्चात् ये आवेदन-पत्र विभिन्न कक्षाओं</mark>/विभागों में प्रवेश हेत् गठित समितियों को अग्रेषित कर दिए जाएँगे।
- 9. प्रवेश समिति (Admission Committee) किसी संकाय में प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा किए गए आवेदन-पत्र प्रवेश समिति द्वारा एक साथ विचारार्थ लिए जाएँगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश समिति का गठन संघटक महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए सम्बन्धित संकाय समन्वयक/विभागों के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
- 10. प्रवेश प्रक्रिया (Procedure of Admission)
- उन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, सभी प्रवेश योग्यता के आधार पर किए जाएँगे। प्रवेश के लिए योग्यता का निर्धारण अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक तथा नियमानुसार होने वाले भार अंक एवं समय-समय पर सूचित किए गए अन्य प्राप्त नियमों के आधार पर होगा।
- (ii) विज्ञान संकाय स्नातकोत्तर (पूर्वाद्धी) कक्षा में प्रवेश के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंकों एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक परीक्षा (प्रायोगिक को छोड़कर) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।
- (iii) प्रत्येक श्रेणी के निर्धारित स्थान के लिए अलग-अलग योग्यता सूचियाँ बनाई जाएँगी। प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों से पहले प्रवेश निश्चित किए जाएँगे एवं बचे हुए आवेदकों के नाम यदि कोई हो तो उन्हें सामान्य योग्यता सूची में योग्यता के अनुसार स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

- (iv) प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत गठित किए गए समन्वयकों के कार्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वीर्द्ध के प्रवेश की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी -
- स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध (कला संकाय के सभी विषय) में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के आवेदन-पत्र स्वीकार करना। इसके लिए केन्द्र पर दो काउन्टर होंगे। एक काउन्टर पर रियायतें एवं भारण चाहने वाले अन्य सभी आवेदन-पत्र जमा होंगे तथा दूसरे काउन्टर पर बिना रियायत एवं भारण चाहने वाले अन्य सभी आवेदन पत्र जमा होंगे।
- 2. रियायतें एवं भारण चाहने वाले प्रत्याशी आवेदन पत्र कार्य दिवस में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ सम्बन्धित संकाय की वेटेज कमेटी के समक्ष उपस्थित होंगे। समिति के समक्ष अनुपस्थित रहने पर आवेदन-पत्र पर रियायत एवं भारण देय नहीं होगा।
- 3. वेटेज समिति को मूल प्रमाण-पत्रों में प्रमाणीकरण और प्रत्याशी से व्यक्तिगत साक्षात्कार के उपरान्त देय रियायतें एवं भारण उसके आवेदन-पत्र पर अंकित कर प्रतिदिन के आवेदन-पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति को भिजवाना है। सीधे उत्तीर्णांक पर प्रवेश लेने वालों के मूल प्रमाण-पत्र प्रमाणीकरण के लिए कार्यालय में जमा किए जाएँगे। इसके साथ इन्हें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणीकृत शपथ-पत्र भी जमा कराना होगा।
- 4. प्रवेश सिमिति, प्रतिदिन प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों को कम्प्यूटर में डेटा एन्ट्री अपने कार्यालय में कराएगी एवं प्रिण्ट आउटपुट का मूल आवेदन-पत्र की प्रविष्टियों से जाँच करती रहेगी। डेटा एन्ट्री एवं जाँच का कार्य आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि के अगले दो दिन तक पूर्ण कर लेना होगा।
- 5. आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के आरक्षित स्थानों हेतु विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि पूर्व घोषित सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से तीन दिन बाद की होगी।
- 6. ऐसे विज्ञापन के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों की डेटा एन्ट्री व जाँच कार्य सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि के चौथे दिन तक परा कर लिया जाएगा।
- 7. प्रत्येक केन्द्र पर योग्यता वरीयता क्रम के (स्नातक कक्षाओं हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार शतमक-परसेंटाइल आधार पर) अनुसार तथा प्रथम विषय वरीयता क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी की समस्त प्रत्याशी सूची आवेदन-पत्र जमा करने की सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से 4 दिन बाद सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी।
- 8. योग्यता वरीयता क्रम की प्रसारित सूची के अनुसार व्यक्तिगत प्रवेश प्रक्रिया का परामर्श कार्यक्रम सूचना पट्ट पर लगाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन को बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों का विवरण उल्लिखित होगा। उसी क्रम से प्रत्याशी अपने अपेक्षित मूल प्रमाण-पत्रों, स्व सत्यापित प्रतिलिपियों एवं आवश्यक शुल्क आदि लेकर परामर्श के लिए प्रवेश समिति के समक्ष निर्धारित केन्द्र पर निश्चित दिन व समय पर उपस्थित होंगे। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने वाले प्रत्याशियों का प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त माना जाएगा।
- 9. समस्त परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त तथा निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात् यदि किसी श्रेणी में किसी केन्द्र पर स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें भरने के लिए योग्यता प्रवेश सूची में सम्मिलित किन्तु अवसर से वंचित प्रत्याशियों को परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित होने पर एक अन्तिम अवसर और दिया जा सकेगा। यह अवसर केवल उन प्रत्याशियों को दिया जाएगा जिनके पुनर्विचार के लिए लिखित में आवेदन-पत्र उनकी पूर्व में निर्धारित परामर्श तिथि के दो दिन के भीतर केन्द्र में प्राप्त हो चुके होंगे। आवंटित विषय परिवर्तन हेतु भी लिखित रूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इसी पुन: परामर्श प्रक्रिया में विचार किया जाएगा।
- 10. यह अन्तिम पुनः परामर्श प्रवेश प्रक्रिया पूर्व में आरम्भ हुई परामर्श प्रक्रिया के दिन के आठ दिन बाद दो दिन में पूरी कर ली जाएगी और अन्तिम प्रवेश सूची का प्रसारण सभी महाविद्यालयों में करने के साथ ही विश्वविद्यालय में कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को वह सूची प्रेषित कर दी जाएगी।
- 11. परामर्श प्रवेश प्रक्रिया के दिन प्रत्याशी को पूर्ण शुल्क का ड्राफ्ट/नकद केन्द्र पर ही जमा कराना होगा।
- 12. समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् किसी कारणवश यदि कोई स्थान रिक्त रहता है तो उसके लिए आवेदन पत्रों के अभाव में पुन: आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा सकते हैं। किन्तु यह प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर प्रवेश समिति द्वारा पूरी कर ली जाएगी।
- (v) विधि सम्बन्धित समस्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया
- विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश भारत विधिज्ञ परिषद् (Bar Council of India) के नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अधीन होंगे तथा रियायतों एवं भार (Concession & Weightage) से मुक्त होंगे।

- विधि स्नातक (एलएल,बी. त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष के लिए प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्रवेश परीक्षा/वरीयता के आधार पर कक्षा की क्षमता तक प्रवेश दिए जा सकेंगे। कक्षा की कुल क्षमता 120 (स्ववित्त पोषित 60) विद्यार्थी हैं।
- अविश परीक्षा देने के लिए वे ही विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य, विज्ञान, औषधि, प्रौद्योगिक, कृषि अथवा अन्य किसी विषय में स्नातक की उपाधि (10+2+3) पद्धति से अथवा उपर्युक्त किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (10+2+3) पद्धित से स्नातक के बाद) में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किए हैं। राजस्थान के बाहर के प्रवेशार्थियों पर प्रवेश सामान्य नियम संख्या 4 लागू होगा।

- (ii) इस बुलेटिन के अन्य कोई प्रावधान होते हुए भी किसी विद्यार्थी को विधि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस जुरान मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से विधि महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश की पात्रता अर्जित नहीं की
- ह। यदि किसी अभ्यर्थी का उपर्युक्त विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है तब भी वह प्रवेश परीक्षा दे सकेगा किन्तु प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र तभी माना जाएगा जबकि वह प्रवेश के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेगा तथा उसका प्रवेश उपर्युक्त नियम 2 के अधीन होगा।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत प्राप्तांक केवल विधि प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवेदन करने की योग्यता है,

- स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित एवं पुनर्मूल्यांकन कराने वाले प्रवेशार्थी प्रवेश के योग्य नहीं 6.
- 7.(i) किसी विद्यार्थी के आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांकों से एक भी अंक कम होने पर उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। विधि स्नातक के लिए अजा, जजा, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता पिछली परीक्षा के पास अंक (40%) रहेगी। विवरणिका में उल्लिखित तथा संबंधित निर्देशानुसार आरक्षण दिया जाएगा।

(ii) सभी पाठ्यक्रमों में (स्विवत्त पोषित सहित) अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test)

- ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी विभाग (सरकारी अथवा गैर-सरकारी) में कार्यरत हो उनको विधि संकाय में प्रवेश तब ही दिया जाएगा जबकि वे अपने नियोजक से इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें कि वे उदयपुर नगर की सीमा में कार्यरत हैं। उदयपुर नगर की सीमा के बाहर कार्यरत विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उदयपुर नगर में कार्यरत विद्यार्थियों को बिना उपर्युक्त प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र तथा प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र महाविद्यालय से निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित तिथि पर प्राप्त किए जा सकेंगे।
- 10. भारत की विधि परिषद् की अपेक्षा की पालना के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इस विवरणिका में कोई बात इसके विपरित होते हुए भी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय विधि स्नातक की परीक्षा देने पर विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि उनकी वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् तीन सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कराकर आगे की कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित कर लें। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। परीक्षा में असफल घोषित होने पर उनको नियमानुसार शुल्क वापस किया जा सकेगा।
- 11. विधि स्नातक का पाठ्यक्रम जो तीन वर्ष का है यदि कोई विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण नहीं होता है और विश्वविद्यालय के प्रोन्नत (Promoted) के नियमों के अनुसार द्वितीय वर्ष विधि में प्रवेश पा लेता है लेकिन विधि पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में उसे प्रवेश तभी दिया जाएगा जबकि वह पूर्ण रूप से प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हो चुका हो।
- 12. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 13. विधि पाठ्यक्रम बार कौन्सिल के नियमों के अध्याधीन है। अत: 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी तथा उसे उपस्थिति की कमी के बारे में सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाएगी। नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थिति के बारे में जानकारी रखने की उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vi) एम.ए. के लिए योग्यता निर्धारण एम.ए. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के निर्धारण हेतु जिस विषय में अभ्यर्थी प्रवेश चाह रहा है उस विषय में उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों को बी.ए. के प्राप्तांकों को जोड़कर योग्यता का निर्धारण किया जाएगा। प्रवेश के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार प्रवेशार्थी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करें। प्रवेश हेतु उन्हीं संकाय के स्नातक डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों की योग्यता वरीयता का निर्धारण 5% अतिरिक्त अंक

देकर दिया जाएगा। इसके लिए प्रवेशार्थ न्यूनतम योग्यता आवश्यक है। एम.कॉम. में प्रवेश बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. /बी.बी.एम. में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर ही देय होगा।

- (vii) प्रपत्रों की मूल प्रति जमा कराना (Depositing of Original Documents) विभिन्न कक्षाओं में प्रविष्ट प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक प्रपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने के पश्चात् ही शुल्क/डी डी. जमा कराके उनके प्रवेश को निश्चित किया जाएगा।
- 11. वैकल्पिक विषय एवं लघु शोध प्रबन्ध (Optional Subjects & Dissertation) जिन ऐच्छिक विषय/विषयों को विद्यार्थी लेना चाहता है उसका उल्लेख आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। किसी कक्षा में ऐच्छिक विषयों को योग्यता के आधार पर उन आवेदकों को दिया जाएगा, जो उन विषयों को लेने के इच्छुक हैं। कक्षा में विषय की क्षमता तक ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में ऐच्छिक विषय व्यक्तिगत परामर्श के उपरान्त दिए जाएँगे, जिनमें सामान्यतया परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी. पूर्वार्द्ध परीक्षा में यदि किसी विद्यार्थी ने 55 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं तो उत्तरार्द्ध परीक्षा के लिए सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रावधान के अनुसार एक ऐच्छिक प्रश्न पत्र के स्थान पर लघ् शोध प्रबन्ध (Dissertation) को विभाग द्वारा वांछित सुविधा उपलब्ध होने पर ही अनुमित दी जा सकेगी। (अजा/जजा
- 12. विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति व जनजाति के जिन विद्यार्थियों का आरक्षण कोटे के भरने के बाद भी प्रवेश नहीं होता है, ऐसे विद्यार्थी अगर उदयपुर के किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके आवेदन पत्र स्थानीय महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किए जा सकेंगे।
- 13. प्रवेश का निरस्तीकरण (Cancellation of Admission) अघोलिखित परिस्थितियों में आवेदकों का प्रवेश संस्थाध्यक्ष द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है आवेदक द्वारा किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया हो एवं गलत जानकारी/तथ्य दिए गए हों।
- यदि आवेदन-पत्र पर माता या पिता अथवा अभिभावक आदि के जाली हस्ताक्षर किए गए हों।
- (iii) यदि जाली प्रपत्र/प्रमाण-पत्र संलग्न किए गए हों।
- (iv) यदि आवेदक पूरक परीक्षा या अन्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए जिसके आधार पर उसे आगे की कक्षा में अस्थायी प्रवेश दे दिया गया हो।
- (v) यदि आवेदक को संस्था/न्यायालय द्वारा किसी अनुशासनहीनता या अपराध के लिए दण्डित किया गया हो।
- (vi) परिस्थितिजन्य अन्य कोई समुचित कारण/आदेश होने पर ।
- 14. पाठ्यक्रम को स्थगित करना (Suspension of Course of Study) यदि किसी पाठ्यक्रम को पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध न हो पाए तो विद्यार्थियों को प्रवेश दे देने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय द्वारा उस पाठ्यक्रम को स्थगित किया जा सकता है। यदि किसी नवीन पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या स्नातक पाठ्यक्रम में 10, ऑनर्स में 5 एवं स्नातकोत्तर में 3 न हो तो उस पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रविष्ट विद्यार्थी यदि अन्य पाठ्यक्रम के पात्र हो तो उन्हें उसमें जाने की अनुमति अथवा प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।
- 15. उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मुल्यांकन पर उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Candidates qualifying on Reevaluation of Answer-Books) किसी नियमित विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मृत्यांकन के परिणामस्वरूप अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे आगे की कक्षा में तभी प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र देने की अनुमित दी जा सकती है यदि वह पुर्नमूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर आवेदन पत्र दें। ऐसे विद्यार्थी के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जाएगा यदि जिस कक्षा में वह प्रवेश का इच्छुक है उसमें स्थान रिक्त हो एवं उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत योग्यता क्रम में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्रतिशत से कम न हो। प्रवेश से वंचित विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में नियमानुसार अपना अध्ययन कर सकेंगे।
- 16. पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Students Qualifying at Supplementary पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक तभी प्रवेश ले सकेंगे, जब सभी योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद स्थान रिक्त हो एवं नियम 7 के अधीन वे योग्यता सूची में आते हों। निर्धारित तिथि वही होगी जो पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए हैं तथा यह सुविधा केवल स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए है।

17. राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों से आने वाले छात्रों का प्रवेश (Admission of Students coming from other

प्राजस्थान राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके उपाधि प्रदान की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की श्रेणी का निर्धारण उनके द्वारा विश्वविद्यालय में द्वितीय एवं की तृतीय वर्ष में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा। किन्तु तृतीय वर्ष की कक्षा में प्रवेश किसी भी परिस्थित में नहीं दिया जाएगा।

18. अतिरिक्त विषय/समूह ग्रुप की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश (Admission of Students Appearing in

Additional Subjects Group)
किसी विषय की स्नातकोत्तर पूर्वोर्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसी विषय के किसी अतिरिक्त विषय समूह में बैठने के इच्छुक विद्यार्थी को कक्षा में रिक्त स्थान होने पर नियमित प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को केवल अतिरिक्त विषय/समूह की अंकतालिका ही दी जाएगी।

19. प्रवेश वर्जित

- (i) अन्य महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों को संबंधित महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश देय नहीं हैं।
- 20. प्रवेश सम्बन्धी सामान्य टिप्पणियाँ
- (I) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी आधिकारिक रूप से प्रवेश का हकदार नहीं होगा। विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश की पात्रता होने पर भी किसी विद्यार्थी को बिना कारण बताए प्रवेश से वर्जित किया जा सकता है।
- (ii) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का प्रवेश रह किया जा सकता है, यदि वह विश्वविद्यालय अधिनियम व उपनियमों की धाराओं का अथवा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की आज्ञाओं का उल्लंघन अथवा किसी अपराध के लिए दण्डित हुआ हो अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त हो अथवा यह पाया जाए कि उसने प्रवेश के लिए गलत जानकारी अथवा प्रपत्र दिए हैं।
- (iii) एम.बी.ए. पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर पाठ्यक्रम, विधि संकाय के पाठ्यक्रमों, विद्यावाचस्पति (Ph.D.) तथा डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जिनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं, उनको कृपया अलग से देखें।
- (iv) अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नियम इस विवरणिका में उल्लिखित तथा संबंधित निर्देशानुसार लागू रहेंगे।
- 21. प्रवेश अधिकारी

स्नातक स्तर के सभी प्रवेश समन्वयक/अधिष्ठाता द्वारा किए जाएँगे तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश समन्वयक/विभागाध्यक्ष द्वारा किए जाएँगे। विशेष पाठ्यक्रमों के प्रवेश अधिकृत संचालक द्वारा किए जाएँगे। इस संबंध में निर्णय का इन्हें विश्वविद्यालय के नियमों तथा निर्णयों के अन्तर्गत सम्पूर्ण अधिकार होगा।

22. Special Rules Regarding Foreign Students

A. ADMISSION

- 1. Candidates who obtain required qualifications from outside India and are now willing to join any course with the University must first apply to Association of Indian Universities (AIU) Delhi for equivalence certificate, having obtained such certificate, they should apply for eligibility letter for admission to the University. In order to obtain eligibility letter for admission to Ph.D. Programme, the candidate must also submit approved synopsis of Ph.D. by a recognised supervisor, along with the application.
- In respect of students who produce letter of admission eligibility from this University, the Indian mission abroad will issue Student Visa/Research Visa.
- 3. The foreign students seeking admission to any course of the University including Ph.D. should apply through their Embassy/High Commission. Those who have passed their qualifying examination from a University within India (other than MLSU) should also apply under intimation to their embassy/high commission. They also have to submit migration certificate within one month from the date of provisional admission.

- A foreign national shall be eligible for admission to any course of this University provided A foreign national shall be eligible for admission to any course of this University provided A foreign national shall be eligible for admission to the qualifying examination. This rule, however, he/she has obtained minimum 60% marks in the qualify their graduation from this University. he/she has obtained minimum 60% marks in the qualify their graduation from this University, will not apply in case of those candidates who qualify their graduation from this University. will not apply in case of those candidates who qualify the second and the second will not apply in case of those candidates who qualify the second will not apply in case of those candidates.

 5. For admission to First Year of Three Year Degree Course in any faculty, only those candidates.

 5. For admission to First Year of Three Year Degree Course in any faculty, only those candidates.
- shall be eligible who had English as a subject in their qualifying examination. shall be eligible who had English as a subject in their quality and some standard of the Science as a subject in their qualification of the Three-Year Degree Course in science faculty, only those For admission to First Year of the had General Science as a subject in their qualification. shall be engible who had General Science as a subject in their qualifying candidates shall be eligible who had General Science as a subject in their qualifying
- examination.

 The Dean, P.G. Studies will decide the cases for Ph.D. enrollment of foreign students in
- Consultation with the International Students' Advisor.

 The foreign students are required to submit a Medical Fitness Certificate from the specified.

 The foreign students are required to submit a fitne of their admission. They will also submit as the time of their admission.
- The foreign students are required to submit a Medical College, Udaipur for ICMB authority by the Ministry of Home at the time of their admission. They will also submit an AIDs authority by the Ministry of Home at the time of the Ministry of Home at the M 9. Residential permit granted for studies and entry-visa for more than six months will be treated at
- par with student visa.

 10. All foreign students seeking admission to this University should be apprised that the medium of
- instruction in the University is generally Hindi at the Undergraduate level. instruction in the University is generally find the struction of the struction in the University is generally find the struction of the st
- All toreign students will be admitted, it still to appear as a Non-Collegiate (Private) college concerned. Foreign students are not eligible to appear as a Non-Collegiate (Private) candidate at any examination of this University.
- candidate at any examination of this candidate at any examination of the candidate at any examination of the candidate at a candidate at any examination of the candidate at a candidate a class only two more times, in the immediate successive sessions. He/she shall not be entitled t_0 become Ex-student in any case. In case he/she does not pass any class within three years, he/she will have to go back to his/her country.
- 13. The University shall not accept any admission on transfer and/or allow to change his/her admission from other educational institutes/from any other University into this University during packaged programme of study.
- 14. A foreign student is required to submit a copy of the registration with Criminal Investigation Department, Udaipur after he/she is admitted.
- 15. Foreign students are required to submit all original documents for verification to the Head of the Institution while seeking admission in the college concerned.
- 16. Students who fail to furnish the required documents at the time of admission, their admission shall remain provisional for a period not beyond 31 December every year. Thereafter provisional admission shall be cancelled by the University/Institution and the matter shall be reported to the Ministry and Embassy concerned.

B. FEE (Revision under consideration)

Tuition Fee

Rs. 340 per month
Rs. 440 per month
Rs. 540 per month
Rs. 800 per month
Rs. 9600 per year

University shall charge Rs. 100 (One Hundred only) as eligibility verification fee on admission. University
University
Fees under all other heads charged from local students, shall be payable by foreign students at

C. DISCIPLINE Foreign students are required to maintain good conduct during the course of studies in the University and are to act according to the advice of the Dean Students Welfare, International University

Students Advisor, Head of the Institution concerned and other University authorities. Otherwise, disciplinary action shall be taken as per provisions in the Information Bulletin of Otherwise, Otherwise, They shall not participate in local politics and local franchise except Students' Union Election wherein they will be eligible to cast vote only.

The student shall make payment of college fee and University dues on the prescribed dates.

If a foreign student remains absent from the class for one month continuously, his/her admission will stand cancelled and he/she will be no more a student of the college.

MISCELLANEOUS

D. In case, a foreign student desires to leave for abroad during the course of study, he/she should obtain No Objection Certificate from the Head of Institution/Department and immediately on return, he/she should submit a certificate of medical fitness to the concerned Institution/Department.

So long as the student is not registered for any course, the University authorities will not issue a bonafide student certificate to him.

3. The Head of the Institution/Dean P.G. Studies will send the details of the foreign students, mmediately after their admission, to the Registrar and the International Students' Advisor.


All other rules and regulations for local students shall apply for foreign students also.





4. उपस्थिति नियम (Attendance Rules)

- विश्वविद्यालय के समस्त नियमित पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रतिवर्ष आयोजित कुल कालांशों(जिनमें ट्यूटोरियल्स तथा प्रायोगिक कालांश सम्मिलित है) की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- 2. प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वर्तमान उपस्थिति नियमों एवं उनमें समय-समय पर किए गए रूपान्तरणों एवं परिवर्तनों से आबद्ध होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपनी उपस्थिति के बारे में स्वयं सम्बन्धित प्राध्यापकों से जानकारी प्राप्त करेगा एवं अपने प्रत्येक विषय
 के प्रश्न-पत्र के अनुसार उपस्थिति का विवरण रखेगा। यह जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की होगी।
- 4. जो छात्र संस्थान/विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के अनुमत सह-पाठ्यक्रम गितिविधियों, जैसे खेल-कूद, गणतंत्र दिवस परेड, शैक्षणिक यात्रा आदि में प्रतिनिधित्व करने के लिए महाविद्यालय/जिला स्तर पर भेजे गए उन्हें उपर्युक्त गितविधियों के कारण अनुपस्थिति के समय में कक्षा में दिए गए व्याख्यान के बराबर उपस्थिति का लाभ दिया जाएगा, इसमें यात्रा के दिन भी सिम्मिलित किए जाएँगे परन्तु यह सुविधा एक शैक्षणिक वर्ष की कुल अविध में अधिकतम 15 अनुपस्थिति के दिनों के लिए ही दी जाएगी। उपस्थिति के संदर्भ में उपर्युक्त छूट के अतिरिक्त और कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।
- 5. जो विद्यार्थी अपेक्षित उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है उस विद्यार्थी का नाम सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा छात्रा एवं उसके माता/पिता को सूचित किया जाएगा। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 6. जो परीक्षार्थी उपर्युक्त अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जाएगा।
- 7. ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अपेक्षित उपस्थित की कमी के कारण उन पाठ्यक्रमों में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सिम्मिलत होने से रोका गया है, जिनमें स्वयंपाठी (Non-collegiate) परीक्षार्थी के बैठने का विधान है, उन विद्यार्थियों को उसी वर्ष, स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की अनुमित दी जा सकती है, यदि वे इसके लिए लिखित आवेदन करें और शेष आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दें।





5. शल्क (Fees)

शिक्षण शुल्क जुलाई से जून तक बारह महीनों के लिए अग्रिम किश्त में महाविद्यालय अधिष्ठाता को निर्धारित तिथि पर देव होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर शुल्क नहीं जमा करा पाता है तो उसे अधिष्ठाता को विलम्ब के कारणों को बताना होगा। यदि अधिष्ठाता कारणों के औचित्य से संतुष्ट होते हैं तो शुल्क जमा कराने की अनुमति दे सकते हैं। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क प्रवेश के समय देय होंगे।

গ্রিপ্তা সুল্ক (Tuition Fee)

1	कक्षा	आयकर न देने वाले के आश्रित	ATTERNATION OF THE PARTY OF THE
1.	स्नातक कक्षाएँ त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	₹ 110/- प्रतिमाह ₹ 145/- प्रतिमाह	आयकर देने वाले के आश्रित ₹ 165/- प्रतिमाह ₹ 220/- प्रतिमाह
2.	स्नातकोत्तर कक्षाएँ छात्र	₹ 220/- प्रतिमाह	₹ 330/- प्रतिमाह

ट्यणियाँ

- 1. निम्नलिखित श्रेणी के सभी विद्यार्थियों से उचित प्रमाण-पत्र की उपलब्धि पर कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा-
- (i) स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय छात्राएँ।
- (ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थी।
- (iii) पूर्व सैनिक जो स्थायी रूप से असमर्थ हो गए हो और राजस्थान में बस गए हों, वे स्वयं अथवा उनके आश्रित छात्र तथा भारतीय सीमाओं पर हुए युद्धों में मृतक सैनिकों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान में बस गए हों (अन्य सैनिकों को कोई शुल्क छूट उपलब्ध नहीं होगा)।
- (iv) सन् 1971 के भारत पाक युद्ध में मारे गए अथवा स्थायी रूप से असमर्थ हो गए राजस्थान से सम्बन्धित सेना/सीमा सुरक्षा बल/सशस्त्र पुलिस के सदस्यों के बच्चे अथवा पत्नी। (इस श्रेणी के छात्रों से परिचय-पत्र शुल्क छोड़कर शेष स्थानीय शुल्क भी नहीं लिए जाएँगे।)
- (v) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के आयकर नहीं देने वाले कर्मचारियों के संरक्षित। (कोई भी विद्यार्थी जिसके पिता जीवित है और अपंग नहीं है, के संरक्षक उसके पिता ही होंगे। पिता के अपंग होने अथवा मृत होने पर उसका सगा भाई/अविवाहित बहिन/माता उसके संरक्षक होंगे।)
- (vi) सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं राजस्थान राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्हें नियमानुसार आगे पढ़ने की अनुमित मिली हुई है एवं आयकर नहीं देते हैं।
- (vii) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित परिवारों के बच्चे (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)।
- 2. विद्यार्थी के अनुचित व्यवहार एवं अनुचित आचरण का दोषी पाए जाने पर उपर्युक्त रियायतें तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगी।
- विद्यार्थी शुल्क की रसीदों को सुरक्षित रखें। एन,सी.सी. का गणवेश, पुस्तकालय पाठक कार्ड आदि शुल्क की रसीद दिखाने पर ही दिया जाएगा।

4. विद्यार्थी को यह रियायत सेना के अभिलेख कार्यालय अथवा पुलिस अधिकारियों से 'एन्टाइटलमेन्ट पत्र' प्रस्तुत करने पर अनुजेय होगी। रियायत स्थायी रूप से असमर्थ स्वयं सदस्यों, जो विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहते हैं, को भी उपलब्ध होगी।

ऐसी शुल्क मुक्ति का पुनर्भरण महाविद्यालय शिक्षा निदेशक, राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 4 (2) शिक्षा जी.आर. 11/72, दिनांक 4.4.73 के अन्तर्गत किया जाएगा।

5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के दृष्टिबाधित विद्यार्थी निम्न शुल्क के भुगतान से मुक्त होंगे -

(क) शिक्षण

(ख) परीक्षा

(ग) पुस्तकालय अवधान द्रव्य

(घ) पुस्तकालय

(च) क्रीड़ा

(छ) विद्यार्थी सहायता

2. अन्य शुल्क (Other Fees)

2.	अन्य	शुल्क (Other rees)	1
	1.	प्रवेश शुल्क	₹ 110/- (केवल नए विद्यार्थियों से)
	2.	प्रयोगशाला शुल्क	
		(विज्ञान एवं कला संकाय में प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के लिए)*	
		स्नातक कक्षा तक	₹ 330/- प्रतिवर्ष
		स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए	₹ 385/- प्रतिवर्ष
	3.	नामांकन शुल्क**	₹ 275/- प्रतिवर्ष
	4.	योग्यता शुल्क	
	(i)	राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	₹ 220/- एक बार
	(ii)	राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि.	₹ 550/- एक बार
		एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर)	
	5.	एलीमेन्ट्री कम्प्यूटर एप्लीकेशन	₹ 550/- प्रतिवर्ष
		(केवल द्वितीय वर्ष के नियमित विद्यार्थियों से)	
	6.	एम.ए. (उत्तराद्धी)/एम.लिब.	₹ 1045/- प्रतिवर्ष
		(कम्प्यूटर एप्लीकेशन ऐच्छिक प्रश्न-पत्र)	

3. स्थानीय शुल्क (Local Fees)

1. क्रीड़ाशुल्क	₹200/- प्रतिवर्ष
2. स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क	₹150/- प्रतिवर्ष
3. वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	₹65/- प्रतिवर्ष
4. विषय/संकाय परिषद् शुल्क	₹55/- प्रतिवर्ष
5. मनोरंजन शुल्क	₹35/- प्रतिवर्ष
6. विकास शुल्क	₹ 185/- प्रतिवर्ष

परिचय पत्र शुल्क	₹ 45/- प्रतिवर्ष
छात्रसंघ शुल्क (महाविद्यालय)	₹90/- प्रतिवर्ष
छात्रसंघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	₹45/- प्रतिवर्ष
ე. छात्रसंघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	
। छात्रसंघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹75/- प्रतिवर्ष
2. मुक्त प्रणाली (वाचनालय)	₹ 45/- प्रतिवर्ष
3. छात्र सहायता निधि शुल्क	₹55/- प्रतिवर्ष
	₹45/- प्रतिवर्ष
4. वाहन स्टेण्ड शुल्क	₹ 55/- प्रतिवर्ष
5. वाहन स्टेण्ड शुल्क (स्वयंपाठी छात्रों से परीक्षा के दौरान)	₹ 55/- प्रतिवर्ष
6. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	₹55/- प्रतिवर्ष
7. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹30/- प्रतिवर्ष
8. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	₹ 220/- एक बार
9. प्रयोगशाला अवधान द्रव्य (वापस देय)	₹ 220/- एक बार
0. वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ	₹65/- प्रतिवर्ष
1. शैक्षणिक भ्रमण शुल्क	₹ 330/- प्रतिवर्ष
(जहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित है।)	
2. केन्द्रीय पुस्तकालय शुल्क	₹ 110/- प्रतिवर्ष
(केवल स्नातकोत्तर विद्यार्थियों से)	
23. परिसर स्वछता शुल्क	₹ 100/- प्रतिवर्ष
24. नेतृत्व कौशल विकास शुल्क	₹ 100/- प्रतिवर्ष

* कला संकाय में संगीत, भूगोल, चित्रकला, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा भाषा प्रयोगशाला में प्रयोगशाला शुल्क लिया जाएगा।

उन विद्यार्थियों से जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन होना है।

. एम.फिल. शुल्क (M.Phil. Fees)

1.	शिक्षण शुल्क	₹ 440/- प्रतिमाह
	प्रवेश शुल्क	₹ 330/- प्रतिवर्ष
	क्रीड़ा शुल्क	₹220/- प्रतिवर्ष
	स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क	₹110/- प्रतिवर्ष
	वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	₹110/- प्रतिवर्ष
		₹65/- प्रतिवर्ष
	मनोरंजन शुल्क	र 660/- प्रतिवर्ष
	विकास शुल्क	

 पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क 	१ 220/- प्रतिवर्ष
9. परिचय-पत्र शुल्क	१ 65/- प्रतिवर्ष
10. छात्र सहायता निधि शुल्क	१ 65/- प्रतिवर्ष
	र 100/- प्रतिवर्ष
11. वाहन स्टेण्ड शुल्क	१ 110/- प्रतिवर्ष
12. विषय/संकाय परिषद् शुल्क	₹ 90/- प्रतिवर्ष
13. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	
14. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹65/- प्रतिवर्ष
15. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	₹ 320/- एक बार
16. छात्र-संघ शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 130/- प्रतिवर्ष
17. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	₹65/- प्रतिवर्ष
18. छात्र-संघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 130/- प्रतिवर्ष
19. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹65/- प्रतिवर्ष
20. वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ	₹110/- प्रतिवर्ष
21. केन्द्रीय पुस्तकालय शुल्क	₹ 110/- प्रतिवर्ष
5. विद्यावाचस्पति शुल्क	
 पंजीकरण शुल्क (विश्वविद्यालय में) 	₹ 5,000/- एक बार
2. शिक्षण शुल्क (केवल छात्रों से)	₹4,000/- प्रतिवर्ष
(महाविद्यालय में)	
3. परीक्षण शुल्क (थीसिस प्रस्तुत करते समय)	₹ 15,000/- एक बार
(विश्वविद्यालय में)	

शोध विद्यार्थी को पंजीयन आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय विवरणिका उपलब्ध करवाई जाएगी। शोध छात्र द्वारा पंजीकृत होने की तिथि से शुल्क देय होगा। प्रवेश के समय निम्नांकित स्थानीय शुल्क भी जमा करना होगा।

स्थानीय शुल्क

1. प्रवेश शुल्क	₹ 330/- एक बार
2. वाचनालय शुल्क	₹ 165/- प्रतिवर्ष
3. छात्र सहायता निधि शुल्क	₹55/- प्रतिवर्ष
4. परिचय-पत्र शुल्क (RFID/Smart Card)	₹ 110/- प्रतिवर्ष
5. साईकिल स्टेण्ड शुल्क	₹ 110/- प्रतिवर्ष
6. प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान संकाय)	₹ 330/- प्रतिमाह
(गणित व सांख्यिकी को छोड़कर)	

्र छात्र-संघ शुल्क (महाविद्यालय)	
ज्यान-मंघ चनाव शल्क (महाविद्यालक)	₹75/- प्रतिवर्ष
न्य ग्रांग शालक (विश्वविद्यालय)	₹ 45/- प्रतिवर्ष
0. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 75/- प्रतिवर्ष
	₹ 45/- प्रतिवर्ष
1. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 65/- प्रतिवर्ष
2. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 45/- प्रतिवर्ष
3. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	₹ 220/- एक बार
4. प्रयोगशाला अवधान द्रव्य (विज्ञान संकाय में)	₹330/- एक बार
5. पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	₹ 145/- प्रतिवर्ष
6. विकास शुल्क	₹ 495/- प्रतिवर्ष
7. विषय/संकाय परिषद् शुल्क	₹65/- प्रतिवर्ष
8. केन्द्रीय पुस्तकालय शुल्क	₹110/- प्रतिवर्ष
9. परिसर स्वच्छता शुल्क	₹100/- प्रतिवर्ष
्र नैतृत्व कौशल विकास शुल्क	₹ 100/- प्रतिवर्ष
याँ:	ALL MANAGEMENT AND

- विश्वविद्यालय के संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी से, जो विद्यावाचस्पित की उपाधि हेतु पंजीकृत होते हैं, शिक्षण तथा प्रयोगशाला शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्हें केवल प्रवेश एवं पंजीकरण शुल्क देना होगा।
- 2. आई.सी.पी.आर., यू.जी.सी., आई.सी.एस.एस.आर. इत्यादि की शोध योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहे शोध छात्रों को जो विद्यावाचस्पति के लिए पंजीकृत हैं और यदि वे अधिष्ठाता की पूर्वानुमित से विभाग के शिक्षण कार्य में आवश्यक कालांश का शिक्षण कार्य करते हैं तो उन्हें शिक्षण शुल्क से मुक्ति दी जाएगी।
- अध्यापक शोधकर्ता (Teachers Research Fellow) जो संकाय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करते हैं, के लिए शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
- छात्राओं के लिए भी शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।

टि

- 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के शोधकर्ता के लिए शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
- 6. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आश्रितों को जो कि विद्यावाचस्पति के लिए पंजीकृत है, शिक्षण शुल्क से मुक्ति या पुनर्भरण देय नहीं है।
- 7. अवधान द्रव्य जो देय है, की राशि महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर यदि छात्र द्वारा वापस नहीं ली गई तो अदेय होकर विश्वविद्यालय के लिए व्ययगत (Lapse) हो जाएगी।
- 8. विवरणिका में इंगित शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस देय नहीं होगा।
- परिचय पत्र खो जाने पर दूसरी प्रति के लिए ₹ 100/- शुल्क देना होगा। स्मार्ट कार्ड की दूसरी प्रति के लिए शुल्क ₹200/- देना होगा।
- ^{10.} शोधार्थी प्रतिवर्ष सभी प्रकार के अपेक्षित शुल्क रजिस्ट्रेशन तिथि से एक माह के भीतर जमा कराएगा अन्यथा ₹ 500 . प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा अन्यथा अधिकतम प्रतिवर्ष ₹ 1000 विलम्ब शुल्क देय होगा।

- (1.) पीएच.डी कार्यक्रम में जिन छात्रों को प्रवेश मिलता है विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय कार्यालय में उपस्थित दर्ज कराने के लिए एक महीने के अन्दर महाविद्यालय शुल्क जमा कराना होगा।
- (2.) महाविद्यालय शुल्क जमा कराने के लिए उपस्थिति पत्र शोध निर्देशक के हस्ताक्षर और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।
- (3.) यदि कोई शोधार्थी एक वर्ष से अधिक समय तक महाविद्यालय शुल्क नहीं जमा कराता है तो उसका पंजीयन निरस्त हो जाएगा।
- (4.) पंजीकरण के द्वितीय वर्ष के पश्चात् महाविद्यालय शुल्क उन्हीं शोधार्थियों से प्राप्त की जाएगी जिन्होंने सम्बंधित विभागाध्यक्ष से वार्षिक प्रतिवेदन जमा करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।
- उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वतंत्रता सैनानी के वार्ड से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- 12. ऐसे विद्यार्थी जो अपनी पीएच. डी. सम्पूर्ण कर जमा करना रहे है। वार्षिक शिक्षण शुल्क, वे रजिस्ट्रेशन की दिनांक से एक माह की अवधि में यदि अपना शोध ग्रंथ (Thesis) जमा करवाते हैं तो शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
- 6. शुल्क वापसी (Refund of Fees)
- (क) विद्यार्थी द्वारा जमा कराए गए समस्त शुल्क में से ₹ 1000/- (एक हजार रुपये) प्रवेश प्रक्रिया का काटकर पुन: तभी लौटाया जा सकेगा जब उसने अन्य महाविद्यालय में नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो तथा प्रवेश की अंतिम तिथि तक उसको आवंटित की गई सीट किसी अन्य विद्यार्थी द्वारा भर ली गई हो।
- (ख) जिस विद्यार्थी को किसी प्रलेख के प्रस्तुत नहीं करने के कारण अस्थायी प्रवेश दिया गया है और वह निर्धारित अविध में उस प्रलेख को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रवेश रह होने पर उसका अवधान द्रव्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।
- (ग) यदि किसी विद्यार्थी को पूरक परीक्षा अथवा अन्य किसी भी कारण से अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाता है परन्तु बाद में पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा अन्य कारण से अगली कक्षा में प्रवेश के अयोग्य घोषित होने के कारण उसका अगली कक्षा का प्रवेश निरस्त हो जाता है तो उसके द्वारा अगली कक्षा के लिए जमा कराया गया शुल्क 500 रूपये काट कर लौटा दिया जायेगा।
- (घ) शुल्कों की वापसी के लिए सभी कार्रवाई प्रत्येक सत्र में अक्टूबर माह के पश्चात् ही होगी परन्तु विद्यार्थी द्वारा वर्ष के अंत तक इस राशि की मांग नहीं करने पर वह राशि व्ययगत (Lapse) हो जाएगी।
- 7. परीक्षा से सम्बन्धित अन्य शुल्क

1.	नामांकन	₹250/-
2.	योग्यता शुल्क	
	(i) राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	₹ 300/- एक बार
	(ii) राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि.	₹ 600/- एक बार
	एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर)	
3.	माइग्रेशन प्रमाण पत्र	₹200/-
4.	वरीयता प्रमाण पत्र	₹100/-
5.	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	₹100/-
6.	बाह्य विद्यार्थियों के परीक्षा फार्मों का अग्रेषण	₹20/-
7.	चरित्र प्रमाण पत्र/नियमित छात्र प्रमाण पत्र	₹20/-
8.	प्रोविजनल प्रमाण पत्र	₹100/-

	पुनर्मूल्यांकन शुल्क - स्नातक स्तर	
9.	पुनमूल्यांकन शुल्क - स्नातकोत्तर स्तर पुनर्मूल्यांकन शुल्क - ऑनलाइन	₹350/- प्रति पेपर
10.	_{अविदन} पत्र शुल्क - ऑनलाइन	₹400/- प्रति पेपर
11.	आवेदन पत्र सुर्वा	₹50/-
	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	₹1200/- प्रतिपेपर
1.2+	हुप्लिकेट अंकतालिका स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर प्रति कक्षा(परीक्षा 2009 से)	₹600/-
14.	हुप्लिकेट अंकतालिका स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर प्रति कक्षा (परीक्षा 2008 व इसके पूर्व की)	₹1200/-
	हु प्लिकेट प्रोविजनल प्रमाण पत्र	₹600/-
16	हुप्लिकेट माइग्रेशन प्रमाण पत्र	₹400/-
10.	_{डु} प्लिकेट डिग्री	₹1500/-
1/.	सत्यापन प्रमाण पत्र (प्रति प्रमाण-पत्र)	
18.	ट्रान्सक्रिप्ट (प्रति पार्ट व प्रति कॉपी)	₹500/-
19.	अतिरिक्त शुल्क (परीक्षा प्रक्रिया) वार्षिक एवं सेमेस्टर	₹600/-
20.	Marian di anti anti anti anti anti anti anti ant	₹250/- प्रति वर्ष/ सेमेस्टर

*परीक्षा शुल्क समय-समय पर बढाई जाएगी व परीक्षा फार्म भरते समय उसका निर्धारण किया जाएगा। परीक्षा शुल्क का निर्धारण (online)परीक्षा फार्म भरते समय किया जाएगा जिसकी सूचना तत्समय उपलब्ध कराई जाएगी।

परीक्षा आवेदन पत्र (Admission Card)

परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क तथा प्रलेखों के साथ प्राप्त होने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसकी जांच की जाएगी तथा उसके सम्_{चित} पाए जाने पर परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा में बैठने क्रे लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रवेश पत्र खो जाने अथवा नष्ट होने के बारे में परीक्षा नियंत्रक/केन्द्राध्यक्ष के संतुष्ट होने पर ₹ 10 के भुगतान पर दूसरी प्रति दे दी जाएगी।

10. छात्रावास शुल्क (Hostel Fees)

छात्रावास सम्बन्धी शुल्कों के लिए छात्रावास विवरण का अवलोकन करें।

11. विधि महाविद्यालय शुल्क विवरण

(क) शिक्षण शुल्क (जुलाई-जून)

-	स्नातक	
	आयकर देने वाले अथवा उनके वार्ड	₹440 प्रतिमाह
	आयकर न देने वाले अथवा उनके वार्ड	₹330 प्रतिमाह
-	डिप्लोमा श्रम विधि	
	आयकर देने वाले अथवा उनके वार्ड	₹440 प्रतिमाह
	आयकर न देने वाले अथवा उनके वार्ड	₹385 प्रतिमाह
_	निष्णात	₹660 प्रतिमाह

टिप्पणी : विदेशी छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क आयकर देने वालों की श्रेणी के शुल्क का पाँच गुणा होगा।

1		
(ख) स्थानीय	शलक

(~)	रवा ।। व शुरुका	
1,	वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	₹65 प्रतिवर्ष
2,	छात्र सहायता निधि शुल्क	₹45 प्रतिवर्ष
3.	पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	₹55 प्रतिवर्ष
4.	विकास शुल्क	₹ 185 प्रतिवर्ष
5.	साईकिल स्टेण्ड नियमित विद्यार्थी	₹55 प्रतिवर्ष
6,	परिचय पत्र शुल्क	₹ 45 प्रतिवर्ष
7.	मनोरंजन शुल्क	₹35 प्रतिवर्ष
8,	छात्र न्यायालय (मूटकोर्ट) शुल्क	₹ 165 प्रतिवर्ष

9.	वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ शुल्क	₹ 65 प्रतिवर्ष
10.	पुस्तकालय निधि (वापस देय)	
	अ- स्नातक	₹ 385 (प्रवेश के समय)
	ब- निष्णात (एलएल.एम./डिप्लोमा इन लेबर लॉ)	₹715 एक बार
11.	कीड़ा शुल्क	₹ 200 प्रतिवर्ष
12.	स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क	₹ 150 प्रतिवर्ष
13.	छात्रसंघ शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 90 प्रतिवर्ष
14.	छात्रसंघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	₹45 प्रतिवर्ष
15.	छात्रसंघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹75 प्रतिवर्ष
16,	छात्रसंघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹45 प्रतिवर्ष
17.	पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	₹55 प्रतिवर्ष
18,	पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 30 प्रतिवर्ष
19.	प्रेक्टिकल डायरी, टाई एवं लीगल कैम्प	₹ 275 प्रतिवर्ष
20.	तकनीकी जर्नल एवं साफ्टवेयर फीस	₹165 प्रतिवर्ष
21.	विस्तार व्याख्यान माला शुल्क	₹ 550 प्रतिवर्ष
(ग)	अन्य शुल्क	
	प्रवेश शुल्क	₹ 110 (केवल नए विद्यार्थियों)
	नामांकन शुल्क*	₹275 प्रतिवर्ष
	योग्यता शुल्क**	
	(i) राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	₹ 220/- एक बार
	(ii) राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि.	₹ 550/- एक बार

^{*} केवल उन्हीं से लिया जाएगा जो विश्वविद्यालय में पहले से नामांकित नहीं हुए हो।

एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर)

नोट:

- 1. शुल्क विश्वविद्यालय के विवेकाधिकार पर समय-समय पर पुनरीक्षित अथवा उपान्तरित किए जा सकते हैं।
- 2. सभी शुल्क प्रवेश के समय लिए जाएँगे।
- 3. अवधान द्रव्य (कॉशन मनी पुस्तकालय सहित) की राशि महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर विद्यार्थी द्वारा वापस नहीं ली गई तो विश्वविद्यालय को व्ययगत हो जाएगी और वापस देय नहीं होगी।
- 4. परिचय-पत्र खो जाने पर दूसरी प्रति के लिए ₹ 100 शुल्क लिया जाएगा।
- 5. जुर्माना सिहत बकाया (एरियर्स) पुन: प्रवेश शुल्क ₹ 5 के भुगतान पर काटे गए नाम को पुन: लिखना अधिष्ठाता के विवेकाधिकार में होगा।
- 6. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निम्न श्रेणी के विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 - (a) स्नातक भारतीय छात्राएँ राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 13(25)शिक्षा-1/77, दिनांक 27.12.89, सु.वि.वि. पृ.क्र. 13/(37)/सामान्य/1994-1701, दिनांक 9.1.1990 तथापि पूर्ववत स्ववित्तपोषित व्यावसायिक एवं विस्तारित (Extended) पाठ्यक्रमों में अन्य शुल्कों के साथ-साथ शिक्षण शुल्क भी लिया जाता रहेगा।
 - (b) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (क्रीमिलेयर को छोड़कर) विद्यार्थियों से।
- 8. परीक्षा शुल्क के साथ प्रति परीक्षार्थी ई-सुविधा शुल्क ₹ 100/- लिया जाएगा।

^{**} राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों से नामांकन शुल्क के अतिरिक्त।



6. सामान्य अनुशासन नियम (General Discipline Rules)

- मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामान्य अनुशासन के नियम विश्वविद्यालय तथा इसके सभी संघटक एवं सम्बद्ध
- महाविकार परिभाषाएँ : सामान्य अनुशासन विद्यार्थियों द्वारा अच्छे व्यवहार की अनुपालना है। अनुशासनहीनता में निम्नलिखित व्यवहार 2.
- उपस्थिति में लगातार अनियमितता, सामूहिक रूप से कक्षाएँ छोड़ना और प्रदत्त कार्य में लापरवाही करना। (西)
- कक्षा-कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकूद के मैदान, महाविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय (回) करा। और विश्वविद्यालय परिसर में अशांति उत्पन्न करना या बाधा डालना या उपद्रव करना।
- विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी के नियमानुसार आदेशों, नियमों की अवज्ञा करना तथा उन्हें चुनौती देना। (11)
- सभी प्रकार की जाँच परीक्षाओं, परीक्षा-कार्यों, पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा सह-पाठ्यक्रम सम्बन्धित कृत्यों, विद्यार्थी संघों से (国) सम्बन्धित विश्वविद्यालय के चुनावों इत्यादि में दुराचरण, दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का उपयोग करना।
- विञ्वविद्यालय, महाविद्यालय/संस्थान के शैक्षणिक, शैक्षणेतर कर्मचारियों अथवा विञ्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान के (3.) वैधानिक घटकों के किसी सदस्य अथवा किसी सहपाठी के प्रति दुर्व्यवहार या दुराचरण करना।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की सम्पत्ति (जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें तथा सामयिक पत्रिकाएँ भी सम्मिलित हैं) को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाना अथवा उन पर कुचित्र अंकित करना, अपशब्द लिखना अथवा उनका कोई अन्य दुरुपयोग
- भ्रामक प्रचार या अफवाहें फैलाना/भड़काना या उकसाना। (50)
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रांगण या परिसर में नशीला पेय या मादक पदार्थ/सामग्री का उपयोग करना। (ज)
- मांगने पर परिचय पत्र प्रस्तुत करने से इंकार करना। (댉)
- अध्ययन काल में परिसर या परिसर के बाहर अपराध या किसी प्रकार के आपराधिक/ दण्डनीय कृत्यों में लिप्त होना। (죄) उपर्युक्त मद 2 (ख) में उल्लेखित विश्वविद्यालय स्थानों में अपने पास अस्त्र-शस्त्र रखना।
- किसी अवसर पर छद्म व्यक्तिता (Impersonation) (到)
- उपर्युक्त कृत्यों में से किसी के भी संबंध में अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करना/उकसाना।
- नोट: परीक्षाओं तथा छात्रावासों से संबंधित अनुशासनहीनता के संबंध में अनुशासन सम्बन्धी सामान्य नियमों के साथ छात्रावासों/ परीक्षाओं में अनुचित साधनों तथा अव्यवस्थित व्यवहार के मामले के लिए निर्धारित नियम लागू होंगे।
- अनुशासन पर्यवेक्षण (Supervision of Discipline)
 - अनुशासन विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षित किया जाएगा और इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निम्नलिखित द्वारा सहभाजित किया जाएगा -
 - (अ) अधिष्ठाता
- (आ) परीक्षा केन्द्राधीक्षक
- (इ) चीफ प्रोक्टर (ई) केन्द्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष
- (उ) महाविद्यालय सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष/सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता/सहायक कुल सचिव/प्रॉक्टर
- (ऊ) विभागों के अध्यक्ष

- (ए) छात्रावास वार्डन तथा प्रमुख वार्डन
- (ऐ) शारीरिक शिक्षा निदेशक, खेल प्रशिक्षक एवं शैक्षणिक यात्रा प्रशिक्षण प्रभारी।
- प्रॉक्टोरियल बोर्ड (Proctorial Board)
- (क) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कुलपित द्वारा एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जाएगा। विश्वविद्यालय एवं इसके शिक्षार्थियों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिसर अथवा उसके बाहर होने वाले अनुशासन सम्बन्धित सभी प्रकरण/मामले इस प्रॉक्टोरियल बोर्ड के क्षेत्राधिकार में निहित होंगे। इसमें विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय, सम्बन्धित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास आदि सम्मिलित हैं।
- (ख) प्रॉक्टोरियल बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित होगा-
 - 1. मुख्य प्रॉक्टर (अध्यक्ष)
 - 2. सभी संघटक महाविद्यालय के प्रॉक्टर
 - 3. सम्बन्धित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत सदस्य

- (ग) प्रॉक्टोरियल बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे -
 - विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अनुशासन प्रकरणों में कुलपित को परामर्श और सहायता देना।
 - 2. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखना।
 - 3. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए स्थानीय नागरिक प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क रखना।
 - 4. विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर कार्रवाई करना।
 - 5. ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर रोक लगे।
 - 6. अनुशासनहीनता के प्रकरणों में आपराधिक एवं अन्य पुलिस मामलों के अभियोजन के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों की सहायता करना।
- 5. अधिकारों के प्रयोग हेतु क्रियाविधि (Procedure for Exercise of Powers)
- (क) कुलपित एवं संस्थाध्यक्षों के अतिरिक्त समस्त प्राधिकारी अनुशासनहीनता के मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया के पश्चात् अपने में निहित शिक्तयों का प्रयोग कर सकते हैं। कुलपित एवं संस्थाध्यक्ष किसी भी मामले में अपने में निहित शिक्तयों का प्रयोग मामले पर संक्षिप्त विचार के बाद या आवश्यक समझें तो अनुशासन समिति की सहायता से कर सकते हैं।
- (ख) अनुशासन समिति का गठन:
 - (i) विश्वविद्यालय स्तर (University Level) : कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय स्तरीय अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा -

 (अ)
 अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/विष्ठ संकाय सदस्य (कोई एक)
 (अध्यक्ष)

 (ब)
 छात्र कल्याण अधिष्ठाता
 (सदस्य)

(स) विश्वविद्यालय के शिक्षकों में कोई दो (सदस्य)

(द) चीफ प्रॉक्टर (सदस्य सचिव)

(ii) संस्था/महाविद्यालय स्तर (Institution/College Level) : अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा -

(अ) अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ संकाय सदस्य (कोई एक) (अध्यक्ष)

(ब) सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता (सदस्य)

(स) महाविद्यालय के दो संकाय सदस्य (सदस्य)

(द) प्रॉक्टर (सदस्य सचिव)

- 6. अनुशासन समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया (Procedure to be followed by Discipline Committee)
- (1) सिमिति अनुशासनहीनता के ऐसे प्रकरण की जाँच करेगी जो कुलपित/संस्थाध्यक्ष द्वारा उसे निर्देशित किया जाए।
- (2) जब कोई विद्यार्थी गंभीर आपराधिक कार्य, गंभीर दुराचरण, कार्य की अनवरत लापरवाही अथवा दुर्व्यवहार का आरोपी/दोषी हो अथवा विश्वविद्यालय/संस्थान के कार्यविधि एवं कर्तव्य पालन के समय में दुर्व्यवहार आदि के कारण किसी विद्यार्थी के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो तो उसे कुलपित/महाविद्यालय के अधिष्ठाता/विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के अध्यक्ष, जहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत हो, तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर देंगे। निलम्बन काल में विद्यार्थी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधियों में (परीक्षा में बैठने सिहत) भाग लेने तथा अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने के अयोग्य होगा। जब विद्यार्थी छात्रावास से भी निलम्बित हो तथा जांच काल में हो तो वार्डन अथवा प्रमुख वार्डन ऐसे विद्यार्थी को छात्रावास से भी निलम्बित कर सकते हैं। यदि पुलिस के द्वारा किसी न्यायालय में विद्यार्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया हो तो उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जाएगा।
- (3) कोई विद्यार्थी जो इस प्रकार निलम्बित किया गया हो अथवा जिसे निकाल दिया गया हो विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय/अन्य शिक्षण इकाई में, बिना उस अधिकारी की अनुमित के जिसने उसे निलम्बित किया/निकाला था, प्रवेश के लिए अयोग्य होगा।
- (4) जाँच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी को सूचना दी जाएगी तथा उसे अपने पक्ष को समिति के सामने प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।
- (5) जाँच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी की सभी सूचनाएँ महाविद्यालय के पते पर तथा उसके घर के पते अथवा प्रवेश आवेदन-पत्र में दिए पते पर भेजी जाएगी।
- (6) यदि सम्बन्धित विद्यार्थी जाँच कार्य में अनुपस्थित रहता है अथवा असहयोग करता है अथवा अवरोध प्रस्तुत करता है तो समुचित सूचना देने के बाद जाँच एक पक्षीय पूरी की जा सकती है।

- जाँच के किसी भी चरण में किसी भी पक्षकार की तरफ से किसी अधिवक्ता को उपस्थित करने की अनुमति नहीं होगी।
- जॉब के अनुशासन समिति अपनी बैठक करके उचित विचार-विमशं के बाद समुचित दण्ड, जिसमें जुमाना, निश्चित अवधि के लिए अनुशासन सामा अथवा इन दोनों की अनुशंसा करेगी। दण्ड की क्रियान्विति निलम्बित करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर कुलपित/संस्थाध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा और उचित विचार के बाद वह इस पर जैसा अनुशासन राजित । उचित समझे वैसा आदेश प्रदान करेंगे। उस आदेश की एक प्रति विद्यार्थी को दी जाएगी तथा उसकी अन्य प्रति महाविद्यालय के
- अपील का अधिकार (Right to Appeal)
- विद्यार्थी को संकाय सदस्य द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध पाँच दिनों के अन्दर-अन्दर संस्थाध्यक्ष से अपील करने का अधिकार (1)
- हारा । विद्यार्थी को संस्थाध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध कुलपति से एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के मामलों में निदेशक महाविद्यालय विद्याथा का राजस्थान से अपील करने का अधिकार होगा। ऐसी अपील आदेश निर्गमन की तिथि के 15 दिन के अन्दर-अन्दर अवश्य कर

टिप्पणियाँ:

(7)

- (अ) किसी भी विद्यार्थी को जिसे निलम्बित या निष्कासित या अस्थायी रूप से निकाला गया है, किसी अन्य महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की अन्य शिक्षण इकाई में बिना उस अधिकारी की, जिसने उसे निलम्बित निष्कासित या अस्थायी रूप से निकाला हा, पूर्वानुमित के प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा और न ही कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे अस्थायी रूप से निकाला गया है, इस निष्कासन धा, पूर्ण उ अवधि में किसी अन्य महाविद्यालय <mark>या विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेगा। दण्ड देने</mark> वाला अधिकारी ऐसे दण्ड आदेशों को अन्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को सूचित तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु संप्रेषित करेगा।
- (आ) निष्कासन एवं रेस्टी केशन के सभी मामले प्रबन्ध बोर्ड को प्रतिवेदित किए जाएँगे।
- ऐसा कोई भी मामला जो अनुशासन से संबंधित हो और उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हो,उसे जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, संस्थाध्यक्ष निपटाएगा। ऐसे मामलों पर लिए गए निर्णय कुलपति द्वारा पुनर्विचार योग्य होंगे।
- (ई) संस्थाध्यक्ष दिए जाने वाले दण्ड का आलेख करेंगे और निष्कासन और रेस्टीकेशन या अन्य किसी कठोर दण्ड की दशा में विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र में इसका समुचित उल्लेख करेंगे।
- अनुशासनहीनता के लिए लगाया गया दण्ड बकाया शुल्क के रूप में वसूल किया जाएगा। चूक होने पर उपस्थित पंजिका से
- अपील का निस्तारण (Disposal of Appeal)
- संस्थाध्यक्ष स्वयं या उपर्युक्त संख्या 6 के अन्तर्गत गठित समिति की सहायता से अपील का निस्तारण कर सकेंगे।
- कुलपति स्वयं या उनके द्वारा गठित समिति की सहायता से अपील का निस्तारण कर सकेंगे।
- (3) अपील पर विचार किया जाकर उसका समुचित समयावधि में निस्तारण किया जाएगा। कुलपति या समिति द्वारा जैसी भी दशा हो, अपीलकर्ता छात्र को चाहने पर उसे व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का एक अवसर दिया जा सकेगा और कुलपति अपील पर विचार करने और यदि जाँच समिति गठित की गई हो तो इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद मामले का पुन: निरीक्षण कर सकेंगे तथा उचित विचार के बाद दण्ड पर सहमति अथवा इसमें वृद्धि अथवा कमी कर सकेंगे अथवा विद्यार्थी को निदोंष घोषित कर सकेंगे अथवा जैसा उचित समझे आदेश जारी करेंगे जो अन्तिम होगा।





7. रैगिंग विरोधी नियम एवं दण्ड के प्रावधान (Anti-Ragging Rules and Provisions for Punishment)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय, पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास, प्रयोगशाला अथवा परिसरों में ''रैंगिंग'' लेना कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थंदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

रैगिंग का अर्थ :

किसी विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों के समूह द्वारा पीड़न, उत्पीड़न या भयाक्रांत करना, मानसिक एवं शारीरिक वेदना पहुँचाना, निर्देयता का व्यवहार करना, मानवाधिकार के अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा के अधिकार को क्षिति पहुँचाना अथवा उनका हनन या उल्लंघन करना, कामुक-अश्लील हरकतें करने को बाध्य करना अथवा न करने पर शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ऐसा कायिक एवं वाचिक व्यवहार करना जिसके कारण कोई असुरक्षित, असहाय, शोषित एवं पीड़ित अनुभव करे, संस्थान की सम्पत्ति एवं सुविधाओं को क्षिति पहुँचाना, अभद्र भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी की महत्वाकांक्षा, लक्ष्य अथवा प्रशिक्षण में बाधा पहुँचाना अथवा ऐसा अवरोध पैदा करना कि इनकी पूर्ति में कठिनाइयाँ बढ़ जाए, संस्थान द्वारा स्वीकृत अनुशासन के मापदण्डों के विरुद्ध व्यवहार करना रैगिंग के अन्तर्गत माना गया है। नोट: परिचय पार्टी में किए जाने वाले मनोविनोद अथवा हंसी मजाक ''रैगिंग'' में सिम्मिलित नहीं है।

रैगिंग निरोधी प्रबन्धन

- (1) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर रैगिंग निरोधी दस्तों का गठन किया गया है एवं उनके द्वारा परिसरों का निरीक्षण किया जाता है।
- (2) रैगिंग विरोधी अधिकारियों के नाम, पद, दूरभाष नं. आदि का प्रकाशन सूचना पुस्तिका में प्रदत्त है। रैगिंग की स्थिति में पीड़ित छात्र/छात्रों द्वारा शीघ्र सम्पर्क किया जाना चहिए।
- (3) नव प्रविष्ट विद्यार्थी को मित्र-समूह के साथ रहने की सलाह दी जाती है। वे अनावश्यक धनराशि साथ न लाएँ।
- (4) रैगिंग विरोधी पोस्टर, संदेश अथवा सूचना पत्रों को ध्यान से पढ़ें एवं उनमें दिए गए सुझावों पर अमल करें ।
- (5) विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी अथवा किसी परिचित वरिष्ठ साथी को नव-प्रविष्ट विद्यार्थी द्वारा प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों का विवरण प्रतिदिन बताना चाहिए।

दण्ड के प्रावधान

रैंगिंग की सृचना प्राप्त होने एवं प्रक्रिया द्वारा उसके सिद्ध/प्रमाणित होने पर निम्न दण्ड (रैगिंग की गंभीरता के अनुसार) दिए जा सकते हैं:-

- (1) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के माध्यम से देय सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों अथवा सुविधाओं पर प्रतिबंध। इसे दोषी छात्र के अभिभावकों को सूचित करना।
- (2) विश्वविद्यालय में दिए गए प्रवेश को निरस्त करना।
- (3) रैंगिंग निरोधी समिति द्वारा विशेष अवधि तक कक्षा में प्रवेश को निषिद्ध करना।
- (4) छात्रावास में दिए गए प्रवेश को निरस्त करना।
- (5) रैंगिंग की गंभीरता के अनुसार अन्य शैक्षणिक संस्थानों में दिए जाने वाले प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना।
- (6) "आपराधिक रैगिंग" में पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाना।

- (1) हिंगीधारी हैिंगांग लेने का दोषी है। '
- श्रीगंग लेने वाले विद्यार्थी के नाम एवं पते के साथ दी गई सजा को समाचार पत्र में प्रकाशित करना।
- (8) जिला एवं पुलिस प्रशासन को रैगिंग के दोषी विद्यार्थी की सूची देना एवं पुनरावृत्ति न करने को पाबन्द करवाना।
- (10) हिंगा में व्यक्ति विशेष के दोषी न होने पर रैगिंग लेने वाले पूरे समूह को उपर्युक्त किसी भी दण्ड का पात्र माना जाकर सभी को दण्डित किया जा सकता है।
- (11) यदि किसी अखबार/समाचार पत्रिका में रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय के नाम के साथ प्रकाशित होता है तो इसे भी ''रैगिंग योग्य केस'' मानकर उल्लेखित विद्यार्थी को दण्डित किया जा सकता है। पीड़ित विद्यार्थी द्वारा 'रेगिंग निरोधी दस्ते'' को लिखित सूचना देना अनिवार्य नहीं है।
- (12) रैगिंग की अधिकतम सजा छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों सजाएँ साथ-साथ दी जा सकती हैं।
- (13) रैंगिंग लेना अथवा रैंगिंग लेने को उकसाना समान रूप से दण्डनीय है।
- (14) प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों में सक्षम अधिकारियों द्वारा रैगिंग योग्य संवेदनशील स्थानों की ऑडियो- विडियोग्राफी करवाई जाएगी और उसमें ''रैगिंग समकक्ष व्यवहार'' प्रमाणित होने पर संबंधित छात्र के प्रति प्रकरण बनाकर उसे प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जा सकेगा।
 - रैगिंग सम्बन्धी मामलों की सुनवाई <mark>एवं निर्णय माननीय कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं प्रक्रिया</mark> द्वारा किया जाएगा।

मुझाव/मार्गदर्शन

- (1) वरिष्ठ विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किनष्ठ साथियों को संरक्षण, सुरक्षा एवं सुविधा देकर उनका प्रेम/आदर प्राप्त करें, न कि उन्हें पीड़ित एवं प्रताड़ित करके।
- (2) इस तरह के हानिकारक, प्रतिष्ठा गिराने वाले, असामाजिक एवं अवांछनीय कृत्य से स्वयं को एवं साथियों को बचाएँ। भविष्य को उज्ज्वल, सुखद एवं गौरवशाली बनाएँ।





8. परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन (Discipline During Examination)

- अनुशासनहीनता (Indiscipline)
 परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन का अर्थ है परीक्षा के दौरान अच्छा आचरण। परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता में
 निम्निलिखित बिन्दु सिम्मिलित होंगे -
- (क) दुराचरण तथा दुर्व्यवहार, जैसे -
- (I) बहिष्कार तथा बहिर्गमन।
- (ii) दूसरों को बहिष्कार तथा बहिर्गमन के लिए उकसाना।
- (iii) उत्तर-पुस्तिका अथवा प्रश्न-पत्र फाड़ना, सभी परीक्षार्थियों से उत्तर-पुस्तिकाएँ अथवा प्रश्न-पत्र छीनना तथा हटाना।
- (iv) परिवीक्षक-वर्ग को अथवा सह-परीक्षार्थियों को गाली देना, छेड़ना तथा डराना और रोकना।
- (v) परीक्षार्थियों के निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करना/पालन नहीं करना, प्रवेश पत्र/परिचय पत्र देने से इन्कार करना शिक्त का प्रदर्शन अथवा प्रयोग करना, हथियार व चोट करने वाले पदार्थ साथ में रखना ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे विश्वविद्यालय परीक्षा-कार्य के नियमित संचालन में बाधा उत्पन्न हो। उपर्युक्त किसी एक अथवा अधिक कार्यों को बढ़ावा देना या स्वयं करना।
- (ख) अनुचित साधनों का प्रयोग जैसे -
- (I) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अथवा उनके कार्यालय के किसी व्यक्ति अथवा परीक्षा अधीक्षक अथवा परीक्षा संचालन से सम्बद्ध किसी व्यक्ति अथवा प्रश्न-पत्र बनाने वाले परीक्षक तथा अन्य परीक्षक के नाम पूछने के लिए अथवा प्रश्न-पत्र में आने वाले प्रश्न जानने के लिए, अंक देने के लिए, परीक्षक पर प्रभाव डालने के लिए और इस प्रकार परीक्षा कार्य में परीक्षक को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए सम्पर्क करना और ऐसा प्रयत्न करना।
- (ii) प्रश्न-पत्र हल करने में किसी परीक्षार्थी/परीक्षा भवन के अथवा बाहर के किसी व्यक्ति से सहायता लेना तथा हल करने में किसी को सहायता देना।
- (iii)(अ) परीक्षा के समय प्रश्न-पत्र से सम्बद्ध कोई कागज, पुस्तक अथवा टिप्पणी आदि अपने पास में रखना।
- (आ) दवात के डिब्बे पर, पैमाने पर अथवा ड्राइंग बॉक्स पर अथवा टेबिल जिस पर छात्र बैठा है पर प्रश्न पत्र से सम्बन्धित कुछ लिखित सामग्री प्राप्त होना।
- (इ) शरीर के अंग, कपड़ों पर, उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कुछ भी प्रश्न-पत्र पर लिखा हुआ होना।
- (iv) परीक्षा काल में परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी अन्य अनुचित साधन जैसे इशारे करना, हाव-भाव करना, बात करना, फुसफुसाना आदि का प्रयोग अथवा प्रयोग का प्रयत्न करना।
- (v) उत्तर-पुस्तिका की परीक्षा भवन से तस्करी अथवा किसी भी विद्यार्थी के स्थान पर अन्य के द्वारा परीक्षा दिया जाना या सहायता करना।
- (vi) परीक्षा में अन्य किसी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करना ।
- 2. अनुशासनहीनता पर कार्यवाही की प्रक्रिया (Procedure for dealing with indiscipline)
 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में प्रयुक्त अनुचित साधनों के मामलों, अनुचित साधनों के प्रयोग की शंका के मामलों
 में व्यवहार-प्रक्रियाएँ निम्नलिखित होंगी –
- (I) उपर्युक्त अनुशासनहीनता की परिभाषा के अनुसार जब किसी परीक्षार्थी पर अनुचित साधन प्रयोग की शंका की जाती है तथा उसे इसमें लिप्त पाया जाता है तो वीक्षक/उड़नदस्ता अथवा केन्द्र अधीक्षक या तो स्वयं उसकी तलाश ले सकेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति से तलाशी का कार्य करा सकेगा। यदि तलाशी के परिणामस्वरूप परीक्षार्थी के पास से लिखित सामग्री मिलती है तो परीक्षार्थी के साथ इन नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

- ज्यों ही किसी परीक्षार्थी पर शंका होती है, वह अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है या उसके अनुचित साधनों ज्यों ही किसा पराकार के प्रयोग पर आमादा होने का प्रतिवेदन मिलता है, तो उसकी उत्तर-पुस्तिका और उससे प्राप्त अनुचित साधनों के प्रयोग पर आमादा होने का प्रतिवेदन मिलता है, तो उसकी उत्तर-पुस्तिका और उससे प्राप्त अनुचित सामग्री ले ली के प्रयोग पर आनाव के शोष प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए उसे नई उत्तर-पुस्तिका और उससे प्राप्त अनुचित सामग्री ले ली जाएगी आचरण अथवा दुर्व्यवहार के लिए परीक्षा के उत्तर-पुस्तिका दी जाएगी, परन्तु उपर्युक्त नियम के जाएगी और प्रश्न पर जाएगी और प्रश्न के जाएगी अस्ति अस् अन्तर्गत 'अनु। जा. उत्तर-पुस्तिका नहीं दी जाएगी। दोनों उत्तर-पुस्तिकाएँ (जिन पर i व ii अंकित होगा) और परीक्षार्थी से प्राप्त सामग्री जहाँ उत्तर-पुस्तिका कि प्रतिक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाकर और परीक्षा कक्ष-वीक्षक या उड़नदस्ता व केन्द्र अधीक्षक के तक सम्भव का अविविद्यालय परीक्षा नियंत्रक को व्यक्तिगत नाम से भेजी जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने
- हो हुन्यार वीक्षक/उड़नदस्ता अपना लिखित प्रतिवेदन देंगे। वीक्षक/उड़नदस्ता के प्रतिवेदन की जानकारी तत्काल परीक्षार्थी को वीक्षका २५ विकास के प्रातवदन दी जाएगी और उसी स्थान पर उसे अपना लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा।
- द्वा आर्थ चिंद परीक्षार्थी तत्काल अपना मंतव्य लिखने से इंकार करता है या केन्द्र से भाग जाता है तो उसका मामला चोद पराकः। वीक्षक/उड़नदस्ता और केन्द्र अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निपटाया जाएगा।
- वाक्षण -केन्द्र-अधीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रारूप में उस प्रश्न-पत्र के परीक्षक का
- (vi) (अ) परीक्षक का प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् इसकी सम्बन्धित सामग्री के साथ एक समुपयुक्त समिति अ) पराक्ष्म का जाएगी तथा यदि उनके दृष्टिकोण से अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो वे निर्धारित प्रतिमानों के अन्तर्गत इसके लिए अस्थायी दण्ड निर्धारित करेंगे।
- (आ) सम्बन्धित परीक्षार्थी को पंजीयन डाक द्वारा उनके परीक्षा आवेदन-पत्र पर दिए गए पते पर सूचना भेजी जाएगी, जिसमें सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन की अवधि में यह कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि उसे अनुचित साधन प्रयोग करने का दोषी क्यों नहीं माना जाए तथा उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों नहीं दिया जाए।
- अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा परीक्षार्थी के उत्तर पर गौर किया जाएगा। यदि वह निर्धारित अविध में प्राप्त हो जाता है तथा तत्पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिए जाने वाले अन्तिम दण्ड का कुलपति की स्वीकृति पश्चात् आदेश प्रसारित किया जाएगा।
- अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा सम्पूर्ण मामले की जाँच पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिए गए अन्तिम दण्ड के आदेश को विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तृत किया जाएगा।
- (3) जहाँ कारण बताओ सूचना का परीक्षार्थी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans examination Committee) द्वारा परीक्षार्थी को दिए जाने वाले दण्ड का प्रस्ताव किया जाएगा।
- (vii) किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को अपनी तरफ से विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली जाँच में किसी वकील को प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।

दण्ड के प्रतिमान

- Norms of Punishment
- 1.1 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any material relevant to the syllabus of the Examination paper concerned but has not copied from or used it:
- If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory

Present Examination shall be cancelled, provided that if the material found in possession of the candidate is or insignificant nature, the punishment may be relaxed to the extent of cancellation of the examination of the particular paper (theory or practical) as the case may be and he/she will be treated as having obtained "Zero" mark in that paper with all the consequences to follow. However, if the candidate so desires, he/she will be given the option of appearing in the subsequent whole examination by canceling the present examination as a whole. If the material found in possession of the candidate is of significant nature then present examination of all papers shall be cancelled.

If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory

Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

Where a candidate is found to have copied from or used the material caught:

the candidate on being caught is satisfactory

If the behaviour of Present examination shall be cancelled and he shall be further debarred for one subsequent examination. If the examination is held once a year or two subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester exam.), provided that if the material found in possession of the candidate and/or the extent of copying done by the candidate is of insignificant nature the punishment may be relaxed to the extent of canceling the present examination only by Unfairmeans Committee.

If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory

Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred from appearing at two subsequent examination, if the examination is held once a year or debarred from four subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

- 1.3 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any restricted electronic equipment, mobile, pager, computer diary etc.
- If the candidate has not made any use of such electronic equipment behaviour of candidate on being caught is satisfactory.

Candidate's mobile, electronic equipment, pager. computer diary etc. shall be forfeited and candidate shall be exonerated by issuing warning for the & future.

If the candidate has made use of it but the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory.

Candidate mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. & shall be forfeited and only present theory examination shall be cancelled and if the examination is held once a year or two subsequent theory examination if the examination is held twice a year. (i.e. Semester Exam.).

If the candidate has made use of it (c) but the behaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory.

Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited and present examination shallbe cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year.

If the candidate is involved in sacrilegious of University Examination system or involved in any other serious matter related with sacredness of the examination process.

Candidate shall be disqualified from appearing or passing in any University Examination for one to three years including the present year of examination depending upon the nature and gravity of the offence.

Note:

(1) If the candidate uses resistance or violence against the invigilator or any person on examination duty or consistently refuses to obey the instructions of the superintendent, the above punishment may be enhanced according to the gravity of the offence.

(2) The present examination is cancelled in 1.1 (a & b), 1.2 (a & b), 1.3 (b & c) and 1.4 refers to The present examination of only theory papers. However, if a candidate has offered dissertation/viva/voce/field work in lieu of any paper and the sessional work (marks)/internal dissertation/viva/vocal disser assessment work (marks) will not be cancelled in case the whole examination is cancelled that particular practical examination only. In case, (1) examination is cancer to that particular practical examination only. In case of 1.2 a and b and c & 1.4 theory as well as practical examinations both shall be cancelled.

theory as welltheory as welltheory as welltheory as welltheory as welland theory as welland theory as welltheory as welland theory as welltheory as welland theory After completion by After completion, he/she shall have to appear according to the existing scheme as well as syllabus of examination, never a second of subject/course paper etc. changed, the candidate exempted to the class/course rate appear in sessional examination and obtained theory paper marks will be proportionate out of the appear in sessional examination and obtained theory paper marks will be proportionate out of the

Where a candidate is appearing simultaneously in two examinations, the examination in which Where a caldidate with two examinations, the examination in which he/she has been found using unfairmeans will be cancelled, and he/she shall not be allowed to he/she has been he/she has been appear in any examination of the University during the period for which he/she is debarred.

- appear in the appear in the appear in the cases of employee candidates, indulging in unfairmeans and resorting to violence and inches a period to the officers of the deport. The cases of carp.

 The cases of carp.

 The cases of the department concerned besides the misbehaviour, will be reported to the officers of the department concerned besides the misbenavious, misbenavious, or the department concerned besides the punishment provided under the rules. All such cases of misconduct will be reported to the punishment product with for action by the Centre Superintendent on the prescribed from for departmental action.
- 1.7 Notwithstanding the provisions regarding punishment provided in clause (3) above, the Superintendent of the Centre is empowered to expel a candidate from the examination hall in
- 1.8 Cases not covered under any of the above categories will be decided by the appropriate committee on their merit.
- 2. Norms related with tempering in University document & etc.
- 2(अ) परीक्षा तथा महाविद्यालयों में प्रवेश से सम्बन्धित अनुशासन में निम्नलिखित कार्यों को भी अनुचित साधनों का प्रयोग समझा जाएगा -
- 1. आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत करके या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाना अथवा परीक्षा में प्रवेश पाना।
- 2. अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी समकक्ष संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका अथवा किसी अन्य प्रलेख में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा परिवर्तन करना।
- 3. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र/अंकतालिका इत्यादि की फोटो प्रति/प्रतिलिपि/ फोटोस्टेट प्रति में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा परिवर्तन करना।

2 (ब) कार्रवाई की प्रक्रिया:

- 1. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त वर्णित अनुचित साधनों के मामलों में व्यवहार प्रक्रियाएँ विश्वविद्यालय विवरणिका में प्रकाशित "अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की प्रक्रिया" के अनुसार होगी।
- 2. महाविद्यालय स्तर पर पाए जाने वाले मामलों की अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक द्वारा एक समुपयुक्त समिति द्वारा जाँच करवाई जाएगी तथा यदि उनके दृष्टिकोण में उपर्युक्त अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो सम्बन्धित सभी दस्तावेजों के साथ मामलों को परीक्षा नियंत्रक को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा।
- 2(स) दण्ड के मानक / प्रतिमान : अनुचित साधन परीक्षण समिति द्वारा दण्ड प्रधान करने के लिए निम्नानुसार मानक निर्धारित किए जाते हैं -
- 1. यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश पाने का दोषी पाया जाए तो उसका प्रवेश निरस्त कर विश्वविद्यालय की उस वर्ष की किसी भी परीक्षा और आगामी दो वर्षों तक के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाए।
- 2. यदि कोई परीक्षार्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में प्रवेश पाने का दोषी पाया जाए तो उसकी उस वर्ष की परीक्षा निरस्त कर उस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उसे आगामी दो वर्षों तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाए।

- 3. यदि किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा उपर्युक्त (अ) 1, 2 अथवा 3 की कार्रवाई किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है या लाभ प्राप्त कर लिया हो या लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया हो तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाए। साथ ही यदि छात्र/छात्रा द्वारा उसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई हों तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाए।
- 4. कोई भी अभ्यर्थी अपनी अंक तालिका में नाम आदि के भाग को किसी अन्य छात्र/छात्रा की अंक तालिका में प्राप्तांक वाले भाग में चिपकाने पर अथवा इस प्रकार की प्रमाण पत्र/अंक तालिका की फोटो प्रति/फोटो स्टेट/प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही यदि उस छात्र ने इसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई हैं तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी दो वर्षों के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाएगा।
- 5. अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पाने की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है तब उसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसे परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को दिखाने पर उस अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु इसी दौरान यह पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ झूठे प्रलेख अथवा अंक तालिका इत्यादि प्रस्तुत कर गलत तरीके से परीक्षा में बैठने का प्रयास किया गया है तो संबंधित अभ्यर्थी से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिकाएँ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग अथवा महाविद्यालय अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। यदि अभ्यर्थी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो रहा है अथवा बहानेबाजी कर रहा है, तो उसे बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी तथा इसके पश्चात् सम्पूर्ण प्रकरण अनुचित साधन परीक्षण सिमिति में रखकर वांछित निर्णय किया जाएगा।
- 6. विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण घोषित छात्रों में से किसी के सम्बन्ध में यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कभी भी यह जानकारी प्राप्त हो कि छात्र ने उक्त परीक्षा में प्रवेश असत्य विवरण देकर, तथ्य छिपाकर या प्रविष्टियों में परिवर्तन कर प्राप्त किया था या वह किसी आधार पर उक्त परीक्षा के योग्य नहीं था तो उसकी परीक्षा अथवा परीक्षाएँ निरस्त करने और/या उस मामले के गुण दोषों के आधार पर अन्य दण्ड देने पर भी विचार किया जा सकेगा।
- उपर्युक्त से सम्बन्धित गम्भीर प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने से समिति द्वारा वंचित किया जा सकेगा।
- 8. उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी में भी आने वाले मामलों को अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा उनके गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लेकर निपटाया जाएगा या सम्बन्धित प्राधिकारियों को सौंपा जाएगा तथा गम्भीर मामलों में पुलिस कार्रवाई हेतु भी सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देशित किया जा सकेगा। साथ ही यदि प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस कार्रवाई की जानी है तो वह विश्वविद्यालय कुलसचिव/महाविद्यालय अधिष्ठाता स्तर से की जा सकेगी।

Additional Provision for Dealing with the cases of Using Unfairmeans during the Examination

In addition to the provisions laid down from Page No. 61 to 68 to deal with cases of unfairmeans during the examination by the University, such candidates will also be dealt with additionally in pursuance of the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 which is reproduced below.

THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT, 1992

(Received the assent of The Governor on the 8th day of November, 1992)

An

Act

to prevent the leakage of question papers and use of unfairmeans of Public Examinations and to provide for matter connected there with the incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows:

1. Short title, extent and commencement:

(1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992.

- (2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan. (3) It shall come into force at once.
- Definitions In the Act -

"examination centre" means any place fixed for holding public examination and includes 2.

"public examination" means any examination specified in the schedule.

- "unfairmeans" in relation to an examination while answering question in a public examination, means the unauthorised help from any person, or from any material written, examination, income any form whatsoever or the use of any unauthorised telephone,
- the words and expression used herein and not defined in the Indian Penal Code (45 of 1960) have the meaning, respectively assigned to then in that code.
- prohibition to use of Unfairmeans: No person shall use unfairmeans at any public
- Unauthorised possession or disclosure of question paper: No person who is not lawfully Unauthorised or permitted by virtue of his duties so to do shall before the time fixed for distribution
 - (a) procedure or attempt to procure of possess, such question paper or any portion or copy
 - (b) impart or offer to impart, information which he knows or has reason to believe to be related to or derived from or to have a beating upon such question paper.
- prevention of Leakage by person entrusted with examination work: No person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.
- 6. Penalty: Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 or section 4 or section 5, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years of with fine which may extend to two thousand rupees or with
- 7. Penalty for offence with preparation to cause hurt: Whoever commits an offence punishable under section 6 having made preparation for, causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any person or for putting any person in fear of death or hurt or assault or wrongful restraint shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees.
- 8. Power to amend Schedule: The Statement Government may be notification in the Official Gazette, include in the Schedule any other public examination in respect of which it considers necessary to apply the provision of this Act and upon the publication in the Official Gazette the Schedule shall be deemed to have amended accordingly.

The Schedule

(Section 2)

- 1. Any examination conducted by the Board of Secondary Education of Rajasthan under the Rajasthan Secondary Examination Act, (Act No.42 of 1957).
- Any examination conducted by any University established by law in India.
- 3. Any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commissions or Union Public Service Commission.

J.P. Bansal

Secretary to the Government



9. छात्रवृत्तियाँ एवं वित्तीय सहायता (Scholarships and Financial Assistance)

1 सामान्य नियम (General Rules)

वित्तीय सहायता योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार ही दी जाती है। किसी भी छात्रवृत्ति अथवा ऋण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ता के नियमित उपस्थिति/संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति एवं अच्छे आचरण के अभाव की दशा में निलम्बित अथवा स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। ऐसी निलम्बित छात्रवृत्तियाँ अथवा ऋण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर पूर्व प्रभाव से पुनः दिया जा सकता है।

सामान्यतया सभी छात्रवृत्तियाँ एवं ऋण सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि तक, जिसके लिए स्वीकृत की गई, नियमित रूप से उपलब्ध रहेगी, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा नियमित उपस्थिति, संतोषजनक प्रगति, अच्छे आचरण तथा महाविद्यालय के अनुशासन का उचित पालन किया जा सकता है।

- 2. आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति (Need-cum-Merit Scholarship)
- (i) सभी विद्यार्थी जिसके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है तथा जिन्होंने 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों, आवेदन के योग्य होंगे। वांछनीय योग्यता वाले विद्यार्थियों में से अपेक्षाकृत कम आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने में वरीयता प्रदान की जाएगी।
- (ii) छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन के अन्य नियम वही होंगे जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए लागू हैं।
- 3. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (National Scholarship)

भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हों। इसके सम्बन्ध में पूर्ण विवरण महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (UGC Junior Research Fellowship)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (जे.आर.एफ.) सीमित संख्या में, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है जो स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पित (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं और जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित संबंधित परीक्षा (NET) में सफलता प्राप्त की हो। इसके अन्तर्गत कनिष्ठ शोधकर्ता को र 25,000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति तथा नियमानुसार वार्षिक आकस्मिक अनुदान के लिए र 12000 विज्ञान संकाय में तथा र 10000 अन्य संकायों में प्राप्त होते हैं।

- 5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राजीव गाँधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र जो विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं उनको बिन्दु संख्या 4 में दर्शाई गई छात्रवृति राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।
- 6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं उनको बिन्दु संख्या 4 में दर्शाई गई छात्रवृति सिंश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।
- सी.एस.आई.आर. एवं आई.सी.एस.एस.आर. द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को शोधवृत्ति विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती है।

विभागीय कनिष्ठशोधवृत्ति (Departmental Fellowship)

- प्रत्येक विभाग में एक शोधवृत्ति। न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 55% अंक (अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु 50% अंक)। प्राप्तकर्ताओं में से छात्रवृत्ति राशि ₹ 600 प्रतिमाह। एक समय एक वर्ष अधिकतम दो वर्ष। दूसरे वर्ष के लिए ₹ 700 प्रतिमाह।
- छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता के सामान्य नियम (General Rules Regarding Scholarship and Financial
- (I) छात्रवृत्ति विद्यार्थी के संस्था में प्रवेश के महीने से अगले वर्ष जून तक प्रदान की जाएगी, यदि उसने सम्बन्धित महीने की 15 तारीख तक प्रवेश प्राप्त किया हो अन्यथा छात्रवृत्ति अगले महीने से प्राप्त की जाएगी।
- (ii) विद्यार्थी द्वारा सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने पर छात्रवृत्ति इसी माह में रद्द कर दी जाएगी, जिसमें वह संस्था छोड़ता है।
- _{10.} सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृतियाँ
- (i) अनुसूचित जाति/जजा तथा विमुक्त एवं घुमन्तू जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति।
- (ii) विकलांग छात्रवृत्ति (विकलांग/बधिर/मूक/नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए)
- (iii) देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति नियम 2010
- 11. राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की क्रीड़ा छात्रवृत्ति
- 12. राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्रवृत्ति (NCC Scholarship)
- 13. अन्य छात्रवृत्तियाँ (Other Scholarships)
- (I) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति
- (ii) स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति
- (iii) मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति
- (iv) अध्यापकों के बच्चों को दी जाने वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
- (v) भारत-पाक एवं भारत-चीन युद्ध में मृतक अथवा अपंग सैनिक के बच्चों एवं विधवाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति।
- 14. विद्यार्थी सहायता कोष ((Student's Aid Fund)
 - विद्यार्थी सहायता कोष की स्थापना महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा ₹40 प्रति विद्यार्थी वार्षिक शुल्क से की जाती है।
- (i) इस कोष का उद्देश्य निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षण अथवा परीक्षा शुल्क अथवा पुस्तकों पर व्यय अथवा अन्य ऐसे किसी व्यय की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना है।
- (ii) कोष का प्रबन्ध इस हेतु गठित समिति के माध्यम से महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा किया जाता है।
- (iii) विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त कोष में से ऐसे विद्यार्थियों को सहायता नहीं दी जाती है जिन्हें छात्रवृत्ति अथवा अन्य वित्तीय सहायता मिल रही हो।

- (iv) कोष में से सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र पर अधिष्ठाता द्वारा सूचित तिथि तक आवेदन किए जाने चाहिए।
- (v) कोष में से अति निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को पूर्ण/अर्द्धशुल्क मुक्ति सहायता (Freeship/ Half Freeship) प्रत्येक श्रेणी के लिए शिक्षण शुल्क देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के 10% तक विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी।
- (vi) इस सहायता हेतु आवेदन के लिए आय प्रमाण-पत्र राज्य सरकार के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
- 15. प्राकृत विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता (Financial Assistance for Prakrit Students)
 - विश्वविद्यालय के जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग में नियमित रूप से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को स्वीकृत नियमों के अनुसार प्रोत्साहन राशि की सीमित सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
- 16. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक असक्षम छात्र यू. जी.सी. छात्रवृत्ति हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में आवेदन करें।

17. स्वर्ण पदक (Gold Medals) एवं अन्य पुरस्कार

- (I) प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा कला, वाणिज्य, विधि एवं विज्ञान संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर (उत्तराद्धी) एवं एम. फिल. परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को प्रथम स्थान पाने पर भी स्वर्ण पदक प्रदान नहीं किया जाता है। स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय के तत्कालीन नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है।
- (ii) विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग से एम.एससी./एम.ए. भूगोल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 'भैरूलाल लीलावती सुखवाल फाउण्डेशन'(यू.एस.ए.) द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा।
- (iii) प्रबन्ध अध्ययन संकाय में एम.बी.ए. नियमित दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'मेहता जगन्नाथ सिंह भौमकुमारी चेरीटेबल फाउण्डेशन' की ओर से ₹ 1001/- का नकद पुरस्कार एवं स्मृति चिहन प्रदान किया जाएगा।
- (iv) एम.एससी. भू-विज्ञान में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'प्रो. आर.के. श्रीवास्तव' (₹ 1001/- नकद) पुरस्कार एवं स्मृति चिहन प्रदान किया जाएगा।
- (v) एम.एससी. भू-विज्ञान में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'विजयसिंह देवपुरा मेमोरियल' रजत पदक (गोल्ड प्लेटेड) एवम् ₹ 5000/- नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- (vi) एम.ए. हिन्दी में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'स्व. प्रोफेसर ललित शंकर पुष्पा देवी शर्मा' रजत पदक (गोल्ड प्लेटेड) एवं स्मृति चिहन प्रदान किया जाएगा।
- (vii) बी. कॉम,तृतीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'डॉ. सी. बी. मामोरिया' स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा।
- (viii) व्यवसाय प्रशासन विभाग के स्नातकोत्तर (एम.कॉम एवं एम.फिल) के वे सर्वश्रेष्ठ छात्र/छात्राएँ जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 'CEWS सिंघवी अवार्ड' छात्रवृत्ति के रूप में वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष अलर्ट संस्थान द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रदान की जाती है।

10. पुस्तकालय सुविधाएँ (Library Facilities)

विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों में समृद्ध आधुनिक सुविधायुक्त पुस्तकालय हैं। विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र को भरकर एवं विश्वविद्यालय कर संबंधित पुस्तकालयों के सदस्य बन सकते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न पुस्तकालयों से सम्बन्धित संक्षिप्त

(क) केन्द्रीय पुस्तकालय (Central Library)

यह पुस्तकालय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थित है। इस पुस्तकालय में सभी विषयों के महत्वपूर्ण ग्रन्थ, यह पुरावतालय में सम्मा विषयों के महत्वपूर्ण ग्रन्थ, संवर्भ सामग्री आदि उपलब्ध है। इसमें आदान-प्रदान, शोध प्रतिवेदन, छायाप्रति, लिपिकरण तथा सन्दर्भ एवं शोध पत्रिकाओं

जिसके अन्तर्गत INFLIBNET द्वारा निम्नलिखित प्रकाशकों के ई-जर्नल

S. No.	Resource Name	क इ-जनल्स एवं डेटाबेस उपलब्ध है:
1.	American Chemical Society	Resource URL
2.	American Institute of Physics	http://pubs.acs.org
3.	American Physical Society	htt://journals.aip.org/
4.	Annual Reviews	http://publish.aps.org/browse.php
5.	Cambridge University Press	nttp://arjournals.annualreviews.org/
6.	Economic & Political Weekly	nttp://journals.cambridge.org/
7.	Institute of Physics	http://epw.in/
8.	ISID	http://lopscience.iop.org/journals
9.	JCCC	http://isid.org.in
10.	JSTOR	http://www.jccc-ugcinfonet.in/
11.	Nature	http://www.jstor.org/
		http://www.nature.com/
12.	Oxford University Press	http://oxfordjournals.org
13.	Project Muse	http://muse.jhu.edu/journals
14.	Royal Society of Chemistry	www.rsc.org
15.	Springer Link	http://link.springer.com/
16.	Taylor & Francis	http://tandfonline.com/
17.	Wiley-Blackwell	http://onlinelibrary.wiley.com/

इसके अलावा निम्नलिखित डेटाबेस एवं सॉफ्टवेयर की सुविधा भी पुस्तकालय के अर्नागत प्राप्त की जा सकती है :

2. Prowess 1-J-gate

3. SPSS

ई-पुस्तकालय का उपयोग इसी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं शोध-छात्रों के लिए निर्धारित है। 7000 से अधिक जर्नल्स के फूल टेक्स्ट शैक्षिक लेख ऑन लाईन उपलब्ध है। इनके उपयोग के लिए इन्टरनेट सेन्टर से पासवर्ड लेना होता है। केन्द्रीय पुस्तकालय का लाभ सभी पाठक सदस्य तो ले सकते हैं, परन्तु पुस्तकालय से लेन-देन की सुविधा विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य, कर्मचारी, शोध-छात्र, एम. फिल एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को ही प्राप्त है।

केन्द्रीय पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का Online Public Access Catalogue उपलब्ध है जिससे पुस्तक के संग्रहण सम्बन्धी सूचना प्राप्त की जा सकती है।

(ख) शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क संसाधन सुविधा

(Educational and Research Resources Facility) विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (INFLIBNET) एवं विकासमान पुस्तकालय नेटवर्क (DELNET) द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रोनिक पाठ्य सामग्री को प्राप्त करने की सुविधा, केन्द्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। यह सुविधा प्राध्यापकों, शोधकर्ताओं एवं स्नातकोत्तर छात्रों को शैक्षणिक सामग्री की खोज एवं अनुसंधान की दृष्टि से सूचनाएँ एकत्रित करने में अत्यधिक सहायक है।

इस सुविधा के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी उप-पुस्तकालयाध्यक्ष से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) सामान्य ज्ञानार्जन हेतु (For Obtaining General Knowledge)

आध्यात्मिक, व्यावहारिक एवं सामान्य उपयोग के लिए मस्ट रीड सेक्शन में पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन पुस्तकालय में ही बैठकर किया जा सकता है।

महाविद्यालय पुस्तकालय (College Libraries)

विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त संघटक महाविद्यालय स्तर पर स्वतंत्र रूप से निम्नांकित समृद्ध पुस्तकालय हैं-

- 1. विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय पुस्तकालय
- विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय पुस्तकालय
- विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय पुस्तकालय
- 4. विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय पुस्तकालय
- विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर भू-विज्ञान पुस्तकालय
- विश्वविद्यालय प्रबन्ध अध्ययन पुस्तकालय


नोट : पुस्तकालय से पुस्तक आदान-प्रदान सम्बन्धी प्रक्रिया एवं नियमों की जानकारी हेतु विद्यार्थी सम्बन्धित पुस्तकालय से सम्पर्क करें।

विभागीय पुस्तकालय:

विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विभागों में स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों के उपयोग हेतु विभागीय पुस्तकालय है। इन विभागीय पुस्तकालय है। इन विभागीय पुस्तकालयों में पुस्तकों का लेन-देन बाहर ले जाने के लिए नहीं किया जाता है। इनका उपयोग संदर्भ ग्रंथ के रूप में विभागीय स्तर पर होता है।

पुस्तक बैंक :

विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों के लिए, पुस्तक बैंक सुविधा उपलब्ध है। पुस्तक बैंक एवं उसकी नियमावली सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित महाविद्यालय के पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है।





11, छात्रावास (Hostels)

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु आवास की व्यवस्था संकाय के अनुसार की गई है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्न छात्रावास संचालित है। उनमें व्यवस्था निम्नानुसार हैं:-

K.R.	छात्रावास का नाम	संबंधित संकाय	आवास क्षमता	वार्डन	दूरभाष
1	_{महाराणा} भूपाल छात्रावास _{विश्वविद्यालय} खेल परिसर*	सभी संकाय के लिए	66	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान अतिरिक्त कार्ययार	9414281130
1	रामानुजन छात्रावास विश्वविद्यालय परिसर*	MBA, MCA, Pharma MTM, MIB, MHRM	40	डॉ. राजू सिंह अतिरिक्त कार्ययार	9413474727
3.	डॉ. डी.एस. कोठारी शोध छात्रावास, विश्वविद्यालय खेल परिसर	शोध छात्रों के लिए	18	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान	9462053818
Å.	गार्गी कन्या छात्रावास	केवल छात्राओं के लिए विज्ञान महाविद्यालय परिसर	147	डॉ. संगीता अठवाल	8107220524
5.	कमला नेहरू कन्या छात्रावास * सेक्टर-3 हिरणमगरी	केवल छात्राओं के लिए	79	प्रो. निधि राय, वार्डन अतिरिक्त कार्ययार	9928268985
6.	महर्षि दयानन्द सरस्वती कन्या ** छात्रावास, विश्वविद्यालय परिसर	केवल TSP जनजाति छात्राओं के लिए सामान्य छात्राओं के लिए	48	प्रो. निधि राय	9928268985
7.	नेहरू शिक्षक सदन छात्रावास * सेक्टर-3, हिरण मगरी	केवल जनजाति छात्रों के लिए	40	डॉ. प्रभात कुमार बारोलिया	9460813854
8.	राणा पुंजा छात्रावास**	केवल TSP जनजाति छात्रों के लिए	92	डॉ. गिरिराज सिंह	9461384777

नोट

- (1) क्र.सं. 1 से 5 तक प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु 16%, 12%, 21% आरक्षण रहेगा।
- (2) छात्रावास में प्रवेश एवं विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित वार्डन अथवा चीफ वार्डन कार्यालय में सम्पर्क करें।
- * ये सभी छात्रावास मरम्प्त एवं पुनर्निर्माण कार्य होने के कारण अस्थायी तौर पर छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा । जैसे ही विश्वविद्यालय के संपदा विभाग द्वारा दुरस्त करके विश्वविद्यालय को सूपूर्व कर देगा तो प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
- ** अगर जनजाति छात्र/छात्राओं को देने के पश्चात् अगर सीट खाली रहेगी तो सामान्य वर्ग से भरी जायेगी।



12. यात्रा रियायर्ते (Travel Concession)

भारतीय रेल, नागरिक उड्डयन व राज्य पथ परिवहन निगम सेवाओं द्वारा प्रदत्त रियायती किराये की सुविधाएँ विश्वविद्यालय के नियमानुसार दी जाएगी। यात्रा के लिए विद्यार्थी को स्वयं सप्रमाण प्रार्थना पत्र प्रस्तृत करने पर ही बात्रा रियायत दी जाएगी। घर की परिभाषा में वह जगह आएगी जहाँ कि विद्यार्थी के माता-पिता स्थायी रूप से रहते हैं। पर ही बात्रा रियायत दी जाएगी। घर की परिभाषा में वह जगह आएगी जहाँ कि विद्यार्थी के माता-पिता स्थायी रूप से रहते हैं। एक शिक्षण सत्र के लिए प्रवेश आवेदन पत्र में दिया गया घर का पता अपरिवर्तनीय रहेगा। राजकीय सेवारत कर्मचारियों के एक शिक्षण सत्र के लिए प्रवेश आवेदन पत्र में दिया गया घर का पता अपरिवर्तनीय रहेगा। राजकीय सेवारत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तृत करने पर छात्र के अभिभावक का पता महाविद्यालय के अधिष्ठाता/निदेशक के स्वनिर्णय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। किराये में रियायत के लिए विद्यार्थी को प्रस्थान की तिथि से 8 दिन पूर्व महाविद्यालय से अधिष्ठाता को आवेदन करना चाहिए। रियायत सुविधा का उपयोग निम्न उद्देश्य से यात्रा के लिए भी किया जा सकता है -

- शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित या मान्यता प्राप्त खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए।
- शिक्षाप्रद कार्यक्रमों, शिविरों व संगोष्ठियों में भाग लेने तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए, साक्षात्कार एवं प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए।
- सामुदायिक योजनाओं में सेवा कार्य में भाग लेने हेतु।
- शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक महत्व के अखिल भारतीय संस्थानों द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलनों एवं अन्य सम्मेलनों में भाग लेने के लिए।


टिप्पणियाँ

- (I) रियायत के आदेश एक बार प्रसारित किए जाने के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी को यात्रा के दौरान अपना परिचय पत्र साथ रखना अति आवश्यक है क्योंकि परिवहन अधिकारी किसी भी समय उसकी जाँच कर सकते हैं।
- (ii) विद्यार्थी को उसके चयन के अनुसार एक समय में एक ही प्रकार के किराये में रियायत की सुविधा दी जाएगी। यह ध्यान में रहे कि परिवहन अधिकारियों को धोखा देने का प्रयास करने तथा गलत सूचना प्रदान करने की दिशा में कठोर कार्रवाई की जाएगी जिसका जिम्मेदार विद्यार्थी स्वयं होगा।
- (iii) लगातार एक महीने अनुपस्थित रहने वाला विद्यार्थी इस यात्रा रियायत सुविधा के योग्य नहीं होगा।

13. छात्रसंघ और इसकी चुनाव प्रक्रिया

विश्वविद्यालय में एक छात्र प्रतिनिधि निकाय छात्रसंघ है। विश्वविद्यालय की संघटक इकाइयों के भी पृथक छात्रसंघ है। छात्रसंघ के चुनाव संबधी सामान्य नियम इस प्रकार हैं -

- नामांकन आवेदन पत्र, छात्रसंघ संविधान की प्रति के साथ ₹ 100 के भुगतान पर अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय तथा समस्त संघटक महाविद्यालयों के चुनाव कार्यालय से अधिसूचित तिथि को प्राप्त कर सकेंगे।
- 2. विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों हेतु नामांकन पत्र कार्यालय अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, विवेकानन्द भवन में प्रस्तुत करना होगा।
- महाविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव एवं कक्षा प्रतिनिधियों हेतु नामांकन पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय के चुनाव कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 4. नामांकन, मतदान एवं चुनाव सम्बन्धी प्रत्येक कार्य हेतु विश्वविद्यालय परिचय पत्र (University Identity Card) अनिवार्य है। परिचय पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय से अधिसूचित तिथि तक प्राप्त करने होंगे।
- 5. विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु मतगणना प्रबन्ध संकाय भवन (FMS) में तथा महाविद्यालय छात्रसंद्य हेतु मतगणना सम्बन्धित महाविद्यालय भवन में होगी।
- 6. मतदाना केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र हेतु नियुक्त एजेन्ट का भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित छात्र होना अनिवार्य है तथा इस कार्याविध में उसके पास विश्वविद्यालय परिचय पत्र (University Identity Card) होना आवश्यक है।
- 7. चुनाव के दौरान ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि विश्वविद्यालय का नियमित छात्र नहीं हैं, उसे चुनाव प्रक्रिया में किसी भी क्षमता में भाग लेने की अनुमित नहीं है।
- 8. प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा ₹ 5000 है।
- 9. किसी भी उम्मीदवार द्वारा <mark>छपे हुए पोस्टर्स</mark> (Poster)या किसी अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग निषिद्ध है।
- 10. उम्मीदवार केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग, कॉलेज परिसर में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही कर सकेंगे।
- 11. किसी भी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियाँ, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं है।
- 12. प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, वाहनों एवं जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।
- 13. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रसंघ संविधान, लिंगदोह सिमति की सिफारिशों, राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित छात्र के विरुद्ध संविधान प्रदत्त कार्रवाई की जाएगी।



Scanned with CamScanner

14. विश्वविद्यालय स्तरीय सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ (University Level Co-curricular Activities)

विश्वविद्यालय स्तर की साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

- विश्वविद्यालय द्वारा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं आयोजन हेतु अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को अधिकृत किया गया है। इस कार्यालय द्वारा निम्न महत्वपूर्ण गतिविधियाँ संचालित होती हैं -
- आवर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के तत्वावधान में पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालय के "युवा समारोह" में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीम का चयन करना।
- स्व. श्री मोहनलाल सुखाड़िया की जन्मतिथि के अवसर पर "मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान" का विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजन करना। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, विचारक, अर्थशास्त्री अथवा राजनियक को आमंत्रित करना। विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी के साथ ही उदयपुर शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति को भी सुनिश्चित करना।
- विश्वविद्यालय के सभी संकायों के विद्यार्थियों के लिए ''कँरियर गाइडेन्स व्याख्यान'' का आयोजन करना एवं इस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करना।
- (iv) दो अक्टूबर को राष्ट्रिपता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर "गांधी जयन्ती व्याख्यान" का आयोजन करना। राष्ट्रीय स्तर के गांधीवादी चिन्तक अथवा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में गांधी विचार के विश्लेषक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ अथवा दार्शनिक को आमंत्रित करना।
- (१) उद्यपुर संभाग में कार्यरत आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का "सिविल सेवा परीक्षा परिसंवाद"आयोजित करना।
- (पं) विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों से चयनित विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों का विश्वविद्यालय स्तरीय युवा समारोह''गवरी'' आयोजित करना एवं विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित करना।
- (vii) देश के विभिन्न भागों से प्राप्त शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अथवा अन्य प्रकार की प्रतियोगिताओं के निमंत्रणों के आधार पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने योग्य प्रतिभागी का चयन/मनोनयन करना।
- (viii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ''पूर्व छात्र परिषद''(एल्यूमनी एसोसिएशन) का विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देशानुसार सत्रों का आयोजन एवं संचालन करना।
- (ii) छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय की पत्रिका "शिखर" का सम्पादन, प्रकाशन एवं वितरण करना।
- (I) राज्य सरकार/राजभवन के आदेशानुसार एवं कुलपित के मार्गदर्शनानुसार महाविद्यालय एवं केन्द्रीय स्तर पर छात्रसंघ के चुनाव करवाना एवं पदाधिकारियों को संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित करना।
- 2. विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं परामर्श केन्द्र (University Employment & Guidance Bureau)
 - इस विश्वविद्यालय में छात्रों एवं बेरोजगार युवाओं के लाभ के लिए एक विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं परामर्श केन्द्र, कला महाविद्यालय नया परिसर में कार्यरत है। यह केन्द्र जरूरतमंद आशार्थियों को विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण केन्द्र, कला महाविद्यालय नया परिसर में कार्यरत है। यह केन्द्र जरूरतमंद आशार्थियों को विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण सुविधाओं, प्रवेश सूचनाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति, स्वरोजगार, भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा सुविधाओं, प्रवेश सूचनाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति, स्वरोजगार, भारत तथा विदेश में दोनों को महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन की सेवाएँ व्यविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में प्रकार से उपलब्ध कराई जाती हैं। केन्द्र द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों प्रवावसायिक वार्ताओं एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा स्विनयोजन साहित्य का सृजन, रोजगार के भावी अवसरों/ प्रवृत्ति से सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं अध्ययन केन्द्र के अन्य कार्य किए जाते हैं।

3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ (SC/ST Cell)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सौजन्य से इस विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ गठित है। प्रकोष्ठ द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु नियमानुसार उनके आरक्षित प्रकोष्ठ द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु नियमानुसार उनके आरक्षित स्थानों में प्रवेश के लिए सहयोग एवं समुचित कार्रवाई की व्यवस्था की जाती है। यदि उन्हें प्रवेश के सम्बन्ध में कोई किठनाई हो तो वे लिखित में सम्पूर्ण विवरण सहित अपनी समस्याएँ उचित माध्यम से इस प्रकोष्ठ को अवगत करा सकते किठनाई हो तो वे लिखित में सम्पूर्ण विवरण सहित अपनी समस्याएँ उचित माध्यम से इस प्रकोष्ठ को अवगत करा सकते

4. प्रौढ़ शिक्षा एवं विस्तार केन्द्र (Centre for Adult Education & Extension)

यह केन्द्र मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सन् 1980 से कार्यरत है। वर्तमान में यह सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में कार्य कर रहा है। देशव्यापी निरक्षरता उन्मूलन हेतु केन्द्र के द्वारा साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता मानविकी महाविद्यालय में कार्य कर रहा है। देशव्यापी निरक्षरता उन्मूलन हेतु केन्द्र के द्वारा साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश की जनसंख्या नीतियों तथा योजनाओं को समझने में विद्यार्थियों को सहायता करने तथा छोटे परिवार के मानक की आवश्यकता का भाव विकसित करने हेतु जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का संचालन भी किया जाता है।

5. जनसंख्या शोध केन्द्र (Population Research Centre)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में यह जनसंख्या शोध केन्द्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 1981 से संचालित है। इस केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य हैं -

- जनसंख्या विज्ञान में विभिन्न पक्षों पर शोध कार्य करना एवं शोधार्थियों को प्रोत्साहन करना ।
- 2. राजस्थान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन करना।
- विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या सम्बन्धी शोध कार्यों का सूक्ष्म अध्ययन करना।
 अब तक इस केन्द्र ने 121 शोध परियोजनाएँ (प्रोजेक्ट्स) सम्पन्न की हैं एवं इस सम्बन्ध में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं।

6. महिला अध्ययन केन्द्र (Centre for Women Studies)

ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना की है। केन्द्र के महिला उत्थान हेतु बहुआयामी उद्देश्य हैं। केन्द्र का उद्देश्य शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जानकारी के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक सशक्तिकरण करना तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ कर अधिक से अधिक लाभ अर्जित कराने का श्रम करना है। केन्द्र, विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाली सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं व संगठनों तक महिलाओं की पहुँच को प्रोत्साहित करता है।

इसी दिशा में केन्द्र द्वारा समय-समय पर विस्तार व्याख्यान, वार्ताएँ, संगोष्ठी प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अध्ययन-अध्यापन हेतु "महिला अध्ययन" सामाजिक संकाय के एक विषय के रूप में संस्थापित है। संदर्भ केन्द्र के रूप में महिला से संबंधित विभिन्न पुस्तक-पुस्तिकाओं, शोध पत्रों और सरकारी योजनाओं का संग्रहण एवं संकलन दिशातीत है। केन्द्र आर्थिक स्वावलम्बन को अग्रसर करने हेतु विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाता है।

7. मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र (Centre for Human Rights Studies)

राजस्थान राज्य में मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र की स्थापना सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय में हुई है। यह केन्द्र विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान में मानवाधिकारों की स्थिति, समस्याओं और उनके समुचित समाधानों के सम्बन्ध में शोध/शिक्षण आदि में संलग्न होगा। बोद्ध अध्ययन एवं अहिंसा कोन्द्र (Centre for Buddhist Studies and Non-Violence)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय में राजस्थान राज्य में यह प्रथम केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग के आचार्य के निर्देशन में संचालित है। इस केन्द्र द्वारा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और अहिंसा का, समता, समानता, अस्पृश्यता और वैचारिक उदारता आदि मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रचार-प्रसार किया जाती है। केन्द्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी संचालित है।

प्रतिबोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (Competitive Examination Coaching Centre)

यह केन्द्र सामाजिक एवं मानविकी महाविद्यालय के परिसर में संचालित है। केन्द्र द्वारा सुयोग्य अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा RAS, ICS, UGC-NET, SLET आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों का शिक्षण विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क लेकर प्रदान किया जाता है। कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि सभी संकायों के प्रत्याशी इसका लाभ ले सकते हैं। SC, ST, OBC (Non Creamy layer) एवं अल्प संख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है।

- 10. अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार (International Students Advisor)
 - विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे विदेशी विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा अध्ययन संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार की नियुक्ति की गई है।
- परिषद् समितियाँ, संगोष्टियाँ एवं स्नातकोत्तर अध्ययन समूह (Council, Committees, Conferences & Post Graduate Study Group)

विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर एवं स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को विभिन्न अध्ययन परिषदों के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है तािक विद्यार्थी संकाय स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होकर अपनी प्रतिभा को एक छोटे समूह में विकसित कर सके। इन शैक्षणिक इकाइयों द्वारा सदस्यों के ज्ञानवर्धन एवं बौद्धिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, अध्ययन-समूह आदि का आयोजन किया जाता है। इनके समुचित संचालन हेतु विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता द्वारा प्राध्यापकों को सलाहकार के रूप में मनोनीत किया जाता है, जो विद्यार्थियों के सिक्रय सहयोग से इन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सभी नियमित विद्यार्थी इन शैक्षणिक इकाइयों के सदस्य होंगे। विभिन्न गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निर्धारित वार्षिक शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

- 12. विशिष्ट आयोजन (Special Programme)
- (क) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रायोजन (Literacy & Cultural Programmes)
 विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/विभागों द्वारा विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अन्तर्गत यथा
 वाद-विवाद प्रतियोगिता, सामान्य-ज्ञान प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता,
 चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है तथा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न राज्य स्तरीय,
 अंतर-विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग देने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है।
- (ख) राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day)
 भारत के सपूत दृष्टा एवं सन्त स्वामी विवेकानन्द का जन्म दिवस 12 जनवरी को समस्त देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप
 में मनाया जाता है।
- (ग) राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day)

 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के क्षेत्र में हो रही बहुमुखी प्रगति के बारे में

 जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

उपयुंक्त गतिविधियाँ विद्यार्थी को अपने व्यक्तित्व की बहुमुखी समृद्धि कर जीवन के लिए पाग्रेय संचित करते हुए नागरिकता के प्रशिक्षण का सुअवसर प्रदान करती हैं।

13. विश्वविद्यालय योग केन्द्र (University Yog Center)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली के सहयोग से विश्वविद्यालय कीड़ा मण्डल परिसर में विश्वविद्यालय के सर्भ निविषत छात्र-छात्राओं एवं कर्मचारियों के लिए योग प्रशिक्षण एवं परामर्श की व्यवस्था अनुभवी विशेषज्ञों के उपस्थित में उपलब्ध है। केन्द्र द्वारा योग शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी संचालित किया जा रहा है जिसकी प्रवेश क्षमता 30+10 है तथा इसमें 10 पेमेन्ट सीट है। इसके अतिरिक्त 6 सप्ताह का योग प्रशिक्षण में प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम का संचालन भी केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।

14. नेहरू अध्ययन केन्द्र (Center for Nehru Studies)

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से भारत के महान आयुनिक विचारकों की योजना के अन्तर्गत नहेरू अध्ययन केन्द्र की स्थापना हुई थी। केन्द्र का उद्देश्य छात्रों को पंडित जवाहर लाल नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व से सम्बंधित जानकारी प्रदान करना है। इस हेतु केन्द्र के द्वारा दो पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

15. विश्वविद्यालय शोध एवं विकास प्रकोष्ठ (University Research & Development Cell)

विश्वविद्यालय में स्तरीय शोध को बढ़ावा देने के लिए और पाठ्यक्रम गुणवत्ता हेतु वर्ष 2010 में इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। प्रकोष्ठ में सभी संकायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। प्रकोष्ठ की यह भी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं के साथ सहयोग कर शोध परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके।

16. समान अवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। प्रकोष्ठ का उद्देश्य वीचत समुदायों जैसे - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा, रोजगार और व्यक्तित्व विकास से सम्बंधित जानकारी देना है।

17. सॉफ्ट स्किल केन्द्र (Soft Skill Centre)

इस केन्द्र की स्थापना वर्ष 2010 में की गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान के अवगत कराना है, साथ ही साथ केन्द्र के द्वारा विद्यार्थियों के लिए भाषायी दक्षता, सम्प्रेषण और व्यक्तित्व-विकास के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

18. आइंडिया सेन्टर (IDEA: Centre for Initiative and Development Action)

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं यू.एन.डी.पी. के सहयोग से वर्गा 2010 में इस केन्द्र की स्थापना की गई। इस केन्द्र का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में समाज, राजनीति, संस्कृति एवं अन्य पहलुओं से सम्बंधित मुहों का शोध एवं अध्ययन करना तथा उनसे सम्बंधित कार्यशालाएँ, व्याख्यान आदि आयोजित करना है।

19. महिला उत्पीड्न विरोधी समिति (Committee for Action against Women Harassement) कार्यालयों में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड्न पर कार्रवाई करने हेतु इस समिति की स्थापना की गई है। समिति का कार्य क्षेत्र विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालय होंगे।

15. UNIVERSITY COMPUTER CENTRE

The main Computer Centre of the University, located in the University Campus, at Vigyan The main Computer of the University Campus, at Vigyan Bhawan is running MCA Programme. The intake capacity of MCA course is 60. Out of Bhawan is the Bh these, 30 seates these th well as well as or the computer center is well equipped with modern computing facilities available in the computer of UNIX (RISC based Digital Alpha System). computer of UNIX (RISC based Digital Alpha System), Linux (IBM Xeon Server), NT (Compaq Proliant), and Windows 2003 (Windows 2003). Windows NT (Compaq Proliant), and Windows 2003 (Wipro Netpower Itanium based Windows 1. Windows 1. Windows 2003 (Wipro Netpower Itanium based servers). It also has a number of PCs (which can work as clients to all the servers as well as can access Internet), multimedia syatems, thin clients, Laser, Line Printers, Network Printer, multifunction printer etc. In addition to standard, thin clients, Laser the Center also has multitudes and the Oracle Database Server, Web Developer suite, Visual Studio, SPSS, Matlab, Rational Rose Driem Olivina Visual Studio, SPSS, Mathematica, Matlab, Rational Rose, Dview (Network Software), MSDN academic Mathematical Mathe wireless networking, 100 Mbps/ 1Gbps switches to provide fast and reliable access across the campus. MCA students use these facilities freely for unlimited hours for e-mail, web surfing, down loading lecture notes/technical articles etc. Laboratory facilities are also available for computer hardware, microprocessor, networking and communication practicals. Main facilities are listed below:

Hardware: RISC based Digital Alpha 500au workstations, Compaq Proliant work-stations, SGI Octane workstation, IBM Xenon Server (Dual Processor), Sun Netra Server, Compaq workstations, Wipro Netpower, Pentium based PC's with different configurations, 512 Kbps VSAT, cable based internet connection.

Software: Operating Systems - Digital Tru65 Unix, Microsoft Windows NT Server/Workstation, Windows 2003 Server, Sun Solaris, Novell Netware, Redhat Linux, Microsoft Window Vista/XP/2000/98 MS-DOS, Database Systems: Oracle Web Developer Suite, Sun Java Workshop, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Studio, WSAD Eclipse. Compilers: C, C++, Cobol, Pascal, Fortran 90, Application Packages: MS Office 2007, SPSS, Adobe Photoshop, Chem Office, Mathematica, Matlab, Rational Rose, Dview etc.

The University Computer Center also offers research programme. Presently, active research programmes going on at University Computer Center are image and analysis, embedded system and computer security. The University Computer Center also organises training programme on IBM Products for its MCA Students. University Computer Center has its own Software Development Center to develop Software for the University and MCA Students are normally encouraged to participate in the programme.

16. UNIVERSITY INTERNET CENTRE

The University has a campus network of computers known as Sukhadia University Network (SUNET) connecting all University Departments, constituent colleges, various units and centres, hostels etc. situated in both the campuses of the university. The University Internet Centre located in the Vigyan Bhavan Block-A is responsible for operation and maintenance of the University network. The campus network is a 1000/100Mbps network with about 600 computers using Optical Fiber Cable back bone connectivity to all main buildings and Wireless connectivity between the campuses. The University has also installed Wi-Fi network connectivities in almost all the main buildings. The campus network of the University is fully protected and secured using "Cyberroam" (firewalls and Intruder detection system). The network is also protected from external computer viruses using on-line subscription to latest network antivirus software. Following facilities are available to the students and staff of the University.

The university has a 1Gbps leased line Internet connectivity at the University Internet Centre with BSNL India under UGC Infonet programme. Internet access is available to all the regular students, research students and faculty members for academic purposes through the campus network from computers installed in the departments, libraries, colleges, offices and hostels.

The undergraduate, post graduate and research students can access Internet for educational and research purpose from following locations:

- e-library, University Central Library 1.
- e-library, College of Science 2.
- e-library, College of Commerce and Management Studies 3.
- e-library, College of Social Sc. & Humanities

Internet access facilities are also available at college of Law, Vigyan Bhawan Block-A and B, Pharmacy building and hostels for the students.

Internet facilities available in the department can also be used by the post graduate and research students.

E-Journal Access

Access to about 5000 electronic research journals and 3 databases under UGC Infonet programme are available from the computers installed in the campus. The computers installed in all the faculty rooms and research laboratories, e-libraries are provided with unlimited access to e-journals. Free training to access e-journals and to search Internet for research materials are provided by the Internet centre and University Central Library. Interested research students can register their names by sending e-mail to suic@mlsu.ac.in with subject: Training.

University Website

The University official web site www.mlsu.ac.in provides information about the University. Admission notices, University examination time table, examination results and important announcements are available on the University web site. For information related to web site updating and publication of new information Internet centre may be contacted on 0294-2471310 or e-mail to suic@mlsu.ac.in

Intranet Facilities

- 1. University Information system: Student and staff databases, details of the courses, syllabus, Performa and formats for various purposes. are available on the University intranet.
- 2. Educational Resources: Tutorials, Power point presentations, digital herbarium, articles etc.
- Student feedback System: Students can submit their feed back about courses, classes, teachers etc. using the feed back management system. Students are free to express their views using the system without identifying their name.
- Student Grievance Submission System: Students can submit their grievances related to harassments/difficulties faced in courses and examinations.

pepartmental Information System: A departmental Information System to collect and view

departments departments of departments of the department of the de http://172.16.0.10

Important Note

User Id and password to access University network can be obtained from Internet Centre by filling up User Id and pass.

User Id and pass.

User Id and pass.

User Id and pass.

It can be obtained from Internet Centre by filling up an application form University intranet. All students and staff of the property of the prope an application to an University intranet. All students and staff of the University are hereby be downtous that use of Internet and Intranet from the University campus is allowed only for academic and access of Information is governed under IT act of the court and access of Information is governed under IT act of the court access the court access the court access to the court ac informed that the information is governed under IT act of the country. Un-authorized access of purpose and access of ID and password of other users to gain access to purpose and decemple and password of other users to gain access to campus network are criminal

All students and staff are hereby notified that access of information from Internet and intranet are All students and automatically by the Access server and Cyber Roam system and information is regularly monitored. Strict action including reporting to University and civil authorities and filing of cases will be taken against those who violate the IT act of the country.

For details facilities, training programs, software developments etc contact Prof. Shri Sanjeev Agarwal, Co-ordinator, Internet Centre, Vigyan Bhawan, Mohanlal Sukhadia University, Tel No.

Important e-mail Addresses of the University

User's Name

Vice Chancellor

Registrar

Comptroller

Dean, College of Science

Dean, College of Commerce & Mgt. Studies

Dean, College of Law

Dean, College of Social Sciences & Humanities

Dean, PG Studies

Dean, Students Welfare

Chairman, Faculty of Science

Chairman, Faculty of Commerce

Chairman, Faculty of Education

Chairman, Faculty of Management Studies

Chairman, Faculty of Law

Chairman, Faculty of Humanities

Chairman, Faculty of Social Sciences

Chairman, Sports Board

Co-ordinator, NSS

Chief Warden

University Engineer

International Students Advisor

Controller of Exam

Deputy Registrar (Exam)

Deputy Registrar (GAD)

Deputy Registrar (Affiliation)

Email Address

vcmlsu@mlsu.ac.in

registrar@mlsu.ac.in

compt@mlsu.ac.in

ucs@mlsu.ac.in

uccms@mlsu.ac.in

uclaw@mlsu.ac.in

ucssh@mlsu.ac.in

dps@mlsu.ac.in

dsw@mlsu.ac.in

chscience@mlsu.ac.in

chcommerce@mlsu.ac.in

cheducation@mlsu.ac.in

chmanagement@mlsu.ac.in

chlaw@mlsu.ac.in

chhumanities@mlsu.ac.in

chsocialscience@mlsu.ac.in

chsportsboard@mlsu.ac.in

conss@mlsu.ac.in

chiefwarden@mlsu.ac.in

uniengineer@mlsu.ac.in

isa@mlsu.ac.in

coe@mlsu.ac.in

drexam@mlsu.ac.in

drgeneral@mlsu.ac.in

draffiliation@mlsu.ac.in

Deputy Registrar Deputy Registrar (Meeting) Deputy Registrar (Recruitment) Deputy Registrar SO, Establishment, UAO Deputy Registrar RTI, UAO Assistant Registrar (degree) Director, Faculty of Management Studies Director, University Computer Centre Head, Department of Physics Head, Department of Botany Head, Department of Chemistry Head, Department of Zoology Head, Department of Geology Head, Department of Maths & Statistics Head, Department of Environmental Science Head, Department of Pharmacy Head, Accountancy & Business Statistics Head, Banking and Business Economics Head, Business Administration Head, Department of Biotechnology Head, Department of English Head, Department of Hindi Head, Department of History Head, Department of Music Head, Department of Philosophy Head, Department of Jainology & Prakrit Head, Department of Rajasthani Head, Department of Sanskrit Head, Department of Urdu Head, Department of Visual Arts Head, Department of Economics Head, Department of Geography Head, Department of Library Science Head, Department of Political Science Head, Department of Psychology Head, Department of Public Administration Head, Department of Sociology
Course Director, MIB
Course Director, MHRM Course Director, MFC Sords Course Director, IT&CS Course Director, Microbiology Course Director, Industrial Chemistry Incharge, Polymer Science Incharge, Computer Science Incharge, Department of Journalism Incharge, Hotel Management Course Director, Biotechnology University Central Library

dyregistrar_gad@mlsu.ac.in drmeeting@mlsu.ac.in drrecruitment@mlsu.ac.in drsoestt@mlsu.ac.in drrti@mlsu.ac.in degreemlsu@mlsu.ac.in fms@mlsu.ac.in ucc@mlsu.ac.in physics@mlsu.ac.in botany@mlsu.ac.in chemistry@mlsu.ac.in zoology@mlsu.ac.in geology@mlsu.ac.in mathstat@mlsu.ac.in envsc@mlsu.ac.in pharmacy@mlsu.ac.in abst@mlsu.ac.in bbe@mlsu.ac.in busadm@mlsu.ac.in biotech@mlsu.ac.in english@mlsu.ac.in hindi@mlsu.ac.in history@mlsu.ac.in music@mlsu.ac.in philosophy@mlsu.ac.in jprakrit@mlsu.ac.in rajasthani@mlsu.ac.in sanskrit@mlsu.ac.in urdu@mlsu.ac.in varts@mlsu.ac.in economics@mlsu.ac.in geography@mlsu.ac.in libsc@mlsu.ac.in polsc@mlsu.ac.in psychology@mlsu.ac.in pubadm@mlsu.ac.in sociology@mlsu.ac.in mib@mlsu.ac.in mhrm@mlsu.ac.in ites@mlsu.ac.in mfc@mlsu.ac.in mbiology@mlsu.ac.in indchemistry@mlsu.ac.in polymer@mlsu.ac.in compse@mlsu.ac.in journalism@mlsu.ac.in mtm@mlsu.ac.in biotech@mlsu.ac.in ucl@mlsu.ac.in \

17. राष्ट्रीय सेवाएँ (National Services)

शिश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवाओं के अन्तर्गत निम्न चार विकल्प उपलब्ध हैं -

(क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.)

(ख) राष्ट्रीय कैंडेट कोर (N.C.C.)

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

(घ) रोवरिंग (Rovering)

(ग) है। इन चारों में से कोई एक विकल्प चुनकर उसमें सम्मिलित हो सकता है। इन चारों राष्ट्रीय सेवाओं के संचालन के विधान प्रभारी हैं, जिनसे विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ाष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.): इसके अन्तर्गत निम्नलिखित खेल वर्ग हैं -

1. क्रिकेट

2. फुटबॉल

3. दौड़-कूद

4. हॉकी

5. वॉलीबाल

बास्केटबॉल 7. हैण्डबॉल

इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को इन सात वर्गों में से एक को चुनना होगा। अपनी रुचि के खेल की व्यावहारिक परीक्षा देनी होगी और उसमें उत्तीर्ण होने पर ही इस संगठन में नामांकन होगा। इसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।

्ख) राष्ट्रीय कैंडेट कोर (N.C.C.) : इसमें सैनिक प्रशिक्षण, महत्वपूर्ण स्थानों पर ग्रीष्मकालीन शिविर, पर्वतारोहण के अवसर प्राप्त होते हैं। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों में अनुशासन एवं सेवा की भावना के साथ-साथ शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इस योजना के अन्तर्गत थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना में से एक शाखा को चुना जा सकता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर में भर्ती होने वाले छात्र के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्वास्थ्य होना चाहिए। राष्ट्रीय कैंडेट कोर की इच्छित शाखा में प्रवेश के आवेदकों में से चयन किया जाएगा। चयन तिथि एवं समय की सूचना केडेट कोर अधिकारियों द्वारा यथासमय घोषित की जाएगी। जो छात्र एन.सी.सी. की इच्छित शाखा में चयनित नहीं होते हैं उन्हें अन्य निर्दिष्ट शाखा में प्रवेश लेने का विकल्प होगा।

उपस्थिति (Attendance)

एन.सी.सी. कैडेटों के लिए 75 प्रतिशत परेडों में उपस्थित रहना अनिवार्य है। निर्दिष्ट शिविरों में भी उन्हें भाग लेना होगा। यूनिट द्वारा निर्धारित तिथि पर गणवेश एवं अन्य सामान दिया व लिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी बिना गणवेश एवं सामान लौटाए सत्र के मध्य में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय छोड़ देता है तो उसका नाम आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस को प्रेषित कर दिया जाएगा।

शाखाओं (Wings) में अन्तर-परिवर्तन की अनुमित नहीं है। एन.सी.सी. के तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण कुछ चयनित छात्रों को ही दिया जाएगा।

प्रमाण पत्र परीक्षाएँ (Certificate Examinations)

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में वे प्रशिक्षणार्थी 'बी' प्रमाण पत्र के पात्र होंगे जिन्होंने एक शिविर में भाग लिया हो तथा प्रत्येक सत्र में जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत हो।

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में 'सी' प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए वे ही केडेट पात्र होंगे जिन्होंने 'बी' प्रमाण पत्र उत्तीर्ण किया हो, दो शिविरों में भाग लिया हो तथा प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण की हो।

एन.सी.सी. के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं में कमीशन

सशस्त्र सेनाओं में कमीशन के लिए आवेदन-पत्र, केडेट अपने एन.सी.सी. यूनिट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर जिस सेवा के लिए उन्होंने आवेदन किया है उसकी चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उन्हें उपस्थित होना प्रकेष होना पड़ेगा। कमीशन के प्रत्याशियों की योग्यता का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-

शल सेना

- वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक
- 2. 19 से 22 वर्ष की आयु
- एन सी. सी. का 'सी 'परीक्षा (थल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

जल सेना

- भौतिक विज्ञान एवं गणित विषय का स्नातक अथवा अभियांत्रिक उपाधि धारक
- 2. 19 से 22 वर्ष की आयु
- एन.सी.सी. का 'सी 'परीक्षा (जल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

वायु सेना (सामान्य सेवाएँ)

- 1. वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक
- 19 से 22 वर्ष की आयु
- एन सी.सी. का 'सी 'परीक्षा (वायु शाखा) छोड़ने के एक वर्ष भीतर प्रस्तुत हो।

निस्सारण (Discharge)

छात्रों को एन.सी.सी. छोड़ने के एक वर्ष के भीतर अपने युनिट कमाण्डर से निस्सारण प्रमाण-पत्र (डिस्वार्ज सटिफिकेट) ले लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने एन.सी.सी. अफसर के माध्यम से आवेदन भेजना चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) : इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय के युवा वर्ग की शक्ति को राष्ट्रीय सेवा प्रयोजनाओं में लगाना है। सामान्यतया इसका लक्ष्य नेतृत्व गुणों का विकास करना एवं श्रम की गरिमा का पोषण करना है। कल्याणकारी गतिविधियों के तीन क्षेत्रों, यथा ग्रामीण, नगरीय एवं संस्थागत की उन्नति के लिए यह योजना सामृहिक जीवन का प्रशिक्षण देती है।

इसके अतिरिक्त एन एस एस. द्वारा ग्रामीण विकास के लिए एक वर्ष में दो अनिवार्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। कुछ विद्यार्थी प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय शिविरों में भी भेजे जाते हैं। इस योजना में सम्मिलित होने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष 65 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करनी होगी।

विञ्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में एन.एस.एस. की इकाइयाँ इस प्रकार हैं:-

विञ्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय	2 इकाइयाँ
विश्वविद्यालय सा. वि. एवं मा. महाविद्यालय	2 इकाइयाँ
विञ्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध महाविद्यालय	2 इकाइयाँ
विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय	1 इकाई
प्रबन्ध अध्ययन संकाय	1 इकाई

प्रबन्ध अध्ययन संकाय को छोडकर प्रत्येक इकाई 100 विद्यार्थियों पर गठित की जाती है।

(घ) रोवरिंग (Rovering) : विश्वविद्यालय स्तर पर स्काउटिंग की गतिविधियों का संचालन रोवर्स के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक छात्र, जिसने विद्यालय स्तर पर स्काउटिंग का अपेक्षित अनुभव ग्रहण किया है, विश्वविद्यालय स्तर पर रोवर के रूप में पंजीकृत हो सकता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर रोवर कार्यक्रमों में योग्यतानुसार भाग ले सकता है। निम्न कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किए जाते हैं-

1.	साक्षरता अभियान, सामाजिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा	2. औषधालय सेवा
3.	गन्दी बस्तियों की सफाई	4. ग्रामीण विकास
5.	जरूरतमंदों की सहायता	6. राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम
7.	परिसर विकास	8. प्रकल्प निदेशकों द्वारा निर्धारित अन्य कार्य।



18. खेल-कृद (Games & Sports)

अध्यक्ष - प्रो. सी. आर. सुवार प्रभारी - डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान

विश्वविद्यालय में खेलों के विकास हेतु एक कीड़ा मण्डल की स्थापना की गई है जिसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कीड़ा मण्डल रखा गया है। कीड़ा मण्डल का कार्यकाल दो वर्ष का होता है तथा इसके पश्चात् विश्वविद्यालय के कलपति द्वारा इसका पुनर्गठन किया जाता है।

विश्वविद्यालयं प्रतिवर्षं अन्तर-महाविद्यालयं प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करता है। विश्वविद्यालयं की टीमें अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती है। विश्वविद्यालयं का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को गणवेश (Uniform) के लिए निशुल्क एक ट्रेकसूट विश्वविद्यालयं क्रीड़ा मण्डल द्वारा तथा आर्थिक सहयोग (Subsidy) ह1100/- प्रति किट दिया जाता है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल के लक्ष्य और उद्देश्य शारीरिक शिक्षा व खेलों के द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों व खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास करना है। विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल प्रतिवर्ष अन्तर महाविद्यालय खेल-कूद प्रतियोगिताएँ अन्तर महाविद्यालय क्रीड़ा मण्डल द्वारा प्रदत्त नियमों तथा निर्देशों के आधार पर आयोजित करता है। अन्तर विश्वविद्यालय खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल अपना दल भेजता है। हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन कर इन प्रतियोगिताओं में कई बार विजय व उच्च स्थान प्राप्त किए हैं। बास्केटबॉल, टेबल-टेनिस, बेडिमण्टन, खो-खो, जिमनास्टिक, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी, हैण्डबॉल, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, बेस्ट फिजिक, पॉवरिलफ्टिंग, फुटबॉल, कबड्डी, शातरंज, कुश्ती, तैराकी, बॉक्सिंग, जूडो, तीरंदाजी, सॉफ्टबॉल, शूटिंग, वॉलीबाल, ताइक्वाडो, स्केवश कयािकंग-केनोइंग एवं योगासन आदि खेल-कूदों की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी क्रीड़ा मण्डल द्वारा किया जाता है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल योग केन्द्र के तत्वावधान में योग शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय पूर्णकालीन) पाठ्यक्रम चल रहा है। इसमें प्रवेश क्षमता 40 है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल के तत्वावधान में शारीरिक शिक्षा M.P.Ed में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसमें छात्रावास सुविधा के साथ प्रवेश क्षमता 50 सीट हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आर्थिक सहयोग से क्रीड़ा मण्डल द्वारा साहसिक खेल (Adventure Sports) वाटर स्योर्टस, वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पैरासेलिंग, रिवर राफ्टिंग आदि खेलों के आयोजन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस (मेजर ध्यानचन्द जन्म दिवस) के अवसर पर अन्तर्महाविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ अन्तर्विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं तथा अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों तथा टीम अधिकारियों को माननीय कुलपित महोदय द्वारा सम्मानित किया जाता है।



मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

क्र.स. विभिन्न प्रवृतियाँ	निर्धारित दिनांक
1. शैक्षणिक सत्र का शुभारम्भ	1 जुलाई, 2017
2. अध्यापन आरम्भ	1 जुलाई, 2017
3. डॉ. डी.एस. कोठारी जयन्ती	06 जुलाई, 2017
4. मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान	31 जुलाई, 2017
5. सभी कक्षाओं में स्थानों की रिक्तता आदि के आधार पर	05 अगस्त, 2017
प्रवेश की अंतिम तिथि	
6. छात्रसंघ चुनाव	राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुसार
7. कोरियर गाइडेन्स प्रोग्राम	15 अगस्त से 5 सितम्बर, 2017
8. पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	विश्वविद्यालय की घोषणा के अनुसार
9. रक्तदान शिविरों का आयोजक	25 सितम्बर, 2017, पं. दीनदयाल जयंत्री
10. रक्तदान शिविरों का आयोजक	23 जनवरी, 2018, सुभाष जयंती
11. गांधी जयन्ती व्याख्यान	02 अक्टूम्बर, 2017
12. दशहरा अवकाश	28 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2017
13. दीपावली अवकाश	13 अक्टूम्बर से 21 अक्टूम्बर, 2017
14. दीक्षांत समारोह	21/22 दिसम्बर, 2017
15. शीतकालीन अवकाश	25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2017
16. स्वामी विवेकानन्द जयन्ती	12 जनवरी, 2018
17. सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ	31 जनवरी, 2018 तक
18. सह-छात्रसंघ शैक्षणिक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	31 सितम्बर से 15 दिसम्बर, 2017 तक
(केन्द्रीय एवं संघठक महाविघालय छात्रसंघ)	
19. छात्रसंघ सांस्कृतिक कार्यक्रम	15 दिसंम्बर, 2017
20. शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक भ्रमण	31 जनवरी, 2018
21. राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर रोवर स्काउट	31 जनवरी, 2018 तक
गाईड के शिविरों का आयोजन	
22. महाराणा भूपाल जयन्ती	22 फरवरी, 2018
23. अम्बेडकर जयन्ती	14 अप्रेल, 2018
24. सत्र का अन्तिम कार्य दिवस	
25. ग्रीष्म कालीन अवकाश	30 अप्रेल, 2018
26. महाराणा प्रताप जयंती	1 मई, 2018 से 30 जून, 2018
20. नहीराणा प्रताप ज्यता 27. नवीन सत्रारम्भ	7 जून, 2018
	01 जुलाई, 2018

टिप्पणियाँ

- 1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक है।
- 2. स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की कक्षाओं में दिनांक 1.7.2017 तक बिना अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित हुए छात्रों को अस्थायी प्रवेश दे दिया जाएगा तथा दिनांक 1.7.2017 से नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भक्ष दिया जाएगा। कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका में अंकित की जाएगी तथा उसी तिथि में उपस्थिति की गणना की जाएगी।
- 3. सेमेस्टर : प्रारम्भ 15 जुलाई एवं 01 जनवरी

20. महत्वपूर्ण दूरभाष (Important Telephone No.)

1.	कुलपति	प्रो. जे. पी. शर्मा	कार्यालय
		रामा	2470597
2.	कुलसचिव	श्री हिम्मत सिंह भाटी	2470166
3.	वित्त नियंत्रक	श्री गिरीश कच्छारा	2470621
4.	परीक्षा नियंत्रक	डॉ. आर.सी. कुमावत	2471372
5.	उप-कुलसचिव (परीक्षा)	श्री हरकेश मीणा	2470749
6.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	डॉ. जी.एल. वसीटा	2470863
7.	विश्वविद्यालय अभियन्ता	श्री ए. एस. खान	2471900
8.	सहायक कुलसचिव	श्री मुकेश बारबर	2470707
1.	अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन	प्रो. सीमा मलिक	2471794
2.	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	प्रो. मदन सिंह राठौड़	2413120
3.	संकायाध्यक्ष, एवं अधिष्ठाता विज्ञान महाविद्यालय	प्रो. बी. एल. आहुजा	2413955
4.	संकायाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय	प्रो. जी सोरल	2411408
5.	अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय	प्रो. साधना कोठारी	2470143
6.	अधिष्ठाता विधि महाविद्यालय एवं संकायाध्यक्ष	प्रो. आनन्द पालीवाल	2470958
7.	संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान	प्रो. मोनिका नागौरी	2470143
8.	संकायाध्यक्ष, मानविकी	प्रो. सीमा मलिक	2470143
9.	संकायाध्यक्ष एवं निदेशक, प्रबन्ध	प्रो. अनिल कोठारी	2470208
10.	अध्ययन संकाय संकायाध्यक्ष, पृथ्वी विज्ञान	प्रो. हर्ष भू	2413955

	11.	संकायाध्यक्ष, शिक्षा	प्रो. साधना कोठारी	2470143
	12.	ऑफिसर इंचार्ज, केन्द्रीय पुस्तकालय	प्रो. हनुमान प्रसाद	2471370
	13.	ऑफिसर इंचार्ज वि.वि. अतिथि गृह	ह प्रो. अशोक सिंह	
	14.	निदेशक, कम्प्यूटर सेन्टर	प्रो. बी. एम. व्यास	2471370
	15.	मुख्य वार्डन, छात्रावास	प्रो. अनिल कोठारी	2470208
	16.	अध्यक्ष, क्रीड़ा मंडल	प्रो. सी. आर. सुथार	2417308
	17.	निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद्	प्रो. एम. एल. नागौरी	2413955
	18.	निदेशक, महिला अध्ययन केन्द्र	प्रो. दिग्विजय भटनागर	2470143
	19.	निदेशक, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र	प्रो. पी. एम. यादव	2470117
	20.	विभागाध्यक्ष, भू-विज्ञान विभाग	प्रो. हर्ष भू	2413955
į	21.	विभागाध्यक्ष, फॉर्मेसी विभाग	प्रो. ललित सिंह चौहान	2470192
	22.	समन्वयक, अनु.जाति व जनजाति प्रकोष्ठ	प्रो. हनुमान प्रसाद	2471949
	23.	समन्वयक, प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	प्रो. प्रदीप त्रिखा	2470143
	24,	समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्रो. सी. आर. सुथार	2470143
	25.	उप-पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय	डॉ. रामकेश मीना	2470602
2	.6.	प्रभारी, विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल एवं समन्वयक योग केन्द्र	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान	2417308
2	7.	अन्तर्राष्ट्रीय, विद्यार्थी परामर्शदाता	प्रो. संजय लोढ़ा	2470143
2	8.	पूछताछ - परीक्षा		2470749
2	9.	प्रशासनिक कार्यालय (ई.पी.ए.बी.		2471035
		एक्स)		2470918
				2470509


EPABX TELEPHONE FACILITY NEW CAMPUS TELEPHONE NUMBER LIST EPABX LINE: 2471035, 2470918, 2471969 EPABX WILL BE OPERATED ONLY DURING OFFICER HOURS

University Adm Block V.C. Secretariat V.C. Se
V-C Secretarial
Vice-Chancellot Retiring Room Retiring Room S100, S102 Pst o vice-Chancellor S100, S102 Pst o vice-Chancellor S102 Pst o vice-Chancellor S102 Pst o vice-Chancellor S102 Pst o Librarian S180 P
Post vice - Chancellor Store Store
PS to vice* Chancellof Meeting Hall 3103 PS to Librarian 3184 P.G. Studies Dean, P.G. Studies Dean, P.G. Studies Studies Dean, P.G. Studies Studies Studies Dean, P.G. Studies S
Meeting Hall P.G Studies Dean, P.G Studies Dean, P.G Studies Dean, P.G Studies Dean, P.G Studies Studies Dean, P.G Studies Dean, P.G Studies Studies Studies Book Issue Counter 3189 Store Registrar 3140 Periodical Book Issue Counter 3189 Store Studies Studi
Periodical 3186 3186 3186 3186 3186 3186 3186 3186 3189 3180 3189 3189 3189 3189 3189 3189 3189 3189 3180 3189 3180 3189 3
Dean, P.G Studies Sillo Book Issue Counter 3189
Registrar Office Registrar
Pool Officer 3121
Post
Asstt. Registrar(GAD) 3111 Asstt. Registrar(Estt.) 3126 General Section 3124 Meeting Section 3127 Recruitment Section 3128 Computer Room 3122 SC/ST Cell 3126/3300 DC Comptroller 3141 PS to Comproller 3150 Comptroller 3151 Account Officer (Tender) 3151 Account Officer (Planning) 3153 Section Officer(Planning) 3153 Section Officer(Comp.) 3168 Section Officer(Cash) 3178 Cheque Section 3129 Asstt. Registrar 3299 NTSA Officer(Central) 3191 NTSA Officer(Central) 3192 Sahayak Karmachary Union 3195 H ESTATE OFFICE Univ Engineer 3390 Estate Office Dean 3400 PS To Dean 3400 Asstt. Registrar 3402 Section Officer 3171 Library 3404 A.D.S.W 3408 III UNIV COLLEGE OF SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES A Office Dean 3200 Chairman(Social Science 3272 Chairman(Humanities) 3240 Assoc. Dean 3365 Assoc. Dean 3306 Section Officer 3203
Asstt. Registrar(Estt.) 3126 NTSAOfficer(Admin) 3192 General Section 3124 Sahayak Karmachary Union 3195 Meeting Section 3127 H ESTATE OFFICE Recruitment Section 3128 Univ Engineer 3390 SC/ST Cell 3126/3300 II LAW COLLEGE Dean 3400 Dean 3400 PS to Comptroller 3151 Asstt. Registrar 3402 PS to Comptroller 3151 Asstt. Registrar 3402 Account Officer(Tender) 3175 Section Officer 3403 Sr. Account Officer 3171 Library 3404 Internal Audit 3152 A.D.S.W 3408 Section Officer(Planning) 3153 III UNIV COLLEGE OF SOCIAL Section Officer(Bill) 3166 A Office Section Officer(Comp.) 3168 PS to Dean 3200 Section Officer(Cash) 3178 Chairman(Humanities) 3240 Chairman(Humanities) 3240 Assoc. Dean Assoc. Dean 3365
General Section 3124 Sahayak Karmachary Union 3195 Meeting Section 3127 H ESTATE OFFICE Recruitment Section 3128 Univ Engineer 3390 Computer Room 3122 Estate Office 3393 SC/ST Cell 3126/3300 II LAW COLLEGE Dean 3400 Dean 3400 PS To Dean 3400 PS to Comptroller 3151 Asstt. Registrar 3402 Account Officer (Tender) 3175 Section Officer 3403 Sr. Account Officer 3171 Library 3404 Internal Audit 3152 A.D.S.W 3408 Section Officer(Planning) 3153 III UNIV COLLEGE OF SOCIAL Section Officer(PF) 3165 SCIENCE & HUMANITIES SCIENCE & HUMANITIES A Office Dean 3200 PS to Dean 3200 Section Officer(Cash) 3178 Chairman(Social Science 3272 Chairman(Humanities) 3240 Assoc. Dean 3365 Asstt. Registrar <td< td=""></td<>
Meeting Section Recruitment Section 3128 Univ Engineer 3390
Recruitment Section 3128
SC/ST Cell 3126/3300 II LAW COLLEGE
Comptroller Office
Dean Scotion Officer Dean Scotion Officer Compton
Comptroller 3141 PS To Dean 3400 PS to Comproller 3150 Head. Law Deptt 3410 Dy. Comptroller 3151 Asstt. Registrar 3402 Account Officer(Tender) 3175 Section Officer 3403 Sr. Account Officer 3171 Library 3404 Internal Audit 3152 A.D.S.W 3408 Section Officer(Planning) 3153 SCIENCE & HUMANITIES Section Officer(PF) 3165 SCIENCE & HUMANITIES Section Officer(Comp.) 3168 Dean 3200 Section Officer(Cash) 3178 Chairman(Social Science 3272 Chairman(Humanities) 3240 Assoc. Dean 3365 Asstt. Registrar 3306 Store 3177 Section Officer 3203 E Examination Exam. Control Romm 3374
PS to Comproller 3150
Dy. Comptroller 3151
Account Officer (Tender) 3175 Section Officer 3403
Sr. Account Officer 3171
Sr. Account Officer S177
Internal Audit Section Officer(Planning) 3153 III UNIV COLLEGE OF SOCIAL
Section Officer(PF) 3165 SCIENCE & HUMANITIES
Section Officer(FF) 3166 Section Officer(Bill) 3166 Dean 3200
Section Officer(Comp.) 3168 Dean 3200
Section Officer(Comp.) 3168 PS to Dean 3200 Section Officer(Cash) 3178 Chairman(Social Science 3272 Cheque Section 3169 Chairman(Humanities) 3240 Pension Cell 3173 Assoc. Dean 3365 IQAC Cell 3123 Asstt. Registrar 3306 Store3177 Section Officer 3203 E Examination Exam. Control Romm 3374
Section Officer(Cash) 3178 Chairman(Social Science 3272 Cheque Section 3169 Chairman(Social Science 3240 Pension Cell 3173 Assoc. Dean 3365 IQAC Cell 3123 Asstt. Registrar 3306 Store 3177 Section Officer 3203 E Examination Exam. Control Romm 3374
Cheque Section
Pension Cell 3173 Assoc. Dean 3365 IQAC Cell 3123 Asstt. Registrar 3306 Store 3177 Section Officer 3203 E Examination Exam. Control Romm 3374
IQAC Cell 3123 Asstt. Registrar 3306 Store3177 Section Officer 3203 E Examination Exam. Control Romm 3374
Store 3177 Section Officer 3203 E Examination Exam. Control Romm 3374
E Examination Exam. Control Romm 3374
Controller of Examination 3144 Store 3305
Science & Comm. Faculy 3131 Student Sec. 3205
Asstt. Registrar(Degree) 3137 B Departments 3133 3370
Dy. Registrar(Exam) Head. Visual Alts
Accounts(Exam.) Head, Economics 3220 3237
Section Officer (Exam) Head, English 3225
Asstt. Registrar(Secy.) 3145 Language Lao. English 3308
Section Officer(Secy.) 3145 Head. Geography 3202
UG/PG Arts Faculty (Secy.) 3140 Head. Hindi
Examination Store 3130 Head. History
Section Officer(Exam) 3132

C.	Head. Library Science Head. Music Head. Philosophy Head. Political Science Head. Jainology & Prakrit Head. Psychology Head, Sanskrit Head, Sociology Head, Urdu Head, Pub. Admin Miscellaneous Library	3260 3270 3280 3290 3310 3320 3342 3372 3106 3198	D. E. F. G. H.	Director P.R.C office Competitive Examination Examination Competitive Examination Examination Examination Examination Competitive Examination Examination Examination Examination Examination Examination Examination Examination Examination Examinat	3450
	A.D.S.W Physical Education Director, Women Studies Adult Education Information Bureau	3380 3385 3386 3398	J.	Prof. Hanuman Prasad Computer Application Cent Prof. I. M. Kayamkhani	3300/325 r 3201/327

M.B. CAMPUS TELEPHONE NUMBER LIST EPABX LINE: 2413955, 2412009, 2414366

IV	University College of Scien	ce		Dr. Sudhish Kumar	2245
A.				Internet Center	2249
	Dean	2200		Store	2155
	PS to Dean	2200	F.	Department of Zoology	
	Astt. Registrar	2202		Head	2280
	Office	2203, 2288		Office	2253
	Library	2204	G.	Department of Geology	
	Examination Room	2206		Office	2413
B.	Department of Botany			Library	2414
	Head	2210	H.	General Facilities	
	Office	2213		NTSA	2209
	Dr. K. Sharma	2214		Estate Office	2281
	Dr. Sandhya Tyagi	2216		Games	2287
	Dr. Jaya Arora	2217		Employment Office	2227
	Dr. Harish	2211		Workshop	2111
C.	Department of Chemistry			Office Computer Center	2273
	Head	2220		Girls Hostel Warden	2113,2110
	Office	2223	V	University college of Comm	
	Dr. Anita Mehta	2174		Management Studies	
	Polymer Science	2229	A.	College Office	
D.	Department of Mathematics	& Statistics		Dean	2301
	Head	2230		PS to Dean	2302
	Office	2233		Section Officer	2303
	Dr. G.S. Rathore	2236		Library (Astt. Lib)	2304, 2345
	Dr. Atul Tyagi	2237		Office	2306
	Dr. Rakeshwar Purohit	2235		Cash section	2307
E.	Dr. S.K. Gandhi	2239		Store	2308
	Department of Physics Office			Examination Control Room	2309
	Prof. B.LAhuja	2243	B.	Department of Accountancy	and Statistics
	Prof. N. Laxmi	2290		Head	2321
	Prof. M. Roy	2129		Office	2322
	T. Kuy	2101		Prof. G.Soral	2323



Scanned with CamScanner

1 h
10.04
-
E.
阿
The same of
100
200
75.0
100
事
and the second
存
_
a d
The second second
E
Street, or other party of
_
E E
ALC: NO
7.1
_
=
F .
o .
o .
o .
o .
o .
वश्व
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .

	EMAILID	govtcollegebsw@gmail.com hdjgirlscollege@cobeco	bymtrc@yahoo.com dnsfawcollege@yahoo.in	mbdcollege21@yahoo.in pspcollege@gmail.com	college.vivekanandghatol@rediffmail.com sdrkcollege@amail.com	Vagadcollegekotda@yahoo.com aravaliabhi@ommil	mgtt@rediffmail.com, prateckjain.pharma@gmail.com	com	vanitatrivedi07@gmail.com	maharanapratapcollege2007@gmail.com	vivekanandcollege2007@gmail.com	wagarshreecollege@yahoo.in	ovouoanswara.d.gman.com shreeyogeshwareducate.d.gmail.com	globalcollege211@yahoo.com		,	adatesticottege_cortoggnaticom Mycioulana_2009@email.com mah.val2009@email.com		344 leocollegebsw@gmail.com	454 sarvodaygirlscollegeciigmail.com		ON Recellegegeneores@genetif.com
		9413118616 02962244162	9887676743	9414385692	9828058477	982824003 9414788601	9784296594	9414101023	9414101076	9460321032	9610030215	9571303490	OF THE PARTY OF TH		9610692369	1408117866	9772433546	9414104028	9414015344	9001999454	9828035409	9414353608
	PRINCIPAL CONTACT		9887214600 9887 9680397006 946				9414290631 978				95/1861233 90		-	9784420001	9414741526	8107359200	9983260405	8875313420	9414015344	9414104044	8432707223	9829468871
BANSWARA		GOVT 94 B.ED. 99	TE.	PRIVATE 90			B.ED. 9		B.ED.	PRIVATE	PRIVATE	B.ED.	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE
	GOVIND GURU GOVT COLLEGE BANSWARA HARIDEV JOSHI GOVT. GIRI S COLLEGE	B.V.M. T.T. COLLEGE, BANSWARA DR.N.S LAW COLLEGE BANSWARA	P.S.P. P.G. COLLEGE, RUSHALGARH, BANSWARA	SARVEPALLI DR. RADHAKRISHNAN GOLLE			NEW LOOK GIRLS' P.G. COLLEGE BANGWARA							UTKARSH COLLEGE SAHANGABH			MAHARSHI VALMEEKI COLLEGE JOULANA	MAHI KALA MAHAVIDHYALAYA, CHOTI SARWAN, BANSWARA	LEO COLLEGE, BANSWARA	SARVODAY MAHILA COLLEGE BAGIDORA		L.B.S. COLLEGE, GANORA, BANSWARA
S.No. CCODE	2 8	4 v =	2 87 89	8 6	102	119		154				881	211	213	217	220	221	222	228	230	232	233
S.N	- 2 -	v 4 n	9 1	- ∞	9 01	= 5	13	14	15	91	7 0	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28



Saternalisconlege k.p. D.gman. John. jambukhandcollege (J.gmai). John	mtcollege2012@gmail.com	adarshcollegeghatol@gmail.com	mbcollege.kushalgarh@gmail.com	mgacademic2014@gmail.com, prateekjain.pharma@gmail.com	mscollege2012@gmail.com	262svc@gmail.com	mansigirlscollegea@gmail.com	saredibadisaraswaticollege@gmail.com	shivankaricollege@gmail.com	newlookgirlscollege@yahoo.com	baishabri@gmail.com	rahul.dindor5(a)gmail.com		gmcollegeghatol@gmail.com			mppg_College@yahoo.co.in, acadmppg1962@gmail.com	girlscollegecor@gmail.com	ssgcm1997@gmail.com	college.nimbahera@gmail.com	mtkapasan1@gmail.com	maharanapratapcollege@gmail.com	srkc.begun@gmail.com	rntlawchittorgarh@gman.com	spcollegebsr/0@gman.com	VISION INGINICAS AMOO COM	mgimt04@yanoo.com	dreirishsharma385@gmail.com	meeracollege@gmail.com	sntt.barisadri@gmail.com		
8239671157 jan	8	9610256424	9414101867	9784296594	9950498341	9828565752	9772123213	9549373926	9649844954	9414101023		9982702918	9950155566	9829874570	8094137089		9414497685	9414182525	9414740788	9413047570	9414304539		9413053510	9828058477	9414158100		9829240454	1472251101	95/1025505	9414158100		
7297048750 82396	0	9166784951 967	9461227634 94	9414290631 9	9414102210	7733951515	9660726345	7689030878	9587700556	7665933176	9602158130	9983927928	8107818224	9929333355	9549216309	ARH	9413641772	9413730253	9414464010	9414374345	9828058477	9414377185	9414342622	9418485466	9828427329	9414156609	9414396303	9414796788	9521413942	9828427329		
TPCT STAVIDG	mi	113	PRIVATE 94	PRIVATE 9	PRIVATE 9	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	CHITTORGARH	GOVT	GOVT	GOVT	GOVT	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	B.ED.	B.ED.	B.ED.	-	
	JAMBU KHAND MAHAVIDH TALATA KALINAKA	A 80	MAA BHARTI COLL FGE KUSHALGARH	MAHATMA GANDHI COLLEGE, BANSWARA	MAA SHARDE COLLEGE, GANGRATALAI BANSWARA	SHRI VIPUL COLLEGE, DUNGARA BADA, BANSWARA	MANSI MAHII A MAHAVIDYALAY, ANANDPURI, BANSWARA	SADA SWATT COLLEGE SAREDI BADI BANSWARA	SHIVANK ABI COLLEGE KASARWADI SAJIANGARH	NEW LOOKS GIPLS COLLEGE PARTAPUR	REAL SHABBI MAHILA MAHAVIDHYALAY, CHANDARWARA, BANSWARA						TO THE POST OF THE PURITOR CABIN		GOVT, GIRLS COLLEGE, CHILLIONGARD		20 DR.BHIMKAU AMBEDIAEN CONTROL	S4 R.N.T. P.G. COLLEGE NAFASAN	SS MAHARANA PRAIM COLLEGE, ROMANIA	56 S.R.K COLLEGE BECOM		70 S.P. COLLEGE, BADE STATES CHITTORGARH	80 VISION COLLEGE OF CONTROL CONTROL OF CONT			121 MEERA MAHILA B.ED, COLLEGE, CHITTORGARH		
			243	244	245	696	364	107	207	100	187	284	280	205	203			48 6	49 7		51 2	52	53	54	55	99	5.7	28	59	8 3	6. 59	
233	238	7 8	8 5									2 3	: 4	3 4	1			7													100	

EMAIL.ID	mtbedcollege@yahoo.in	vbcbhadesar@gmail.com, mukeshameta@gmail.com	ompermesh@rediffmail.com	rntkapasan1@gmail.com	bmttcollegechittor@yahoo.com	drgirishsharma385@gmail.com	mett.gangrar@gmail.com	bahubaligroup@rediffmail.com, poonammihir123@gmail.com	asnsvt@yahoo.in	collegakc@gmail.com	college.suyash@gmail.com	govtcollegekapasan@gmail.com		omparmesh@rediffmail.com	ostwalhs1@gmail.com	rawatbhatacollege2016@gmail.com		sbpgcd@gmail.com	vkbcollegedpr@gmail.com	rmahent@yahoo.com	govtcollegesagwara@yahoo.in	sncdpr@gmail.com	mmchitri@gmail.com	vagvargirlscollege@yahoo.in	gurukulartscollege@gmail.com	gurukarmaasp@gmail.com	pragaticollegedpr@gmail.com	mbmttc@gmail.com	jaselacollege@gmail.com	gyayaksagwara@gmail.com	siddhicollege@yahoo.com	mahicollegesabla@gmail.com	mmchitri@gmail.com	vagadeollege9@gmail.com
IPAL ACT	1472251814	9799054539		9829413527	8290141141	9252061385	9460179787	9314167748	7568761455	1472512329	9413076984	8003275697			9929104949			9460407120	9414353095	9828264081	9460908114	9414352319	9413830231	9414725013	7665116116	9783920987	2964231122	2964224438	7742283699	9414101433	7568900720	9460116012	9928281428	0028587191
PRINCIPAL	9414181595	9166357011	9001789644	9828058477	9314121906	9694227373	9460179787	9413480165	9413372905	7023301058	9414164608	9829047377	9660275907	9001789644	7340010512	9413127828	PUR	9413118418	9460581487		9413750394	9001384880	9783797907	8290289588	9950723262	9414326828	9414352319	9414419697	9571806236	9023073905	9983766054	9680417306	9783797907	9468734314
TYPE	B.ED.	PRIVATE	PRIVATE	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	GOVT	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	GOVT	DUNGARPUR	GOVT	GOVT	B.ED.	GOVT	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	B.ED.	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE
COLLEGE NAME	R.N.T.COLLEGE OF B.Ed., CHITTORGARH	VEDANT BHERAV COLLEGE BHADESR	RAJSTHAN DEGREE COLLEGE MANGALWAD	R.N.T.COLLEGE OF TEACHERS TRAINING, KAPASAN	BHAGAWATI MAHILA T.T. COLLEGE, BASSI, CHITTORGARH	SHARDHALAYA WOMEN T.T. COLLEGE, RAWATBHATA	MEWAR COLLEGE OF T.T., GANAGRAR, CHITTORGARH	BAHUBALI B.ED COLLEGE, BADWAI, CHITTORGARH	ACHARYA SHREE NANESH SAMTA MAHAVIDYALAYA DANTA,	AKC COLLEGE CHITTORGARH	SUYASH COLLEGE, RASHMI, CHITTORGARH	GOVT. COLLEGE, KAPASAN, CHITTORGARH	Veer Bhomi Girls College Of Technical And Management Studies, begun	OM SHIV SANSTHAN COLLEGE MANGALWAD	U.S. OSTWAL SCIENCE & ARTS COLLEGE, TOLL PLAZA, MANGALWAD,	GOVT. COLLEGE, RAWATBHATA, CHITTORGARH	これのことには いいかい これの 一般の 一般の 一般の 一般の 一般の 一般の 一般の 一般の 一般の 一般	S.B.P.GOVT. COLLEGE, DUNGARPUR	V K B GIRLS COLLEGE, DUNGARPUR	M.S.R.D. T.T. COLLEGE, DUNGARPUR	GOVT. COLLEGE, SAGWARA, DUNGARPUR	S N CHOUBISA COLLEGE SIMALWARA, DUNGARPUR	MAHILA MAHAVIDYALAYA SAGWARA	VAGVAR GIRLS'S COLLEGE, SAGWARA, DUNGARPUR	GURU KUL ARTS COLLEGE DUNGARPUR	GURUKUL DEGREE COLLEGE ASPUR	PRAGATI COLLEGE DUNGARPUR	M.B MAHILA T.T COLLEGE, DUNGARPUR	ARTS COLLEGE JASELA, CHITRI, DUNGARPUR	GYAYAK COLLEGE, SAGWARA, DUNGARPUR	SIDDHI COLLEGE SAGWARA DUNGARPUR	MAHI COLLEGE OF EDUCATION SABLA	MANAS MAHAVIDALYA CHITRI DUNGARPUR	VAGAD COLLEGE, BADGI, DUNGARPUR
S.No. CCODE	129	139	144	160	170	182	185	190	197	215	253	259	277	279	292	298		∞	6	10	25	84	86	104	105	112	114	127	202	210	219	223	227	246
S.No.	63	49	65	99	19	89	69	70	7.1	72	73	74	75	92	77	78		62	80	81	82	83	84	85	98	87	88	68	06	16	92	93	94	98

rajnoble-dryft@granh.Lorn, Ropedbles, contegripate of peace of the surrich of the sunriscoollege Ogranil.com sunriscoollege 2015@gnail.com Gurukripa.Peeth@gnail.com, Jangd078@gnail.com	00	9928281428 mmobri2013@gmail.com kmgrilscollege@yahoo.com		coosessistem concollege64@email.com				9413118122 shreenathcollege@gmail.com	9414567898 vidyanagarcollege@gmail.	8880423331 sgceducations@gmail.com	9783920987 gurukarmaasp@gmail		9414872044 principalgovtcollegepratapgarh@gmail.com	9969003797 mvmttc_pgh@rediffmail.com	9928633855 svac.dwd@gmail.com				9352866773 lbs pgh@rediffmail.com						9414104028 trinitycollegedalot@yahoo.com	9414101330 gayatricollege266@gmail.com	9460246578 rntcollege267@gmail.com	gcchhotisadri@gmail.com
940,516,035 TATACETRIF 541,456,145,614,914,514,614,914,914,914,914,914,914,914,914,914,9	3	9783797907, 9928	9414300393					9414347930 941	9983004317 941	8094064441 888	9414326828 978	ARH	9460003193 941	9460827396 996	9799806998 992		9694746684 941								7726901588 941	9549379326	9549373926	9414731126
TE 94 TE 7	PRIVATE	PRIVATE	PKIVALE	PRIVALE			PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRATAPGARH	GOVT	B.ED.	PRIVATE	PRIVATE	B.ED.	B.ED.	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	GOVT	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	GOVT
PR PR	GURUKRIPA SHIKSHAN SANSTHAN COLLEGE, PEETH DUNGAKTUR KAMAKSHA COLLEGE, SARODA, DUNGARPUR	MANAS COLLEGE, OBRI, DUNGARPUR	K.M.GIRLS COLLEGE SAGWARA	SUNROSE COLLEGE SAGWARA	SHREE MAA PITAMBER COLLEGE DUNGARPUR	PUNJI LAL DAMOR CHORASIGARH COLLEGE, SIMALWARA, DUNGARPUR	HIMALAYA MAHAVIDHAYALAY DUNGARPUR	SHREENATH COLLEGE, DUNGARPUR	VIDHANAGAR COLLEGE, PANCHVATI, SAGWARA, DUNGARPUR	SONAKSHI GIRI S COLLEGE, SIMALWARA, DUNGARPUR	GURUKUL DEGREE COLLEGE, PUNIPUR, DUNGARPUR	いからいからいのでははは大きないのであるというというできない。	GOVT PG COLLEGE PRATAPGARH	MAHILA VIDHYA MANDIR T.T. COLLEGE, PRATAPGARH	SIDDHESHWAR VINAYAK ARTS COLLEGE DHARIYAWAD	APC COLLEGE, PRATAPGARH	S.V. COLLEGE T.T. DHARIYAWAD	MORDERN SAWALIYA T.T. COLLEGE, CHHOTI SADRI, PRATAPGARH	L.B.S. COLLEGE, PRATAPGARH	SAMANT BHADRA GIRLS COLLEGE DHARIYAWAD		IDEALS INTERNATIONAL COLLEGE DHARIYAWAD	8 J.R GIRLS COLLEGE PRATAPGARH	8 GOVT.COLLEGE DHARIYAWAD				
																130	176	181	205	212	237	240	248	258	265	266	267	294

	-		RAJSAMAND	GNN		
	11	SETH MATHURA DAS BINANI PG COLLEGE NATHDWARA	GOVT	9784302505	9799869855	govtcollegenathdwara@gmail.com
	18	N.L.S.G.M. GOVT, GIRLS COLLEGE NATHDWARA	GOVT	9414283160	9414163285	ggcnathdwara@gmail.com
	24	S.R.K. GOVT. COLLEGE, RAJSAMAND	GOVT	9413024523	9799758877	govtcollegerajasamand@gmail.com
	47	S.H.D.GOVT COLLEGE AMET	GOVT	9829268465	9413076984	govtcollegeametrajasmand@gmail.com
	99	J.R. COLLEGE, RAILMAGRA	PRIVATE	9413830841	02952292166	principaljrc@gmail.com
	110	MAHARSHI MAHILA T.T. COLLEGE, KANKROLI	B.ED.	9929826737	9929607862	mmttkankroli@gmail.com
	===	MAHABALIDANI PANNADHYAY MAHILA T.T. COLLEGE, DELWADA	B.ED.	9413976313	9680339090	mbpmttcdelwara@gmail.com
	1117	ST. MEERA MAHILA T.T. COLLEGE, NATHDWARA	B.ED.	978338333	9783383100	saintmeerabedcollege@gmail.com
138	118	B N GIRLS COLLEGE KAKROLI RAJSAMAND	PRIVATE	9928579067	9414158352	bngc.kankroli@gmail.com
139	132	SHRI DATTATREYA COLLEGE KANKROLI	PRIVATE	9413402518	9414472445	sdcollegeknk@gmail.com
140	150	GOVT COLLEGE BHIM	GOVT	9413040741	8290109561	prin.gcbhim.@gmail.com
141	191	SHREE DWARKADHEESH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE	PRIVATE	8559906904	9414058211	sdims.kank@gmail.com, sourabhsinghvi842gmail.com
142	691	THE ANKUR B.ED.COLLEGE, NATHDWARA	B.ED.	9414385519	9414169792	theankur1984@gmail.com
143	172	SHRI DWARKADHEESH T.T.COLLEGE, KANKROLI	B.ED.	9001010486	9414058211	sdims.kank@gmail.com, sourabhsinghvi84@gmail.com
144 2	207	Nathdwara Institute Ofbiotechnologt & Managmanat, Oden, Nathdwara	PRIVATE	8107675969	9829234138	principalnibm@gmail.com
145 2	208	SHRINATHJI INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT	PRIVATE	9829292624	9829096561	sitemanagement2006@gmail.com
146 2	271	ST. MEERA LAW COLLEGE, NATHDWARA	PRIVATE	9413716774	9783383100	saintmeerabedcollege@gmail.com
147 2	273	GOVT. COLLEGE, DEOGARH, RAJASMAND	TVOD	9462131877	9414169146	gcdevgarh@gmail.com
148 2	288	KAUTILYA COLLEGE,KUNWARIYA,RAJSAMAND	PRIVATE	8112276044	9414859357	kautilyacollegeprempura@gmail.com
			SIROHI	-		
149 1	1	S.M.C.C. GOVT.COLLEGE, ABU ROAD., SIROHI	GOVT	9983610324	9928107752	smcc controllege/gemeil com
150 2	27	GOVT P.G COLLEGE SIROHI	GOVT	9414214567	9413484096	collegesinhiligement com
151 2	28	GOVT GIRLS COLLEGE SIROHI	GOVT	9461630786	29722221275	principalsoccainshippement com
152 4	48	S.M.P.B.J. GOVT COLLEGE SHEOGANJ, SIROHI	GOVT	9414222266	2976272559	govt collecesheoremishamail som
153 7	11	J.R. COLLEGE, PINDWARA, SIROHI	PRIVATE	9461535469	0414829642	irco loceninthy are The comments
	16	SHREE TEJENDRA PRASAD T. T. COLLEGE ABU ROAD	B.ED.	7597068695	9413746846	bedirbed avalve in
155 10	601	SHRIMATI CHANDRAWAL GUPTA MAHILA T.T. COLLEGE, ABU ROAD	B.ED.	9413121952	0828830000	SCHOOL STREET FORM Monthload Comment
	120	GURUKUL MAHILA B.ED.COLLEGE, SIROHI	B.ED.	9166600613	9413373551	STREET, SPACE STREET, SPACE STREET, SPACE
	157	JR COLLEGE ABU PARVAT	PRIVATE	9460813104	80558082504	incollegemental property of the second second
	159	SANSKAR T.T. COLLEGE, SHEOGANI, SIROHI	B.ED.	9829260168	9413740431	driveharma 2010 @ ormani com
	981	U.S.B COLLEGE OF TEACHER EDUCATION, ABUROAD	B.ED.	9414323281	STANATAS	us/bbod/@gmail.com
1001	181	SHRINATH B.Ed. COLLEGE, AMTHALA, ABU ROAD	B.ED.	9829246999	28742228482	shreenathehearesthaheacom

18 18 18 18 18 18 18 18	Ó	S.No. CCODE	CODE	COLLEGE NAME	AdAL	PRINCIPAL	,,	VAIMILAID
250 STANIJA COLLEGE OF SCIENCE AND MANGEMANY, ABU ROAD 250 COVALLEGE, SIROHI 251 COVALLEGE, SIROHI 252 CAMBERA COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES ABU ROAD 252 CAMBERA COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES ABU ROAD 253 CAMBERA COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES ABU ROAD 254 CAMBERA COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES ABU ROAD 255 SMT CHANDRAWAL CORLEGE, KANORE 256 SMRI KAMAL COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES ABU ROAD 257 CAMBERA COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES ABU ROAD 258 SMRI CHANDRAWAL COLLEGE CANORE 259 SMRI KAMAL COLLEGE CONTROLEGE, KANORE 250 SMRI KAMAL COLLEGE CONTROLEGE, KANORE 250 SMRI KAMAL COLLEGE COLLEGE UDARUR 250 SMRI KAMAL COLLEGE UDARUR 251 CHORDA LAY T.T. COLLEGE UDARUR 251 CHORDA LAY T.T. COLLEGE UDARUR 251 CHORDA LAY T.T. COLLEGE UDARUR 250 CHORDA LAY T.T. COLLEGE UDARUR 251 CHORDA LAY T.T. COLLEGE UDARUR 251 CHORDA LAY T.T. COLLEGE UDARUR 252 CHORDA LAY T.T. COLLEGE UDARUR 253 CHORDA LORING 254 CHORDA LORING 255 CHORDA LORING 255 CHORDA LORING 256 CHORDA LORING 257 CHORDA LORING 258 CHORDA LORING			189	RAJENDRA MUNI B.ED. COLLEGE, MOUNT ABU	B.ED.		571425101	rmbedcollege@yahoo.m
200 TEN PALLS, COLLEGE, OF SCIENCE AND MANGEMANE, ABU ROAD PRIVATE 92240400570 master and college. 218 GOVT.LAW COLLEGE, SHEGGAND TOWN 9224061822 9223767759 print 229 Utam Prikash Agarwal College Of Commerce & Economics, Abu RoAD PRIVATE 924061822 944770142 print 229 Utam Prikash Agarwal College Of Commerce & Economics, Abu RoAD PRIVATE 925160645 944770142 print 229 Utam Prikash Agarwal College Of Commerce & Economics, Abu RoAD PRIVATE 9461452929 9414770142 print 236 SHR KAMAL COLLEGE, KANORE BED 941417264 946945703 print 24 BADIRAN COLLEGE, KANORE BED 941417264 946945703 print 25 BAN PR COLLEGE UDAPUR PRIVATE 92204667 print 946057857 print 26 BAN PR COLLEGE UDAPUR PRIVATE 922045869 print 9441452513 print 27 BAN PR COLLEGE UDAPUR PRIVATE 922045869 print 9441452513 print <t< td=""><th>-</th><td>3.10</td><td>861</td><td>S.P. COLLEGE SIROHI</td><td>PRIVATE</td><td></td><td>414153177</td><td>info@sirohieducation.com, liondryktrivedi@yahoo.co.in</td></t<>	-	3.10	861	S.P. COLLEGE SIROHI	PRIVATE		414153177	info@sirohieducation.com, liondryktrivedi@yahoo.co.in
236 SANT MARCOLLEGE, SIROGAH COUVT COUVT PRIVATE 952040382 922000775 smin 236 ADARSH COLLEGE, SIROCAH PRIVATE 954081822 922276779 print 236 ADARSH COLLEGE, SIROCAL STUDIES ABU ROAD PRIVATE 9781 6649 97470142 shad 236 SMT CHANDRAWL GUPIX COLLEGE REODAR SIROHI PRIVATE 9781 6649 944170142 shad 236 SMT CHANDRAWL GUPIX COLLEGE, RANORE B PRIVATE 974147364 946943703 priv 12 PL UDALIAIN COLLEGE, RANORE B BED. 941417364 946943703 priv 26 HADI RANI GOYL COLLEGE UDAIPUR PRIVATE 9228144065 941425333 priv 26 HADI RANI GOYL COLLEGE UDAIPUR PRIVATE 982314065 941456931 priv 30 B N. RG COLLEGE UDAIPUR PRIVATE 982314065 941456931 priv 41 NINMARK I. TOOLLEGE UDAIPUR PRIVATE 982314065 941456931 priv 42 JA SHARANG COLLEGE	1		200	ST PAUL,S COLLEGE OF SCIENCE AND MANGEMANT, ABU ROAD	PRIVATE		9928400050	narendra.abu23@gmail.com, jatsanwar23@gmail.com
28 SANT MERA COLLEGE, SHEOGANU PRIVATE 924948386 982960775 smit 28 MANKSH COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES ABU ROAD PRIVATE 9246160443 949235992 add 28 SMT CHANDRAWAL GUFFT COLLEGE EVENOHE SIROHI PRIVATE 976116042 94147042 add 28 SMT CHANDRAWAL GUFFT COLLEGE EVENOHE SIROHI PRIVATE 9761463299 94147042 add 28 SHEI KAMAL COLLEGE EVENORE PRIVATE 9461452929 94147012 srk 29 SHEI KAMAL COLLEGE, KANORE BED 941417364 946943703 yrk 20 BAN EG COLLEGE UDAIPUR PRIVATE 942946697 941462533 brk 21 BAN EG COLLEGE UDAIPUR PRIVATE 942045369 941452468 brk 22 BAN CE UDAIPUR PRIVATE 946055899 941465313 brk 23 BACE UDAIPUR PRIVATE 946055899 941455468 brk 24 AGOVIT COLLEGE, UDAIPUR PRIVATE 946055889 941455468 brk	-		506	GOVT. LAW COLLEGE, SIROHI	GOVT			glesirohi@gmail.com
250 Utum Palash Agarwal College Of Commerce & Economics, Abu Road PRIVATE 9549818222 91227/07759 print 256 ADARSH COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES ABU ROAD PRIVATE 9524160435 964925992 ada 256 SHRI KAMAL COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES ABU ROAD PRIVATE 97(9179662 9414770142 sha 256 SHRI KAMAL COLLEGE OF EDUCATION,BAMANWADII PRIVATE 9461422929 9414770142 sha 26 BADI ROAD PRIVATE 9829669839 9414609913 by 26 HADI RANI GOVT. COLLEGE, KANORE B. B. COLLEGE UDAIPUR PRIVATE 9829669839 9414669913 by 27 B. N. EG GIRLEGE UDAIPUR PRIVATE 9829669839 9414669913 by 28 B. N. EG GIRLEGE UDAIPUR PRIVATE 982926693 9414669913 by 29 B. N. EG GIRLEGE, UDAIPUR PRIVATE 982926893 9414669913 by 40 GOVL TOLLEGE, UDAIPUR PRIVATE 9692366610 9414669913 by 41 V. BEL UDAILORE, UDAIPUR <t< td=""><th>-</th><td></td><td>218</td><td>SANT MEERA COLLEGE, SHEOGANJ</td><td>PRIVATE</td><td>9214946386</td><td>9829069775</td><td>santmeeracollege@rediffmail.com</td></t<>	-		218	SANT MEERA COLLEGE, SHEOGANJ	PRIVATE	9214946386	9829069775	santmeeracollege@rediffmail.com
225 ADARSHI COLLEGE OP PROCESSIONAL STUDIES ABU ROAD PRIVATE 876170642 944770142 shade 256 SMIT CHANDRAMAL COLLEGE REDDAR SIROHI PRIVATE 876179662 941470142 shade 256 SMIT CHANDRAMAL COLLEGE REDDAR SIROHI PRIVATE 9461452929 941470142 shade 12 PLADI ALIN COLLEGE, KANORE B.E.D. 9414172464 946043703 jv 25 BADI RANI GOVIC COLLEGE, KANORE B.E.D. 9441722464 946043703 jv 26 BADI RANI GOVIC COLLEGE, LANORE B.E.D. 9441722464 946043703 jv 26 BAD REGORDIA, LO. TIT. COLLEGE, LOAPIUR PRIVATE 9206983 941460931 gv 31 B. ROGALEGE UDAIPUR PRIVATE 982306883 941460931 gv 32 B. N. BO COLLEGE, UDAIPUR PRIVATE 98206880 941460931 gv 34 A. S. LIT. COLLEGE, UDAIPUR PRIVATE 941416037 9414829461 941416037 44 V. B. A. LUDAIPUR A. S. S. LIT. COLLEGE, UDAIPUR PRIVATE <	-		250	Uttam Prakash Agarwal College Of Commerce & Economics, Abu Road	PRIVATE	9549818222	9322767759	principal@upaca.edu.in
SHRIKAMAL COLLEGE REODAR SIROHI PRIVATE 9461452929 9414701412 8th	1		252	ADARSH COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES ABU ROAD	PRIVATE	9828166945	9649525992	adarsh adr1998@yahoo.com
PRIVATE PAPIERAMAL COLLEGE FANORE PRIVATE PAPIESTON PAPI	-		256	SMT. CHANDRAWAL GUPTA COLLEGE REODAR SIROHI	PRIVATE	8769179662	9414770142	shailendramaurva78@smail.com
PRIVATE PRIV	-		276	SHRI KAMAL COLLEGE OF EDUCATION, BAMANWADJI	PRIVATE	9461452929	9414201212	srkamalcollege@gmail.com
12 PIL UDAIJAIN COLLEGE, KANORE B.ED. 94141623080 ph.					UDAIR	UR		
13 S.B.S.CHORDIA JV.P. T.T. COLLEGE, KANONE B.D.A.M.D. PARTAGONA P.D.A.M.D. PARTAGONA P.D.A.D. PARTAGONA P.D.A.D.D. PARTAGONA P.D.A.D.D. PARTAGONA P.D	-		12	PT. UDAI JAIN COLLEGE, KANORE	DPAVATE	0414702000		
26 HADIRANI GOVT. COLLEGE, SALUMBER GOVT 944177244 9460943703 jv 30 B.N.PG COLLEGE UDAIPUR GOVT 946075757 946075757 946075757 p488276667 h. 31 B.N.PG COLLEGE UDAIPUR PRIVATE 9829069839 9414609013 br 37 GURUNANAK GIRLS COLLEGE, UDAIPUR PRIVATE 9414164030 9414164031 94141364081			13	S.B.S CHORDIA LV.P. T.T. COLLEGE KANOPE	TIVANI	7414063060		pujc1976@gmail.com
30 B.N. PG COLLEGE UDAPUR GOVT 9460757572 9468576667 h. 31 B.N. PG COLLEGE UDAPUR PRIVATE 928 44005 941462933 941460913 h. 32 B.N. PG GRILS COLLEGE UDAPUR PRIVATE 942844005 941460931 b. 37 GURU NANAK GRLS COLLEGE, UDAIPUR PRIVATE 941416403 9414164031 g. 40 GOVT. MERAK T. COLLEGE, UDAIPUR PRIVATE 9414164031 g. 41 NIMBARK T. COLLEGE, UDAIPUR B.ED. 946578991 9414164031 g. 42 PACIFIC COLLEGE, UDAIPUR B.ED. 946578991 941415508 g. 43 R.M.T. COLLEGE, UDAIPUR B.ED. 941415707 294253348 g. 44 V.B.S.I. T. COLLEGE, UDAIPUR B.ED. 941415070 294253348 g. 45 V.B.G.S.I.T. COLLEGE, HADDL B.ED. 941415070 2942451814 g. 45 V.B.G.S.I.T. COLLEGE, HERWARA, UDAIPUR B.ED. 941415070 2942451814 g. 53			26	HADIRANI GOVT COLLEGE SALTIMABER	B.ED.	9414172464	9460943703	jvpttcknr@gmail.com
31 B.N.PG.GIRLS. COLLEGE UDAIPUR PRIVATE 9828144005 9414825333 b 32 B.N.CEE UDAIPUR 942069839 9414609913 b 37 GURU NANAK GIRLS. COLLEGE, UDAIPUR 9414164030 9414164031 g 40 GOVT. MEERA GIRLS. COLLEGE, UDAIPUR GOVT 992336850 9414164031 g 41 NIMBARK T.I. COLLEGE, UDAIPUR B.E.D. 9414157031 g 9414155313 n 42 PACIFIC COLLEGE, UDAIPUR B.E.D. 9414157031 g 9414155313 n 43 R.M.T.T. COLLEGE, UDAIPUR B.E.D. 941416707 294253338 r 44 V.B.R.I. UDAIPUR B.E.D. 941416707 294253338 r 45 V.B.S.T.T. COLLEGE, UDAIPUR B.E.D. 941416707 294253338 r 44 V.B.R.I. UDAIPUR B.E.D. 941416707 2942451814 r 45 V.B.S.HARARA PG.COLLEGE, RHINDER PRIVATE 941426391 941483048 53 AISHWARYA COLLEGE, KIERWARA, UDAIPUR			30	BN. P.G COLLEGE UDAIDIN	TVOD		9468576667	h.r.g.college@gmail.com
32 BN CRE UNABUR PRIVATE 9829069839 9414609013 b 37 GURU NANAK GIRLS COLLEGE UDAIPUR PRIVATE 931495356 2942428469 b 40 GOVT, MEERA GIRLS COLLEGE, UDAIPUR PRIVATE 9414164030 9414164031 g 41 NIMBARK T.I. COLLEGE, UDAIPUR B.ED. 946558991 9414155313 n 42 PACIFIC COLLEGE, UDAIPUR B.ED. 946158991 9414354508 n 43 R.M.T.I. COLLEGE, UDAIPUR B.ED. 941415707 294253338 n 44 V.B.R.I UDAIPUR B.ED. 941415707 294253338 n 45 V.B.G.S.T.T. COLLEGE, UDAIPUR B.ED. 941415707 294251814 p 46 J.R.SHARMA PG COLLEGE JADOL B.ED. 941415707 294251814 p 45 V.B.G.S.T.T. COLLEGE, CHEGE GOGUNDA, UDAIPUR B.ED. 9414472914 982466910 p 51 GURU PUSHKAR JAIN COLLEGE GOGUNDA, UDAIPUR B.ED. 9414472914 982466917 9414830948 52			31	B.N P.G.GIRLS COLLEGE TIDA TOTA	PRIVATE		9414825333	bnpg1954@yahoo.in
37 GURU NANAK GIRLS COLLEGE UDAIPUR PRIVATE 931495356 2942428469 Ph 40 GOVT. MEERA GIRLS COLLEGE, UDAIPUR 40 PRIVATE 9414164031 9414829642 PRIVATE 9414416007 9414829642 PRIVATE 941446607 9414829642 PRIVATE 9414820948 PRIVATE 9414820948 PRIVATE 9414820948 PRIVATE 9414820948 PRIVATE 9414607297 9414820948 PRIVATE 941416077 9414820948 PRIVATE 941416077 9414820948<			32	B N C.P.E. UDAIPUR	PRIVATI		9414609913	bnpggcudr@gmail.com
40 GOVT. MEERA GIRL.S COLLEGE, UDAIPUR PRIVATE 9414164030 9414164031 g 41 NIMBARK T.T. COLLEGE, UDAIPUR GOVT 9982336850 941425313 n 42 PACIFIC COLLEGE, UDAIPUR B.E.D. 946058891 941435408 n 43 R.M.T.T. COLLEGE, UDAIPUR B.E.D. 9414157007 294253338 n 44 V.B.R.I UDAIPUR B.E.D. 9414157007 294253338 n 45 V.B.G.S.T.T. COLLEGE, UDAIPUR B.E.D. 9414157007 294253338 n 46 J.R.SHARMA PG COLLEGE JHADOL B.E.D. 9414160276 2942451814 51 GUNE VESHKAR JAIN COLLEGE GOGUNDA, UDAIPUR B.E.D. 9414160276 2942451814 53 R.P. PHYSICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9928070715 9414829642 54 AISHWARYA COLLEGE OF EDUCATION SANSTHAN, UDAIPUR B.E.D. 9414263979 901999452 55 GOVT. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR B.E.D. 9928060417 9414830948 56 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDA		92	37	GURU NANAK GIRLS COLLEGE UDA IBUD	PRIVATI		2942428469	bschouhan70@yahoo.COM
41 NIMBARK T.T. COLLEGE, UDAIPUR GOVT 9982336850 9414725313 n 42 PACIFIC COLLEGE, UDAIPUR B.ED. 9460558991 941435408 n 43 R.M.T.T. COLLEGE, UDAIPUR PRIVATE 9680068006 9462700456 p 44 V.B.R.T. UDAIPUR B.ED. 9414157007 294253338 p 45 V.B.G.S.T.T. COLLEGE JHADOL B.ED. 9414160276 2942451814 46 J.R.SHARMA PG COLLEGE JHADOL B.ED. 941415007 2942451814 51 GURU PUSHKAR JAIN COLLEGE GOGUNDA, UDAIPUR PRIVATE 941422914 9923466975 53 R.P. PHYSICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE, BHINDER PRIVATE 992807015 9414829642 53 R.P. PHYSICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE, BHINDER PRIVATE 992807015 9414829048 54 GOVT. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR B.ED. 992807017 9414830948 55 B.I.A.W. COLLEGE, BHINDER PRIVATE 992807017 9414830948 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 99280		177	40	GOVT. MEERA GIRLS COLI EGE TITATIBITIB	PRIVAT		9414164031	gurunanak37.college@gmail.com
42 PACIFIC COLLEGE UDAIPUR B.ED. 9460558991 9414354508 n 43 R.M.T.T. COLLEGE, UDAIPUR B.ED. 9414157007 294253338 r 44 V.B.R.I.UDAIPUR B.ED. 9414157007 294253338 r 45 V.B.G.S.T.T. COLLEGE, UDAIPUR B.ED. 9414160276 2942451814 46 J.R.SHARMA PG COLLEGE HADOL B.ED. 9414160276 2942451814 51 GURU PUSHKAR JAIN COLLEGE GOGUNDA, UDAIPUR PRIVATE 941460276 2942451814 53 R.P. PHYSICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE, BHINDER PRIVATE 941442914 9983466975 54 AISHWARYA COLLEGE OF EDUCATION SANSTHAN, UDAIPUR PRIVATE 941426394 991999482 55 AISHWARYA COLLEGE UDAIPUR GOVT. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR PRIVATE 941426397 94143093946 59 B.N. LAW COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR PRIVATE 992806017 941833020 60 DRANUSHKA VIDHI MAHAYIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 992806017 941436348 60 DRANUSHKA VIDHI MAHAYIDYALAYA UDAIPUR		178	41	NIMBARK T.T. COLLEGE, UDAIPUR	GOVT	9982336850	9414725313	meeragirlscollege@gmail.com
43 R.M.T.T. COLLEGE, UDAIPUR PRIVATE 9680068006 9462700456 PACTO0456 44 V.B.R.I. UDAIPUR B.ED. 9414157007 2942523338 1 45 V.B.G.S.T.T. COLLEGE, UDAIPUR B.ED. 941416707 2942451814 46 J.R.SHARMA PG COLLEGE JHADOL B.ED. 9414160276 2942451814 51 GURU PUSHKAR JAIN COLLEGE GOGUNDA, UDAIPUR PRIVATE 9414472914 983466975 53 R.P. PHYSICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9414472914 99346975 54 AISHWARYA COLLEGE, KHERWARA (B.ED.) B.E.D. 9928070715 9414830948 58 GOVT. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR B.E.D. 9928050417 9413093946 59 B.N LAW COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9928400014 94615303320 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 9414263458 29451333351 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYARAYA UDAIPUR PRIVATE 9414263458 29451333351 7 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9414263458 </td <th></th> <td>179</td> <td>42</td> <td>PACIFIC COLLEGE UDAIPUR</td> <td>B.ED.</td> <td></td> <td>9414354508</td> <td>nimbarkprincipal@yahoo.com</td>		179	42	PACIFIC COLLEGE UDAIPUR	B.ED.		9414354508	nimbarkprincipal@yahoo.com
44 V.B.L. UDAIPUR B.ED. 9414157007 2942523338 1 45 V.B.G.S.T.T. COLLEGE, UDAIPUR B.ED. 941416707 2942451814 46 J.R.SHARMA PG COLLEGE, HADOL B.ED. 9414160276 2942451814 51 GURU PUSHKAR JAIN COLLEGE GOGUNDA, UDAIPUR PRIVATE 9414472914 9983466975 53 R.P. PHYSICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9414472914 9983466975 57 AISHWARYA COLLEGE, KHERWARA (B.ED.) B.E.D. 9928070715 9414830948 58 GOVT. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR B.E.D. 9928050417 9414160784 59 B.N LAW COLLEGE UDAIPUR GOVT 9928050417 9414160784 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 9460729936 9414263458 62 R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9460729936 9414830948 73 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9460729936 9414830948		180	43	R.M.T.T. COLLEGE, UDAIPUR	PRIVAT			pacificcollege42@gmail.com
45 V.B.G.S.T.T. COLLEGE, UDAIPUR PRIVATE 8764270893 9929364610 46 J.R.SHARMA PG COLLEGE JHADOL B.E.D. 9414160276 2942451814 51 GURU PUSHKAR JAIN COLLEGE GOGUNDA, UDAIPUR PRIVATE 9413262136 9414829642 53 R.P. PHYSICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9414472914 998346975 57 AISHWARYA COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR PRIVATE 9414263979 901999452 58 GOVT. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR B.E.D. 9929050417 9414160784 59 B.N.LAW COLLEGE UDAIPUR GOVT 9928050417 9414160784 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 9928400014 9461530320 62 R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9460729936 9414830948 73 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9460729936 9414830948 73 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9887813850 9251369222		181	4	V.B.R.I UDAIPUR	B.ED.			rmttc11@gmail.com
46 J.R.SHARMA PG COLLEGE JHADOL B.ED. 9414160276 2942451814 51 GURU PUSHKAR JAIN COLLEGE GOGUNDA, UDAIPUR PRIVATE 9414472914 983466975 53 R.P. PHYSICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9414472914 9983466975 57 AISHWARYA COLLEGE OF EDUCATION SANSTHAN, UDAIPUR PRIVATE 9414263979 901999452 58 GOVT. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR B.ED. 9929050417 9414160784 59 B.N LAW COLLEGE UDAIPUR GOVT 9928050417 9418309396 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 9414263458 2945133351 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 9460729936 9414830948 62 R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9460729936 9414830948 73 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9887513550 9251389222		182	45	V.B.G.S.T.T. COLLEGE, UDAIPUR	PRIVAT			vbriudr@yahoo.com, mr.tpsharma@rediffmail.com
51 GURU PUSHKAR JAIN COLLEGE GOGUNDA, UDAIPUR PRIVATE 9413262136 9414829642 53 R.P. PHYSICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9414472914 9983466975 57 AISHWARYA COLLEGE OF EDUCATION SANSTHAN, UDAIPUR PRIVATE 9928070715 9414830948 58 GOVT. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR B.ED. 9929050417 9414160784 59 B.N LAW COLLEGE UDAIPUR GOVT 9928400014 9461530320 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 9928400014 9461530320 62 R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9414263458 2945133351 63 R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9460729936 9414830948 73 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9887513550 9251369222		183	46	J.R.SHARMA PG COLLEGE JHADOL	B.ED.			vb_iase2@yahoo.in
53 R.P. PHYSICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9414472914 9983466975 57 AISHWARYA COLLEGE OF EDUCATION SANSTHAN, UDAIPUR PRIVATE 9928070715 9414830948 58 GOVT. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR B.ED. 9929050417 9414160784 59 B.N LAW COLLEGE UDAIPUR GOVT 9928050417 9413093946 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 9928400014 9461530320 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 9928400014 9461530320 62 R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9460729936 9414830948 73 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9887513550 9251369222		184	51	GURU PUSHKAR JAIN COLLEGE GOGUNDA, UDAIPIIP	PRIVA			j.r.sharma_jhadol@gmail.com
57 AISHWARYA COLLEGE OF EDUCATION SANSTHAN, UDAIPUR PRIVATE 9928070715 9414830948 58 GOVT. COLLEGE, KHERWARA (B.ED.) 8.ED. 9929050417 9414160784 59 B.N LAW COLLEGE UDAIPUR GOVT 9928050417 9413093946 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 9928400014 9461530320 62 R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9414263458 2945133351 73 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9460729936 9414830948 PRIVATE 9887513550 9251369222		185	53	R.P. PHYSICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE, BHINDER	PRIVA			gpjcgogunda@gmail.com
58 GOVT. COLLEGE, KHERWARA (B.ED.) COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR PRIVATE 9414263979 9001999452 58 GOVT. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR B.ED. 9929050417 9414160784 59 B.N LAW COLLEGE UDAIPUR GOVT 9928050417 9413093946 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 9928400014 9461330320 62 R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9460729936 9414830948 73 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9887513550 9251369222		186	57	AISHWARYA COLLEGE OF EDUCATION SANSTHAN LIDATED	PRIVA			rpphysicalcollege@gmail.com
58 GOVT. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR B.ED. 9929050417 9414160784 59 B.N LAW COLLEGE UDAIPUR GOVT 9928050417 9413093946 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 9928400014 9461530320 62 R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9460729936 9414830948 73 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9887513550 9251369222		187	58	GOVT. COLLEGE,KHERWARA (B.ED.)	PRIVA			info@aistwaryacollege.org, principalistasshwaryacollege.org
59 B.N LAW COLLEGE UDAIPUR GOVT 9928050417 9413093946 60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 9928400014 9461530320 62 R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9414263458 2945133351 73 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9887513550 9251369222		188	28	GOVT. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR	B.ED.			kherwaragovtcollege@gmail.com, kherwaragovtcollegn@gabas.as
60 DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR PRIVATE 9928400014 9461530320 62 R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9414263458 2945133351 73 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9460729936 9414830948		189	59	B.N LAW COLLEGE UDAIPUR	GOVT			
62 R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER PRIVATE 9414263458 2945133531 73 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9460729936 9414830948		190	09	DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR	PRIVA			
73 MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR PRIVATE 9460729936 9414830948 PRIVATE 9887513550 9251369222	H	161	62	R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER	PRIVA			info@anushkaacademy.com
PRIVATE 9887513550 9251369222		192	73	MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR	PRIVA			
	13				PRIVA			

EMANE, III	R maharaya bedeestlegelaganail cons	de mijanovale gonañ com, Sreollegath le gonañ com	goneoflegekoralegenisti com	into animary acollege or a	2 arthant into obtogenal com	8 jhadohteollegslagnail.com	9402663234, 9829944330nistolayottudaipur org	4 thenobleshed/agmail.com	8 girlsh6671@yahoo.com	7 j.r.sharma, hadol@gmail.com	9 Vivekanand college 2006/ayahoo.com		12 aravali2007/@gmail.com	mahaveerjvsanahan@yahoo.com	22 sagarkherwara071@yahoo.com	65 rajfootball23@gmail.com	15 jrsrishbhdeo@gmail.com	550 jbpcollege@yahoo.com	1942 indoamericaninstitute@gmail.com	457 nupurdk@yahoo.com	988 sscollegeofeducation@gmail.com	9901 mttc.org@gmail.com	1775 dr.lokeshjain@gmail.com	7015 sugunsharma@gmail.com, vb_gies@yahoo.com	4407 dr.nareshkumarpaliwal@yahoo.in, sanjeevanittcollege@yahoo.com	1785 siddiq4u18@yahoo.com	3643 mail@kmttcollege.com	8290 mier.udr@gmail.com	6988 sscollegeofeducation041@gmail.com	.3461 Maharajamgbc3@gmail.com	9099 srete174@gmail.com	4559 vasuumar@yahoo.in.com	(501) ajmerase@gmail.com, sea_ca@yahoo.com Obandrakam_khushi@yamail.com, arayalisehacation?ee@gmail.com
PAL,	RIGITATION	2957240890	8880004008		9413262552	2959220128	960260323	9828177074	9352390298	9784295797	9414830829	9414830948	2942471442	9460372195	9950882822	9928817765	7737008715	9414168050	9414934042	9414157457	9829046988	8559906901	2942481775	9414157015	9414174407	9828271785	9928083643	2942458290	9829046988	8003123461	9828589099	9414314559	9414168501 9414164115 9829049778
PRINCIPAL	9460801719	9414832244	9636454772	9799118605	9252013009	9414621502	9460253234	9414785170	9460878793	7229932571	9828058477	7891190017	9413093939	9414168838	9413886567	9413174921	9829443371	9214692569	9784948832	9414163656	9460340708	9414830551	9829009390	9414157015	9460639227	9413771616	9636482088	9461384751	7665928239	9414934786	9413480476	8003851626	8875346256 0414684138 040002280
TYPE	B.ED.	PRIVATE	GOVT	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	PRIVATE	PRIVATE	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED. B.ED. B.ED.
COLLEGE NAME	MAHARAJA COLLEGE OF ARTS & EDUCATION, UDAIPUR	SWAMI VIVEKANAND COLLEGE VALLABHNAGAR	GOVT COLLEGE KOTRA	AISHWARYA T.T. COLLEGE UDIPUR	ARIHANT MAHILA B.ED.COLLEGE, DEBARI	T.T. COLLEGE, JHADOL	CHANAKYA COLLEGE OF TEACHERS TRAINING, UDAIFUR	THE NOBLES T.T. COLLEGE, KHERWARA	SHREENATH MAHILA T.T. COLLEGE, MAVLI	J.R.SHARMA T.T. COLLEGE, JHADOL	VIVEKANAND COLLEGE OF B.ED, DABOK	RANA PRATAP MAHILA T.T. COLLEGE BHINDER	ARAVALI T.T.COLLEGE, AIRPORT ROAD, DEBARI, UDAIPUR	MAHAVEER T.T. COLLEGE, UDAIPUR	SAGAR B.ED COLLEGE, KHERWARA	KRISHNA COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION	J.R. SHARMA COLLEGE RISHABHDEO	JYOTIBA PHULE T.T. COLLEGE, MANWAKHEDA, M.I.A. KE PASS. UDAIPUR	INDO AMERICAN INSTITUTE, VALICHA	KALA ASHRAM COLLEGE OF TEACHERS TRAINING, BHUWANA, UDAIPUR	S.S COLLEGE OF EDUCATION B.ED, UMARDA, UDAIPUR	MANTRAM T.T. COLLEGE, KAMLI NOHARA, NAI, UDAIPUR	THE SCHOLAR ARENA GIRLS B.ED. COLLEGE, UDAIPUR	Vidhya Bhawan Gandhian Institute Of Education Studies, Ramgiri, Badgaon,	SANJIVANI T.T. COLLEGE, BALICHA BY PASS, KAYA,UDAIPUR	WISDOM T.T. COLLEGE, NAYA KHEDA, UDAIPUR	KRISHNA MAHILA T.T. COLLEGE, SISARAMA, UDAIPUR	MAHARISHI INSTITUTE OF EDUCATION& RESEARCH, SUNDERWAS	S.S. COLLEGE OF EDUCATION, UDAIPUR	MAHARANI GIRLS B.ED COLLEGE, DEBARI, UDAIPUR	SHRI RAM COLLEGE OF TEACHERS & EDUCATION, UDAIPUR	MAA VAISHNO T.T. COLLEGE, UMARDA, UDAIPUR	ASIAN COLLEGE OF EDUCATION, UDAIPUR ARAVALI T.T.COLLEGE, EKLINGPURA, UDAIPUR RAIDEV T.T. COLLEGE, SISARIMA ROAD, UDAIPUR
S.No. CCODE	88	06	101	103	107	108	122	123	125	126	128	131	135	137	138	141	145	146	147	148	149	152	153	162	163	165	167	168	171	173	174	175	177 178
No.	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225

EMAIL ID	halfterman (C. C. annual con	April mall manufactured and manufactured	The same straight of an artist colle. The same of grant colle	well-and-of-the content of the second of the	Sectional designation of section	or more consistent of the control of	varieties or an all com	info@suneducation.org	principalrmv2011@gmail.com	rkusansthan@yahoo.com, kgcchawand881@gmail.com	anekantbed2008@gmail.com	brightlesalumber@gmail.com	rjannawat2010@gmail.com	ihmudr@gmail.com	govtgirlscollege kherwara@gmail.com	govtcollegesarada@gmail.com	dronachary acollegebhindar @ gmail.com	govtcollegojhadol@yahoo.im		thegurukulcollege2015@gmail.com	mahaveerjvsansthan@yahoo.com	dr. lokeshjain@gmail.com		
PRINCIPAL	9460684676	STATISTICS	9571475714	TTA8208C80	9829740776	119/20/20/20	9352480186	9414156570	9414254144	9414289958	9414758344	9549933234	8290089641	2945120808	9829473103	9414646142	9785875863	9649909489		9772740999 th	7665568338 m	9829009390 dr	2491789	
PRINC	8426081120	9214960759	8302044274	9414730682	8875705327	CTT3211589	9460253234	9660658551	9413955007	9983752537	9783272800	9414609913	8826221559	9414245214	9414158932	9414472186	7568666868	9413752452	9680396672	9829216766	9460372195	9509558668	2 0289690196	
TYPE	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	B.ED.	BED	B.ED.	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	B.ED.	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	GOVT	GOVT	PRIVATE	GOVT	GOVT	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	PRIVATE	
E/ COLLEGE NAME	VIDHYA BHARTI T.T. COLLEGE, MAVLI	RAM KISHAN T.T. COLLEGE, VILLAGE- BUDHAL, UDAIPUR	MATHESHWARI T.T. COLLEGE, UMARDA, UDAIPUR	RAVINDRA NATH THAKUR B.ED. COLLEGE, DEBARI, UDAIPUR	HADI RANI T.T. COLLEGE, SHOBHAGPURA, UDAIPUR	CHUNDA MAHILA T.T. COLLEGE, UDAIPUR	PREMSHANTI NIKETAN T.T. COLLEGE, UDAIPUR	SUN COLLEGE OF MANAGMANT & SCIENCE, KALADWAS, UDAIPUR	R M V GIRLS COLLEGE UDAIPUR	KAVYANJALJ COLLEGE CHAWAND	ANEKANT SEWA SANSTHAN T.T COLLEGE, SALUMBER	BHUPAL NOBLES GIRLS COLLEGE SALUMBER	J.R. SHARMA COLLEGE, PHALASIYA	INSTITUTE OF HOTAL MANAGEMENT & CATERING UDAIPUR	GOVT. GIRLS COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR	GOVT.COLLEGE SARADA	0 DRONACHARYA COLLEGE BHINDER	2 GOVT COLLEGE JHADOL	GOVT. COLLEGE, GOGUNDA, UDAIPUR	THE GURUKUL COLLEGE, BUDAL, UDAIPUR				
S.No. CCODE	180	183	184	161	192	193	196	201	203	214	216	226	229	249	257	3 260	4 270	5 272	246 297					200
S.No.	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	22	2	,			13



मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

- स्नातक कला में विषय ग्रुप सहित प्रश्न पत्र क्रम संख्या या संक्षिप्त नाम दर्शाये गये हैं विषय ग्रुप इस प्रकार है:-
 - G-1 अर्थशास्त्र, संस्कृत साहित्य, संगीत एवं सिंधी
 - G-2 भूगोल,राजस्थानी साहित्य एवं दर्शनशास्त्र
 - G-3 राजनीति विज्ञान, उर्दू साहित्य, चित्रकला एवं जनसंख्या अध्ययन
 - G-4 मनोविज्ञान, प्राकृत साहित्य, इतिहास, वन संसाधन एवं उनके उपयोग
 - G-5 लोक प्रशासन, हिन्दी साहित्य, गृह विज्ञान, ग्रामीण विकास एवं विस्तार, प्रारीरिक शिक्षा
- (I) परीक्षार्थियों की अधिकता के कारण प्रथम वर्श, द्वितीय वर्श व तृतीय वर्श कला के स्वयंपाठी छात्रों के लिए कतिपय विशयों की परीक्षा के (म) पराक्षाबया का आवकता क कारण प्रथम परा, खाउँ पर पर्य करा विषयों का उल्लेख नहीं है उन विषयों की परीक्षा नियमित छात्रों की लिए अलग से समय सारणी घोशित की गई है इन समय-सारणियों में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उन विषयों की परीक्षा नियमित छात्रों की
 - (ii) स्नातक द्वितीय वर्ष कला स्वयंपाठी छात्रों के प्रथम वर्ष के बकाया प्रश्न पत्र (हिन्दी, इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र व सामान्य अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन) की परीक्षा प्रथम वर्ष स्वयंपाठी छात्रों की समय-सारणी के अनुसार आयोजित होगी, शेष बकाया विषयों की परीक्षा प्रथम वर्ष नियमित छात्रों की समय-सारणी के अनुसार आयोजित होगी।
 - (iii) त्तीय वर्ष कला के वे स्वयंपाठी परीक्षार्थी जिनका हिन्दी, इतिहास, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, बकाया चल रहा है तो ऐसे छात्रों को इन विषयों की परीक्षा तृतीय वर्ष कला स्वयंपाठी छात्रों की समय सारणी के अनुसार परीक्षा देनी है, फीस बकाया विषयों की परीक्षा तृतीय वर्ष नियमित छात्रों की समय सारणी के अनुसार देनी होगी साथ ही प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के सभी बकाया विषयों की परीक्षा प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के नियमित छात्रों की समय सारणी के अनुसार आयोजित होगी।
- स्नातकोत्तर कला पूर्वार्द्ध व उत्तरार्द्ध की समय-सारणी में विषय ग्रुप व प्रश्न पत्रों की क्रम संख्या दर्शाई गयी है जो इस प्रकार है:-

पूर्वार्द्ध:-

- G-1 राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र
- G-2 हिन्दी
- G-3 संस्कृत, लोक प्रशासन G-4 चित्रकला, अंग्रेजी, भूगोल, संगीत, दर्शनशास्त्र, प्राकृत, मनोविज्ञान, राजस्थानी, उर्दू, गृह विज्ञान
- G-5 समाज फास्त्र
- G-6 इतिहास

उत्तरार्द्धः-

- G-1 राजनीति शास्त्र, अर्थफास्त्र
- G-2 हिन्दी
- G-3 संस्कृत, लोक प्रशासन G-4 चित्रकला, अंग्रेजी, संगीत, दर्शनशास्त्र, प्राकृत साहित्य, मनोविज्ञान, राजस्थानी, उर्दू, गृह विज्ञान, भूगोल
- G-5 समाज फास्त्र
- स्नातक व स्नातकोत्तर वाणिज्य,विज्ञान, विधि, एवं बी.सी.ए. में विषयों या प्रश्न पत्रों की क्रम संख्या या उनके संक्षिप्त नाम दर्शाये गये हैं। विस्तत समय सारणी परीक्षा प्रारम्भ से 1 माह पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाईट पर देखी जा सकती है।
- उपर्युक्त पाठ्यकमों के अलावा शेष पाठ्यकमों की परीक्षाएं अप्रेल माह के अंतिम सप्ताह से प्रारम्भ की जायेगी। 5.
- राज्य सरकार द्वारा किसी तिथि को अवकाश घोषित करने के अलावा अपरिहार्य कारणों से भी परीक्षा की इन तिथियों में परिवर्तन किया जा 6. सकता है।

हरकेश मीना उप कुलसचिव

FACULTY		U.G.ARTS (Regular/Ex)	Ex)	D'O	U.G.ARTS (NON-COL)	11.3	EL MATERIAL A	6.0
Section and the	True (1)	IIVe (2)	IIIYr (3)	1 Yr (4)	II Yr (5)	(6) YEII	MA(P) (7)	MA(F) (8)
TIME	11AM-2PM	3PM-6P	-10A	11AM-2PM	зРМ-6РМ	TAM-10AM	TAM-10AM	11 AM ZPM
DATE	02			Sub. Name & Paper Nu.		Sub. Name & Paper Nu.	Sub, Group & Paper Nu./Code	
15-Feb-18	G-1: ECONOMI	G-1: ECONOMICS, SANS. LIT., MUSIC & SINDHI.	TUSIC & SINDHI.	HISTI		HISTI	G-1-Pol.Sc/ Eco G-3	G -1-Pol.Sc/ Eco 2-Hindi
16-Feb-18	G-2: GEOGRAI G-3: POL.SC., 1	16-Feb-18 G-3: POL.SC., URDU, DRAW. & POPU. STUDIES	POPU. STUDIES		HIST P-1		Sans/Pub.Ad. G-4-	3Sans/Pub.Ad. G-4-
17-Feb-18	G4: PSYCHOL 8 FRU.	G4: PSYCHOLOGY, PRAKRIT LIT., HISTORY, FRU.	JT., HISTORY,	HISTII		HINDI-I	Park/Psy/Raj/Urdu/Home	Park/Psy/Raj/Urdu/Home
19-Feb	6-5: PUB. AD! EDU. 19-Feb-18 G-6: SOCIO., I	G-5: PUB. ADM., HINDI, HOME SC., R.D., PHY. EDU. G-6: SOCIO., ENGLISH, MATHS./ HUMAN RIGHTS	SC., R.D., PHY.	HINDL-I		нгтп	Sc./Geog G -5-Sociology G -6- Hist,	Sc./Geog G -5-3061010gy G -6- Hist.
20-Feb-18	81-9				II-TSIH		I-d-9-D	
21-Feb-18	81-q			II-IQNIH		HINDIII	G-4-P-1	
4-22	22-Feb-18				HINDI - I	1	G-5-P-I	
23-1	23-Feb-18			POL,-1			G-3-P-I	
*	24-Feb-18				HINDI-II	POL,-1	G-2-P-I	
26	26-Feb-18				POLI		G-1-P-I	
Z	27-Feb-18			1-000s			II-d-9-D	G-1-P-1
2	28-Feb-18				SANS-I		G-5-P-II	G-2-P-1
0	05-Mar-18	1					G-4-P-II	G-3-P-1
	06-Mar-18	G4-P-I	F	SANS,-1		SANS,- I	G-3-P-II	G4-P-I


XTS	MA(F) (8)	G-5-P-I	I-4-9-D	G-1-P-II	С-2-Р-П	G-3-P-II	G-4-P-II	П-45-Б	II-d-9-9	С-1-Р-Ш	G-2-P-III	G-3-P-III		G-4-P-III		Ш-а-5-D	G-6-P-III
P. G. ARTS	MA(P) (7)	G-2-P-II	G-1-P-II	III-d-9-D	G-5-P-III	G-4-P-III	G-3-P-III	G-2-P-III	В-1-Р-Ш	G-6-P-IV	G-5-P-IV	G-4-P-IV	G-3-P-IV	G-2-P-IV	G-1-P-IV	V-G-6-P.V	G-5-P-V
)L)	III Yr (6)		SANS II			SOCIOI			POLII		SOCIOII						
U.G.ARTS (NON-COL)	П.Уг (5)	SANS,-II						SOCI		POLII		G.H.	ECA			SOCII	
U,	I Yr (4)		SANS II				SOCIOII		POL II						EVS		
/Ex)	IIIYr (3)	G-5-P-I			G-4-P-I			G-3-P-I				G-2-P-I				II-d-9-D	
U.G.ARTS (Regular/Ex)	ПУт. (2)			G-2-P-I		G-6-P-I			MATHS-III		G-3-P-I			G-5-P-II			G-4-P-II
	(1)	G-2-P-I			G-3-P-I			G4-P-I				G-5-P-I				II-d-1-9	
FACULTY	CLASS / YEAR	07-Mar-18	08-Mar-18	09-Mar-18	10-Mar-18	12-Mar-18	13-Mar-18	14-Mar-18	15-Mar-18	16-Mar-18	17-Mar-18	20-Mar-18	21-Mar-18	22-Mar-18	23-Mar-18	24-Mar-18 C	26-Mar-18

	MA(F) (8)		G-1-P-IV	G-3-P-IV	G4-P.IV	G-S-P-IV	G-6-P.IV		C-I-P-V	1-1-1-0	G-5-F-V	G4-P-V	G-S-P-V	G-6-P-V					1	1			1	1	
	0	Λ:	>-	Λ-								1				1		+	+	+	+	+	+	-	-
	MA(P) (7)	G-3-P-V	G-2-P-V	G-1-P-V																					
-	ШУг (6)																		1	+	-		-		-
	III (S)												+			-						-	-	-	-
	ПУг																					-			1
	1Yr (4)	G.E.																							-
	IIIYr (3)		G-5-P-II			G-4-P-II			G-3-P-II		G-1-P-I			G-2-P-II	11.1.20		G-1-P-II			G-6 P-1					
	IIYr. (2)			II-d-9-D			G-2-P-II	The second second		G-1-P-1			G-1-P-II		G-3-P-II			G-5-P-1			ECA			Hb	
	lyr (1)		G-2-P-II			G-3-P-II			G-4-P-II		G-6-P-I			G-5-P-II			II-d-9-D			EVS		G.E.			G-1 P-I
	CLASS / YEAR IN	28-Mar-18	31-Mar-18	02-Apr-18	03-Apr-18	04-Apr-18	05-Apr-18	06-Apr-18	07-Apr-18	09-Apr-18	10-Apr-18	11-Apr-18	12-Apr-18	13-Apr-18	16-Apr-18	17-Apr-18	18-Apr-18	19-Apr-18	20-Apr-18	21-Apr-18	23-Apr-18	24-Apr-18	25-Apr-18	26-Apr-18	27-Apr-18


FACULTY	CLASS / YEAR	TIME	DATE	15-Feb-18	16-Feb-18	17-Feb-18	19-Feb-18	20-Feb-18	21-Feb-18	22-Feb-18	23-Feb-18	24-Feb-18	26-Feb-18	27-Feb-18	28-Feb-18	05-Mar-18
1	lyr (9)	11AM-2PM	Sub. Name & Paper Nu.												ACCTT.P-I	
U. G. COMMERCE	ПУт (10)	3PM-6PM														BANK P-1
	IIIYr (11)	7AM-10AM														Bus-P- I
P.G.COMMERCE	MCom(P) (12)	7AM-10AM	Sub, Name & Paper Nu.	Buss.AdmI			Buss.AdmII				Buss.AdmIII		Buss.AdmIV			
ERCE	Mcom(F) (13)	3РМ-6РМ						Bus.Ad. 5822				Bus.Ad. 5823			Bus.Ad. 5824	BUS. AD. 5821
	lyr (14)	11AM-2PM														Bot Phy-I
B.Sc.	IFYr (15)	3PM-SPM	Sub. Name & Paper No.													
	(31) 37.III	7AM-10AM	4												Phy Bor-1	

U. G. COMMERCE		-	1		Mcom(F)		100	IIIX1 (16)
IIYr (10)		_	IIIXr (11)	MCom(P) (12)	(13)	Iyr (14)		Con trum
5	,	-		ABST/BBE P-I	Bus.Ad. 5825	STAT-I		Evs/Stat/ Geo-I
BUS P-I	BUS P-I						STAT-I	
	7		Bank-P- I			Chem/Comp-I		
					ABST/BBE- P-I/ Bus.Ad. 5826	S. T.	ECA	
BUS P-II	BUS P-II			ABST/BBE P-II				Evs/Stat/ Geo-II
		150	Acct-P-I			EVS/GEO-I		
					ABST/BBE- P-II / Bus.Ad. 5827	- T	EVS /GEO-I	
						EVS/GEO-II		Phy Bot-II
E	E	E	Bus-P-II					
ACCTT P-I	ACCTT P-I			ABST/BBE P-III			STAT-II	
		1867			ABST/BBE- P-III / Bus.Ad. 5828		EVS/GEO-II	
Acc	Acc	Acc	AcctP-II			Bot/Phy-II		
ACCTTS P-II	ACCTTS P-II							Chem.Comp.d
				ABST/BBE P-IV		0	Chem Comp P.J.	
		- AND -			ABST/BBE- P-IV/Bus.Ad. 5829	Fru, Chem/ Comp- II		
<	<	-	Acct-P-III					
BANK P-II	BANK P-II					STAT-II		日本の日本

						1	1	87-30A-FS
/	III-OHO/SAH	770			The state of the s			56-Apr-18
		GE			- AND SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE PART			81-1qA-25
	НО							81-1qA-42
		EVS/Stat-III						23-Apr-18
		111 +-+5/5/12			T-51-1-10-10			21-Apr-18
	III-ooX\taM				DE LES SE			81-1qA-02
	m Z, , ,							81-1qA-91
EVS/STAT/ GE		III-ooZ\/disM						81-nqA-81
	II-ooX\teM			STATE OF THE PARTY				81-1qA-71
								81-1qA-01
Eur/ Chem / Comp-		Вог/Рћу-Ш		OF SELECTION OF	THE RESERVE	DESCRIPTION OF		81-1qA-£1
	I-ooX\disM							81-1qA-51
III-OOZ/фвМ								81-1qA-11
		II-ooZ\disM		No. 16 or Carlo				81-rqA-01
	Бһу/Вос-Ш							81-1qA-90
II-ooX\draM		I-ooX\dan						81-1qA-70
						ECA		81-1qA-00
	Fn/ Chem / Comp-III							81-1qA-20
I-ooX\disM		EAS/GEO-III	Ball At					81-1qA-40
	Fru/ Chem / Comp-II					ен		81-1qA-£0
							ACCTT-II	81-1qA-20
Fru / Chem/ Comp-II	III-TAT2	Fru/Chem / Comp-		A-Y-A-SET/BBE P-V	BankP-II	ACCTTS-III		81-18M-15
	Рһу/Вос-Ш		ABST / BBE-		ST-W			81-18M-82
(16) TYIII	(\$1) TYII	(41) TyI	Mcom(F) (£1)	MCom(P) (12)	(11) 1YIII	(01) TYII	(9) IVI	
	B.Sc.		EKCE	MMOD. B. G. COMM	A BEEFE	. G. COMMERCE	n	



		III yr (23)			P-VI					P-VII	1	р-уш				P-IX											
	LLB	ПУг (22)				P-VI			P-VII				P-VIII				P-IX										
		1 Yr (21)		P-VI				P-VII			P-VIII				P-IX			HS			10	de GE					
-		BCA III (19)			Б-Ш			P-IV				P-V															
BCA	-	BCA II (18)	Р-Ш			P-IV			P-V		IA-q				D AT	F-VI							GH				
		BCA I yr (17)		Р-Ш				VI-9		William International	P-V					1	P-VI					EVS		G.E.			
			28-Mar-18	31-Mar-18	02-Apr-18	03-Apr-18	04-Apr-18	05-Apr-18	06-Apr-18	07-Apr-18	09-Apr-18	10-Apr-18	11-Apr-18	12-Apr-18	13-Apr-18	10 4 40	16-Apr-18	17-Apr-18	18-Apr-18	19-Apr-18	20-Apr-18	21-Apr-18	23-Apr-18	24-Apr-18	25-Apr-18	26-Apr-18	27-Apr-18
																											149





महत्वपूर्ण निर्देश


इस विवरणिका में दिए गए नियम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा निर्मित एवं स्वीकृत हैं।

संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के अधिकृत निकायों एवं विश्वविद्यालयों के सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। ऐसा विश्वास है कि इस विवरणिका में जो भी निर्देश तथा सूचनाएँ दी गई हैं वे सभी प्रकाशन के समय तक संशोधित हैं। विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय इसमें प्रकाशित नियमों में आवश्यकता के अनुसार शुल्क तथा अन्य नियमों में परिवर्तन कर सकेगा तथा नए नियम जोड़ सकेगा। यदि इन नियमों में परिवर्तन व संशोधन के कारण किसी विद्यार्थी को अथवा किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है या अधिक व्यय करना पड़ता है, तो विश्वविद्यालय इसके लिए उत्तरदायी

सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र उदयपुर रहेगा।

1 जून, 2017

कुल सचिव



Report on workshop "Intellectual Property Rights-Patent, Design, Trademark, Copyright & Geographical Indication" (IPR-2022)

ONE DAY WORKSHOP on "Intellectual Property Rights-Patent, Design, Trademark, Copyright & Geographical Indication" (IPR-2022) was organized by Department of Chemistry, University College of Science, Mohanlal Sukhadia University Udaipur-313001, Rajasthan, India in association with CGPDTM, Ministry of Commerce & Industry, Government of India on February 22, 2022.

Resource persons were Dr. Jitender Sharma Assistant Controller of Patents and Designs, Ministry of Commerce & Industry, Government of India and Dr. Rohit Jain, Patent & Trademark Attorney at LEXIPR, Jaipur, Rajasthan, India They created awareness about the legal rights granted to the inventor or manufacturer to protect their invention. They also discussed how to accelerate commercialization of Intellectual Property Rights.

Dr. Poonam Khandelwal and Dr, Tarun Kumar, Assistant Professor, Dept. of Chemistry, MLSU were the Organizing Secretary and Dr. Jyoti Chaudhary, Head, Dept. of Chemistry, MLSU, was the Convener of the workshop. The Inaugural Session was chaired by Prof. G.S. Rathore, Dean, Ucos MLSU Udaipur.

About 200 delegates from different Universities participated in the event. The workshop produced lively discussions during the session.

In conclusion, the workshop has provided a platform to capitalize the potential and creative innovation of the youth to create a better and secure IP regime

Name of event	Date	Number of	Annexure
		participants	(Event report, photographs, notices
Y	0 + 01 0001	7 0	etc.)
Lecture on traits & skills required to work in Hospitality industry by Prof. Ashok Singh Rathore	Oct. 21, 2021	50	
			Ped. Ashold Stoffs Rathons, Nonconcy Dean, Najashhan LD Skill University, shared his industrial seperation and passed in patch for students. through his guidance and knowledge, he addressed essential traits and characteristics students ended so we're upon the a high financial his also mentioned as depth only strategy to be followed for self-growth and development to self-throw the ultimate goals.
Lecture on Industrial		38	
Readiness by Ms. Shruti Kapoor, HR Manager Trident	Oct. 22, 2021		No. Should Replace Trideach, Human Seasonand Morragin; clock is a students, on the haspitable producting personal and informat, personal profits in Fig. 18 of of record events. She manded about service screen sprides in the of student events of the season of the season of the season of the most grantes in coder to have a successful conver in the hospitality sector.
		33	
Lecture on Quality and its importance by Dr Niha Khan	Oct. 9,2021		
Lecture on Opportunities & Challenges after Covid- 19 in Hospitality &	Oct. 30, 2021	45	

<u></u>			
Lecture on Futuristic Approach in Hospitality Industry by Mr. Manish Suthar	Sept. 22, 2021	40	
Lecture on Green Business practices in Hospitality & Tourism Industry: An	Sept. 16, 2021	28	
Entrepreneurial Approach Toast Master Club	Nov. 27, 2021	52	23° materials "Observations describeration de sociales de contraction de contract
Lecture by Prof. R. K. Singh	Mar.3,2021	60	FACULTY OF LANAGEMENT TYPING MICHAEL STATES AND ASSESSMENT OF LINES MICHAEL STATES AND ASSESSMENT OF LINES MICHAEL STATES AND ASSESSMENT OF LINES ONT I 1 UPD/2000 THE I 1 UPD/2000 THE I 1 UPD/
Paned Discussion on How to Survive in market when giant is creating monopoly	Sept. 11,2021	100	CHARPERON POP Agency Prof. A



मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

क्रमांक-मोलासुवि/गोपनीय/2020/ २२०२

दिनांक- 01.07.2020

अधिसचना - 18

(विश्वविद्यालय की सत्र 2019-20 की शेष रही परीक्षाओं को सम्पन्न कराने बाबत्)

राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना 'कोविड–19' महामारी के कारण विश्वविद्यालय की सत्र 2019-20 की परीक्षाओं के बांकी रहे प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं दिनांक 08.07.2020 से प्ररम्भ होंगी इस हेतु सम्बंधित परीक्षार्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:-

1. स्नात्तक एवं स्नातकोत्तर के सभी पाट्यक्रमों के अंतिम वर्ष के शेष रहे प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं दिनांक 08.07.2020 से विश्वविद्यालय की वेब साईट www.mlsu.ac.in पर जारी समय सारिणी के अनुसार प्रारम्भ की जाएगी। परीक्षा की अवधि निर्धारित 3 (तीन) घन्टे के स्थान पर 2 (दो) घन्टे कर दी गई है तथा प्रश्न पत्र के खण्ड 'अ' 'ब' एवं 'स' में से खण्ड 'स' को विलोपित कर दिया गया है, अतः परीक्षार्थियों को केवल खण्ड 'अ' एवं 'ब' के प्रश्नों को ही हल करना है, तदानुसार उत्तरपुरितकाओं के पूर्णांक / प्राप्तांको को आनुपातिक रूप से परिवर्तित कर परिणाम जारी किया जाएगा।

2. विधि संकाय के परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र दो खण्ड में होगे जिसमें से खण्ड 'अ' के सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे तथा खण्ड 'ब' में से कोई 4 (चार) प्रश्न के स्थान पर केवल कोई 2 (दी) प्रश्न ही हल करने है, तदानुसार उत्तरपुस्तिकाओं के पूर्णांक / प्राप्तांको को आनुपातिक रूप से परिवर्तित कर परिणाम जारी किया

जाएगा।

3. निर्देशानुसार सम्बंधित सभी परीक्षार्थियों को उनके सम्बंधित परीक्षा केंन्द्रों पर सामाजिक दुरी (Social Distancing) की पालना करते हुए अपना प्रवेश पत्र, मास्क, सेनेटाईजर एवं पानी की योतल साथ लेकर परीक्षा के निर्धारित समय से 01 (एक) घन्टा पूर्व पहुँच कर थर्मल स्केनिंग करवा कर तुरन्त परीक्षा कक्ष में अपना आवंटित स्थान ग्रहण करना होगा।

4. सामाजिक दुरी, निसंक्रमण (Sanitizer) तथा 'कोविड-19' से सम्बंधित अन्य निर्देशों की पालना नहीं करने

वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

5. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल व अन्य इलेक्ट्रोनिक गैजेट इत्यादि एवं किसी भी प्रकार के नशे से सम्बंधी वस्तु यथा पान, गुटखा, तम्बाकू, सुपारी, बीड़ी-सिगरेट अपने साथ लेकर नहीं अवें।

परीक्षा से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय कं हेल्पलाईन डेस्क के नम्बर

0294-2471505, 2471506, 2471507, 2471508 पर सम्पर्क करें।

(डॉ. आर.सी. कुमावत) परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि राचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू:-

अधिष्ठाता / प्राचार्य / निदेशक,.... भेजकर लेख है कि कृपया संबंधित को अपने स्तर पर सूचित करावें. साथ ही करोना के संक्रमण की रोकथाम हेत् समय-समय पर राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की वालना निरिधत रूप रो करावें।

परिणाम प्रभारी, मो.ला.स्.वि.वि., उदयपुर।

समन्वयक, विश्वविद्यालय उड़नदस्ता, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गोपनीय/परीक्षा विभाग, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर।

इन्यार्ज, इन्टरनेट केन्द्र, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर को भेजकर लेख है कि उपर्युक्त को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

संकाय प्रभारी, परीक्षा शाखा, मो.ला.स्.वि.वि., उदयपुर।

आई.टी.आई इण्डिया लिमिटेड, न्यू दिल्ली को भेजकर लेख है कि कृपया उपरोक्त नुसार संबंधित परीक्षार्थियों को SMS के द्वारा सचित कराकर अधोहरताक्षरकर्ता को रिपोर्ट करें।

विश्वविद्यालय हेल्प लाईन को भेजकर लेख है कि कृपया संबंधित महाविद्यालयों / परीक्षा केन्द्रों को ई-मेल एवं दुरभाष द्वारा सूचित करावें।

> (हरकेश मीना) उप कुलसचिव (परीक्षा)

University College of Social Sciences and Humanities MLSU, Udaipur- Raj.-313001

No. MLSU/UCSSH/Exam./2020

1203

16-09-200

Office Order

The following faculty members of the UCSSH are hereby deputed in the COVID-19 Compliance—cum-Flying Committee to conduct final year examination -2020. The members of the committee will look after all issues related with COVID-19 precautions and also regular flying visit and vigilance at entry gate no. 1 and in corridors and examination rooms.

- 1. Prof. Neeraj Sharma-Convener
- 2. Prof. Seema Jalan-Convener
- 3. Dr. G.L.Patidar
- 4. Dr. G.S.Chauhan
- 5. Dr. Neha Paliwal
- 6. Dr. T.K.Sharma

Each day one convener and two more members (at least one female) will be in the team. The conveners will assign duties to themselves and to the members rotation- wise. Kindly report in college at 7.0am.

Copy to -

- 1.PS to Vice Chancellor, MLSU
- 2.APS to Registrar, MLSU
- 3. APS to Comptroller, MLSU
- 3. Controller of Exams, MLSU with the remark that this committee is formed to control Corona pandemic and the honorarium are to be paid additionally
- 4. Members concerned
- 5. Accounts section, UCSSH

DEAN



मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY: UDAIPUR

4.

6.

No.F.64/Gen/MLSU/2020/ 652-1

Dated: 08.08.2020

11

- 1. The Dean, Uni. College of Science, Udaipur
- The Dean, 5. Uni. College of Social Science & Humanities Udaipur
 - 3. The Dean. Uni. College of Commerce Mgt. Studies Udaipur
- The Dean, Uni.College of Law, Udaipur
 - The Director, F.M.S. Udaipur
 - The Head, Deptt. of Geology, Udaipur

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that all unit of the University will organize Independence Day Celebration on 15.08.2020 at 8.15 A.M. in their respective units.

All the Deans/Director are requested to make necessary arrangement at their Units.

Yours faithfully,

Copy to:

1. Nodal Officer, University Website, MLSU, Udaipur

2. Nodal Officer, Media Cell, MLSU, Udaipur

3. P.S. to Vice Chancellor, MLSU, Udaipur

DY. REGISTRAR



circulate among ALL HOD/ Incharge/Dean office Assoc. Dean. ADSW. PROCTOR STOREKEEPER JAMADAR





Ph. 0294-2470166, Ext.-2471035 मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

No.F. ()/MLSU/Estt/Gr.1/2019/ 3/4

Date: 15/08/2019

ORDER

On the recommendations of the Dean, University College of Social Science and Humanities, Udaipur, the Vice-Chancellor is pleased to assign the work to the following persons as mentioned against their names with immediate effect for the academic session (i.e. upto 30-06-2020) or till further orders, whichever is earlier.

S.N	Name of Persons	Work
1	Dr. Giriraj Singh Chouhan, Assistant Professor of Public Administration	A.D.S.W
2	Dr. P.S. Rajput, Assistant Professor of Library and Information Science	Proctor
3	Dr. Manish Shrimali, Assistant Professor of History (In place of Dr. Satish Chand, Assistant Professor of Political Science)	NSS Programme Officer

They will get pocket allowance of Rs. 400/- PM for carrying out the above additional

REGISTRAR

Copy to:-

1- The Dean, UCSSH, MLSU, Udaipur.

2- The Head, Department of

, Udaipur.

- 3- The Comptroller/Sr. Accounts Officer (Treasury), MLSU, Udaipur.
- 4-PS to VC/Addtl. P.S.to Registrar, MLSU, Udaipur.
- 5- Person concerned
- 6- Personal Files
- 7- Guard File

ned with Scanner

Scanned with CamScanner







मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर МОНАNLAL SUKHADIA UNIVERSITY. UDAIPUR

No.F. ()/MLSU/Estt/Grl/2021/1396

Date: 27/09/201

ORDER

The Vice-Chancellor is pleased to make following appoints in the University College of Soccial Science and Humanities, Udaipur for the academic session 2021-2022: -

Dr. P.S. Rajput
 Asstt. Professor - Library and Information Science

 Dr. Gattu Lal Patidar Asstt. Professor – Sanskrit A.D.S.W.

Further, they will get pocket allowance of Rs. 400/- PM for carrying out the above additional work.

REGISTRAR

Copy to: -

The Dean, UCSSH, MLSU, Udaipur.

- 2. The Dean, Student Welfare, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur
- 3. Chief Proctor, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur
- 4. The Head, Deptt. of _____,UCSSH, MLSU, Udaipur
- 5. The Comptroller / Controller of Exam, MLSU Udaipur.
- 6. PS to Vice-Chancellor, MLSU, Udaipur.
- DR -GAD (Meeting Section) to please report the order in the next meeting of the BOM.
- Dr. Avinash Panwar, Incharge University website, University Computer Centre, MLSU, Udaipur.
- 9. Nodal Officer, Media Cell, MLSU, Udaipur.
- 10. Person Concerned.
- 11. Personal File.
- 12. Guard File.

REGISTRAR

Est. Sec. / Say Bill 28.9.202'





0

मोहनलाल सुखांडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर мональна викнаріа имувлету, ирапчик

No.F. ()/MLSU/Estt/Grl/2020/g16

Date: | 6,08/2020

ORDER

The Vice-Chancellor is pleased to make following appoints in the University College of Soccial Science and Humanities, Udaipur: -

I. Dr. P.S. Rajput
Asstt. Professor - Library and Information Science

ADSW

Proctor

2. Dr. Ncha Paliwal Asstt. Professor - Economics

REGISTRAF

Copy to: -

1. The Dean, UCSSH, MLSU, Udaipur,

2. The Dean, Student Welfare, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur

3. Dr. Neha Paliwal, Asstt. Professor, Department of Economics, UCSSH, Udaipur.

 Dr.P.S. Rajput, Asstt. Professor, Department of Library and Information Science, UCSSH, Udaipur.

5. The Comptroller/ Controller of Exam, MLSU, Udaipur.


PS to Vice-Chancellor, MLSU, Udaipur.


7. DR -GAD (Meeting Section) to please report the order in the next meeting of the BOM.

8. Personal File.

9. Guard File.

DE REGISTRAR





अनुस्थित जाति एवं जनजाति प्रशोधः मोहनलाल सुलाविका विश्वविकालन जनसपुर

Dated - 20-07-2025

विश्वविद्यालय अनुवान आयोग, नर्व विश्वी के बोजना के ब्यांगित एवं निवारित विश्व तिर्देश एवं व्यान्यक्षित के अवस्थित के अवस्थित के विश्वविद्यालय के अवस्थित के अवस्थित के अवस्थित के व्यान्यक के अवस्थित के विश्वी के अवस्थित के अवस्थान के अवस्थित के अवस्थित

प्रकोष्ठ द्वारा गठित स्टेन्डिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा विभिन्न पाड्यकर्गों के प्रवेश में आरक्षण छात्रावास में प्रवेश, छात्रवृत्ति आदि हेतु महाविद्यालयों में जाकर आरक्षण प्रावधानों को लागू करने की सुनिश्चितता तय की जाती है। इन वर्गों के शिक्षकों / कर्मचारियों / विद्याविद्यां की छात्रावास, छात्रवृत्ति आदि से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में समय—समय पर सम्बन्धित विभाग छात्रावास, छात्रवृत्ति आदि से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में समय—समय पर सम्बन्धित विभाग से प्रकोष्ठ के समन्वयक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अधवा दूरभाष पर सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया है। साथ ही प्रकोष्ठ द्वारा इन वर्गों के कर्मचारियों की नियुक्ति / वहीन्निति में आरक्षण प्रावधान लागु किये जाने हेतु तत्पर रहता है।

अनुस्थित जाति एवं जनजाति प्रकोध्ठ द्वारा इन वर्गों के प्रतिभावान छात्रों के सम्मान हेतु वर्तमान तक बार बार सम्माप समारोह कमश्रा विनांक 04.01.2006. 24.02.2007. 28.04.2013. एवं 14.04.2017 को आयोजित किये गर्थ।

प्रकोष्य में वर्तमान में निम्नलिखित सदस्य कार्यरत है :-

- 1. प्रो. पी.एम. यादव, समन्वयक, विसाविभाम
- 2 श्री मुकेश कुमार बारबर, उप-कुलसचिव
- 3. श्री उँकारलाल डॉगी, वरिष्ठ सहायक
- श्री सोहनलाल गमेती, सहायक कर्मचारी

COORDINATOR समन्वयक S.C.J.S.T. CELL M.L.S.U., UDA PUR जा प्रकोण्ड मोलास्त्रि उदयप्र



Website: www.mlsu.ac.in E-mail-registrar@mlsu.ac.in

Phone: 0294-2470166

No.F. 31-II/Gen /MLSU/2022/ 9916

Dated: 12.09.2022

ORDER

The Vice Chancellor is pleased to re-constitute an Internal Complaint Committee consisting of the following members for Prevention of Sexual Harassement of Women at work place of the University with immediate effect:-

1. Prof. Digvijay Bhatnagar, History

2. Dr. Rajshree Choudhary, Law

3. Dr. Shilpa Vardia, ABST

 Ms. Usha Choudhary, Secretary, Vikalp Non-Govt. Institute

5. Dr. Maya Chaudhary, Geology

Convener Member Member

Member

REGISTRAF

Copy to:

 All Deans of Colleges (UCoS/UCCMS/UCSSH/UCLaw), MLSU, Udaipur

2. The Director, Faculty of Management Studies, MLSU, Udaipur

3. Prof. Seema Jalan, Deptt.of Geography, UCSSH, MLSU, Udaipur

4. All Heads of University Deptt.......MLSU, Udaipur

5. All members concerned

6. Nodal Officer, University Website, MLSU, Udaipur


7. The Incharge, Media Cell, MLSU, Udaipur

8. The Meeting Section, MLSU, Udaipur report in next A.C./ COD.

9. The P.S. to Vice Chancellor/ Addl. P. S. to Registrar, MLSU, Udaipur

10. Guard File.

24/



बैठक -कार्यवृत्त

आज दिनांक 08.10.2020 को दोपहर 12:00 बजे स्थानीय (कॉलेज) मू सा निमार्ण (देख-रेख) समिति की बैठक अधिष्ठाता कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :-

	प्रो. एस. के. कटारिया	संयोजक
1.	प्रो. एस. क. कटारिया	सदस्य
2.	डॉ. हेमराज चौधरी	सदस्य
4.	डॉ. पी.एस. राजपूत	सदस्य
5.	श्री हरीश पाण्डे	सदस्य
6.	श्री घनश्याम सिंह पंवार	सदस्य

बैठक में संयोजक प्रो. एस. के. कटारिया द्वारा सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई -

- 1. आज दिनांक 08.10.2020 को समिति द्वारा पुस्तकालय के बाहर का 3D नक्शा जिसमें चार खम्मे दिखाए गए हैं, को स्वीकृत कर दिया गया। इसकी अनुमानित लागत 2.85 लाख है। इस कार्य की समय सीमा भू-सम्पत्ति कार्यालय निर्घारित करके लिखित रूप में बताए। यदि भू-सम्पत्ति कार्यालय निर्धारित समय सीमा में यह कार्य पूर्ण करके महाविद्यालय को नहीं सौंपता है. तो 10 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से कुल लागत में से कटौती की जाएगी।
- 2. दिव्यांगजन के नक्शें में नगर निगम द्वारा वाटर हारवेस्टिंग की जो व्यवस्था की हुई है, उसको यथावत रखी जाएगी, किन्तु नक्शें में बदलाव वाटर हारवेस्टिंग के अनुरूप किया जाएगा।
- 3. केंटीन भवन के निरीक्षणोपरान्त समिति द्वारा सुझाए गए कार्यों को शीघ सम्पादित करने के लिए निर्देशित किया गया। (सूची संलग्न)
- 4. भण्डार भवन के सन्दर्भ में, जो कार्य पूर्व में सुझाए गए थे उन्हें शीघ्रता से सम्पादित किए जाने के सुझाव / निर्देश दिए गए।

धन्यवाद सहित बैठक सम्पन्न हुई।



Ph.(0294) 2470143 Fax. 2475150 Ext. 3200

UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES Mohanlal Sukhadia University

UDAIPUR - 313 001 (Raj)

क्रमांकःसाविमाम/मोलासुवि/बैठक/2020/314


विनांका 07.10.2020

सू च ना

महाविद्यालय के 'स्थानीय (कॉलेज) भू-सम्पत्ति निगार्ण(देख-रेख) समिति' के निम्नांकित सदस्यों की बैठक विनांक 08,10,2020 को दोपहर 12:00 बजे" अधिण्ठाता कक्ष में रखी गई है।

- 1. प्रो. एस.के. कटारिया
- 2. प्रो. जिनेन्द्र जैन
- 3. डॉ. हेमराज चौधरी
- 4. डॉ. पी.एस. राजपूत
- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
- भण्डार(स्टोरकीपर)

समी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।





Ph. 0294-3470343, Uni. Fet. 0294-2473150 UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)

Disciplinary and Anti Ragging समिति

बैठक दिनांक 03.08.2022

दोपहर 01:00 बजे

1. Prof. Neeraj Sharma

Convener

2. Prof. Digvijay Bhatnagar Member (

3. Dr. Suresh Salvi

Member

4. Dr. G.L. Patidar

Member

5. Dr. P. S. Rajput

Member (Proctor

6. Dr. Balu Dan Barahth

Member

7. Mrs. Snehlata Tailor

Member

8. Dr. Satish Chand

Member &

9. Dr. Raj Kumari Ahir

Member



UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)

कार्यवृत्त

आज दिनांक 03.08.2022 को दोपहर 01.00 बजे अधिष्ठाता कक्ष में अनुशासनात्मक और एन्टी रेगींग (Disciplinary and Anti Ragging) समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नानुसार निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए –

- कार्यालय समय में समिति सदस्य परिसर में उपस्थित रहेंगे तथा समय—समय पर सर्तकतापूर्वक परिसर का दौरा करेंगे।
- 2. प्रशासन और छात्रों के साथ संवाद आयोजन किया जाएगा।
- 3. परिचय पत्र शीघ्र बनाये जाए।
- महाविद्यालय में पुलिस कार्मिक लगाने हेतु प्रताप नगर थाने को पत्र लिखा जाए।
- सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता (ए.डी.एस.डब्यू) महाविद्यालय के गेट पर आचार संहिता का फ्लैक्स बनाकर लगवाए।
- महाविद्यालय के सभी सी.सी.टी.वी. कैमरे सही से कार्य करे तथा उनकी रिकॉडिंग चालू रहें।

- Jak

0

1/22/18.22

or les for Brand

Sagar

 सैमेटाइजर के लिए यथा समाव आइसोप्रीयिल एल्लोइल(१० प्रतिसत या उससे अधिक) अधवा इशादेल या मीधाईल एक्लोडल प्रकोग वे क्लिए जाएगा। 10 बाधरूम में लिविवड सीप रखपाई जाएगी। समस्त आदेशों को काम्या के प्रशास क्या सम्मत इलेक्ट्रांनिक माध्यमी से प्रशासित करने का 12 शेट नं 2 को बाहर लगाए जामे वाले बैनर में शमरत विभागात्मकों के कीन नं व आवश्यक प्रशासनिक प्रशासिक सूचनाएँ रहेगी लाकि विशासियों लथा अभिभावकों को वहांकिदालय में प्रवेश नहीं महाविद्यालय की मौनिटरिंग समिति य कोविड समिति समय-समय पर निरिक्षण कर परीक्षा के बीरान कोरोमा रोकधाम हेलु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशी
 का उल्लंघन करने वाले परीक्षाची को नियमानुसार सण्डित किया जाएगा। 15. परीक्षा के दिनों में परीक्षाधियों के सूखना हेतु निर्देश के तीन बैनर बनवाए काएगें।
16. परीक्षा पूर्व समस्त किंकिंगे एवं स्टाफ को कोरोना बचाव के लिए काउंसलिंग सब रखा जाएगा। संयोजक कोविड समिति Point No. 5 to 9 New wigen-कोविड समिति The Dean UCJSH



NIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANTERS MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

कार्यवृत्त

कोविज-19 समिति की बैतक विशांक 18 जून, 2020 को वोपहर 12:30 बजे अधिकाता कार्यालय में शब्दान हुई।

कोविय 10 शमिति को देवक विनांक 16 जून 2020 को दोपहर 1230 को अधिन्याता जार्थालय में सामान हुई। देशक में निकाशिक्षित सम्बद्ध उपस्थित स्ते-11 C. JOSE

100

4	th	एस के कटारिया	wintown
2		forms the	लह-अधिका
3	15	की एल बादीबार	15,255

SPPPF क्षा पाणिल भोषी DEPTHY शीक शिक्षकुमारी अहीर PFRIF औ दीपिका भागी preprint भा यथा समा

HPPPP जो विनीता राजपुरोतित सम्बद्धा भी शरिल भीना

साराज अवस्थ 10 की जुलान आचार्य

आगंतित


अधिकाता ा. हो सराय लोग


सहायक अधिकाता पात्र कल्याण जी जी एस घीएएन

उ. को पोएस सजस्त cinex. 4 भी धनस्थाम शिह पतार रक्षोरकीपर

लयोजक ने सभी सवस्थों का स्वागत किया। कोविड-19 से प्रधाव के सम्बर्भ में सर्वसम्मति से निम्नतिक्षित निर्णय क्रिए गए-

- समस्त संवत्य सवस्यों मंत्रालय सहायक कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं उनके अभिभायकों को कोरोना से बचाव के लिए पोस्टर, देनले तथा गीत-सगीत के माध्यम से जागरूक किया
- घोरटर एवं वेनले में विणेत सूचनाए एवं नियम दृश्यकता विभाग भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप निर्मित करवाएगा।
- गीत-संगीत एवं जिगल्स संगीत विभाग तैयार करके चेगा।
- महाविद्यालय वो गेट न, 2 पर स्थाई रूप से धर्मोरकोनर एवं सैमेटाइजर उपलब्ध रहेगा सथा परीक्षा को दिनों में परीक्षा कक्ष के बाहर भी सैनेटाइजर रहेगा।
- प्रतिदिन महाविद्यालय को बाधरूम शोडियम हाइपोक्लीराइट से साफ किये जाएगे।
- महाविद्यालय के कार्यालय तथा संकाय सदस्यों के कक्षों को सहायक कर्मचारी दस्ताने
- पहनकर के सोडियम हाइपोक्लॉराइट से सफाई करेंगे। समस्त क्को व गतियारो में आवश्यकता पड़ने पर सोखियम हाङ्घोषलाँशहट का छिडकाव
- सहायक कर्मधारियों को इस हेतु दस्ताने तथा सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराये जाएंगे। किया जाएगा।







Sub - Additional suggestions on COVID-19. Sir.

It is to submit before you some additional suggestions received from faculty members for the prevention of COVID-19 in UCSSH.

- As per the letter of University (No. F./Gen./MLSU/2020/6308 dated 15-06-2020) every examinee is to be provided a mask. In such case we need about 4000-5000 masks.
- To ensure social distancing the college needs more display boards showing examinee's roll number-wise and room -wise seating arrangements. So that no crowd is gathered at one place. Three more display boards are essential.
- One thermo -scanner is not enough for the 500-600 examinees at a time.
 At least two more scanners are needed.
- At present, there is no availability of water with soap or liquid soap or sanitizer with stand to the hand-wash points and toilets of the college. Immediate action is requested.
- Many of the teaching and non-teaching staff members are not serious about the use of mask. It is suggested that major disciplinary action is to be taken against the violators, on the recommendations of COVID-19 or Monitoring Committee.
- 6. It must be informed to the University/Controller of Examination to inform each examinee that no duplicate admit card will be issued by the Examination centre at the time of examination.







महाविद्यालय पुस्तकालय समिति की बैठक

विनांक 01.02.2023 को

प्रातः 11:30 मजे

स्थान – अधिग्ठाता कार्यालय

बैठक की उपस्थिति

1. प्रो. नीरज शर्मा संयोजक

2. प्रो. सुघा चौघरी

3. डॉ. शाहिद परवेज सदस्य

4. डॉ. पी.एस. राजपूत , सदस्य

5. डॉ. कैलाश चन्द गुर्जर सदस्य

6. डॉ. अंजली सिंह

सदस्य सचिव 7. पुस्तकालय

हस्ताक्षर


 Enough (about 200pairs) washable hand gloves are to be purchased for student section/examination section/control room and invigilators.

Please make sure that enough Sodium Hypochlorite and Isopropyl
 Ethyl/Methyl Alcohol 70% is available for refill purpose (10-15 litre
 each may be consumed per day during examinations).

 One more spray machine will require during examination period to sanitize each room after each session of examination.

Submitted, for your immediate action please.

Convenor





UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)


स्थानीय (कॉलेज) भू-सम्पत्ति निमार्ण(देख-रेख) समिति" स्थान- अधिष्ठाता कक्ष

दिनांक 19.08.2020

समय- दोपहर 02:00

उपस्थिति

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
1	प्रो. सीमा मलिक, अधिष्ठाता	Seem Wales
2	प्रो. एस.के.कटारिया,	de-
3	प्रो. जिनेन्द्र जैन,	fer
4	डॉ. पी.एस. राजपूत,	5
5	डॉ. हेमराज चौधरी	Home
6	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	-होरा
7	भण्डार(स्टोरकीपर)	Hul



MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)

बैठक -कार्यवृत

आज दिनांक 19.08.2020 को दोपहर 02:00 बजे स्थानीय (कॉलेज) मू सम्पत्ति निमार्ण (देख-रेख) समिति की बैठक अधिष्ठाता कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें समिति को निम्नालिखित सदस्य उपरिधत रहे :-

- 1. प्रो. एस. के. कटारिया
- 2. प्रो. जिनेन्द्र कुमार जैन संयोजक
- 3. डॉ. हेमराज घौधरी
- 4. डॉ. पी.एस. राजपूत
- 5. श्री हरीश पाण्डे
- श्री घनश्याम सिंह पंचार

अतिथि

1. प्रो. सीमा मलिक


अधिष्ठाता

बैठक में संयोजक प्रो. एस. के. कटारिया द्वारा अधिष्ठाता तथा सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई -

- 1. बैठक में दिनांक 30.07.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
- 2. पूर्ववर्ती अधिष्ठाता डॉ. साधना कोठारी और स्थानीय भू—सम्पत्ति कार्यालय के हस्ताक्षर से जो नक्शा है, उसमें नए केन्टीन और सेमीनार भवन दोनों के बीच जोड़ने वाले पुल बनाने का विवरण है, किन्तु विश्वविद्यालय भू-सम्पत्ति कार्यालय द्वारा बाद में जो नक्शा बनाया गया है और भवन का व्यय प्रदर्शित किया गया है, उसमें इस पुल का विवरण नहीं है। अतः समिति में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इस प्रकरण को विश्वविद्यालय प्रशासन और भू-सम्पत्ति कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करके तत्काल समाधान निकाले जाने की आवश्यकता है। इस हेतु भू-सम्पत्ति कार्यालय से लिखित में वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण लिया जाना अपेक्षित है।

धन्यवाद सहित बैठक सम्पन्न हुई।


संयोजक



- क्लियर और पुनः पुस्तकों का आहरण कराया जाए।
- 4. जिन विभागों की पुस्तकों की छटनी नहीं हुई हैं, उन विभागों को पुस्तकालय द्वारा पत्र लिखकर छटनी करने हेतु और वर्तमान में प्रयोग में आने वाली पुस्तकों का चयन करने हेतु पत्र भिजवाए जाएँ।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

S/ andrest



a. पो. शुधा चौचरी शवस्थ शास्त्रकार a. ut. fördes ste SERVICE. 10. प्री. हरीस अल्सारी 利用を利 in ut, ufden शवस्य (१) 12. डॉ. नवीन नन्दवाना that the little 13. वॉ. शुरेश सालवी रावस्य 14 को कुंचन आचार्य सामस्य 15. डॉ. विजय शिंह गीणा शावस्य क या. पी. एस. शाजपत सारास्थ

महाविद्यालय के बी.ए हितीय वर्ष में ऐसे आवेदकों को सम्मिलित करने हेतु बैठक हुई जिन्होंने प्रथम वर्ष स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा दी थी। विश्वविद्यालय के आवेशानुसार सामान्य श्रेणी के आवेदकों हेतु न्यूनतम प्रवेश योग्यता को 55 प्रतिशत की बजाय 48 प्रतिशत कर दिया गया तथा इस वर्ष महाविद्यालय में रिक्त सीटों की तुलना में आवेदन भी अधिक आवे हैं।

बैठक में निम्नांकित निर्णय लिय गये-

- 1— प्रवेश पोर्टल को दिनांक 8—8—2018 दोपहर तक खुलवाया जावे। फार्म की हार्ड प्रति दिनांक 8—8—2018 को सांय 5.00 बजे तक जमा करोंदें।
- उ- प्रवेश हेतु वरीयता सूची केवल हार्ड प्रति एवं दस्तायेओं के आधार पर बनायी जावे।
- उ- चूँकि ऐसे आवेदक विश्वविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश ले रहे हैं। अतः नियमानुसार आरक्षण भी लागू किया जावे।



का दक्ष तथा कर सक्ता है। यह सहस है। साम क्रिका का प्रकार का 1100 2018 साथ 200 बैठक में एकए प्रश्न लेकेस्टर तथा भीए प्रथम वर्ष स्वतित प्रोणित पात्मक्रम में प्रवेश वेत जी विस्ताकित विश्वेष विश्वे पर्थ। 1- बी.ए. एकाव वर्ष के रचिता पालित पाल्यकम के विद्यालिया दिल्योंने पूर्व में ऑनलाईन आवेदन क्रिका आवेदन किया था जनको अधिन अवसर के तहत् दिनांक 10-08-2018 एवं 11-8-2018 को साच 3.00 बजे तक फीस जमा करने का अवसर दिया जाने। 2- एमए प्रथम संबेश्टर की दितीय बरण की काजन्सलिय तथा कीस जमा दिनांक a-a-2018 को दोपहर 12:00 से 4:00 बचे तक की जायेगी। त-तवाद तंत्र्यात के साल कुषक का समातन विता। Monari अधिकाता


आज हिलांड 10 अप्रेज, 2018 की अधिकहाता कार्जाक्य में काम-निधि साही के उपयोग व चितला के संबंध में रह नेडक आयोगित हुई। इस बेहब में निम्नानितिन जनस्य उपालोत रहे-1. मो॰ साधाना कोडारी अधिहतता २ प्रो- रसक्के करारिया - 2 भी- सुधा नौधरी 4 श्रे जिनेंड जेन ड डॉ नवीन नेडमाना १००४ 6 भी हरीश शमि (H.K शमी) वैहन में सर्वसमाति से निष्मि छिया गया डि-यह छा। निधि शारी कुल प्रवेश के 10 % विधापियों

को ही दी आ सब्जी। इस संबंध में विश्वनिधान्य निवराठीक सन २०१७-१६ के पुष्ट संख्या 107-108 पर नार्तित नियम लागू 11/3

रप संबंध में आगामी अगस्त माह में सावेरन आमंतित िए आबेजी आवेदन का त्रारुप श्री करारिमा व नवीन मेंद्रवाना लेपार करें)

धन्यवाद के लाय केंद्र तमाप्त हुई 149

दे सामात है वैयोगम एवं अन्य समस्त एर यो की उपास्त्रीते होने पर् राम विषयम बैंडक की युगः उत्त भी जार।





UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)

क्रमाक साविमाम / भोलासुवि / 2018 / 899

विनाक :- 25 जनवरी, 2018

सूचना

महाविद्यालय छात्र निधि सहायता कोष 2017-18 के लिए गठित कमेटी के सदस्यों की अत्यावश्यक बैठक आज दिनांक 25 जनवरी, 2018 को दोपहर 12.30 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में रखी गई है।

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वैठक में आपकी उपस्थित आवश्यक है।

1. प्रो० एस के कटारिया

2. प्रो० सुधा चौधरी

3 प्रो0 जिनेन्द्र जैन

4. डॉ० नवीन कुमार नन्दवाना

संयोजक on Leave


सदस्य on leave

सदस्य


सदस्य (एडीएसडब्ल्यू)

don

अधिकाता



Minutes 23.1.2019 A meeting of the committee of Standard welfere find, Ucesto 12 20. Tihenda Jain to deside in come cutilities of the application. It was decided that the income car R. Richte may be venilia) by a Public representative one sore. Survey & Noturn Public. (S. K. Kolinia)





UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)

क्रमाक साविमाम/मोलासूवि/समिति/2020-21/63

fitteler : 16 ugend, 2020

कार्यालय - आदेश

महाविद्यालय में सत्र 2020-21 के लिए भवन निर्माण-रखरखाव से संबंधित कार्य हेतु निम्नांकित सदस्यों की "स्थानीय (कॉलेज) मू-सम्पत्ति निमार्ण(देख-रेख) समिति" गठित की जाती है -

2.	Dì.	एसको	कटारिया	आध्यक्ष
		विक्रीक		30,000

डॉ. हेमराज चौधरी सदस्य

4. डॉ. पी.एस. राजपूत सदस्य

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सदस्य


भण्डार(स्टोरकीपर) सदस्य सचिव

प्रतिलिपि -

1. सभी सदस्य

अधिष्ठाता

आधिकाता
University College of
Secial Sciences & Humanities
UDAIPUR



बैठक -कार्यक्त

आज दिनांक 30.07.2020 को प्रातः 11.30 वर्ज स्थानीय (कॉलेज) मू-सम्पत्ति निमार्ण(देख-रेख) समिति की बैठक अधिष्ठाता कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें समिति के निम्नतियात सदस्य उपरिधात रहे :-

1. भो. एस. के. कटारिया

engiones.

- 2. प्रो जिनेन्द्र कुमार जैन
- 3. श्री हरीश पाण्डे
- श्री धनक्याम सिंह प्रधार अधिकि
- 1. प्रो. सीमा मलिक

अधिष्ठाता

बैठक में संयोजक पो. एस. के कटारिया द्वारा अधिष्ठाता तथा सदस्यों का स्वागत किया। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई -

- सर्वप्रथम अधिष्ठाता को प्राप्त हुए शिकायत पत्र क्रमांक/सामान्य/ मोलासुविवि / 2020 / 6478 दिनांक 28.07.2020 के विषय में गम्भीर चर्चा हुई। जिसमें अधिकाता ने बताया कि मू-सम्पत्ति अधिकारी को पत्र के सन्दर्भ में सूचित किया गया है तथा महाविद्यालय में अभी तक कराए गए कार्यों की जानकारी समिति सदस्यों को दी गई।
- 2. अधिष्ठाता ने बताया कि बिजली की शिकायत के सन्दर्भ में सम्बंधित कार्यालय को पत्र भेजा दिया गया है। जल्द ही बिजली संबन्धी कार्य शुरू हो जायेंगे।
- सर्वसम्मति से हिव्यांग जन के लिए रेस्टरूम और वाशरूम का प्रस्ताव पास हुआ. किन्तु वाटर रिवार्ज की पाईप-लाईन को बाहर रखी जाए।
- 4. अधिष्ठाता ने यह बताया कि केन्टीन वाले प्रस्ताव में सेमीनार हॉल से लेकर केन्टीन ब्रिज सम्मिलित है। इसमें सह-अधिष्ठाता प्रो. जिनेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि भ-सम्पत्ति कार्यालय द्वारा ठेकेदार तथा महाविद्यालय को वर्क-ऑर्डर और स्टीमेट प्लान दिया जाए, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है।
- 5. वर्क-ऑर्डर को देखने के बाद यह निर्णय लिया जायेगा कि ब्रिज केन्टीन वाले प्रस्ताव(प्रपोजल) में सम्मिलित है या नहीं।
- 6. भू-सम्पति कार्यालय द्वारा गेट नं. 1 से गेट नं. 2 (अधिष्ठाता कार्यालय के पीछे) वाले रोड़ को इंटरलॉक टाईल शीघातिशीघ लगाई जाए।

धन्यवाद सहित बैठक सम्पन्न हुई।



Ph.(0294) 2470143 Fax.2471150 Ext. 3200 email-ucesh@misu.ac.in

UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Mohanial Sukhadia University

UDAIPUR - 313 001 [Raj]

क्रमांकः साविमाम/मोलासुवि/बैठक/2020/222

विनांकः 21.09.2020


सू च ना

महाविद्यालय के त्थानीय (कॉलेज) मू-सम्पत्ति निमार्ण(देख-रेख) समिति" की बैठक दिनांक 21.09.2020 को दोपहर 12:30 बजे" अधिष्ठाता कक्ष में रखी गई है।

- 1. प्रो. एस.के. कटारिया
- 2 प्रो जिनेन्द्र जैन
- 3. डॉ. हेमराज चौधरी
- 4. डॉ. पी.एस. राजपूत
- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
- भण्डार(स्टोरकीपर)

समी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

अधिकाता



No. MLSU/UCSSH/Meeting/SFAC/2020/401

Date: 29.10.2020

NOTICE

A meeting of the Faculty Level Self Financing Advisory Committee will be held on 02.11.2020 at 12:00 p.m. in the office of the undersigned to discuss the requirement of experienced staff in addition to the already working staff.

All the members are requested to make it convenient to attend the same.

DEAN

Copy to-

 All member, Faculty Level Self Financing Advisory Committee, UCSSH, MLSU, Udaipur

2. Guard File

DEAN



DEAN 9414162211 Ph.(0294) 2470143 Fax.2471150 Ext. 3200

UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES Mohanlal Sukhadia University

UDAIPUR - 313 001 (Raj)

क्रमांकःसाविमाम/मोलासुवि/बैठक/PA/2020/7-5

विनांक: 19.08.2020

सू च ना

महाविद्यालय के ''स्थानीय (कॉलेज) मू-सम्पत्ति निमार्ण(देख-रेख) समिति'' की बैठक आज दिनांक 19.08.2020 को दोपहर 2:00 बजे" अधिष्ठाता कक्ष में रखी गई है।

- 1. प्रो. एस.के. कटारिया
- 2. प्रो. जिनेन्द्र जैन
- 3. डॉ. हेमराज चौधरी
- 4. डॉ. पी.एस. राजपूत
- 5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
- 6. मण्डार(स्टोरकीपर)

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

University College of Social Sciences & Humanities UDAIPUR





Prof. Seema Mafik Dean सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर — 313001

बैठक- कार्यवत्त

स्यः वित्त पोषित सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 14.07.2020 को दोपहर 12:30 अधिष्ठाता कार्यालय,साजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, मोलासुवि, उदयपुर में सम्पन्न हुई। संयोजक द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई—


शब्दा में उपस्थित सदस्यों ने इस बात पर अपनी सहमति दी कि जिन बिन्दुओं पर चर्चा हुई है तथा सदस्यों द्वारा प्रदत्त सूझावों को सम्मिलित करते हुए महाविद्यालय अधिष्ठाता अपने स्तर पर अग्रीम गार्यवाही के लिए कुलसचिव को प्रेषित करें।


friday rus

C6:11/2/2020

Gadlay 2020

8 14.7.200





वैठक- कार्यवत्त


स्व वित्त पोषित सलाहकार समिति की बैठक आज विनांक 24.07.2020 को दोपहर 12:30 अधिष्ठाता कार्यालय, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, मोलासुवि, उदयपुर में सम्पन्न हुई। संयोजक द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई—


- 1. बैठक में उपस्थित सदस्यों ने इस बात पर अपनी सहमित दी कि जिन बिन्दुओं पर घर्चा हुई है तथा सदस्यों द्वारा प्रदत्त सुझावों को सिम्मिलित करते हुए महाविद्यालय अधिष्ठाता अपने स्तर पर अग्रिम कार्यवाही के लिए कुलसिविव को प्रेषित करें।
- 2. बैठक में उपस्थित सदस्यों की सहमति से यह सुझाव दिया कि सत्र 2020-21 के बी.ए. एस.एफ.एस. कोर्स के लिए प्रो. जिनेन्द्र कुमार जैन (सह-अधिष्ठाता) तथा डॉ. नवीन नन्दवाना संयोजक रहेंगे।
- उ. विभागों से प्राप्त हुए वर्कलोड़ के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार अतिथि अध्यापकों की पारित कर नियुक्ति किए जाने की स्थीकृति हेतु विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाये।

dames.

Seema Marik
Seema Marik
243.2020

Minuted A meeting of Student Aid Committee The little was held on 2-3-role of I PM in the chamber of some testinon The following muches were 1. Post Since Katerin - Conv. Ja L. Post Tinendon Jain - forthe 3 Pore Sudhi Chardhorny -" B- Manish Strivali - Monthly No. E.S. CARRAGA could not attend At the outset the Corresor Wel. omex all the members of approved that the scruitar of applications have been dene + Ill the to much of have all been acreallished . It was devited by the morben that the eligible Stadents may be rein hussed the admission fee on deposited by thous. Minimum income (anom criterie munt be raised from Rs. 60,000/-Since it is worthand in Ews cook fronts 11 L- har 8 10 101 /s In Com falls maker Planianes Wester (Gra. (kt.)





No MESU DESSHIDPA 2020:

Date-28-2-2020


Circular


A meeting of the 'Student- Aid Fund Committee of UCSSH' will be held on 02-03-2020, Monday, at 1.0pm in the room no.224.

All members are requested to attend please.

- 1. Prof.Jindendra Jain
- 2. Prof.Sudha Choudhary
- 3. Dr.G.S.Chauhan
- 4. Mr. Manish Shrimali

S.K.Kataria Convenor





क्यांक कावियाम पुस्तकातक 2020 / 1340

Ratio 29/06/2020

बैठक-कार्यवृत्त

पुरतवरालय समिति की वैवक आज दिलाक 29.06,2020 को पुरतकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में कहा राख्या 123 में सम्पन्न गुई। वेतक में निम्नाधिक समिति सदस्य खपरिधत हुए :

। प्रो सीमा मलिक संयोजक

2 प्रो मीरज शर्मा सदस्य

3 प्रो जिनेन्द्र जैन सदस्य

व डॉ पी एस राजपूत सदस्य

भी राजाराम भाट, सचिव

सर्वप्रथम पो सीमा मलिक द्वारा सभी सदस्यों का खागत किया गया। बैठक में पुस्तकालय से सबाधेत मुददो पर चर्चा की गई एवं निग्नाकित निर्णय लिए गए :-

- ा पुरतकालय ऑटोमेशन का कार्य बाहरी ऐजेन्सी (Out Source) के माध्यम से करवाया जाए एवं पुस्तकालय में पुस्तकों की सुरक्षा हेतु इलेक्ट्रीक सिक्योरिटी गेट भी लगवाया
- 2 पुस्तकालय ऑटोमेशन कार्य हेतु अधिष्ठाता महोदय द्वारा पृथक से समिति बनाई जाए।
- 3 महाविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एव शैक्षणंतर (Teaching & Non Teaching) स्टाफ को बकाया पुस्तकों जमा करवाने हेत् रमरण पत्र भिजवाने की कार्यवाही की जावे।
- विश्वविद्यालय के समरत शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर (Teaching & Non Teaching) स्टाफ द्वारा शैक्षाणिक सन्न के अंत तक (30 जून तक) सभी पुस्तकें आवश्यक रूप से जमा करवाई जावे। नवीन सन्न में (1 जुलाई से) स्टाफ को पुस्तकें तभी निर्गत (Issue) की जायेगी जब उनकी पूर्व में बकाया सभी पुस्तकों जम्म हो चुकी होंगी।

सहायक पुस्तकालयाध्यक द्वारा ऑटोमेशन कार्य की निविदा जारी होने से पहले उक्त कार्य हेतु पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति स्निश्चित करे।

प्रतकालय समिति द्वारा समय-समय पर प्रतकालय के विकास से संबंधित अपनी रिपोर्ट अधिष्ठाता महोदय को प्रवित करे।

7. पुस्तकालय ओटोमेशन कार्य के पश्चात् पुस्तकों के भंडार सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाए एवं पुस्तकों को खारिज कराने की कार्यवाही की जावे।

Reema Malih (以) ()

(प्रो. जिमेन्द्र जैन)

Rajarum Bhat

(श्री राजाराम भाट)

LID UCSSH - 166



MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)

No. E/CSSH MLSU Committee 2020 63

Date: -18" July, 2020

OFFICE ORDER

Subsequent to the office order No.UCSSH/Store/MLSU/2020/1147 dated 13th June, 2020, the Committee for Cycle Stand for the session 2020-21 is hereby re-constituted as under:

1. Prof. Pratibha	Convener
2. Prof. Kalpana Jain	Member
3. Dr. Hadees Anshari	Member
4. Dr. Naveen Nandwana	Member
5. Dr. Neha Paliwal	Member
6. Senior Administrative Officer	Member
7. Storekeeper	Member


Copy to :-

I. All person concerned

2. Guard File

BEAN

DOE ANN
University College of
Spoial Sciences & Humanities
UDAIPUR





MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)

बैठक -कार्यवृत्त

आज दिनांक 25.08.2020 को दोपहर 12:00 बजे महाविद्यालय वाहन पार्किंग स्टेण्ड समिति की बैठक अधिष्ठाता कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

ा. प्रो. प्रतिमा	संयोजव
2. प्रो. कल्पना जैन	सदस्य
3. डॉ. हदीस अंसारी 4. डॉ. नतीन जंगा	सवस्य
 डॉ. नवीन नंदवाना श्री हरीश पाण्डे 	सदस्य
- a exist dias	सदस्य

अतिधि

1. प्रो. जिनेन्द्र कुमार जैन

2 प्रो. एस. के. कटारिया

बैठक में संयोजक द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई —

1. सिमिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर अस्थाई रूप से 1 जुलाई. 2020 से वाहन पार्किंग की व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसके आधार पर दो निविदाएँ प्राप्त हुई। प्राप्त निविदा की न्यूनतम राशि 15,000/- रूपये मासिक थी। चूंकि कोरोना महामारी की परिस्थितियों के कारण वर्तमान समय में महाविद्यालय में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति नहीं है, इस आधार पर सिमित द्वारा निर्णय लिया गया कि निविदा की राशि अधिक है।

अतः वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अस्थाई रूप से वाहन स्थल की व्यवस्था पूर्ववर्ती ठेकेदार को ही स्वःवित्त पोषित समिति (SFAB) द्वारा निर्धारित चौकिदार के मासिक वेतन के अनुसार देने की अनुशंसा की गई। यदि पूर्ववर्ती ठेकेदार नई शर्तों पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करें तो नए व्यक्ति को यह दायित्व दिया जाए।

धन्यवाद सहित बैठक समाप्त हुई।

Similar 95.8.20 95.8.20

प्रील। 25/8/20 प्रो. प्रतिभा संवोजक

Minutes of the Meeting Committee constituted for Fee Exemption

A meeting of the committee constituted for exemption of fee was held on January 07, 2021 at Tourism and MahanlalSukhadia 2021 at Tourism and Hotel Management Programme Building, MohanlalSukhadia University, Udaipur (Raj.). Following members were present: I. Prof. Anil Kothari (Convener)

- 2. Prof S. K. Kataria
- 3. Prof. AtulTyagi
- 4. Dr. RajshreeChoudhary


Prof. Shurveer Singh Bhanawat could not attend the meeting.

The minutes of the meeting are as follows:

- Students belonging to a family whose income is up to Rs. One Lakh only (Rs. 1,00,000/-) to be considered for exemption of fee.
- Conditions laid by the University for the purpose of exemption of fee vide letter No.F /261/Gen./MLSU/2020/6726 were followed for the consideration.
- Applications of students were received from University College of Science and Faculty of Management Studies.
- The list of students who were considered for the exemption of fee is enclosed.
- The Deans/Directors should verify that these students have not applied for any

Convener

Dr. Rajsh



क्रमाक,साविभाग/मोलासुवि/समिति/2021-22/576

विमाक : 02.09.2021

कार्यालय - आदेश

महाविद्यालय छात्र निधि सहायता कोष सत्र 2020-21 के लिए निम्नांकित संकाय सदस्यों की समिति गठित की जाती हैं-

1. प्रो. एस.के कटारिया संयोजक 2 प्रो. सुधा चौधरी सदस्य 3. प्रो जिनेन्द्र कुमार जैन सदस्य 4. डॉ. नवीन कुमार नन्दवाना सदस्य


समिति की बैठक दिनांक 03.09.2021 को दोपहर 2:00 बजे अधिष्ठाता कक्ष में रखी गई है। कृपया अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

F 2.9.2021

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि -

- 1. संयोजक, समिति,
- 2. सभी सदस्य
- 3. रोकड शाखा, साविमाम, मोलासुविवि, उदयपुर।





Prof. Seema Malik DEAN 9414162211 UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITY

Mohanlal Sukhadia University

UDAIPUR - 313 001 (Raj)

Ph.(0294) 2470143 Fax-24713

स्थानीय (कॉलेज) भू—सम्पत्ति निमार्ण(देख—रेख) समिति" स्थान— अधिष्ठाता कक्ष दिनांक 09.07.2021 समय— दोपहर 12:15

उपस्थिति

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
1	प्रो. एस.के.कटारिया,	- Absent -
2	प्रो. जिनेन्द्र जैन,	
3	डॉ. पी.एस. राजपूत,	1
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	- Stat
	भण्डार(स्टोरकीपर)	Total

Sport Lin



Ph.(0294) 2470143 Fax:2471150 Ext. 3200 email- ucash@misu.ac.in

UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Mohanlal Sukhadia University

UDAIPUR - 313 001 (Raj)

स्थानीय (कॉलेज) स्तरीय स्वः वित्त पौषित (SFS) समिति की बैठक का कार्यवृत्त

महाविद्यालय की स्थानीय (कॉलेज) स्तरीय स्वः वित्त पोषित (SFS) समिति की एक बैठक दिनांक 06.09.2021 को घोपहर 12:00 बजे अधिष्ठाता कवा सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सवस्य उपस्थित रहे—

प्रो. कल्पना जैम
 स्वस्य
 ट. डॉ. नवीन नंदवाना सबस्य
 अीमती कोपल वरस सबस्य
 डॉ. मंबर विश्वैन्द्र सिंह सबस्य

श्रीमती कोमुदी वैकाव, सदस्य सधिव

निम्नलिखित सदस्य अनुपश्चित रहे-

1. प्रो. जिनेन्द्र जैन

बैठक की अध्यक्षता प्रो. कल्पना जैन ने संयोजक के रूप में की। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर निर्णय / विचार हुए--

- महाविद्यालय के विभिन्न विभागों से प्राप्त अतिथि संकायों के आवेदन पत्र की संख्या को पूर्व में विभाग द्वारा प्रेषित वर्क लॉड के अनुसार आवश्यक अतिथि संकाय सदस्यों की संख्या का मिलान किया गया। इसमें पाया कि कुछ विभागों को छोड़ कर शेष सभी में प्राप्त आवेदनों की संख्या या तो आवश्यक संख्या के समान है या उससे अधिक है।
- शारीरिक शिक्षा विमाग द्वारा 1 अतिथि संकाय की आवश्यकता दर्शायी गई, किन्तु इस विमाग में एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। मनोविज्ञान विमाग द्वारा 4 अतिथि संकायों की आवश्यकता दर्शायी गई, किन्तु इस विभाग में भी एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। फैशन टैक्नोलोजि एवं डिजाईनिंग विभाग द्वारा 7 अतिथि संकाय की आवश्यकता दर्शायी गई, किन्तु इस विभाग में चार आवेदन ही प्राप्त हुए। अंग्रेजी विभाग का पत्र दिनांक 06.09.2021 प्राप्त हुआ जिसमें अन्य महाविद्यालय में अध्यापन हेतु अतिथि संकाय सदस्यों की आवश्यकता हेतु पुनः आवेदन खोलने का निवेदन किया।
- अशिरिक शिक्षा विभाग एवं मनोविज्ञान विभाग में कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष के पत्र को ध्यान में रखते हुए तथा फैशन टैक्नोलोजि एवं डिजाईनिंग विभाग में आवश्यकता से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण समिति उक्त विभागों के आवेदन पत्र पुनः आमंत्रण करने की अनुशंसा करती है।

800 9/2021 6.9.21 Ost Kamed

ला सकेगी। इस सम्बन्ध में खाद्स एप प्रुप तथा सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म से पर्याप्त मदद मिल सकेगी।

 विवरणिका भे दिव्यांग विद्याचियों के लिए महाविद्यालय स्तर की सभी व्यवस्थाओं /सुविधाओं को प्रमुखता से दर्शाया जाए।

पूरे अकादिमक सब् में समिति की आवश्यकतानुसार और भी बैठकें कर संस्तुतियों के पूरा होने की दिशा में कार्य करने तथा सकारात्मक वातावरण बनाने पर भी सहमति हुई।

इस सन्दर्भ में आपके निवेदन है कि समिति की संस्तुतियों को विचार-विमर्श एवं व्यापाक सहमति के साथ कियान्वित करने का कष्ट करें।

सघ-यवाद!

(प्रो. प्रतिमा)

समन्दयव

Smith sharper

क्रीएस चौहान स्थारस चौहान ज्ञानिवेरी

डॉ. सुनित कुमार जैन

डो खुशपाल गर्ग

सीनियर एडामानिस्ट्रेटिव ऑकिसर



Ph. 0294-2470143, Uni.Fax.0294-2871150

UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)

बैठक -कार्यवृत्त

आज दिनांक 09.07.2021 को दोपहर 12:15 बजे स्थानीय (कॉलेज) भू-सम्पत्ति निमार्ण (देख-रेख) समिति की बैठक अधिष्ठाता कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें समिति के निम्नलिखत सदस्य उपस्थित रहें :-

- 1. प्रो. जिनेन्द्र कुमार जैन सह-अधिष्ठाता
- 2. डॉ. पी.एस. राजपूत
- 3. श्री हरीश पाण्डे
- 4. श्री रमेश कुमावत

अनुपस्थित सदस्य

1. प्रो. एस.के. कटारिया

बैठक में प्रो. जिनेन्द्र कुमार जैन द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई -

- 1. पेवर ब्लॉक रोड़ वर्क निर्माण जिसकी वित्तीय स्वीकृति 9.60 / लाख रूपये है और वह कार्य पूर्ण हो चुका है जिसका भू-सम्पत्ति कार्यालय द्वारा कुल बिल 8,17,908 / - रूपये का प्राप्त हुआ है, जिसका भुगतान करने की संस्तृति की जाती है। अब इस कार्य में अन्य कोई बिल भुगतान हेतु प्रस्तृत नहीं होगा।
- 2. विकलांगों के लिए वाशरूम और रेस्टरूम के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति 4.50 / - लाख रूपये थी। भू-सम्पत्ति कार्यालय द्वारा प्रथम बिल 2,97,218 / - रूपये का प्राप्त हुआ है तथा अन्तिम बिल कार्य समाप्ति के पश्चात् भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

3. बिन्दु सं. 1 व 2 के बिलों के भुगतान की अनुशंसा की जाती है।

धन्यवाद सहित बैठक सम्पन्न हुई।



विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय गोहनलाल शुखाश्चिया विश्वविद्यालय , उदयपुर — 313001

क्रमांकः – गो.ला.शु.चि / शाविभाग / शामान्ध / 2021-22 / 4%

विनांकः 18.01.2022

श्रीमान् कुललचिव महोचय भोहनलाल शुर्खाकिया विश्वविद्यालय, जबयपुर(राजा.)

विषय- राज 2021-22 हेतु विद्यार्थियों के परिचय-पत्र बनवाने के सन्दर्भ में।

माध्यवर.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सत्र 2021-22 के रनालक, रनालकोत्तर किप्लोगा एवं सर्टिफिकेट कोर्स के विद्यार्थियों के परिचय-पत्र बनवाया जाना है। इस हेतु आई.यू.एम.एस. को निर्देशित करावें कि प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची महाविद्यालय के सम्बन्धित विभाग को पृथक-पृथक बना कर भेजी जाए। जिससे सम्बन्धित विभाग सूची को सत्यापित कर पुनः आई.यू.एम.एस. को भेज सके। जिससे समय पर परिचय पत्र बनाया जा सके और विद्यार्थियों को वितरण किया जा सके। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क परिचय पत्र प्राप्त होने पर भिजवा दिया जाएगा।

भवदीय

Social Sch

प्रतिलिपि प्रेषित:--

- 1. आई.यू.एम.एस., मो.ला.सू.वि
- 2. रोकड़ शाखा, सा.वि.मा.म
- 3. समन्वयक, परिचय पत्र समिति

University Colle Social Sciences & Humanities



UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY

UDAIPUR, (Raj.)

कार्यवृत्त

सत्र 2021-22 की प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करवाने के लिए संबंधित सभी सदस्यों की एक बैठक दिनांक 20.09.021 को दोपहर 2:00 बजे केन्टीन के पास सेमीनार हॉल में रखी गई। सर्वप्रथम अधिष्ठाता महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित विषय पर निर्णय/चर्चा हुई-

- 1. प्रवेश कार्य के दौरान टेंट की व्यवस्था की जायेगी।
- 2. समिति के लिए अल्पहार समिति द्वारा अल्पहार की व्यस्था की जाएगी।
- कोविड-19 के नियमों की पालना जैसे मास्क लगाना तथा दूरी बनाए रखना इत्यादि की विद्यार्थियों व कार्मिकों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी।
- काउंसलिग हेतु दिनांक व समय की सूची जल्द वेबसाइट पर अपलोड करवा दी जाएगी।
- 5. प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करवाने हेतु रिजर्व टीम की व्यवस्था भी की जाएगी।
- माईक द्वारा समय—समय पर आवश्यक सूचनाएं विद्यार्थियों को दी जाएगी।
- प्रवेश प्रक्रिया में लगे सभी सदस्य अपने स्थान को छोड़ कर नहीं जाएंगे व काउंटर पर भीड़ एकत्र न हो इस बात का सभी सदस्य ध्यान रखेंगे।
- 8. सभी विद्यार्थी गेट नं. 1 से प्रवेश करेंगे तथा प्रक्रिया सम्पन्न करवाते हुए गेट नं. 2 से महाविद्यालय के बाहर जायेगें। कोई विद्यार्थी फार्म लेकर बाहर न जाए इस बात का गेट नं. 2 वाली टीम ध्यान रखेगी। इस हेतु विद्याथियों की फीस की रसीद देखी जाएगी।
- फीस का विवरण बाहर नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा, साथ ही माइक के माध्यम से विद्याथियों को सूचित करेंगे।
- 10. कोविड-19 के पोस्टर महाविद्यालय में परिसर में चस्पा किए जाएंगे।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

समन्त्रसक

अधिष्ठाता



Ph. 0294-2470143, Uni.Fax.0294-2471150

UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)

क्रमांक. मोलासुवि/ साविमाम/समिति/2022/440 -

दिनांक : 12.08,2022

अतिआवश्यक

सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता(ADSW)/विद्यार्थी शाखा/ समन्वयक, समिति अनुशासनात्मक और एन्टी रेगींग/ संयोजक, सीसीटीवी कैमरा समिति, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।

विषय: - अनुशासनात्मक और एन्टी रेगींग समिति के कार्यवृत्त के संबंध में। मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुशासनात्मक और एन्टी रेगींग समिति—202 द्वारा दिनांक 03.08.2022 की बैठक आयोजित की गई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर लेख है कि आपके द्वारा बैठक के कार्यवृत्त के निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

मवदीय,

ाहिएसाला



Ph.(0294) 2470143 Fax.2471150 Est. 3200 email- ucssh@mbu.ac.in

UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Mohanlal Sukhadia University UDAIPUR - 313 001 (Raj)

परिचय पत्र समिति की बैठक का कार्यवृत्त

महाविद्यालय परिचय पत्र समिति की बैठक आज दिनांक 15.01.2022 को दोपहर 12:00 बजे अधिष्ठाता कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखत सदस्य उपस्थिति रही -

1.	प्रो. प्रतिभा	संयोजक
2.	डॉ. सतीश चन्द	सदस्य
3.	डॉ. रशमी सिंह	सदस्य
4.	डॉ. पामील मोदी	सदस्य
5.	श्री मंवर सिंह, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
6.	श्रीमती एकता शर्मा, विद्यार्थी शाखा	सदस्य
7.	श्री अशोक, रोकड़ शाखा	सदस्य

संयोजक ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। आई कार्ड बनवाने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में निम्नलिखित निर्णय/विधार हुए-


- 1. बैठक में कक्षा स्नातक,स्नात्कोत्तर, डिप्लोमा तथा सर्टिफीकेट पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी के परिचय पत्र बनाने का निर्णय लिया गया।
- 2. आई.यू.एम.एस. को संबंधित विभागों को विद्यार्थियों की सूची दिनांक 20.01. 2022 तक संबंधित विभागों को मेजने हेतु कुलसचिव को पत्र लिखा जाए।
- 3. सभी विमाग/संबंधित विभाग द्वारा आई.यू.एम.एस. द्वारा प्राप्त सूची को सत्यापित कर पुनः आई.यू.एम.एस. को परिचय पत्र बनवाने के लिए भेजें. जिसकी प्रति विद्यार्थी शाखा में भी भेजे।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

1 Parale 22

(Sports 15 1/2022

Prof Batibba)
(morener



कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में गैर-शिक्षणिक कार्मिकों (क्लर्क / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) की एस.एस.ए. बोर्ड द्वारा भेजी गई सूची से इनपेनल करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है-

1. प्रो. एस.के.कटारिया संयोजक

2. प्रो. सुघा चौंघरी सदस्य

3. प्रो. हेमंत द्विवेदी सदस्य

4. प्रो. पी.एम. यादव सदस्य

5. डॉ. मीनाक्षी जैन सदस्य सचिव

समिति संयोजक से निवेदन है कि शीघातिशीघ इनपेनल कर अघोहस्ताक्षरकर्त्ता को अवगत कराये।

प्रतिलिपि-

1. समस्त सदस्य, साविमाम, उदयपुर।

2. स्थापना अनुभाग, साविमाम, उदयपुर।

3. रक्षित पत्रावली।

अधिष्ठाता

अधिष्ठाता



Ph. (0294) 24POLES Fax. 3471150 Evt. 3200 amail: ucsslv@onles.ac.in

UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Mohanial Sukhadia University

UDAIPUR - 313 003 [Ruj]

परिचय पत्र समिति की बैठक का कार्यवृत्त

महाविद्यालय परिचय पत्र समिति ती बैठक आज दिनांक 18.01.2022 को दोपतर 1200 बजे अधिष्ठाता कवा में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखत सदस्य उपक्थिति स्त्री —

	घो. प्रतिशा	संयोजक
2,	वर्षे सरीश प्रभद	सदस्य
3.	कीं. रशमी शिंह	सवस्य
4	डॉ. पामील भोदी	100000000000000000000000000000000000000
	भी भंवर सिंह, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
-	मीमारी प्राप्त कर्मान अस्ताताच्या आवकारा	सदस्य
- 60.	भीमती एकता शर्मा, विद्यार्थी शाखा	सदस्य
7-	भी अशोक, रोकड शाखा	संग्रहरा

संयोजक ने सभी सदस्यों का स्थागत किया। आई कार्ड बनवाने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में निम्नलिखित निर्णय/विचार हुए-

- बैठक में कक्षा स्नातक,स्नात्कोत्तर छिप्लोमा तथा सर्टिफीकेट पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी के परिचय पत्र बनाने का निर्णय लिया गया।
- आई.यू.एम.एस. को संबंधित विभागों को विद्यार्थियों की सूची विनांक 20.01.
 2022 तक संबंधित विभागों को भेजने हेतु कुलसचिव को पत्र लिखा जाए।
- 3. सभी विभाग/संबंधित विभाग द्वारा आई.यू.एम.एस. द्वारा प्राप्त सूची को सत्यापित कर पुनः आई.यू.एम.एस. को परिषय पत्र बनवाने के लिए भेजें. जिसकी प्रति विद्यार्थी शाखा में भी भेजे।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।


15.1.2022

A Milar

Voint.

52/5/1/02 A511/22

(Prof Batibba)
(Prof Batibba)
(cameras



कार्यवृत्त

महाविद्यालय में गैर-शैक्षणिक कार्मिकों (क्लकं/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) की एस.एस.ए. बोर्ड हारा भेजी गई सूची में से धुनपेनल करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति की बैठक आज दिनांक 10.01.2022 को प्रातः 11:00 बजे अधिष्ठाता कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति रही-

1. प्रो. एस.के कटारिया संयोजक

2. प्रो. सुवा चौपरी सदस्य

3. प्रो. हेमत हिवेदी सदस्य

4. प्रो. पी.एम. यादव सदस्य

5. डॉ. मीनाक्षी जैन सदस्य

बैठक में संयोजक ने सभी का स्वागत किया। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर निर्णय / विचार हुए-

- 1. समिति सदस्यों द्वारा महाविद्यालय में नजदीक वाले विभागों या आमने-सामने वाले विमागों को एक ही लिपिक दिए जाने का सुझाव दिया।
- 2. वर्तमान में कार्यरत्त समस्त लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागों को बदला जाए तथा उन्हें युक्तियुक्त स्थानों पर लगाए जाने की अनुशसा की।

घन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई

प्रो. सुधा चौधरी प्रो. पौर्णस्यादव डॉ. मीनाक्षी जैन

विवान सामानिक विद्यान स्वं मानविकी महाविधालयः भो ला स्व वि वि उदयपूर घान धरायता निधि को प बंदक कार्यवृत्त आज दिनांड 08 अप्रेल, 2022 की अधिरहाता कथा में सम निधि सहायता की घ की वैठव अधी जित हुई। उप वैद्या में निम्नालिखित याउस्य उपास्पत रहे-1. प्रो. एस हे. कराशिया - संयोजकी 2. जो सुधा चौधरी - सदस्य १/ 3. प्री - जिने न्द्र हुमाएं जैन ५, डॉ. नवीन नैदवाना बैडक में सर्वधानमाति से निगिय लिया गया डि-। सन् २०२१-२२ के लिए इच्छुड़ विधार्षियों के आनेएन आमंत्रित किए जाएँ 2. आवेदन से संबंधित भाषरेंड सन्न 2020-या नाजे यथावत रहेंने 3. चन्यवाद के साथ केठक समाप्त हुई



Ph.0294-2470143

UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES MOHAN LAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

क्रमाक साविमाम शेकड शाखा / 2022 / 570

विनाक:- 15.09.2022

कार्यालय - आदेश

महाविद्यालय छात्र निधि सहायता कोष सत्र 2021-22 समिति की बैठक दिनांक 16.09.2022 को दोपहर 2:30 बजे अधिष्ठाता कक्ष में रखी गई है। निम्नलिखित समिति सदस्य बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे।

1. प्रो. एस.के.कटारिया	संयोजक
2. प्रा. सुधा चौधरी	सदस्य
3 डॉ. नवीन कुमार नन्दवाना	सदस्य
4. रोकड शाखा	सदस्य

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि -

- 1. संयोजक, छात्र निधि सहायता कोष समिति, साविमाम, मोलासुविवि, उदयपुर।
- 2 सभी सदस्य
- 3. रोकड शाखा, साविमाम, मोलासुविवि, उदयपुर।

अधिष्ठाता

21 310



UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES MOHAN LAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

क्रमाक सावि.मा.म/भो.ला.सुवि/2023/150

दिनांक - 28.04.2023

कार्यालय- आदेश

महाविद्यालय छात्र मिधि सहायता कोष सत्र 2022-23 के लिए निम्नांकित संकाय सदस्यों की समिति गठित की जाती है-

। प्रो एस.के.कटारिया संयोजक 2 पो सुधा चौधरी सदस्य 3 डो नवीन कुमार नन्दवाना सदस्य 4 रोकड शाखा सदस्य

समिति की बेठक दिनांक 29.04.2023 को सुबह 11 बजे अधिष्ठाता कक्ष में रखी गई है। कृपया अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि:-

- । सयोजक, छात्र निधि सहायता कोष समिति, साविमाम, मोलासुवि, उदयपुर
- 2 सभी सदस्य
- 3 रोकड शाखा साविमाम मोलासुवि, उदयपुर



Fb. 6294-2478143, Uni. Fb. 6294-2471159

UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)

क्रमाक साविमाम / मोलानुवि / शमिति / 2021-22 / 30

दिनांक : 06.04.2022

कार्यालय - आदेश

महाविद्यालय छात्र निधि सहायता कोष सत्र 2021-22 के लिए निम्नांकित संकाय सदस्यों की समिति गठित की जाती हैं-

1. प्रो. एस.के.कटारिया

संयोजक

2. प्रो. सुधा चौधरी

सदस्य

3. प्रो. जिनेन्द्र कुमार जैन

सदस्य

4. डॉ. नवीन कुमार नन्दवाना

सदस्य

समिति की <u>बैठक दिनांक 08.04.2022</u> को प्रातः 11:30 बजे अधिष्ठाता कक्ष में रखी गई है। कृपया अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

G 6.4.22

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि -

1. सभी सदस्य

2. रोकड शाखा, साविमाम, मोलासुविवि, उदयपुर।

Social Sciences & Humanides



Ph. 0294-2476143, Unl.Pan.0294-3471150

UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)

अनुशासनात्मक एवं एंटी रेगिंग समिति की बैठक का कार्यवृत्त

अनुशासनात्मक एवं एंटी रेगिंग समिति की बैठक दिनांक 05.01.2023 को प्रातः 11:00 बजे महाविद्यालय के अधिष्ठाता कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो. प्रदीप त्रिखा	संयोजक
2. प्रो. एस.के. कटारिया	सदस्य
3. डॉ. संगीता अठवाल	सदस्य
4. डॉ. देवेन्द्र सिंह चौहान	सदस्य
 डॉ. कैलाश चन्द गुर्जर 	सदस्य
डॉ. रिम सिंह	सदस्य
7. डॉ. सौरभ मीणा	सदस्य
8. डॉ. अनिता जोया	सदस्य
9. डॉ. पी.एस. राजपूत	सदस्य
10.डॉ. जी.एल. पाटीदार	सदस्य सचिव

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय/चर्चा की गई-

- महाविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए समिति महाविद्यालय गलियारों, परिसर व कक्षाओं का प्रतिदिन कम से कम दो बार निरीक्षण करेगी।
- 2. महाविद्यालय के प्रथम तल पर प्रो. प्रदीप त्रिखा, डॉ. कैलाश चन्द और डॉ. रश्मि सिंह, द्वितीय तल पर प्रो. एस.के.कटारिया, डॉ. पी.एस.राजपूत और डॉ. अनिता जोया तथा तृतीय तल पर डॉ. संगीता अठवाल, डॉ. देवेन्द्र सिंह चौहान व डॉ. सौरम मीणा समय—समय पर निरीक्षण करेंगे।
- महाविद्यालय परिसर में डॉ. जी.एल. पाटीदार व डॉ. पी.एस. राजपूत निरीक्षण करेंगे।
- महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक स्थानों / गलियारों में कैमरे लगाए जाएँगे।

5. महाविद्यालय में अन्य महाविद्यालय या बाहरी छात्रों का बिना वजह घूमना मना है। अनावश्यक या बिना काम के महाविद्यालय में पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाहीं की जाएँगी।

प्रदाप्रात्रखा (संयोजक)



Ph.(0294) 2470143 Fax. 2471150 Ext. 3200.

UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Mohanlal Sukhadia University

UDAIPUR – 313 001 (Raj)

No. MLSU/UCSSH/Gen/2023/955


Date: 06.01.2023

सू च ना

सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में दिनांक 09.01.2023, सोमवार से बिना महाविद्यालय पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थी पहचान पत्र दिखाकर ही महाविद्यालय में प्रवेश कर सकेंगे। अतः समस्त विद्यार्थी / शोधार्थी अपना पहचान पत्र अपने साथ रखें।

ऐसे विद्यार्थी / शोधार्थी जिनके पास अभी तक पहचान पत्र नहीं है, वे अपनी प्रवेश वर्ष 2022—23 की फीस की मूल रसीद से महाविद्यालय में प्रवेश पा सकेंगे।





F7 /CEO/ELC/2022/

Date: 21-8-2022

Minutes of Meeting

A meeting of advisory board was held on 21/8/2022 to resolve the issue relating to research scholars that whether a research scholar is entitled to cast vote for college union or not. It was unanimously decided in the meeting of the advisory held on 19.08.2022 that research scholars are entitled to caste vote only for central union posts and research representative. They are not entitled to caste vote for college union. After spreading this decision memorandums were received students against this decision. Students pointed out that in previous years such right was given to students.

Keeping the past practices in mind, the issue was again discussed with HVC and University Lawyer Sh. Arun Vyas. Thereupon Mr. Vyas gave his legal opinion in writing annexed herewith. Thereafter, Prof P. K. Singh, Prof. Anand Paliwal, Prof. C. P. Jain, Prof. C. R. Suthar, Prof. Manju Baghmar have also given their consent on this issue on cell phone in the morning of August 21, 2022.

Therefore now this is resolved that "A research scholar who is entitled to cast vote for research representative shall also be eligible to cast vote for central union as well as college union. However, the research scholar shall not be entitled to cast vote for class representatives and university representatives."

I the form the following to the part of th



F. No./CEO/ELC/2022/

Dated: 14.08.2022

दिग्विमय खींची

छात्रसंघ जम्मीदवार प्रत्याशी सुखाड़िया विश्वविद्यालय,उदयपुर।

विषयः लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की पालना करने एवं माननीय न्यायालय के आदशों की पालना के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप सभी छात्र संगठन के पदाधिकारी एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय के उम्मीदवारों को लिंगदोह कमेटी एवं माननीय न्यायालय के आदशों एवं नियमों की अक्षरशः पालना करना अनिवार्य हैं। प्रायः प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया है कि आपके हारा निषिद्ध प्रचार—सामग्री का उपयोग किया जा रहा है जो लिंगदोह कमेटी के सिफारिशों के विरूद्ध एवं न्यायालय के आदशों की अवहेलना हैं अतः आपको अन्तिम चेतावनी दी जाती है कि छात्रसंघ चुनाव प्रतिबन्धित प्रचार—प्रसार सामग्री का उपयोग न करें एवं सार्वजनिक बैठकें, जुलूस प्रदर्शन, वाहनों, जानवरों, लाउड स्पीकरों आदि का प्रयोग, मुदित पोस्टर, पेम्पलेट्स और कार्ड आदि का प्रयोग वर्जित है। यह विश्वविद्यालय परिसर एवं शहर में कहीं भी नहीं हो। आप 07 दिवस की अविध में निम्न प्रश्नों का जवाब कार्यालय को व्यक्तिश उपरिथत होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करके आपके नामांकन को भविष्य में निरस्त किया जा सकेगा:


- आपके द्वारा उपयोग की गई प्रचार-प्रसार सामग्री की मात्रा एवं राशि का विवरण दें।
- 2 किस प्रिटिंग प्रेस से प्रचार-प्रसार सामग्री छपवाई हैं- विवरण दें।
- 3 प्रिटिंग प्रेस को की गई भुगतान राशि का बिल प्रस्तुत करे।
- 4 भविष्य में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की पालना को स्निश्चित करें।
- 5 भविष्य में प्रतिबन्धित प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग नहीं करें।

धन्यवाद ।

Dean Students Welfare (Prof. S.S. Bhanawat) Chief Proctor Prof. B.L. Verma

प्रतिलिपि :--

- 1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, मोलासुविद्यि उदयपुर।
- कुलसचिव महोदय, मोलासुविवि, उदयपुर।
- समस्त पूर्व छात्रसंघ पदाधिकारी।
- समस्त छात्रसंघ चुनाव उम्मीदवार।



बैठक उपस्थिति पत्र

दिनांक 30.11.2022 को अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, कार्यालय में केन्द्रीय छात्रसंघ द्वारा आयोजित कार्यकमों की गतिविधियों एवं बजट के निर्धारण करने हेतु आयोजित बैठक में अधिष्ठाता, महोदया. एवं केन्द्रीय छात्रसंघ के निम्नलिखित पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दी।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण/केन्द्रीय छात्रसंघ पदाधिकारी

1. प्रो. मंजू बाद्यमार, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

2. श्री कुलदीप सुवावत, अध्यक्ष, केन्द्रीय छात्रसंघ

श्री विष्णु रेबारी, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय छात्रसंघ

4. श्री कपिश जैन, महासचिव, केन्द्रीय छात्रसंघ

कु. महिमा वैष्णव, संयुक्त सचिव, केन्द्रीय छात्रसंघ

श्री अनुभव बर्बर, शोाघ प्रतिनिधि केन्द्रीय छात्रसंघ

Malindaise